खण्ड-392, अंक-5
बृहस्पतिवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1911
(6 अप्रैल, 1989 ई0)

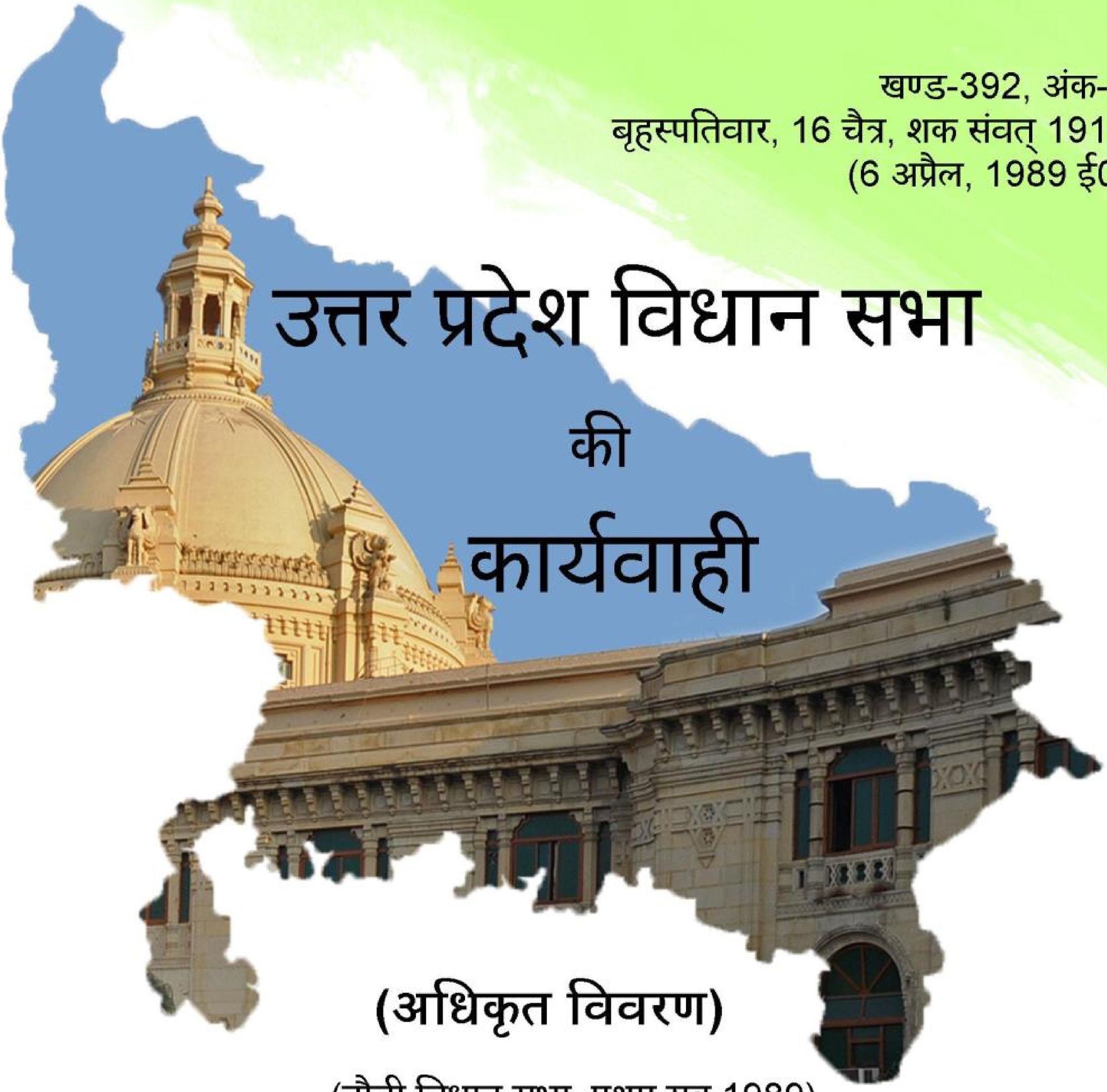

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 392 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
...स्थित सदस्य ..	1
...र ..	13–49
...वादी नेता श्रीधर महादेव जोशी के निधन पर शोकोद्गार ..	49–53
हरदोई की तहसील सन्डीला के ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद के लिंक ...ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	53–54
...के ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधानों को नियमित वेतन आदि दिये जाने के ...म्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	54
बांदा के हिन्दू इंटर कालेज, अतर्रा की दुर्व्यवस्था को दूर करने हेतु प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना ..	55
...ज देवरिया के आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	55
...रिता विभाग के सेवा–निवृत्त आर० डी० सुपरवाइजरों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	55–56
...आगरा के विकास खंड, फतेहपुर सीकरी तथा अछनेरा के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	56
लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में पड़ने वाले इस्माइलगंज, पानी गांव आदि में भवन कर वसूली को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	56–57
जनपद देवरिया में गंडक की नहरों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	57
जनपद बाराबंकी में राम नगर से सआदतगंज तक के अधूरे मार्ग के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	57
जनपद बहराइच के सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई के पूर्ण कार्य अधीक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
जनपद बलिया की हरिजन कालोनी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
जनपद लखनऊ के सिविल अस्पताल में आंख के डाक्टरों द्वारा आंखों के आपरेशन में की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद लखनऊ के ग्राम इस्माइलगंज में पेय जल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना .	59
जिला मिर्जापुर में पत्थर के व्यवसाय उत्पादन पर बिक्री-कर को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59-60
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन उत्तर रक्षा महिला सदन आदि संस्थाओं में नियुक्त शिक्षिकाओं के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60
जनपद लखनऊ के विभागीय निर्माण इकाई डी० सी० यू० सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60-6
जनपद मेरठ के थाना अमीनगर के अन्तर्गत श्रीमती कौशल्या हत्याकांड में हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम हरैया में हुये अग्निकाण्ड से क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61-
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दरा सक क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62
जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र की सड़कों पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62
प्रदेश में आलू की खरीद एवं शीत गृहों में भण्डारण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर के थानाध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
जिला आजमगढ़ के विकास खंड, तहबरपुर के ग्रामवासियों के लिये विद्युत् आपूर्ति हेतु सब-स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
जनपद देवरिया की तहसील देवरिया के ग्राम महुअवा बाजार में हुये अग्नि-कांड में क्षतिग्रस्त लोगों की क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम दाउदपुर में बने धार्मिक स्थल से अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी में बने उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर बांसी व नौगढ़ में राप्ती व बूढ़ी राप्ती पर बने बांधों को कटान रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65-66
श्री राम मिलन सिंह, उप गन्ना आयुक्त पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर के द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
जनपद सुल्तानपुर के केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67
जनपद गाजीपुर के मरदह क्षेत्र में सहकारिता शीतगृह खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67
जिला गाजीपुर के बहादुरगंज में जहरीली शराब के कारण हुई दुर्घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67-68
जिला गाजीपुर के परसा वाराचवर तिराहीपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
जनपद बलिया में रसड़ा मेड़रा, तिराहीपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
जिला गाजीपुर में नैनपुर करडा मार्ग पर गंगा नदी परमिट घाट पर पहुंच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	69
जनपद गाजीपुर के ब्लाक कासिमाबाद एवं बाराचंवर में विश्व बैंक के माध्यम से नलकूप लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	69
जनपद देवरिया के विकास खंड, भटनी में हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	70
जनपद गाजीपुर के विकास खंड, मरदह में बेल सड़ी पिगरा आदि मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	70
क्षेत्रीय विकास विभाग के भू-गर्भ जल विभाग के अवेक्षण अभियन्ता मण्डल बरेली द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	70-71
जिला गाजीपुर के बाराचंवर ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	71
जनपद देवरिया के विकास खंड, भटनी के ग्राम सभा खजुरी करौता के मार्ग संख्या 134 को रेलवे क्रासिंग वाली सड़क से मिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	71-72
जिला देवरिया के विकास खंड, भटनी के प्राथमिक पाठशाला, खजुरी करौता के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	72

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मुरादाबाद के राजकीय दीक्षा विद्यालय एवं आदर्श कन्या विद्यालय को मुरादाबाद शहर मुख्यालय पर रहने दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	72–73
सीतापुर नगर में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73
जनपद सहारनपुर (हरिद्वार सहित) में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के हुये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73
जनपद आजमगढ़ में कस्बा मेहनगर मंगराना विन्दा बाजार होते हुये लखनऊ कानपुर तक रात्रि बस सेवा प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73–74
उत्तर प्रदेश में नलकूप के मोटर के खरीद पर दिये जाने वाले टैक्स को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	74
जनपद सिद्धार्थनगर के सैमदा से मुसहरा मार्ग पर पुरानी छोर राप्ती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	74–75
जनपद गाजियाबाद कालोनी कस्बे की जमीन पर से अधिकृत कब्जे को हटाकर पात्र व्यक्तियों के नाम बढ़ा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
जनपद आजमगढ़ को अन अनौद्योगिक जनपद घोषित करके उद्योग खोलने हेतु पचास प्रतिशत की छूट देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
जनपद मथुरा के कोसी एवं छाता के बीच प्रस्तावित तारकोल फैक्ट्री को अन्यत्र लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75–76
महर्षि बाल्मीकी के जन्मदिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	76
जनपद हरदोई में अतरौली सिधौली मार्ग के बीच भटपुर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	76
जनपद उन्नाव के विकास खंड, मुरादाबाद में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77
जनपद कानपुर में महापालिका की लापरवाही से फैली भीषण गन्दगी को तुरन्त साफ कराने हेतु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77
जिला उन्नाव के रिकार्ड आपरेशन के ए० आर० ओ० बड़े बाबू तथा नव नियुक्त नायब तहसीलदार की अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77–78

विषय	पृष्ठ संख्या
शारदा सहायक पोषक नहर में लाइनिंग हेतु ठेकेदारों को दिये गये कार्य में हो रही क्षति की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78
जनपद आजमगढ़ के प्रामोद्योग अधिकारी की अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78–79
सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत स्टोर-कीपरों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम भेसाखरहा के प्रधान को फर्जी पत्र के आधार पर निलम्बित किये जाने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79–80
जनपद फतेहपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	80
उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा मनमानी व धांधली किये जाने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80–81
फजाबाद रोड लखनऊ पर स्थित रविन्द्र पल्ली योजना के निवासियों से महापालिका द्वारा अवैध भवन कर वसूलने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81
नवयुग कन्या इंटर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81–82
कर अधीक्षक महापालिका/सहायक कर अधीक्षक की प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82
सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेतु निगम व निर्माण निगम में भेजे गये अधिकारियों को विशेष वेतन मिलने पर अन्य अधिकारियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82–83
जनपद सिद्धार्थ नगर के सिपरापार गांव से लखनपारा तक के बांध निर्माण को पूरा कराने तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तरह गेहूं वितरण में किये गये घोटाले में कार्यवाही करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83
सरकार द्वारा सीधी भर्ती वाले स्थायी पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षकों के पद पर प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83–84
प्रदेश के गांधी आश्रम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं में की जा रही अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
जनपद फर्रूखाबाद से घटियाघाट जमापुर मार्ग तक प्राइवेट बसों का आना-जाना रोकने से जनता में फैले असंतोष को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84–85

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गाजीपुर मुहल्ला मियांपुर में स्थित मकान नं0 88 (पुराना) की नीलामी को रद्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी के प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	85–86
अपर निदेशक (पर्वतीय क्षेत्र) पशुपालन विभाग गोपेश्वर चमोली द्वारा पशुधन प्रसार निरीक्षक के पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम लडवा में बिजली के तार टूटने से फसलों को हुई क्षति-पूर्ति किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
जनपद लखनऊ में अवैध शराब के धन्धे के पकड़े गये मामलों की सी0 आई0 डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के एस0 डी0 एम0 सदर द्वारा चकबन्दी में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87–88
जनपद बदायूं के क्षेत्र बातागंज में रामगंगा नदी के किनारे बसे नागरियां खून कडरा मंझरा आदि गांवों में ऊगी टाट घास को नष्ट करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बाराबंकी के ग्राम बुधनाई थाना फोटी के निवासी श्री नवमी लाल द्वारा आपराधिक कार्य किये जाने पर सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में बाह नदी पर पुल निर्माण तथा पक्का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद गोरखपुर की नगरपालिका सिसवा की पोखरी मसजिदिया टोला तथा रामलीला ग्राउन्ड आदि स्थानों को बेचे जाने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद में हेराफेरी के विरुद्ध कार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89–90
जनपद बलिया में रसड़ा क्षेत्र के कताई मिल के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद फर्रुखाबाद के उमर्दा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90–91

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला मुजफ्फरनगर में ट्रेड यूनियन केन्द्र में श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध मजदूरों द्वारा जारी भूख हड़ताल में हस्तक्षेप करके कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ की कुमारी कापिया के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार की एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने तथा अपराध की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगत सूचना ..	91–92
जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
जनपद गोण्डा के बन्द पड़े नवाबगंज शुगर मिल का अधिग्रहण करके मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज व इटवा में चल रही चकबन्दी की प्रक्रिया में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद कानपुर के खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93–94
जनपद मथुरा की न्याय पंचायत शेरनी गंज, सोनई आदि ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा गोकुल क्षेत्रों के कुण्डों के प्रदूषित पानी को स्वच्छ बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	94
जनपद पीलीभीत तहसील बीसलपुर की ग्राम समाज अमृता खास की भूमि पर ग्राम प्रधान आदि द्वारा अवैध कब्जे के मामले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
जनपद देवरिया के मरचहवा हत्याकांड के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग	95–96
करहना हत्या कान्ड की सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग	97
उत्तर प्रदेश चल चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 1989 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	97
आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	97–98
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से बढ़ाने के संकल्प का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	98–103
यमुना जल के प्रदूषण के सम्बन्ध में यमुना नदी के जल के शुद्धिकरण की योजना के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा (जारी)	103–114
विधान भवन के गेट पर हड़ताली बुनकरों द्वारा नारे लगाने और रास्ता रोकने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	114–116

विषय	पृष्ठ संख्या
यमुना जल के प्रदूषण के सम्बन्ध में यमुना नदी के जल के शुद्धिकरण की योजना के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा ..	116–119
प्रदेश की नगर महापालिकाओं/नगरपालिकाओं, टाउन एरिया क्षेत्रों में किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण किये जाने के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत की सूचना पर चर्चा	119–146
विधान भवन के समक्ष हजारों बुनकरों द्वारा धरना दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	146–147
एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सम्बन्ध में दी गयी सूचना की कार्यवाही की जानकारी की मांग	147
जनपद जौनपुर में बढ़ रहे अपराधों और उनसे सम्बन्धित अपराधियों की लिखित शिकायत करने के फलस्वरूप श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	147–150
सहकारी विभाग में कार्यरत हजारों संग्रह अमीनों का विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	150–152
वि काशी सहकारी चीनी मिल औराई, वाराणसी में अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यकलापों से मिल बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गन्ना विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	152–157
नियम 311 में नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	157
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल सदस्यों मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक 1989 को आज ही सदन में लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	158–159
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्यों मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधयक 1989 (पारित) ..	159–163
मेहदावल थाना जनपद बस्ती के ग्राम करहना में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर ग्यारह निर्दोष लोगों की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना	163–164
आज की कार्य सूची के अवशेष रहने वाली चर्चाओं और वक्तव्यों के सम्बन्ध में शासन द्वारा बाद में सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध ..	164–168
दिनांक 12 मार्च, 1989 को थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर के ग्राम ककरही में हुए भूमि विवाद में दो हरिजनों की हत्या तथा पांच व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृहराज्य मंत्री का वक्तव्य	168–171
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निलम्बित कर्मचारियों द्वारा विधान भवन के सामने आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में परिवहन राज्य मंत्री का वक्तव्य	171–176

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों तक सदन में मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	176–179
बड़ौत जनपद मेरठ में ट्रान्सफार्मर की कमी से परेशान किसानों द्वारा रास्ता जाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य	179–180
जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को त्रिभाषा अनुदान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	180–181
दिनांक 25/26 फरवरी, 1989 को अधिवक्ता श्री राना रंजीत सिंह की हत्या के विरोध में मथुरा की समस्त अदालतों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य ..	181–182
हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रबन्धक के फर्जी हस्ताक्षर से विद्यालय कोष का संचालन एवं अन्य अनियमिततायें किये जाने के फलस्वरूप शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	182–185
जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	185–186
आज जो वक्तव्य निर्धारित हैं किन्तु शासन के अनुरोध पर स्थगन प्राप्त किया है उनके बारे में शासन द्वारा वक्तव्य की प्रतियां सम्बन्धित सदस्यों को 30 दिन के भीतर भेज दिये जाने और उसकी एक प्रति इस सचिवालय को भेजे जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	186
सदन के संचालन में सहयोग के लिये पीठासीन अधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, सचिव विधान सभा, विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों तथा सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जाना ..	187–197
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	197–198

विधान सभा
सचिवालय, पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 5 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अर्जुन सिंह यादव, श्री	जौनपुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अवधेश राय शास्त्री, श्री	गाजीपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर
चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
नानक चन्द्र आजाद, श्री	मेरठ
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रमिला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
फजलुल बारी, श्री	गोंडा
फजले मसूद, श्री	देवरिया
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोंडा
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मान बहादुर सिंह, श्री	गोंडा
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेश कुमार खेरा, श्री	ललितपुर
राम करन पटेल, श्री	वाराणसी
राम चन्द्र शर्मा, श्री	वाराणसी
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सिकन्दर अली खां, नवाब	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पांडे, श्री	बस्ती
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयों के त्रिदलीय सम्मेलन का औचित्य

**1--श्री अकबर हुसैन बाबर (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री तथा उनके द्वारा बार-बार घोषणा के बाद भी सूती वस्त्रोद्योग के लिये त्रिपक्षीय वार्ता न बुलाने का क्या कारण है ? क्या शासन त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री सैयद सईदुल हसन)--

कानपुर से बाहर स्थित वस्त्र उद्योग में नियोजित श्रमिकों की मांगों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल नं0 (1) तथा (2) कानपुर से सम्बन्धित इकाइयों को छोड़कर कानपुर के बाहर स्थित अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों के त्रिदलीय सम्मेलन हेतु प्रयास जारी है।

(अल्पसूचित प्रश्न संख्या--1-2 के माननीय सदस्य अनुपस्थित होने के कारण नत्थी "ख" के लिये जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले प्रश्न में हमारी रुचि है।

एक सदस्य--

हमारी दूसरे प्रश्न में रुचि है।

श्री अध्यक्ष--

बाद में देखा जायेगा। मैंने नत्थी "ख" ले लिया है।

मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग उद्यान निदेशालय के गठन का प्रस्ताव

**2--श्री बदन सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग उद्यान निदेशालयों के गठन तथा दो अलग-अलग तकनीकी निदेशक नियुक्त करने के आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनवरी, 1989 में दिये हैं ? यदि हां, तो उन आदेशों का कार्यान्वयन अभी तक न करने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)--

माननीय मुख्य मंत्री ने पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र के लिये दो अलग-अलग निदेशालय बनाये जाने के आदेश दिये थे।

माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि कार्यवाही की जा रही है जबकि माननीय मंत्री जी ने जनवरी, 89 में इसके लिए आदेश दिए थे कि पर्वतीय क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र दोनों के लिए अलग-अलग निदेशालय खोल दिए जाएं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही कब तक करवा दी जायेगी ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने यह जानकारी चाही कि जनवरी मे जो हमने निर्णय लिया और तदनुसार उस पर कार्यवाही शुरू हो गयी। जनवरी में मान्यवर, यही नहीं दो महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिये एक तो यह कि उद्यान एवं फल संरक्षण (फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट) और दूसरा यह पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में दो अलग-अलग निदेशालयों की स्थापना का निर्णय लिया मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 6 अप्रैल को उसके चयन का साक्षात्कार होने जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि यह निदेशक महोदय का मुख्यालय पहाड़ पर होगा, लखनऊ में नहीं होगा ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

इसको अलग करने का मकसद यही है कि पर्वतीय क्षेत्र का निदेशक जो है वह पर्वतीय क्षेत्र में रहे और मैदानी क्षेत्र का निदेशक मैदान में रहे, इसीलिये दोनों को अलग किया गया है। पहाड़ का पहाड़ पर बैठेगा और मैदान का मैदान में बैठेगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि अप्रैल में निदेशालय को अलग कर देंगे, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस समय जो निदेशक हैं, वह आई0 ए0 एस0 हैं और उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है और परामर्श देने के लिये उन्होंने एक परामर्शदाता को रखा है, तो क्या अलग निदेशालय बनने पर आप तकनीकी निदेशक नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, जो चयन प्रक्रिया की जा रही है, उसमें निश्चित रूप से तकनीकी व्यक्ति लिये जायेंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि आज साक्षात्कार है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह निदेशक किस महीने से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, निदेशक का चयन हो जायेगा, और कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति कृषि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए यू0 जी0 सी0 वेतनमानों का स्वीकृति

*1--श्री कुशल पाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रदेश के अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भांति यू0 जी0 सी0 वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी हां।

प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति कृषि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए दिनांक 1 जनवरी, 1986 से यू0 जी0 सी0 वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य

*2--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का वास्तव में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्तिशः कृषक को आर्थिक क्षति की इकाई मानकर बीमा का लाभ पहुंचाये जाने और अभी तक जारी, जनपद को आधार मानकर फसल बीमा की क्षतिपूर्ति का आंकलन करने की परम्परा समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? क्या मंत्री जी फसल बीमा के अन्तर्गत आलू, तम्बाकू, गन्ना टमाटर, मटर, अरहर आदि जिसों को भी सम्मिलित करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्देशित व्यापक फसल बीमा योजना रबी 87-88 तक लागू थी जिसके अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का आंकलन तहसील को इकाई मानकर प्राप्त औसत उपज के आधार पर किया जाता था। योजना भारत सरकार द्वारा निर्देशित होने के कारण प्रदेश शासन द्वारा संशोधित किया जाना कार्यक्षेत्र से बाहर है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार योजना संशोधित करने पर विचार कर रही है।

उक्त संदर्भित भारत सरकार की फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मटर रबी फसल के अन्तर्गत सम्मिलित है अवशेष संदर्भित जिन्स के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकरण भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, नत्थी-ख का दूसरा प्रश्न ले लें। बहुत महत्वपूर्ण है। फसल बीमा योजना के बारे में है, पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री विजय सिंह राणा--

सारी व्यवस्था आप [× × ×] सारी व्यवस्था आप पर है। हमें क्या है, लेकिन सबका लेंगे तो दिक्कत होगी।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

द्विवेदी जी, क्षमा करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

आपने नत्थी-क के प्रश्न को ले लिया है, मेरा नत्थी-ख का है।

श्री अध्यक्ष--

कुछ तो परम्पराओं को कायम रखें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

आपने पहले ही तोड़ दिया, इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश को फसल बीमा से सम्बन्धित है। जब आपने पुकारा तो मैं लाबी में आ गया था, लेकिन आप आगे बढ़ गये। बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

कैसे काम चलेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

आज अन्तिम है, इसीलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

हमारे लिये मुश्किल हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश के किसानों की सुविधा हेतु सिंगिल विन्डो सिस्टम की व्यवस्था

*3--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिए कोई "सिंगिल विन्डो सिस्टम" योजना चलाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी हां।

सिंगल विन्डो सिस्टम के अन्तर्गत कृषकों को कृषि निवेश तथा बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी है। विकास खण्ड मुख्यालय पर पहले से ही बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराये जा रहे थे। 1 अप्रैल, 1988 से कृषि विभाग के अवशेष बीज भण्डारों से जहां अभी तक केवल बीज एवं उर्वरक दिया जा रहा था, पर भी कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री ने जब अपना बजट भाषण दिया था तो उसमें यह कहा था कि हम प्रदेश में पहली बार सिंगिल विंडो सिस्टम के द्वारा किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं की चीजों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि किसी भी किसान को अपने घर से 2-3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न जाना पड़े। उसके लिए 1,622 केन्द्रों के स्थान पर माननीय मंत्री जी ने 4,011 ऐसे केन्द्रों को खोले जाने की बात भी कही थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह 4,011 केन्द्र बन जाने के बाद हर गांव के किसान को 2-3 किलोमीटर से ज्यादा अपनी कृषि सम्बन्धी वस्तुयें खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा ? यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय सदस्य, बस्ती ने जो अपनी राय व्यक्त की है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और शासन का यह निश्चित मत है और प्रयास भी है और उस पर कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान को 2-3 किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े और उसे कृषि निवेश तथा बीज, उर्वरक कृषि रक्षा रसायन आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायें। हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगिल विंडो सिस्टम की व्यवस्था हो जाये। इस ओर हमारा प्रयास है, और हम इसे करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी भी व्यवस्था करेंगे कि जहां सिंगिल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत एक ही स्थान पर किसान को सारी चीजें उपलब्ध हों वहीं एक ही स्थान पर सारे अधिकारी भी उपस्थित रहा करें ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

जो भी व्यावहारिक होगा उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, सिंगिल विंडो सिस्टम कहने के लिए तो बहुत आसान है, पर उस पर कार्यवाही होना कठिन लग रहा है क्योंकि मैं देखता हूं कि जब कभी ब्लाक स्तर पर या जिले स्तर पर कोई मीटिंग होती है तो उसमें सभी अधिकारी उपस्थित नहीं होते। जब सारे अधिकारी एक जगह इकट्ठा नहीं होते तो सारी सुविधायें एक जगह दिये जाने की योजना मंत्री जी कैसे लागू करेंगे ? यदि कोई अधिकारी नहीं आता है तो क्या उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही भी करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, माननीय राणा जी ने कहा कि कहना तो बहुत आसान है, हमारा कहना यह है कि हमने प्रयास किया है और अभी कर रहे हैं, आपको तो इस प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए कि किसानों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, इस सम्बन्ध में जो भी उपयोगी कार्यवाही होगी, वह शीघ्र से शीघ्र की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जहां तक प्रशंसा की बात है तो मैं भी उसकी प्रशंसा कर दूंगा और यह प्रशंसा वाली बात भी है, लेकिन इस व्यवस्था को अपने आप में कैसे लागू करेंगे, उसका पूरा स्वरूप क्या होगा, यह बता दें ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, यह व्यवस्था कैसे हम लागू करेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना अवश्य मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था हम लागू करेंगे और शीघ्र ही लागू करेंगे ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को एक जानकारी देकर यह प्रश्न करना चाहता हूं कि बजट के समय कृषि विभाग द्वारा जो पुस्तिका दी गयी थी, उसके पृष्ठ 109 से 112 तक 57 कृषि रक्षक रसायनों के नाम दिए गये हैं जिसका शीर्षक "फसल सुरक्षा रसायनों का नाम व मूल्य" दिया गया है जो प्रत्येक विभागीय कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है । मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन 57 फसल सुरक्षा रसायनों के नामों की सूची दी गयी है, क्या वह सभी रसायन औषधियां आपकी समस्त कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध हैं और यदि नहीं तो क्या उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

इसे मान्यवर, मैं सभी कृषि रक्षा इकाई केन्द्रों पर दिखवा लूंगा, यदि यह रसायन वहां नहीं पहुंचे हैं तो तत्काल सभी जगहों पर व्यवस्था करा दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न को अब ले लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

बाद में देख लिया जायेगा, आप उस समय उपस्थित नहीं थे, अब हमने आगे के प्रश्न ले लिए हैं, बाद में देख लेंगे । इसमें मेरी क्या गलती है ?

अनेक सदस्य--

मान्यवर, ले लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आज अंतिम दिन है, आप लोगों की बात पर लिये लेता हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से जनपद आगरा में बनी सड़कों पर तारकोल लेपन स्तर तक कार्य

*1--श्री विजय सिंह राणा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से जनपद आगरा में वर्ष 1977-78 व 1978-79 में मिट्टी व इन्टरकोट स्तर की बनी सड़कों के तारकोल लेपन-स्तर तक का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा और अभी तक उन्हें तारकोल लेपन स्तर तक पूरा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

प्रश्न अवधि में मिट्टी व इण्टरकोट स्तर की कोई भी सड़क पूर्णतया मण्डी समिति के धन से नहीं बनवाई गई है। सम्पर्क मार्गों पर लेपन कार्य जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा मण्डी समिति में धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि सभी सड़कों को मन्डी समिति के धन से नहीं बनाया गया है। उनका अभिप्राय यह है कि मंडी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी गई थी उनमें किसी और विभाग का भी पैसा लगा हुआ है। मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि जो सड़कें केवल मन्डी समिति के पैसे से बनी हुई हैं, और अध्यक्ष जी आप स्वयं अपने क्षेत्र में जाते होंगे, आप भी अनुभव करते होंगे कि इस तरह की मंडी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी गई हैं उनका रख-रखाव कोई नहीं करता है वह वैसी ही पड़ी रहती हैं। मिट्टी और इन्टरकोट स्तर तक के बाद ऐसी सड़कों का आगे का कार्य हमेशा-हमेशा के लिये खतम हो जाता है और इस तरह से वे सड़कें हमेशा के लिये खतम हो जाती हैं। इसीलिये मैंने यह पूछा था कि जो सड़कें मन्डी समिति द्वारा बनायी गई हैं उनकी कोई देख-रेख नहीं करता है इसलिये क्या आप अपने स्तर से उन पर तारकोल और लेपन स्तर का कार्य अपने स्तर से करायेंगे ताकि जो सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है उसका सदुपयोग हो सके। आपने कहा है कि मंडी समिति में धन की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य कराया जायेगा तो क्या आप उस धन को मंडी समिति के इस कार्य में खर्च करके लेपन स्तर तक का कार्य करायेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, आप देखें प्रश्न में माननीय राणा जी ने यह पूछा था कि जनपद आगरा में वर्ष 1977-78 और 1978-79 में मिट्टी व इन्टरकोट स्तर तक की बनी सड़कों के तारकोल लेपन-स्तर तक का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा। तो मान्यवर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया है कि 1977-78 से लेकर 1978-1979 तक प्रदेश में कोई भी सड़क केवल मण्डी परिषद् के धन से बनी है। उसमें केवल 20 प्रतिशत का योगदान मंडी परिषद् का रहा है और बाकी 80 प्रतिशत योगदान जो खाद्यान्न योजना चलायी गई थी गेहूं आदि मजदूरों को देने की, उसका रहा है। माननीय राणा जी ने जो दूसरी बात कही है, अगर मंडी समिति के पास धन है तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है उसे मंडी स्तर तक बनाने की। उसके बाद जो धन बचेगा उससे हम सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेंगे जहां पर मिट्टी व इन्टरकोट का कार्य किसी भी एजेन्सी द्वारा करा दिया जा चुका हो।

श्री अमर चन्द्र—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को ठीक से नहीं सुना। माननीय राणा जी ने यह प्रश्न पूछा है कि जनता शासन काल के दौरान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये जो मिट्टी और इन्टरकोट स्तर तक की सड़कें बनायी गई थीं क्या मंडी समिति द्वारा उनको पूरा करा दिया जायेगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय अमर चन्द्र शर्मा जी ने एक बहुत ही यथार्थ का प्रश्न किया है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

आप अपने अगल-बगल के लोगों को खुद गाइड करते हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दोनों आगरे के हैं।

श्री बाबू राम यादव--

इसमें यह साहस नहीं है कि यह गांवों को सड़कों से जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको तो बुलाया नहीं।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय राणा जी ने और माननीय शर्मा जी ने जो प्रश्न किया उन प्रश्नों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं मैंने भी यह कहा कि किसी भी एजेंसी से किसी भी समय जो सड़क मिट्टी स्तर तक पहुंच चुकी है उन सब का हम लेंगे और मंडी परिषद् उनको बनायेगी।

श्री जोसान सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी सड़क मंडी परिषद् ने अपने धन से नहीं बनाई। यह प्रश्न मात्र आगरा का नहीं है सारे प्रदेश का मामला है मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे क्षेत्र में रूहकला लेपम स्तर तक, जलालपुर खड़ंजा स्तर तक और विधुना विधियां खड़ंजा और मिट्टी स्तर तक मंडी समिति ने बनाई....।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ?

श्री जोसान सिंह--

मंत्री जी ने कहा कोई सड़क मंडी परिषद् ने नहीं बनाई केवल 20 प्रतिशत खर्चा किया। मंडी परिषद् ने अनेक संपर्क मार्ग पूरा खर्च करके लेपम स्तर तक 10, 15 साल पहले बनायेहैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ?

श्री औसान सिंह—

क्या वह पूरे प्रदेश में इसका पुनरीक्षण करायेंगे कि मन्डी परिषद् द्वारा जो सड़कें मिट्टी स्तर तक बनी हैं उनको लेपन स्तर तक बनाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सीधा-सीधा प्रश्न कीजिये ।

श्री औसान सिंह—

सीधा ही कह रहा हूं कि जो सड़कें मंडी समिति द्वारा बनाई गयी हैं जो मिट्टी स्तर की हैं उनको लेपन स्तर तक और जो खड़ंजा स्तर की हैं...।

श्री अध्यक्ष—

वह कह चुके हैं जितनी सड़कें हैं उन सब को लेंगे ।

श्री औसान सिंह—

मेरा प्रश्न है कि जो सड़कें मिट्टी स्तर तक और खड़ंजा स्तर तक की बनी हैं उन सब का सर्वेक्षण कराकर पूरा कर देंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

ऐसा लगता है शायद माननीय यादव जी ने प्रश्न पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो यह प्रश्न नहीं करते । माननीय राणा जी ने जो प्रश्न किया है वह आगरा तक सीमित है और उन्होंने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दो वर्षों में केवल आगरा जनपद सीमित किया है और माननीय यादव जी पूरे प्रदेश की 15 साल की सड़कों को ले आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में है माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि 1977-78 में जो सड़कें मंडी समितियों ने बनवाई थी उनमें उनका 20 प्रतिशत अंशदान था और 80 प्रतिशत खाद्यान्य योजना के अन्तर्गत जो खाद्यान्न मिला था उससे कराया । शायद उनकी जानकारी में इस बात को नहीं लाया गया था लाया गया तो वह सदन के सामने नहीं कहना चाहते हैं कि मंडी समितियों द्वारा इसके बाद खड़ंजा स्तर तक का काम कराया गया जिसमें पूरी धनराशि मंडी समितियों ने दी काम भले ही पी0 डब्लू0 डी0 या दूसरे विभागों से करवाया हो । तो ऐसी सड़कों को लेपन स्तर तक ले जाने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी हमारे वरिष्ठ साथियों में से हैं और सदन के अनुभवी हैं । जो यादव जी ने प्रश्न पूछा वही वर्मा जी ने भी पूछ लिया । प्रश्न सीमित है आगरा जनपद तक और सिर्फ वर्ष 1977-78 और 1978-79 तक अगर

वह इन दो वर्षों के बारे में प्रश्न करते तब तो प्रश्न औचित्यपूर्ण होता, मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि आगरा जनपद में 1977-78 और 1978-79 में मंडी परिषद् में सड़क निर्माण में केवल 20 प्रतिशत योगदान था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो सड़कें 1987-88 में मंडी धन द्वारा बनी थीं और जिस पर कोई अनुदान किसी का रहा हो लेकिन वह सड़कें मंडी परिषद् में आज तक हैं और दूसरे विभाग को ट्रान्सफर नहीं हुई, तो दायित्व मंडी परिषद् का बना इसलिये जानना चाहता हूं कि जो सड़कें आपके द्वारा बनायी गयीं और मंडी परिषद् की हैं जिन पर मिट्टी और खड़ंजे का कार्य हो गया है, तो लेपन की जिम्मेदारी फिरोजाबाद की आप लेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि किसी भी एजेंसी से कोई कच्ची सड़क, मिट्टी स्तर तक, बन चुकी होगी, खड़ंजे स्तर तक बन गयी हो 1977-78 या उसके बाद बनी हो और मंडी परिषद् के पास धन है तो वह कार्य खड़ंजा और लेपन का अवश्य करायेंगे।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि 1977-78 और 1978-79 में आगरा के अन्दर कितने किलोमीटर सड़क मंडी समिति द्वारा बनायी गयी जिसके लिये आप धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ? कितना धन इन पर खर्च होगा, कितने धन की जरूरत है और कितने किलोमीटर सड़क बनायेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, इसका उत्तर बाद में दे दूंगा चूंकि इस समय सूचना नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बात कही है कि इससे पहले, कि मंडी समितियों में धन उपलब्ध रहेगा तो सड़कें उससे बनायेंगे। अनुपूरक प्रश्न में कहा कि प्राथमिकता देंगे मंडी स्थल बनवाने को। इससे मंडी डायरेक्ट्रेट के अधिकारियों को लाभ होगा और सड़कें बनवाने में जनता और किसान को लाभ होगा, इसलिये मंडी स्थलों के बजाये मण्डी सड़कों को क्या मन्त्री जी बनवाने का आश्वासन देंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, अभी तक व्यवस्था तो यही है कि हम प्राथमिकता नवीन मण्डी स्थल को देते हैं। किसान से जो शुल्क वसूल करते हैं, उसका शोषण न होने पाये, इसलिये प्राथमिकता आज तक मण्डी स्थल को रखी है और उसके बाद धन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से संपर्क मार्गों का निर्माण करायेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

मन्त्री जी ने पहले ही उत्तर इसका सही दिया था, किन्तु बाद में हमारे सदस्यों द्वारा उस पर अनावश्यक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उल्टा कर दिया, अपनी बात से पीछे भाग गये।

परिवार कल्याण कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वस्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी किये जाने की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और सारे कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री बिहारी लाल दोहरे)--

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने से ही मेल खाता उत्तर दे दिया । 5 दिसम्बर, 1988 का मेरा प्रश्न है, 16 मार्च, 1989 का आया तो जवाब नहीं दिया गया और आज आया तब भी वही जवाब । परिवार कल्याण कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी घोषित किये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है, यह प्रश्न था । शासन ने इनको स्थायी करने की घोषणा पहले ही कर दी थी, केवल कार्यवाही क्या की जा रही है, यह मेरा प्रश्न था । उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । तो मैं मन्त्री जी से यह जानकारी करना चाहूंगा इस समय तक परिवार कल्याण कमचारियों में से कितने कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है और कितने लोगों को स्थायी करने का प्रकरण इनके विचाराधीन है ?

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

मान्यवर, परिवार कल्याण विभाग पूर्णतः भारत सरकार के नियन्त्रण में चलता है और उनके बजट द्वारा ही इनका संचालन होता है । इस समय 66 प्रतिशत तो अस्थायी है और इनमें से अधिकांश कर्मचारी स्थायी कर दिये गये हैं, लेकिन पूरी सूचना नहीं प्राप्त होने के कारण नहीं मैंने बताया । क्योंकि यदि हम अपूर्ण सूचना दे देता तो आप कहते कि गलत सूचना दी गयी है । इनके नियुक्त अधिकारी सी0 एम0 ओ0 होते हैं, वहीं से इनका स्थायीकरण होता है । सब जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है । कुछ जनपदों से सूचना प्राप्त हुई है और कुछ नहीं हुई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मन्त्री जी ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है सदन में कि इनके नियुक्त अधिकारी सी0 एम0 ओ0 होते हैं । इनके भी कई संवर्ग होते हैं और प्रत्येक संवर्ग के अलग-अलग नियुक्ति अधिकारी होते हैं । एक्सटेंशन एजूकेटर की नियुक्ति सी0 एम0 ओ0 नहीं करेगा तो क्या मन्त्री जी की यह भी जानकारी है कि पिछले महीने में राज्य परिवार कल्याण कर्मचारी परिषद् के पदाधिकारियों और शासन स्तर तथा निदेशालय स्तर के अधिकारियों के बीच इस स्थायीकरण के मसले को लेकर कोई बैठक हुई थी और उस बैठक में अधिकारियों द्वारा यह लिखित आश्वासन किया गया था कि 31 मार्च तक 90 प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की औपचारिकता पूरी कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां, इस प्रकार की बैठक हुई थी और श्रीमन्, इस प्रकार 90 प्रतिशत कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है, वित्त विभाग में प्रतीक्षित है । इसीलिए सूचना एकत्र की जा रही है, यह नहीं कहा गया है बल्कि यह कहा गया है कि सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

सल्फाज की गोलियों की खुले बाजार में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*3--डा0 बिनेश चौहरी (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सल्फाज की गोलियां खा कर आत्म हत्या के अनेक अनेक मामले प्रकाश में आने के कारण क्या सल्फाज की गोलियां के बाजार में उपलब्ध होने पर रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

सल्फाज की गोलियों को खुले बाजार में बेचने पर पहले से ही सीमाबद्ध प्रतिबन्ध (रिस्ट्रिक्शन) लगा हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि इनपुट्स की कीमतों के विकेन्द्रीकरण की योजना

*1--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गेहूं की अलाभकर कीमतों को देखते हुए गेहूं की उत्पादन लागत घटाने हेतु कृषि इनपुट्स की कीमतों के विकेन्द्रीकरण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

कृषि इनपुट्स की कीमतें पहले से ही विवेकपूर्ण हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कृषि इनपुट्स की कीमतों, खास कर खाद, बीज और कीटाणुनाशक दवाओं में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, यह तो इन्होंने बड़ा विस्तृत प्रश्न कर दिया विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है । किस-किस उर्वरक आदि में हुई है, तो इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, इन्होंने कहा कि कीमतें विवेकपूर्ण हैं तो इसमें उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर दे देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मेरी सूचना को सत्य मानकर कि लोहा, उर्वरक, डीजल, बिजली, सिंचाई की जो दरें हैं, इनमें से लोहा, उर्वरक, डीजल हैं इसको तो आप कह देंगे कि केन्द्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन सिंचाई और बिजली की दरें तो उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित करती हैं तो मान्यवर, पन्द्रह वर्षों में इन चीजों के दाम में पांच गुना से सात गुना तक वृद्धि हुई है और गेहूं, धान, गन्ना जो किसान पैदा करता है उसके दाम में, इस अवधि में दो गुना से ढाई गुना तक वृद्धि हुई है, तो अन्तर्धारकों की कीमतें कृषि उत्पादकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी से कि अन्तर्धारकों के इम्पुट्स की कीमतें जो केन्द्र सरकार निर्धारित करती हैं, उसमें छूट देने के लिए या कीमत कम करने के लिए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी ?

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल--

इस ओर भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने समय-समय पर कृषि निवेशों की ज्यादा से ज्यादा कीमतें कम हों इसमें प्रयास किया है। भारत सरकार साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये अनुदान प्रतिवर्ष उर्वरकों के लिए दे रही है। प्रदेश सरकार समस्त कृषि निवेश जिप्सम, पायराइट, कृषि यन्त्र, कृषि रक्षा उपकरण आदि पर अनुदान उपलब्ध करती है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

इम्पुट्स की कीमतें विवेकपूर्ण हैं इन्होंने कहा, मैं जानना चाहूंगा कि इम्पुट्स की कीमतें विवेकपूर्ण बताने का क्या इनका कोई आधार है, या मानक है, कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके, इन्होंने इम्पुट्स के बारे में बताया, तो यह केवल इतना बता दें कि गेहूं का लागत मूल्य कितना आता है और जो इसमें कीटनाशक दवाय लगती है उस पर कितना खर्च होता है ?

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, प्रश्न कुछ और है और यह पूछ कुछ और रहे हैं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

विवेकपूर्ण कहने का इनका क्या मानक है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, 1985 में यूरिया खाद की कीमत क्या थी और इस समय यूरिया खाद की कीमत क्या है यह बता दें ?

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल--

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इम्पुट्स जितने हैं डीजल, कीटनाशक दवाई, खाद आदि के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। उस अनुपात में गेहूं के दाम किसानों को कभी नहीं मिल पाते हैं इस बात से माननीय मंत्री जी सहमत होंगे। क्या मेरी बात को सही मानकर आगे कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि कीटनाशक दवायें, खाद, डीजल, कृषि यंत्र आदि के दामों में और गेहूं की कीमतों में कोई संतुलन कायम करने की कोशिश करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, अपने संशाधनों को देखते हुये हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे ।

स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थायी करने की मांग

*2--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्य विभागों की भांति स्वास्थ्य विभाग में भी 3 वर्ष की अनवरत सेवा करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को शासन द्वारा स्थायी कर दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा संवर्ग में चिकित्साधिकारियों को 3 वर्ष के अनवरत सेवाकाल पूर्ण हो जाने पर स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो ऐसे कितने चिकित्साधिकारी हैं ? क्या समस्त पदों को स्थायी कर दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे--

जी नहीं । तीन वर्ष की कोई बाध्यता नहीं है । स्थायी पद उपलब्ध होने पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी को ही नियमों में निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति पर स्थायी किया जाता है ।

जी नहीं । आयुर्वेदिक एवं यूनानी संवर्ग में 711 चिकित्साधिकारी नियमित रूप से नियुक्त हैं जिनके स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

तीन वर्ष से अधिक चल रहे विभाग के समस्त अस्थाई पदों को जिनके भविष्य में निरन्तर चलते रहने की सम्भावना हो समय-समय पर स्थायी किया जायेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी संवर्ग में 711 चिकित्साधिकारी नियमित रूप से नियुक्त हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन चिकित्साधिकारियों के लिये क्या नियमित पद उपलब्ध हैं और उपलब्धता के आधार पर कितने चिकित्साधिकारियों को स्थायी करने जा रहे हैं । दूसरी बात कितने स्थायी पद उपलब्ध हैं और कब तक उन पदों पर चिकित्साधिकारियों को स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, 711 लोग नियमित रूप से नियुक्त हैं । इनमें से 386 कर्मचारियों के अभिलेख, चरित्र पंजिकायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । इनके अभाव में उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है । अगर चरित्र पंजिकायें मिलने के पहले स्थायी कर दिया जायेगा तो सीनियारिटी का विवाद खड़ा हो जायेगा । चरित्र पंजिकाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके प्राप्त हो जाने पर यथाशीघ्र इन लोगों को स्थायी किया जायेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 386 चिकित्साधिकारियों की चरित्र-पंजिकायें नहीं उपलब्ध हैं यह गुम हो गयी हैं या नष्ट हो गयी हैं । उनके ढूंढने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है । यह चरित्र पंजिकायें गायब होने के सम्बन्ध में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, चरित्र-पंजिकायें न खोयी हैं और न गुम हुई हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाने के कारण वह पूरी नहीं है। उनको पूरा कराया जा रहा है।

फिरोजाबाद, जनपद आगरा स्थित जयना कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सड़ जाने के उपरान्त क्षतिपूर्ति कराने हेतु जिलाधिकारी, आगरा को निर्देश

*3--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद, जनपद आगरा स्थित जयना कोल्ड स्टोरेज में रखा किसानों का सैकड़ों मन आलू इस साल सड़ गया ? यदि हां, तो आलू के सड़ने से किसानों को हुयी क्षति के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन किसानों को उनके सड़े आलू की क्षतिपूर्ति कराने का निर्देश देगा ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

जी हां। इस कोल्ड स्टोरेज में रखा गया कुछ आलू सड़ गया।

दो कृषकों ने सड़े आलू के प्रतिकर हेतु आवेदन किया है। जिसके सापेक्ष प्रतिकर निर्धारण प्रगति पर है, अन्य भंडारणकर्ता कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त हो सकें इसके लिये फिरोजाबाद क्षत्रीय विकास समिति की दिनांक 9-12-88 की बैठक के अवसर पर उपस्थित ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व कृषकों को जिला उद्यान अधिकारी, आगरा द्वारा बताया गया। अब स्थानीय समाचार पत्रों से नोटिस प्रकाशित करा दी गई है जिसमें दिनांक 19-3-89 तक प्रभावित कृषकों के आवेदन-पत्र देने के लिये कहा गया था।

लाइसेन्सिंग अधिकारी (शीतगृह) एवं निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग, उ0 प्र0 ने दिनांक 27-3-89 को नियमानुसार क्षतिपूर्ति कराने हेतु जिला अधिकारी, आगरा को निर्देश दे दिये हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो आलू सड़ने की जानकारी है तो जैसा उत्तर में बताया गया है आपके विभाग को जब हुयी जब 2 काश्तकारों ने आवेदन-पत्र दिये उसके बाद हुयी उसके बाद आपने उनको प्रतिकर देने की कार्यवाही शुरू किया। मैं जानना चाहूंगा कि किस तारीख को यह आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे और किस तारीख को प्रतिकर दिलाने की कार्यवाही आरम्भ की गई ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी करा चुके हैं कि शीतगृह मालिक ने उस समय बिजली का बिल जमा नहीं किया था, इस कारण से उनकी बिजली कट गई और पूरा आलू किसान का सड़ गया। उद्यान अधिकारी ने इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। क्या माननीय मंत्री जी जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, दिनांक 27-12-88 व 22-12-88 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। श्रीमन्, दो भण्डारकर्ताओं, श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री खुन्नी राम, ग्राम-कोटकी, आगरा

जिन्होंने 300 बोरे आलू भण्डारित किया था तथा श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र जी राम औतार, ग्राम-मलापुर, आमौर, मैनपुरी, जिन्होंने 70 बोरी आलू भण्डारित किया था। श्रीमन्, उसके बाद जब यह प्रार्थना-पत्र आया, तो जिला उद्यान अधिकारी ने 13 मार्च, 1989 को दैनिक समाचार अमर उजाला में सूचना प्रकाशित करवायी कि जिन लोगों का आलू खराब हो गया है, सड़ गया है, वह अपना प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, आगरा की सेवा में दिनांक 29-3-89 तक मय साक्ष्य के प्रस्तुत कर दें, अन्यथा इस दिनांक के बाद किसी भी प्रार्थना-पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। श्रीमन्, इसके पूर्व जो भी प्रार्थना-पत्र आये हैं, उन पर कार्यवाही हुई है और जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जिन किसानों का आलू सड़ गया है, उनको प्रतिकर दिलाया जाय।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिसम्बर में--लोगों ने शिकायत की, दिसम्बर के बाद आपके उद्यान अधिकारी की नींद मार्च में खुली और पूरे तीन महीने तक आपके उद्यान अधिकारी सोये रहे, तो क्या उचित नहीं था कि जो उनकी भण्डारण पंजिका थी, उनसे उसकी सूची भण्डारणकर्ता ने क्यों नहीं तैयार किया कि किन-किन लोगों का आलू सड़ा है ? क्या इसकी जांच कराकर उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, सारे प्रकरण की जांच करा लेंगे और दोषी जो होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुझे प्रार्थना-पत्र मिला और मैंने कार्यवाही भी कर दिया। मान्यवर, मेरा अब तक का जो अनुभव है, वह यह है कि किसानों का जो आलू सड़ जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए माननीय मंत्री जी जो आश्वासन दे देते हैं, उसका कभी क्रियान्वयन नहीं होता। मान्यवर, 1984 में किसानों का 40 हजार कुंटल आलू कोल्ड स्टोरेज, बलिया में सड़ गया था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि प्रतिकर दिलवा देंगे, मान्यवर, तब से आज तक उसके प्रतिकर की कार्यवाही ही चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों का और अधिक नुकसान न हो, तत्काल उसे प्रतिकर मिल सके, क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि तक उनको प्रतिकर मिल जाय ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, पाण्डेय जी का अब तक का जो भी अनुभव रहा हो, लेकिन जो अब उनको अनुभव होगा, वह बहुत ही सुखद होगा।

श्री अमिताभ लावनिया--

मान्यवर, लगभग 5 लाख बोरा आलू आगरा जनपद में खेतों में पड़ा है और भंडारण के लिए उन्होंने बाण्ड भर रखा था, लेकिन उन्होंने बाहर का आलू ब्लैक का पैसा लेकर भर रखा है और शासन उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में मेरी सूचना को सही मानते हुए वहां के कोल्ड स्टोरेज को निर्देश जारी करेंगे कि उनका आलू समायोजित कर लिया जायगा, वरना उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार रहेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, आलू ज्यादा हुआ है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इस आलू का सही भंडारण किया जा सके इसके लिए शासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं पहला तो यह है कि हमने समस्त जिला उद्यान अधिकारियों और जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि वह रोजाना प्रतिदिन हर कोल्ड स्टोरेज में जाकर....

(व्यवधान)

श्रीमन्, मेरी बात तो पूरी हो जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, कृषि मंत्री जी पूरा उत्तर नहीं दे रहे हैं, घुमा रहे हैं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, जैसा कि आपको विदित है कि इस बार आलू बहुत हुआ है और हमारी भंडारण क्षमता बहुत सीमित है यह भी आप अवगत हैं । मान्यवर, हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वह यह देखें कि प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज के बाहर उसके मालिक यह लिखकर टांगे स्थानपट पर कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है भंडारण की आज की तारीख में और उसमें कितना रिक्त स्थान है । इसमें न केवल वही देखें, हमारे अधिकारी भी जाकर फिजिकल वेरीफिकेशन करें। माननीय लवानिया जी ने अभी जिस बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया है, हम उसको दिखलवा लगे अगर कोई कोल्ड स्टोरेज का मालिक कोई गड़बड़ी कर रहा है, अनियमितता कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग का बजट प्रस्तुत किया था तो तारीफ के बड़े पुल बांधे थे कि उनके विभाग ने उत्तर प्रदेश में काफी आलू उत्पादन कराया है तो जो आपने प्रयास किया आपके उद्यान विभाग ने और माननीय मंत्री जी के निदेशन से किसानों ने जो आलू उत्पादन किया तो यह उनको बरबाद करने के लिए आलू का उत्पादन कराया था या आबाद करने के लिए कराया था, जो ज्यादा आलू का उत्पादन कराया अगर उनको बरबाद करने के लिए कराया था, जो आपके सरकार की नीति है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन जो आलू का ज्यादा उत्पादन आपके विभाग द्वारा कराया गया तो आपका दायित्व बन जाता है कि किसानों को उसका उचित मूल्य दिलायें, उसको नैफेड क्यों नहीं खरीद रहा है, कोआपरेटिव क्यों नहीं खरीद रहा है ? इस बार अगर ज्यादा आलू के कारण उसका भंडारण नहीं हो रहा है तो छोटा किसान तो उसको कहीं ले नहीं जा सकता तो क्या सरकार उसको दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्थानों पर भिजवाने के लिए आलू खरीदने का काम करेगी ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो जरूर दूंगा वैसे यह प्रश्न से विषयान्तर है । वर्मा जी का प्रश्न केवल फिरोजाबाद के एक कोल्ड स्टोरेज तक ही सीमित था, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा । श्रीमन, माननीय पूर्व सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहिए शासन को यह पहली बार हुआ है कि इतना आलू होने के बाद भी आज की तारीख तक जो हमने समर्थन मूल्य, बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना प्रारम्भ किया है ।

उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी । आज भी आलू की कीमत बाजार में गत वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है, बढ़ी है । मान्यवर, अगर आप वाराणसी, बलिया चले जायं तो 110 रुपये 115 रुपये क्विंटल आलू चल रहा है और जैसा कि 75 रुपये मूल्य निर्धारित किया है, सफेद आलू का और 65 रुपये निर्धारित किया है लाल आलू का, जैसे ही बाजार में इस भाव के नीचे कीमतें आएंगी, तो मान्यवर, हमने नेफेड एजेंसी, जो भारत सरकार की है, पी0 सी0 एफ0, मैक्सफेड और फर्रुखाबाद आलू उत्पादक संघ, इनके माध्यम से आलू खरीद की योजना प्रदेश में लागू की है और जैसे ही कीमतें नीचे आएंगी और देखेंगे कि उनको पूरी कीमत नहीं मिल रही है, ये एजेंसियां एक्टिव होकर खरीद करेंगी और किसानों को किसी तरह का घाटा नहीं होने देंगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो आपने यह आखिरी सीमा लागू की थी 29 मार्च, 1989 तक, मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन् जैसा कि काश्तकार बिना पढ़ा लिखा है, न तो अखबार पढ़ पाया, न उसको जानकारी हो पायी कि आवेदन-पत्र कब मांगा है, तो इस सीमा को तोड़ने, और बढ़ा देने, और जो सूची उद्यान अधिकारी के पास मौजूद है, उसके अनुसार आप यह निर्देश करें कि इस सूची के अनुसार काश्तकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाय कि जिनका आलू सड़ा है, उनका प्रतिकर एक माह में निर्धारित करके दिलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी हमारी मदद कर दें, अगर उनकी जानकारी में ऐसा मामला आता है, सूचना दे दें, कार्यवाही कराएंगे ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रश्न के साथ ही, कि आगरा में एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज बनाएं जिसमें आगरा के सभी विधायक मंत्री समेत आ जायं, जिससे कि इनका दिमाग ठीक रहे ।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें ।

*4--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[दि0 16 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 58, द्वारा उत्तरित]

बलिया जनपद में पोलिया रोग के प्रकोप को दूर करने के उपाय

*5--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1988 से अगस्त, 1988 तक बलिया नगर में तथा उसके आस-पास पोलिया रोग महामारी के रूप में फैला हुआ था ? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे और उनको दूर करने के क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बिहारी लाल दोहरे द्वारा उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किये जाने पर)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री बिहारी लाल दोहरे--

[जी नहीं । जनपद बलिया में माह जुलाई से अगस्त, 1988 तक पीलिया रोग महामारी के रूप में नहीं फैला वरन् उसका प्रकोप अवश्य था ।

पीलिया रोग का कारण हिपेटाइटिस वायरस पाया गया जो एक रोगी से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में प्रदूषित पेयजल अथवा खाद्य पदार्थों द्वारा फैलता है । रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये :--

1--चिकित्सा दलों को प्रभावी क्षेत्रों में भेजा गया और नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गयी ।

2--पेज-जल वितरण प्रणाली तथा उपकरणों की सफाई व मरम्मत की गई और सुपर क्लोरिनेटेड पेय जल की आपूर्ति की गयी ।

3--पेयजल स्रोतों का नियमित विसंक्रमण तथा निरन्तर व प्रभावी जल अनुश्रवण किया गया ।

4--ओ0 टी0 टेस्ट द्वारा आपूर्ति किये गये जल का दैनिक अनुश्रवण तथा समय-समय पर जीवाणु परीक्षण किया गया ।

5--रोगियों के त्वरित उपचार हेतु विशेष चिकित्सा कक्षों की व्यवस्था की गयी और आवश्यक औषधियां समुचित मात्रा में आपूर्ति की गयी ।

6--राज्य तथा जनपद स्तरीय मुख्यालयों से दो सचल दलों का गठन किया गया जिसमें उच्च अधिकारियों की देख-रेख में रोग नियंत्रण कार्यवाही का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया ।

7--प्रदूषित तथा सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण रखा गया ।

8--विशेष सफाई अभियान चलाया गया तथा इस हेतु अतिरिक्त मेहतरों की व्यवस्था की गई ।

9--समस्त स्थानीय उपलब्ध साधनों के माध्यम से जन सामान्य को स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई गयी कि वे पीलिया रोग से बचाव कैसे करें तथा लक्षण दृष्टिगोचर होते ही मरीज को अस्पताल में लायें ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।]

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जी नहीं, जनपद बलिया में माह जुलाई से अगस्त, 1988 तक पीलिया रोग महामारी के रूप में नहीं फैला वरन् उसका प्रकोप अवश्य था । उसके बाद मान्यवर, बहुत लम्बा आपका उत्तर

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है, उसमें बताया है कि पोलिया रोग को रोकने के लिये हमने अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके जो कदम हैं, उनको रोकने के लिये जो कदम उठाए गये हैं, उनको देखने से मालूम होता है कि कोई भयंकर महामारी थी, जिसको रोकने के कदम उठाए गये। मैंने जब प्रश्न किया कि महामारी फैली थी तो कह दिया कि नहीं फैली थी। आप बतावें कि महामारी से क्या मतलब है, किन परिस्थितियों में महामारी कहते हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह पोलिया रोग फैलने का कारण था, वस्तुतः उत्तर नहीं पढ़ा गया, जिससे पूरी बात सामने नहीं आयी। सवाल यह है कि फैलता है दूषित पानी के कारण, दूषित पानी न लोगों को मिले। जिस स्थान पर दूषित पानी पीने से यह पोलिया रोग फैलता है, एक रोगी से दूसरे रोगी के पास यह रोग जाता है। उसी निश्चित क्षेत्र में यह बीमारी फैली है। महामारी तो सम्पूर्ण बड़े पैमाने पर सम्पूर्ण क्षेत्र में फैलती है, यह महामारी नहीं है प्रकोप जरूर हुआ है। उनको रोकने के लिये पूरे प्रबन्ध किये गये। उत्तर पूरा पढ़ा होता, तो प्रभावी कार्यवाही की पूरी जानकारी हो जाती। यह निवेदन पाण्डेय जी से करूंगा कि वे स्वयं तत्पर रहते हैं वे स्वयं जिले में गये हैं। नगर विकास मंत्री, मैं स्वयं सामूहिक निरीक्षण किया है वहां पर इस रोग को रोकथाम के लिये जो सम्भव प्रयास हैं वह किये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जिस क्षेत्रों में यह बीमारी फैली थी वह किसी दशा में फैलने न पाये, वहां पर शुद्ध जल की सफाई की वहां पर दवाओं के छिड़काव का इन सबका प्रबन्ध किया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, इन्होंने महामारी से मना कर दिया है। उत्तर जो दिया है उसमें है कि कई नियंत्रण कक्षों और विशेष कक्षों की गयी पोलिया रोग को रोकने के लिये। मैं जानना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय में कितने विशेष कक्ष, नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था की गयी है प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था की गयी है ? पूरे जिले में रोग फैला था किन-किन पी० एच० सी० में नियंत्रण कक्ष और विशेष कक्ष खोलने की व्यवस्था की गयी थी यह बता दें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में यह रोग की सूचना आयी थी उस क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे उसमें व्यवस्था की गयी। उन सबको बड़े अस्पताल में लाने की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था की गयी कि रोगी को वाहन की आवश्यकता है तो सरकारी वाहन दिया जाय यदि वाहन सरकारी उपलब्ध न हो तो वाहन का किराया दिया जाय। यह व्यवस्था इन पी० एच० सी० के अतिरिक्त मेडिकल कालेज में की गयी। कार्डियोलाजी यूनिट में अलग से शय्याओं की व्यवस्था की गयी।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पोलिया के रोग पर नियंत्रण करने के लिये नियंत्रण कक्षों, विशेष कक्षों की स्थापना की गई। जिला चिकित्सालय में कितने विशेष कक्षों की स्थापना की गई नियंत्रण कक्षों की कितनी स्थापना की गई। कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेष कक्षों नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था की गई थी ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने ही दिया, कहा कि जिस एरिया में यह फैला था, किस एरिया में बलिया जिले के इस रोग का प्रकोप पड़ा हुआ था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचना तो मेरे पास नहीं है। मैंने यह निवेदन किया है कि जहां यह रोग की सूचना मिली थी उन जगहों पर यह व्यवस्था की गई थी।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, कितना उदासीन स्वास्थ्य विभाग था। उस समय पोलिया का रोग था महामारी फैली हुई थी जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई माननीय विधायकों ने शासन को लिखा जुलाई, 1989 में पोलिया रोग की महामारी में संदर्भ के माननीय विधायकों के कितने पत्र माननीय मंत्री जी को मिले और उसके संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, पत्रों की तो सूचना नहीं है। मैंने निवेदन किया कि सम्मानित हमारे विधायकों ने अथवा वहां की जनता ने वहां के नागरिकों ने वहां के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के, जहां कहीं से भी सूचना मिली थी, उसकी व्यवस्था की गई थी।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं स्वयं बलिया भी गया था और उन्होंने वहां देखा भी था कि हास्पिटल में टेन्ट लगे हुए थे और हास्पिटल ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी टेन्ट लगाकर प्राइवेट प्रेक्टिशनर दवा कर रहे थे। लेकिन माननीय मंत्री जी इसे महामारी नहीं मानते। मान्यवर, आपकी रिपोर्ट स्वयं है कि पानी के दूषित होने के कारण यह रोग वहां फैला था, उस समय यह बात भी कही गई थी कि पानी व्यवस्था को ठीक किया जायगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बलिया में जहां रोग फैला था और हवा पानी का दूषित होना सिद्ध है, जिसको सही करने का आश्वासन दिया गया था। अब तक उसके विषय में बलिया नगर में कौन सी व्यवस्था की गई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, शुद्ध जल सप्लाई करने का कार्य नगर विकास विभाग का है और दवा डलवाने का काम स्वास्थ्य विभाग का है और इसकी व्यवस्था वहां कर दी गई थी और इस वर्ष के लिए भी यही प्रबन्ध किया गया है कि वहां कुओं में दवा डाली जाय, छिड़काव किया जाय, इससे जो रोग वहां फैला था, वह फैलने न पाये।

श्री हरदेव--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में बलिया में पोलिया रोग से लोग पीड़ित हुए थे, यह बात सच है और डाक्टरों की लापरवाही से, उनकी उदासीनता से व्यापक पैमाने पर लोग बीमार हुए। दूसरी बात कि यह डाक्टर वहां 12 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष से पड़े हुए हैं और उनकी लापरवाही से काफी परेशानी बढ़ गई, इस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें जो दोषी डाक्टर थे, कर्मचारी थे, उनको दंडित करने की कृपा करेंगे तथा उनको तत्काल पर्वत पर भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, डाक्टरों ने तो तत्परता बरती। प्रश्नकर्ता पाण्डेय जी ने भी स्वीकार किया कि कैम्प लगाये गये, तम्बू लगाये गये। लेकिन अगर किसी भी डाक्टर की उदासीनता की बात हरदेव जी बतायेंगे, तो उसकी जांच करा लेंगे। जहां तक बहुत लम्बे समय से उनके वहां होने की बात कही गई है, वह वार्षिक व्यवस्था के समय, अधिक समय तक जो डाक्टर रहे हैं, उनके बारे में विचार किया जा रहा है।

(प्रश्न नं0 6 पुकारे जाने पर)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लूं, बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा कर लीजिए।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

बरसों पहले बलिया नगर में पाइप लाइन बिछाई गई थी, वह पाइप लाइन गली-कूंचे में पट गई, जिससे मैला आदि मिल गया और पानी दूषित हो गया। मंत्री जी ने कहा कि पानी को ठीक करने का प्रयास किया गया और कहा कि इस साल भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो पाइप लाइन जो फट गई, उसमें गन्दगी घुस गई, उससे बचने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, पाइप लाइन के सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में मैं वहां गया था और वह स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं कि नागरिकों को दूषित पानी न मिले। जहां पाइप लाइन टूटी हुई है, उसका प्रबन्ध वह कर रहे हैं मैंने नगर विकास मंत्री को अलग से लिखा भी है कि निरीक्षण के समय जो कार्यवाही हुई थी, उसको किया जाय।

उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ की मांग पर हुए निर्णयों का कार्यान्वयन

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिक संघ की वार्ता दिनांक 30 जुलाई, 1988 को उनकी अध्यक्षता में हुई थी ? यदि हां, तो संघ की मांगों पर उनके स्तर से लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे--

जी हां।

संघ की निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में लिए गये निर्णयानुसार उनके समक्ष उल्लिखित कार्यवाही की गई :--

1--वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के अतिरिक्त पदों का सृजन

इस पर भारत सरकार की सहमति प्रतीक्षित है, उन्हें स्मरण कराया गया है।

2--चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के सम्वर्गों का एकीकरण

इस सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण के दिनांक 24 नवम्बर, 1987 के निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किये जाने के आदेश कर दिए गए हैं। मामला न्यायाधीन होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

3--प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को निःशुल्क आवास अथवा आवासीय भत्ता दिया जाना

उस समय निर्णय हुआ था कि मामला वेतन समिति के विचाराधीन होने के कारण कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं था। अब इस पर पुनः विचार किया जाएगा।

4--परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिकेस सहायता धनराशि रु0 0.25 से बढ़ा कर रु0 0.50 किया जाना

इस सम्बन्ध में दिनांक 6 जनवरी, 1989 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके पहले हिस्से में यह कहा है कि भारत सरकार से सहमति मांगी गई है और उसके लिए अभी हाल ही में स्मरण भी कराया गया है। पहला, तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि स्मरण कब कराया गया है। दूसरा, यह कि सम्वर्गों के एकीकरण के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लोक सेवा अधिकरण के दिनांक 24 नवम्बर, 1987 के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर किये जाने के आदेश शासन द्वारा किए गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये आदेश कब किए गए और इन आदेशों के मुताबिक याचिका कब दाखिल की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में निर्णय 24 नवम्बर, 1987 को हुआ था और रिट याचिका दाखिल करने के जो आदेश दिये गये थे, वह याचिका अभी दाखिल नहीं हुई है। उसका प्रारूप बन रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप उत्तर देखें। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। शासन ने याचिका दाखिल करने के लिए आदेश किए और वह याचिका दायर नहीं हुई। उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि मामला न्यायाधीन होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शासन के आदेश कर देने मात्र से ही यह न्यायाधीन हो जायेगा ? इस तरह का उत्तर देकर गुमराह करना है। मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवायें। लोक सेवा अधिकरण ने 24 नवम्बर, 1987 को एक निर्णय कर दिया और उस निर्णय के विरुद्ध अभी याचिका दाखिल नहीं हुई है तो उस पर शासन अपना निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, यह प्रश्न सारे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है। स्वास्थ्य विभाग के जो सम्वर्ग हैं और उसके कर्मचारी जो गांवों में रहते हैं और मेडिकल कालेज के जो सम्वर्ग हैं, वे शहरों के लिए हैं तो जो निर्णय लोक सेवा अधिकरण ने लिया था उसमें यह कहा गया है कि इन सभी को एक में मिला दिया जाये, उनसे आप्शन मांगे जायें कि वे शहरों में रहना चाहते हैं तथा गांवो में रहना चाहते हैं। आप्शन अगर सभी शहरों के लिए दे देंगे तो गांवों में कोई कर्मचारी नहीं जायेगा। इसलिए आवश्यक है कि रिट दायर किया जाये और लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध निर्णय कराया जाय ताकि गांवों में भी कर्मचारी जा सकें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं इस सिलसिले में कुछ बात नहीं कहता। मेरा कहना तो सिर्फ यह है कि दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को लोक सेवा अधिकरण ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल नहीं की गई। मात्र शासन के आदेश हुए हैं कि याचिका दायर कर दी जाय। यह भी हो सकता है कि टाइम बार हो जाय। दो साल से ऊपर का समय हो गया है। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जनता के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। सम्वर्गों को एक में करने का यह निर्णय है। अधिकरण के इस निर्णय को लागू करने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, आपत्ति तो मैंने बता दिया। बड़ी घोर आपत्ति है। कर्मचारी कोई गांवों में नहीं जाना चाहेंगे। आप्शन मांगने पर सब लोग शहरों का आप्शन देंगे, जिससे परिणाम बहुत भयंकर होंगे। गांवों में अस्पताल कर्मचारी विहीन हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट--नत्थी 'ध' के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

कृषि विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता के प्रोन्नति अन्य विभागों की भांति श्रेणी-2 में करने की मांग

*7--श्री जगवीर सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब प्रदेश के सभी विभागों में अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति सीधे श्रेणी-2 में की जाती है तो कृषि विभाग में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है ? क्या अवर अभियन्ताओं को श्रेणी-2 में प्रोन्नति कर इस असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 नियमावली के नियम 17 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 6969/12 (1)-299 (70)/84, दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 में निर्गत आदेशानुसार श्रेणी-2 के 50 प्रतिशत पदों पर सम्बन्धित शाखा के श्रेणी-2 के ठीक नीचे के पदों से प्रोन्नति किये जाने के आदेश हैं। चूंकि कृषि विभाग में अवर अभियन्ता का पद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 का होता है जिनकी प्रोन्नति सर्वप्रथम अधीनस्थ

कृषि सेवा वर्ग-1 (अभियन्त्रण) में की जाती है अतः अन्य विभागों की तरह अवर अभियन्ता को श्रेणी-2 के पद पर प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ में सचल पशु चिकित्सालय पर हुए व्यय का विवरण

*8--श्री बलराम यादव--

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कोई सचल पशु चिकित्सालय पिछले दो वर्षों से कार्यरत है ? यदि हां, तो इस मद में कितना रुपया व्यय हुआ ? इस हेतु दी गई जीप का प्रयोग गत वर्ष में कितने दिन सचल चिकित्सालय के रूप में हुआ है ?

दुग्ध विकास पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

जी हां।

इस मद में जो धनराशि व्यय हुई वह निम्न प्रकार है :--

वर्ष	वेतन आदि पर व्यय	औषधि पर व्यय	पेट्रोल पर व्यय	योग
1986-87 (अगस्त 1986 से फरवरी 1987)	68,193·00	6,995·00	20,004·00	95,192·00
1987-88	1,19,098·00	3,970·00	15,824·00	1,38,892·00
1988-89	1,12,237·00	15,000·00	16,999.00	1,44,236·00

गत वर्ष जीप का प्रयोग सचल पशु चिकित्सालय के रूप में 108 दिन हुआ।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में यू० जी० सी० वेतनमान पाने वाले शिक्षकों को अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भांति मकान किराया भत्ता देने की मांग

*9--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में यू०जी०सी० वेतनमान पाने वाले शिक्षकों को मकान किराया भत्ता सुविधा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को दी जा रही सुविधा के समान प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सामान्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भांति, कृषि विश्वविद्यालयों के यू0 जी0 सी0 वेतनमान पाने वाले शिक्षकों को, मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध मे आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के बराबर ही प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन की मांग

*10--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में तैनात स्वास्थ्य सहायक एवं प्राथमिक स्वा0 कार्यकर्ता की शैक्षिक योग्यता एक समान है ? क्या यह सही है कि स्वास्थ्य योजना में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सहायकों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक घोषित कर उच्च वेतनमान दे दिया गया तथा उन्हीं के समान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उन्हीं के अधीनस्थ बना दिया गया है ? ऐसा क्यों ? क्या सरकार स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के बराबर प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ताओं को भी वेतन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं, दोनों पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भिन्न-भिन्न है ।

जी हां, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सहायकों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कोटि में रखा गया है आरम्भ में स्वास्थ्य सहायक (निम्न वेतनमान) को स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोटि में रखा गया था किन्तु बाद में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के अनुपालन में स्वास्थ्य सहायक (निम्न वेतनमान) को भी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कोटि में रख दिया गया है तथा उन्हें पर्यवेक्षकीय पद की कोटि का वेतनमान दे दिया गया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के वेतनमान से उच्च है । अभी हाल में प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट पिटीशन में उच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने के सिद्धान्त पर प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सहायकों के समकक्ष वेतनमान देने के आदेश दिये गये हैं । शासन की ओर से उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की जा रही है क्योंकि दोनों पदों के पदधारकों के कार्य समान नहीं हैं ।

ग्रामीण अंचलों में कार्यरत महिला चिकित्सकों के वेतन-क्रम दिये जाने का औचित्य

*11--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला चिकित्सालयों में ग्रामीण अंचल में कार्यरत महिला मेडिकल आफिसर को आज भी पुराना निर्धारित वेतन मात्र 1,500 रुपया दिया जा रहा है जबकि इन महिला मेडिकल आफिसरों का 1986 में वेतन फिक्सेशन किया गया था ? यदि हां, तो 1986 में हुये वेतन फिक्सेशन के आधार पर वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं और सरकार इन्हें वेतन दिलाये जाने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नगत चिकित्सकों को मात्र 1,500 रुपये प्रतिमाह वेतन नहीं दिया जा रहा है एवं न ही ऐसा वेतन निर्धारण वर्ष 1986 में हुआ था । राजकीय महिला चिकित्सालयों

में ग्रामीण अंचल में कार्यरत राजकीय मेडिकल आफिसर को रु0 850-40 1050-द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1720 का वेतनमान अनुमन्य है ।

अंशकालिक एलोपैथिक महिला चिकित्सा अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति नियमित राजकीय सेवक की परिभाषा में नहीं आती है को कुल 1,500 रु0 (पन्द्रह सौ) मात्र का मासिक मानदेय दिये जाने की वर्ष 1985 से व्यवस्था है । अनुपस्थिति की दशा में 50 रु0 प्रतिदिन की दर से उक्त मानदेय से कटौती किये जाने की भी व्यवस्था है । उक्त मानदेय की धनराशि मे वृद्धि किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*12--डा0 दिनेश जौहरी--

[13वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गर्भवती महिलाओं को टेटनेस व बच्चों को पोलियो, मीजल्स टी0 बी0, काली खांसी आदि से बचाने के लिए वृहत प्रतिरक्षण कार्यक्रमों से वंचित जनपदों की संख्या

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे जिले कौन-कौन हैं जहां गर्भवती महिलाओं को टेटनस से तथा एक वर्ष तक के शिशुओं को डिप्थीरिया, पोलियो मीजल्स, टी0 बी0, काली खांसी से बचाने के लिए वृहत प्रतिरक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है ? कार्यक्रम कब से प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

वृहत प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम प्रदेश के निम्नलिखित पुराने 22 जनपदों तथा 5 नव सृजित जनपदों में कार्यान्वित किया जाना अवशेष है :

पुराने जनपद	नवीन जनपद
1--मथुरा	1--हरिद्वार ।
2--कानपुर	2--सिद्धार्थनगर ।
3--पौड़ी-गढ़वाल	3--मऊनाथ भंजन ।
4--उत्तर काशी	4--फिरोजाबाद ।
5--चमोली	5--सोनभद्र ।
6--पिथौरागढ़	
7--हमीरपुर	
8--जालौन	
9--ललितपुर	
10--बांदा	
11--उन्नाव	
12--हरदोई	

13--बुलन्दशहर

14--मुजफ्फरनगर

15--सहारनपुर

16--बदायूं

17--पीलीभीत

18--बिजनौर

19--बलिया

20--गाजीपुर

21--जौनपुर

22--शाहजहांपुर

उपर्युक्त जनपदों में उक्त कार्यक्रम को वर्ष 1989-90 में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

*14--श्री राजेन्द्र शर्मा--

[15वें सोम में ता0 प्र0 सं0 20 पर स्थानान्तरित]

प्रदेश के औषधि निर्माण संगठन को सुदृढ़ बनाने विषयक भारत सरकार के पत्र के अनुसार कार्यवाही करने की मांग

*15--श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औषधि निर्माण संगठन के सुदृढ़ीकरण करने हेतु गत वर्ष में भारत सरकार से पत्र प्राप्त हुये हैं एवं टास्क फोर्स की संस्तुतियों के आधार पर मार्च, 1987 में प्रत्येक स्तर पर इस संगठन में नये पद सृजित किये गये हैं जिसमें 6 पद सहायक औषधि नियन्त्रक, एक पद उप औषधि नियन्त्रक का भी था जिसकी प्रोन्नति के माध्यम से विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों में से भरा जाना था ? क्या उक्त पद भर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें भरने की क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रदेश में कोई शासकीय औषधि निर्माण संगठन नहीं है और न इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई पत्र ही प्राप्त हुआ है । प्रदेश में औषधि नियन्त्रण संगठन कार्यरत है, जिसके सुदृढ़ीकरण हेतु टास्क फोर्स की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1987 में कुछ नये पद सृजित किये गये हैं, जिसमें प्रश्नोलिखित पद भी सम्मिलित हैं । उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं और अभी भरे नहीं गये हैं क्योंकि इनके भरे जाने के सम्बन्ध में नीति विचाराधीन है ।

*16--श्री प्रकाश--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आलम बाग क्षेत्र के सुभाष नगर, लखनऊ में नियमित एन्टी लारवल स्प्रे कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*17--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 नवम्बर, 1988 व 4 जनवरी, 1989 का पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को आलम-बाग मोहल्ले के सुभाष नगर (भोला खेड़ा) में एन्टीलारबल स्प्रे कराने तथा उपरोक्त मोहल्ले को वार्ड "डी" के कार्य क्षेत्र में रखने हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1989 को नगरीय मलेरिया अधिकारी, लखनऊ को क्या आदेश दिये गये थे ? क्या उन आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उपरोक्त मोहल्ले में नियमित एन्टीलारबल स्प्रे के छिड़काव हेतु आदेश देंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

एन्टीलारबल स्प्रे के आदेश दिय गये थे ।

जी हां । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार से एन्टीलारबल कार्य हेतु वर्तमान में स्वीकृत नगर महापालिका क्षेत्रों/जनसंख्या के अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य विस्तार की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रश्नगत मोहल्ले में नियमित छिड़काव सम्भव हो सकेगा ।

कृषि विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के दैनिक भोगी कर्मचारियों को आरक्षण नीति के अन्तर्गत नियमित करने की मांग

*18--श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में उप सचिव के अ0 शा0 प0 सं0-एम-24/12(9)-84-1303/84, दिनांक 11 जुलाई, 1984 कृषि निदेशक को प्राप्त हुआ ? क्या इसके आधार पर अनुसूचित जाति के दैनिक वेतन भोगी टंकक/लिपिकों को आरक्षण नीति के अन्तर्गत नियमित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षित पद रिक्त रखने का क्या औचित्य है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र कृषि निदेशक को प्राप्त हुआ था।

जी नहीं।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई नियम नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 1987 के कारण मुख्यालय पर लिपिक वर्गीय रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया अवरुद्ध है, फलस्वरूप आरक्षित पदों को भी भरा नहीं जा सका है ।

एक ही जनपद में 7 वर्ष से अधिक कार्यरत दम्पति चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार

*19--श्री मैनेजर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई/जून 1986 में डा0 एस0 के0 सक्सेना, मण्डलीय निदेशक, गोरखपुर ने पी0 एम0 एच0 एस0 सेवा तक कार्यरत कितने दम्पति चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण एक ही जनपद में 5 वर्ष हो जाने पर किया था एवं बाद में कितने दम्पत्तियों का स्थानान्तरण रोका गया था ? क्या यह सच है कि स्थानान्तरण रोके गये दम्पत्ति चिकित्सा अधिकारियों के एक ही जनपद में कार्य करते 7 वर्ष व्यतीत हो गये ? क्या सरकार उनके स्थानान्तरण पुनः करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मई/जून 1986 में तत्कालीन अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर ने तीन दम्पत्ति चिकित्साधिकारी, जिनके पति एवं पत्नी दोनों विभाग में कार्यरत थे, और दो पुरुष चिकित्सा अधिकारी, जिनकी पत्नियां बी0 डी0 आर0 मेडिकल कालेज में चिकित्सकों के पदों पर कार्यरत थीं, का स्थानान्तरण किया।

एक दम्पत्ति एवं एक पुरुष चिकित्सा अधिकारी, जिनकी पत्नी गोरखपुर मेडिकल कालेज में चिकित्सक थीं, का स्थानान्तरण रोका गया।

उपरोक्त में से एक दम्पति एवं एक चिकित्साधिकारी, जिनकी पत्नी मेडिकल कालेज में कार्यरत हैं को 7 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। चालू सत्र में वार्षिक स्थानान्तरणों के समय उपरोक्त दम्पति एवं चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण पर विचार किया जायगा।

जनपद गोंडा के मनकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करने की मांग

*20--श्री राम विशुन आजाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि तहसील मनकापुर, जनपद गोंडा में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व ही हो चुका है, परन्तु अभी तक स्वास्थ्य केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो कब तक कार्य करना आरम्भ करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

श्री श्रीनिवास शुक्ला, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मथुरा को सेवानिवृत्ति के उपरान्त बकाये धन का भुगतान

1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक व यूनानी निदेशालय में विगत 31 मई, 1988 को सेवानिवृत्त मथुरा के क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी का माह मई, 1988

का वेतन 180 दिन अर्जित अवकाश, भविष्य निधि, बढ़े हुए वेतन का एरियर आदि क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इसे कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्री श्रीनिवास शुक्ला, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मथुरा के पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त 31 मई, 1988 को सेवा निवृत्त हुये थे। मई, 1988 के वेतन का भुगतान किया जा चुका है तथा सेवा निवृत्ति की तिथि को अवशेष 180 दिन के उपार्जित अवकाश का राशिकरण स्वीकृत किया जा चुका है। भविष्य निधि के भुगतान हेतु श्री शुक्ला द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र प्रेषित न किये जाने के कारण महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रपत्र नहीं भेजे जा सके हैं। बढ़े हुये वेतन का एरियर भुगतान हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मथुरा द्वारा कार्यवाही की जा रही है, तथा यथाशीघ्र उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक परतावल, जिला गोरखपुर के स्थानान्तरण के आदेश का क्रियान्वयन

2--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक परतावल, जिला गोरखपुर मण्डल में सत्रह वर्ष से कार्यरत हैं तथा उनका स्थानान्तरण मण्डल से बाहर विगत तीन वर्षों से हो रहा है परन्तु उन्हें अभी तक भार मुक्त नहीं किया गया है ? क्या स्थानान्तरण रोकने के लिए राजनीतिक दबाव डालने के कारण श्री पाण्डेय को प्रतिकूल प्रविष्टि कृषि निदेशालय द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि उनके चरित्र पंजिका में चस्पा कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी हैं ? क्या यह भी सत्य है कि स्थानान्तरण रोकने हेतु उक्त कर्मचारी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दो याचिकाएं अलग-अलग वर्ष 1986-87, 1987-88 में दाखिल किया था और दोनों याचिकाएं खारिज हो जाने के बाद भी कोर्ट सेल कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उक्त कर्मचारी को तुरन्त भार मुक्त करायेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक परतावल दिनांक 25 जुलाई, 1972 से गोरखपुर मण्डल में कार्यरत हैं तथा कृषि निदेशक द्वारा दिनांक 26 जून, 1986, 5 मई, 1987 तथा 8 जून, 1988 को उन्हें गोरखपुर मण्डल से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

तत्कालीन परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर उत्तरदायी हैं।

श्री पाण्डेय द्वारा रिट याचिका संख्या 16503/87 तथा याचिका नोटिस संख्या 3300/88, दाखिल की गयी थी। रिट याचिका संख्या 16502/87 में श्री पाण्डेय की याचिका निरस्त हो जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18 जून, 1987 के अनुपालन में कृषि निदेशालय के आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 1987 द्वारा

परियोजना अधिकारी, गोरखपुर को श्री पाण्डेय को संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), फैजाबाद के अधीन योगदान करने हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये। श्री पाण्डेय द्वारा दाखिल की गयी दूसरी याचिका संख्या 3300/88 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण की सूचना कृषि निदेशक को प्राप्त नहीं हुई।

परिवार कल्याण निदेशालय परिसर में ब्रिक सोलिंग कार्य में की गयी अनियमितता की जांच रिपोर्ट

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 में परिवार कल्याण निदेशालय (सिल्वर जुबिली हेल्थ स्कूल भवन) परिसर में ब्रिक सोलिंग का कार्य हुआ था? क्या यह सच है कि निर्माण एजेन्सी हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 ने इस कार्य हेतु अपने आगणन में प्रतिवर्ग मीटर दर 45 रुपये चार्ज की थी जबकि सा0 नि0 वि0 के शेड्यूल आफ रेट्स के अनुसार 34/50 रुपये होनी चाहिए थी? सा0 नि0 वि0 के मानकों के अनुसार एक वर्गमीटर में 57 ईटों का प्रयोग होना चाहिए था जबकि एजेंसी ने 1062 वर्गमीटर में कुल 48,800 ईटों का प्रयोग औसतन 46 ईटें प्रति वर्ग मीटर लगाई? क्या यह भी सच है कि एजेन्सी ने अपने विवरण में 42800 प्रथम श्रेणी की सीधी ईटों का प्रयोग दर्शाया है जबकि मौके पर ओवर बर्नर टेढ़ी-मेढ़ी ईटें लगी हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस त्रुटिपूर्ण कार्य को स्वीकार करने का क्या कारण है? क्या निगम से इसकी लागत धनराशि 36,639 रुपये वसूल की जायेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 द्वारा पूर्व प्रस्तुत आगणन में इस कार्य हेतु लगायी गयी दर रु0 45.00 प्रति वर्ग मीटर थी परन्तु बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट्स के अनुसार इसकी दर रु0 34·50 प्रतिवर्ग मीटर चार्ज की गई है।

प्रश्नगत भवन के निर्माण सम्बन्धी कार्य जिनमें ब्रिक सोलिंग का कार्य भी सम्मिलित है, प्राक्कलन समिति के प्राविधिक परीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है। जिसके निष्कर्ष अभी प्रतीक्षित हैं।

प्राक्कलन समिति का निष्कर्ष प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा पी0 पी0 सेन्टर की स्थापना झांसी के समथर स्थान के बजाय मोठ में कराने का औचित्य

4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1043/16-11-86-9 (39)-85, दिनांक 29 मार्च, 1986 द्वारा जनपद झांसी के समथर नामक स्थान पर पी0 पी0 सेन्टर की स्थापना तथा उसके लिए एक आपरेशन थिएटर व वार्ड भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था? क्या यह सच है कि निर्माण एजेन्सी हरिजन एव निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 द्वारा स्वीकृत इस भवन का निर्माण बिना शासकीय स्वीकृति प्राप्त किये समथर के बजाय मोठ में कर रही है? यदि हां, तो सरकार निर्माण एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी और क्या मोठ में निर्मित भवन को अधिग्रहीत करेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला चिकित्सालय, बहराइच में अधिक समय कार्यरत डाक्टरों के स्थानान्तरण पर विचार

5--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय बहराइच में कितने डाक्टर शासन द्वारा निर्धारित अवधि (5 वर्ष) से अधिक समय से कार्यरत हैं ? इतनी अधिक अवधि तक वहां पर कार्यरत रहने का क्या कारण है तथा उन्हें वहां से स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

ऐसे चार चिकित्साधिकारी कार्यहित में तैनात हैं । चालू सत्र 1989-90 में स्थानान्तरण नीति के परिप्रेक्ष्य में इनके स्थानान्तरण पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

जनपद बहराइच के गंगवल बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की मांग

6--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खंड विशेश्वरगंज के अन्तर्गत गंगवल बाजार की आबादी लगभग दस हजार है परन्तु वहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या गंगवल बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

गंगवल बाजार में शासनादेश संख्या 307/5-7-89--32-88, दिनांक 1 फरवरी, 1989 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के आदेश जारी किये जा चुके हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इकौना में महिला रोगियों हेतु महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

7--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इकौना में कोई महिला चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो महिला रोगियों हेतु किसी महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रश्नगत केन्द्र पर महिला चिकित्सक नहीं हैं । मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच को पूर्णकालिक महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती होने तक वहां अंशकालिक महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

जनपद बहराइच के विशेश्वरगंज व प्रयागपुर में किसानों को फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षति पूर्ति कराने की मांग

8--श्री राम सागर राव--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज व प्रयागपुर में फसल बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो गत वर्ष 1988 में रबी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है उन्हें फसल बीमा का लाभ दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

फसल बीमा योजना बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज एवं प्रयागपुर में रबी 87-88 तक लागू थी ।

उक्त लागू फसल बीमा योजना के क्षतिपूर्ति प्राविधान के अनुसार संबंधित तहसील के लिए औसत उपज निर्धारित गारन्टीड उपज से कम आने पर ही क्षतिपूर्ति देय थी किन्तु प्रश्नगत विकास खण्डों के प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ । परिणामतः क्षतिपूर्ति देय नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेद विभाग में शासनादेशों की अवहेलना करते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में तदर्थ नियुक्तियां करने का औचित्य

9--श्री रमाकान्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा रोक लगा दिये जाने के बावजूद भी आयुर्वेद विभाग में शासनादेशों की अवहेलना करते हुए विगत कुछ महीनों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई चयन समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो इस चयन समिति के सदस्य कौन-कौन थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के एक ही जनपद में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

10--श्री राम शरण दास--

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के कुछ कर्मचारी अपनी सेवा प्रारम्भ की तिथि से एक ही जनपद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो वे कर्मचारी कौन से हैं एवं उनके स्थानान्तरण न होने अथवा अवमुक्त न होने के सम्बन्ध में शासन शीघ्र जांच कराकर उनका भी अन्य कर्मचारियों की भांति स्थानान्तरण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी हां । समूह 'ग' के 49 व 'घ' के 82 कर्मचारी नियुक्ति से अभी तक उसी स्थान पर हैं ।

जी हां ।

यथा सम्भव जून, 1989 तक ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11---श्री राम शरण दास---

क्या कृषि मंत्री मण्डी परिषद् कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल और मांगों के सम्बन्ध में अवगत हैं ? यदि हां, तो तत्काल कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल 17 जनवरी, 1989 से आरम्भ हुई और कर्मचारी नेताओं से वार्ता कर दिनांक 13 फरवरी, 1989 को समाप्त हो गई । किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के वर्तमान निदेशक के कार्य काल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा उप निदेशक के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण

12---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मण्डी निदेशक के कार्यकाल में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में मण्डी परिषद् सेवा तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कितने अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा उप निदेशक (निर्माण) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाहियां की गई हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियन्ताओं को दण्ड देने का अधिकार मण्डी निदेशक को नहीं है । मामले उनके पैतृक विभाग को भेज दिये गये हैं ।

मण्डी परिषद् सेवा के दण्डित अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है :--

अवर अभियन्ता---9

सहायक अभियन्ता-- 1

उप निदेशक (निर्माण)-3

अवर अभियन्ता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा प्रोन्नति की मांग

13---श्री राम जनम---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता रखते हुए भी बहुत से अवर

अभियन्ता मण्डी परिषद् सेवा के अवर अभियन्ता के पद वेतनमान में ही प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत हैं जबकि सहायक अभियन्ता संवर्ग में रिक्तियां भी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब इन्हें नियमित सहायक अभियन्ता के पदों पर कब तक पदोन्नति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी हां । सेवा विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार अपेक्षित सूची न बनने के कारण रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो सका है । उक्त सूची तैयार होने के उपरान्त पदोन्नति की कार्यवाही सम्भव होगी ।

मण्डी परिषद् सेवा में उप निदेशक (निर्माण) के पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने का औचित्य

14--श्री राम जनम--

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् सेवा के उप निदेशक (निर्माण) स्तर के दो अधिकारियों को परिषद् मुख्यालय से सम्बद्ध कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं अन्य विभागों के सहायक अभियन्ता स्तर के कुछ अधिकारियों, जिनमें से कई मण्डी परिषद् में दुबारा प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित कार्य कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध शिकायतें भी हैं, को उप निदेशक निर्माण के पद पर निर्माण खण्ड का कार्य भार सौंप रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रतिनियुक्ति के अभियन्ताओं के स्थान पर मण्डी परिषद् सेवा के उप निदेशक (निर्माण) को निर्माण खण्ड में तैनात कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

जी हां । कार्यहित एवं अनुशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है । अन्य विभागों के सहायक अभियंताओं को मण्डी परिषद् में दुबारा प्रतिनियुक्ति पर लेने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों को मण्डी परिषद् सेवा के प्रश्नगत अधिकारियों की अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है । कथित शिकायतों के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय सक्षम स्तर पर यथा-विधि पूर्ण नहीं हुआ है ।

आवश्यकता एवं उपयुक्तता के अनुसार तैनाती की जाती है ।

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस करने की मांग

15--श्री राम जनम--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में तीन वर्षों, पांच वर्षों तक अथवा इससे अधिक अवधि के कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? इन्हें कब तक मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

प्रश्नगत अवधि में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 21 है । कार्यहित में आवश्यकता न समझे जाने पर वापस कर दिया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर में फर्जी नसबन्दी की शिकायत प्राप्त होने की दशा में समुचित जांच कराने की मांग

16--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के परतावल, महाराजगंज, भिठौरा एवं पनियरा विकास खण्डों में बड़े पैमाने पर फर्जी नसबन्दी करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इनकी उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

शिकायत प्राप्त होने की दशा में समुचित जांच अवश्य कराई जायेगी ।

17--श्री जगवीर सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

[10वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

कृषि विभाग में अधिदर्शक पद हेतु कृषि अभियंत्रण या सिविल इंजीनियरिंग का तीन वर्ष के डिप्लोमा का प्राविधान

18--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी तथा श्री जगवीर सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में अधिदर्शक (जूनियर इंजीनियर) एवं वरिष्ठ अधिदर्शक पद हेतु कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या कृषि विभाग में उक्त पदों पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता के ही तकनीकी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल--

विद्यमान नियमों में सीधी भर्ती से अधिदर्शक (जूनियर इंजीनियर) पदों पर नियुक्ति हेतु कृषि अभियन्त्रण या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा के अर्हता का प्राविधान है ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की संस्तुति पर वर्ष 1964 में उपर्युक्त अर्हता के अभ्यर्थियों के अभाव में, विभागीय कार्य के हित में कृषि स्नातक अभ्यर्थियों को एक वर्ष का विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण देकर अधिदर्शक के पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लेना पड़ा । जिसके फलस्वरूप 99 ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कृषि स्नातकों की नियुक्ति की गई । शेष पदों पर निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही नियुक्त हैं ।

उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र, पयागपुर, जनपद बहराइच के मरीजों की संख्या तथा उपलब्ध करायी गई धनराशि

19--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पयागपुर, जनपद बहराइच को वर्ष 1988-89 में फरवरी, 1989 तक मरीजों की दवाओं, भोजन, परिवार नियोजन आदि पर अलग-अलग कितना धन उपलब्ध कराया गया और, इस वर्ष में कितने मरीजों को भर्ती करके इलाज किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की मांग

20--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विशेश्वरगंज के भवन निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

21--श्री मित्रसेन--

[10वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

22--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[10वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच रिपोर्ट

23--प्रधान श्री प्रभु दयाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच माह नवम्बर, 1988 में सी0 आई0 डी0 द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने की शासन स्तर पर कोई सूचना नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 महेन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी, मऊरानीपुर का स्थानान्तरण आदेश एक वर्ष के लिए स्थगित के बाद भी मऊरानीपुर में बने रहने का औचित्य

24--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा अपने पत्र संख्या अ0 नि0/स्थाना0/87-88/748, दिनांक 3 अगस्त, 1987 द्वारा डा0 महेन्द्र सिंह (सर्जन) चिकित्साधिकारी, मऊरानीपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एरच को किया गया स्थानान्तरण आदेश एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त चिकित्साधिकारी आज भी उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर में किसके आदेशों से तैनात

हैं ? क्या सरकार इन्हें मऊरानीपुर से तुरन्त हटाने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में औषधियों की स्थानीय खरीद में भारी घपला

25--श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री हरिशंकर तिवारी (गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात से अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में औषधियों की स्थानीय खरीद में भारी घपला हुआ है और लाखों रुपये की क्षति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि दवाओं का वितरण चिकित्सकों की पर्ची से न होकर लोकल परचेज में शासनादेश संख्या 3422-सेक/पांच-1985, दिनांक 12 अगस्त, 1985 का खुला उल्लंघन करके हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ,

जी नहीं । स्थानीय क्रय में शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 एल0 के0 साहू, चिकित्साधिकारी द्वारा की गई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

26--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी ने उनके निजी सचिव को सम्बोधित अपने पत्र सं0 मु0 चि0 अ0/चि० अ0-अधिकारी/87-160/5, दिनांक 18 जून, 1987 के द्वारा डा0 एल0 के0 साहू, चिकित्साधिकारी द्वारा की गई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में आख्या भेजी थी ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गई संस्तुति पर कार्यवाही कराकर सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारियों की प्रोन्नति पर स्थगनादेश होने के कारण के0 जी0 मेडिकल कालेज में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक से चिकित्सालय की व्यवस्था का कार्य लिया जाना

27--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के हास्पिटल के प्रमुख अधीक्षक का पद जो अतिरिक्त निदेशक के समतुल्य का पद है, पर

उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर के अधिकारी से कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश के महत्वपूर्ण चिकित्सालय की व्यवस्था किन परिस्थितियों में निर्धारित स्तर के नीचे के अधिकारी को सुपुर्द कर दी गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

वर्तमान में अपर निदेशक स्तर के 8 पद रिक्त हैं जिनमें प्रमुख अधीक्षक किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ का पद भी है । माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारियों को प्रोन्नति पर स्थगनादेश होने के कारण प्रोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं । ऐसी स्थिति में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के अस्पताल में उपलब्ध वरिष्ठतम् अधिकारी को वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (स्पेशल ग्रेड) के निःसंवर्गीय पद पर प्रोन्नत कर चिकित्सालय की व्यवस्था का कार्य लिया जा रहा है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में मेल नर्स का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की मांग

28--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेल नर्स के प्रथम बैच सन् 1983 ई0 के प्रशिक्षार्थियों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण (साईक्रियाटिक नर्सिंग) के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या उक्त प्रशिक्षण इस समय बन्द है ? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों ? उक्त बैच के बाद मेल नर्स प्रशिक्षार्थियों को यह प्रशिक्षण कब दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

अपर निदेशक, (चिकित्सा उपचार) के आदेश से ।

जी हां । निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेशों से ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

29--श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री प्रभू दयाल प्रधान तथा श्री हरेन्द्र सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

लखनऊ के डफरिन अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

30--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ के डफरिन अस्पताल में कौन-कौन महिला चिकित्साधिकारी हैं तथा वे कब-कब से इस चिकित्सालय में तैनात हैं ? क्या मंत्री जी उक्त चिकित्साधिकारियों, जिन्हें लखनऊ जनपद में 3 वर्ष से अधिक हो गया है, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत लखनऊ से बाहर आगामी सत्र में स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अशोक मार्ग, लखनऊ पर स्थित एप्रो का क्षेत्रीय कार्यालय इंदिरानगर, लखनऊ में स्थानान्तरित करने का औचित्य

31—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 एप्रो का क्षेत्रीय कार्यालय जो 5/6, नारंग भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ पर स्थित था, को किन कारणों से सेक्टर 12, इन्दिरा-नगर, लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया ? क्या इन्दिरानगर में कार्यालय होने से कृषकों को उक्त कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई होगी ? यदि हां, तो क्या पुनः इसे पूर्व स्थान पर स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

नारंग बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय का भवन स्थानान्तरित किया गया ?

क्षेत्रीय कार्यालय से कृषकों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता है। कृषकों के लिए जिला कार्यालय एवं तहसील व ब्लाक स्तर पर, ग्रामीण अंचल में स्थित विक्रय केन्द्र हैं। किसानों को असुविधा का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सेवा पूरी कर लेने वाले चिकित्सकों में से वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ को गोरखपुर जिला अस्पताल में नियुक्त किये जाने पर विचार

32—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 वर्ष ग्रामीण सेवा पूरी कर लेने वाले चिकित्सक को जिला अस्पताल में नियुक्त किया जायेगा ऐसा शासनादेश निर्गत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोरखपुर के जिला अस्पताल में मात्र 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करने वाले चिकित्सक को आर0 डी0 एम0 ओ0 (आर्थो सर्जन) के रूप में वर्ष 88 जून से नियुक्ति कर दी गई जब कि अनेक ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 8-10 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव प्राप्त किये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं ? क्या सरकार इन वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञों में से किसी एक को आर0 डी0 एम0 ओ0 (आर्थो सर्जन) पर नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

33—श्री मित्र सेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

34—श्री मित्र सेन—

[10 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति तथा प्रसार निदेशक के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

35—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति तथा प्रसार निदेशक के सन्दर्भ में की गयी वित्तीय अनुशासनहीनता की शिकायतों की जांच रिपोर्ट क्या है ? कौन-कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं ? श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव, कृषि ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

विभिन्न प्रकार के क्रय-विक्रय और भुगतान एवं नियुक्तियों का प्रसंग जांच रिपोर्ट में आया है ।

मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

36—मित्रसेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर तैनात स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित करते हुए सरकार द्वारा बहुधंधी पर्यवेक्षक का कार्य लिये जाने का औचित्य

37—डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्वास्थ्य निरीक्षकों से जिनको सरकार द्वारा सेनेटरी इंस्पेक्टर का एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया गया था उनसे सरकार क्या कार्य ले रही है । क्या यह सही है कि पुराने सेनेटरी इंस्पेक्टर अब फूड इंस्पेक्टर का कार्य कर रहे हैं । यदि हां, तो सेनेटरी का कार्य कौन देखता है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । वर्ष 1981 में बहुधंधी कार्यकर्ता योजना लागू होने पर स्वास्थ्य निरीक्षक के सभी पद उक्त योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के रूप में सम्मिलित किये गये हैं । अतः इनसे अब बहुधंधी पर्यवेक्षक का कार्य लिया जा रहा है ।

जी हां ।

ग्रामों की स्वच्छता का उत्तरदायित्व ग्राम समाज का तथा नगरीय क्षेत्रों में नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया/नगरपालिका/नगर महापालिका द्वारा किया जाता है ।

श्रीमती जोखना देवी, हेल्थ सुपरवाइजर, प्रा0स्वा0 केन्द्र, बनकटी, जनपद बस्ती का वेतन रोकने के लिए जिम्मेदार चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38--श्री अफसर यू0 अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी, महिला हेल्थ सुपरवाइजर, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बनकटी, 1987 को क्यों किया गया क्या इसके उत्तरदायी जनपद बस्ती माह अगस्त, 1980 का वेतन माह सितम्बर, 1986 में आहरित होने के उपरान्त उसका भुगतान 3 जून के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्रीमती जोखना देवी द्वारा माह अगस्त, 1986 का प्रतिवेदन समय से प्रस्तुत न किये जाने के कारण उनका माह अगस्त, 1986 का वेतन रोका गया था । इस सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी दिये जाने के बाद भी श्रीमती जोखना देवी ने वेतन लेने से मना कर दिया । प्रश्नगत माह का वेतन उन्होंने 3 जून, 1987 को प्राप्त किया ।

डाक्टर यू0 एस0 यादव तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बनकटी, प्रश्नगत धनराशि 2 जून, 1987 तक रोकड़ में रखे रहे, जो नियमानुकूल नहीं था । इसके लिए उनको चेतावनी दे दी गई है ।

जनपद मैनपुरी में जसराना अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने की मांग

39--श्री बलबीर सिंह यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी में जसराना अस्पताल का कार्य लगभग पांच साल से भी अधिक समय से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसे शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां, लगभग 84 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी के प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बरौली के कर्मचारियों का वेतन वितरण का ब्यौरा

40--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों का माह दिसम्बर, 1988 का वेतन किस अधिकारी ने आहरित किया तथा क्या आहरण और वितरण के समय उनके पास कर्मचारियों की प्रमाणित उपस्थिति थी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। प्रश्नगत माह का वेतन उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम), बाराबंकी द्वारा उपस्थिति के अवलोकनोपरान्त आहरित-वितरित किया गया।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जाटा बरौली, जनपद बाराबंकी के कार्य संचालन के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन

41—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, जाटा बरौली के कार्य संचालन के सम्बन्ध में निदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0 के पत्रांक प0 क0 3/स्था0/88/घ-8/8455, दिनांक 28 नवम्बर, 1988 द्वारा क्या निर्देश दिये गये थे ? क्या उक्त निर्देशों का अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नगत पत्र द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाटा बरौली का समस्त स्टाफ, जाटा बरौली में ही बैठने, समय-समय पर उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने वाले स्टाफ के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीर बहादुर, सदस्य, कृषि सेवा वर्ग 3 के ऊपर हजारों रुपये के गबन का आरोप होते हुये वर्ग 2 में पदोन्नति का औचित्य

42—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि श्री वीर बहादुर पुत्र रामजतन, सदस्य, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 जिनके ऊपर जनपद गोरखपुर का लगभग 50,000 रुपये का वसूली आदेश था जिनके विरुद्ध कृषि निदेशालय द्वारा गबन एवं दुर्विनियोग के मामले में सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी चल रही थी, को कृषि निदेशालय के आदेश संख्या ए0 बी0 (2)-7377, दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 में इस प्रतिबन्ध के साथ पदोन्नति दी गयी कि यदि श्री वीर बहादुर के ऊपर कोई विभागीय वसूली व गबन आदि का मामला न हो तभी उन्हें उक्त पदोन्नति दी जाय ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त गबन तथा वसूली के रहते हुये उन्हें वर्ग 2 में परियोजना अधिकारी, गोण्डा द्वारा भारमुक्त किया गया तथा उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा उनका योगदान स्वीकार किया गया ? क्या इसी प्रकार के एक अन्य मामले में सहायक विकास अधिकारी, कृषि, नवगढ़, जिला बस्ती जिनके ऊपर केवल छः हजार की वसूली थी, को पदावनत किया जा चुका है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के मामले में भेद-भाव किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दोनों मामलों में अवधि निर्धारित करके एकरूपता लायेंगे तथा जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने तथ्यों को छिपाया है। आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां।

परियोजना अधिकारी, गोण्डा द्वारा नहीं अपितु जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा उन्हें कार्यमुक्त करके वर्ग 2 में तैनात किया गया ।

जी हां ।

इस प्रकरण में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत कर सम्बन्धित कर्मचारी को पदावनत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित है ।

प्रदेश में पांच वर्ष से अधिक समय तक एक ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तथा अपने गृह जनपद में ही कार्यरत चिकित्साधिकारियों की संख्या

43--नवाब सिकन्दर अली खां--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी नियमों/आदेशों के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक से एक ही चिकित्सालय/जिले में नियुक्त हैं तथा कितने अपने गृह जिले में नियुक्त हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

नियमों/आदेशों के विरुद्ध कोई आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी एक ही चिकित्सालय/जिले में पांच वर्ष से अधिक से नियुक्त नहीं है ।

22 चिकित्साधिकारी अपने गृह जनपदों में नियुक्त हैं । इनमें से 10 चिकित्साधिकारियों पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते उनके गृह जनपद में तैनात किया गया है । 10 चिकित्साधिकारियों को जिला परिषदीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप शासकीय सेवा में संविलीयन की औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण उन्हें गृह जनपद से स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है । शेष दो चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

बस्ती जनपद में स्वास्थ्य विभाग में अधिक समय से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

44--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती व गोण्डा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार पिछले 3-4 वर्ष से अथवा इससे अधिक समय से वहां कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को दूसरे जनपद में जनहित में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जनपद बस्ती में विगत 3 वर्ष से अधिक समय से तृतीय श्रेणी से 1248 कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के 641 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा जनपद गोण्डा के सम्बन्ध में सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

जो हां, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निदेशालय को अपेक्षाकृत कार्यवाही करने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग में वर्ग एक के सदस्यों की ज्येष्ठता सूची का निर्धारण

45--श्री मैनेजर सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से वर्ग एक म आये हुए सदस्यों की नियमानुसार ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है ? यदि हां' तो उसे कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या श्रेणी दो में पदोन्नति में प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची को आधार माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान श्रेणी दो (विकास) में कुल कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक और किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

ज्येष्ठता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं ।

चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है अतः समय इंगित करना कठिन है ,

विधिवत् तैयार ज्येष्ठता सूची को आधार माना जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस समय उक्त श्रेणी के 92 पद रिक्त हैं ।

इन रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम सभा हौटी, ब्लाक भीटी, जनपद फैजाबाद में मातृशिशु कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

46--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा हौटी पकड़िया में निर्माणाधीन मातृशिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा रोक दिया गया है और तथाकथित भूमि विवाद का निपटारा उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद के स्तर से हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन उक्त निर्माण कार्य को पूरा कराने में रुचि नहीं ले रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

ग्राम सभा हौटी पकड़िया में गाटा संख्या 1644 पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा प्रारम्भ किया गया था किन्तु वहां के हरिजन ग्राम वासियों द्वारा निर्माण कार्य को गिरा दिया गया, जिसकी प्रथम सूचना दिनांक 14 अप्रैल, 1987 को पुलिस में दर्ज करा दी गई थी । इस घटना के फलस्वरूप उक्त भूमि पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण का मामला विवाद ग्रस्त हो जाने के कारण उक्त निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था । प्रश्नगत विवाद का निपटारा हो जाने की कोई सूचना उपलब्ध

नहीं है। जब तक भूमि विवाद के निपटारे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा कर पाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ में लकवामार दाल पकड़ने विषयक श्री यदुनाथ सिंह, विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

47--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि नवम्बर, 1985 में लखनऊ में लकवामार दाल पकड़ने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 199 सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को तारीख 11 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर खाद्य विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

चूंकि उक्त पत्र में उल्लिखित विषय वस्तु का सम्बन्ध चिकित्सा विभाग से था अतः खाद्य विभाग ने इसे चिकित्सा विभाग को आवश्यक कायवाही हेतु भेज दिया।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य सचिव को भी प्राप्त हुई थी जिसपर चिकित्सा विभाग द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सूचना मांगी गई है।

48--श्री राम आसरे वर्मा--

[10 गुरुवार के लिए स्थगित]

समाजवादी नेता श्रीधर महादेव जोशी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, इतिहास में कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों का अवतरण होता है

[12 बजकर 20 मिनट]

जिनका जीवन सार्वदेशिक और सार्वकालिक होता है और जो अपने जीवन के उदाहरण से देश, काल और परिस्थिति और क्षेत्र, जाति, धर्म इन सब सीमाओं को लांघकर जिनका व्यक्तित्व एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में, जहां भी उनका प्रभाव होता है, वहां उसे अलंकृत करते हैं और उसे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से दैदीप्यमान करते हैं, अन्धेरे में उजाला लाते हैं। ऐसे ही महान पुरुष एस0 एम0 जोशी के नाम से, जिनका पूरा नाम श्रीधर महादेव जोशी था, हम सब उनको एस0 एम0 कहा करते थे, एसे ही एक महापुरुष के निधन का शोक समाचार मुझे सदन को देने का दुखद कर्तव्य निर्वहन करना पड़ रहा है। एस0 एम0 जोशी वास्तव में कई मायनों में एक आदर्श पुरुष थे। 1946 में कांग्रेस समाजवादी दल का अधिवेशन, जो कानपुर में हुआ, उस समय आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली जैसे नेतृत्व के साथ उनको देखने का अवसर मिला। उस समय से लेकर आज तक जब कभी उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातें करने का मौका मिला, सहज स्वभाव, धीर गम्भीर और अनुशासित व्यक्तित्व, प्रजातांत्रित और समाजवाद के लिए समर्पित व्यक्तित्व का प्रतीक पाया। इस देश में प्रजातांत्रित समाजवाद की परिकल्पना करने वाले लोगों में एस0 एम0 जोशी का नाम सदैव याद रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कांग्रेस समाजवादी दल के प्रणेता था। उसके बाद समाजवादी आंदोलन और ट्रेड यूनियन के मुख्य प्रणेता रहे। राष्ट्रीय सेवा दल का निर्माण 1942 की क्रान्ति से प्रेरित होकर किया। राष्ट्रवादी तत्वों को साम्प्रदायिकता और फिरकापरस्ती से ऊपर उठाया और सिखाया कि अनुशासित ढंग से काम करना चाहिये। वह राष्ट्रीय दल के भी प्रतिष्ठापित संस्थापक थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वर्ष 1930, 1932, 1934 और 1940 में वह जेल गये। फिर 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोल के दौरान वह बहुत वर्षों तक छद्म वेश में घूमते रहे। "करो या मरो" आन्दोलन में उनके ऊपर भारी इनाम घोषित किया गया था। अगस्त क्रान्ती के क्रान्तिकारियों में से थे। चाहते तो सत्ता में आ सकते थे, लेकिन दूर रहे। सलाह देते रहे। सांसद भी रहे, लोकसभा में भी रहे। उन्होंने हर प्रकार से पार्लियामेन्टेरियन के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। राजनैतिक मेल-मिलाप के भी हामी रहे ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो। बहुत पार्टियों के होने से लाभ नहीं होता।

वह एक प्रच्छन्न समाजवादी थे। समाज की रचना में उनका आधारभूत विश्वास था। ऐसे मनीषि के प्रति उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करता हूं। भले ही मैंने उनके व्यक्तित्व से लाभान्वित होने का अवसर न मिला हो लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये, प्रदेश की प्रगति के लिये, देश की प्रगति के लिये एक सम्पूर्ण कर्मयोगी थे वह, मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सदन की ओर से इस महान कर्मयोगी, समाजवादी, श्रमशक्ति के समर्थक, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तित्व के निधन पर, उनके उठ जाने पर हम सबकी श्रद्धांजलि उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचा दें, मेरा आपसे यही आग्रह होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, अभी माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय एस० एम० जोशी के निधन पर जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, स्वर्गीय एस० एम० जोशी एक व्यक्ति नहीं थे वरन् जैसा कि अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि वह अपने आप में एक संस्था थे। महाराष्ट्र में स्वर्गीय सानी गुरु जी के साथ मिल कर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा दल की स्थापना की। और अपने जीवन की आखिरी सांस तक वे उसमें संलग्न रहे और उसके संरक्षक तथा सर्वेसर्वा रहे। जीवन भर अपने आचरण और व्यवहार में गांधीवादी आदर्शों और समाजवाद मूल्यों की पराकाष्ठा को छूने में और उनको मूर्त रूप देने में वे अपने जीवन की आखिरी सांस तक प्रयत्नशील रहे। स्वर्गीय सन्त विनोबा भावे ने आपातकाल के दौरान कहा था कि वे केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि वे एक राजनीति सन्त हैं। वे जीवनपर्यन्त समाज सुधारक रहे।

श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि अपने देश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में वे आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन तथा एन० जी० गोरे साहेब के निकट सहयोगियों में वे थे। उनके साथ मिल कर उन्होंने भारत में समाजवादी आन्दोलनों की स्थापना की थी, इसलिये भारत में समाजवाद के जन्मदाताओं में वे एक माने जाते हैं।

श्रीमन्, भारत में समाजवादी आन्दोलनों में उनका बड़ा गौरवशाली योगदान था। जिस समाजवादी समाज की उन्होंने परिकल्पना की थी, वह समाजवाद की नई अवधारणा थी। इसके पहले लोगों का कहना था कि राष्ट्रीयता और समाजवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन एस० एम० जोशी तथा आचार्य नरेन्द्र देव ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने

स्पष्ट रूप से कहा कि यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और बिना लोकतन्त्र के ही समाजवाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती है ।

श्रीमन्, देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां कि एस0 एम0 जोशी के समर्थक न हो, उनके अनुयायी न हो । सारा सदन जानता है कि हमारे नेता सदन भी उनके अनुयायी रहे हैं । आज हर विधान सभा में का हर जगह देश के अन्दर कोई न कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य मिलेगा जिसने एस0 एम0 जोशी के चरणों में बैठ कर अपने जीवन की राजनीति की शुरुआत की होगी । पार्लियामेन्ट में भी ऐसा ही है ।

वर्तमान महाराष्ट्र के जनकों में एस0 एम0 जोशी के नेतृत्व को याद किया जाता है । यदि इनका नेतृत्व न मिला होता तो वह अन्दोलन हिंसात्मक हो गया होता, इसे कोई रोक नहीं सकता था । यह एस0 एम0 जोशी का स्नेह था, प्यार था कि इतनी उत्तेजना होने के बाद भी आन्दोलन हिंसात्मक नहीं हो पाया । वे मजदूरों के आन्दोलन से अपने जीवन के अन्तिम काल तक जुड़े रहे ।

श्रीमन्, उन्होंने देश में ऐसे समाज की संरचना की परिकल्पना की जो जातिविहीन, वर्ग-विहीन, शोषण-मुक्त हो, जो लोकतान्त्रिक और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हो । वह अपने जीवन के अन्तिम काल तक देश की सेवा करते रहे और उसी में संघर्षरत रहे और हमें एक नई दिशा प्रदान करते रहे और इन्हीं कार्यों में अपने जीवन की अन्तिम सांस तक लगे रहे ।

श्रीमन्, ऐसे मनीषी, इतिहास पुरुष सौभाग्य से ही किसी राष्ट्र में पैदा होते हैं ।

हम सभी के लिए यह दुखद विषय है कि आज श्री एस0 एम0 जोशी हमारे बीच नहीं रहे । श्रीमन् आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि दिवंगत नेता श्री जोशी के शोक-संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की ओर से संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास—

मान्यवर स्वर्गीय श्री एस0 एम0 जोशी, समाजवादी विचारधारा के गांधी और हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे मान्यवर मैंने उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है । श्री जोशी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं प्रदेश पार्टी का सेक्रेट्री था, उनके साथ रहने का मुझे बहुत अवसर मिला । श्रीमन् बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जिनसे हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, मान्यवर हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं कि ऐसे सादगी का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में जोशी जी थे । बहुत ही सीधे थे, बहुत विद्वान थे, मान्यवर मैं तो कहता हूं कि हमारे पास आज शब्द नहीं हैं कि जोशी जी कैसे-कैसे थे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं । मान्यवर जब कभी भी कोई पार्टी के ऊपर या किसी विचारधारा में हम लोग उलझते तो जोशी जी उस उलझन का समाधान क्षणिक समय में ऐसे निकालते थे, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी ऐसे उलझे हुए मसलों को सुलझा दिया करता है ।

गाजीपुर में एक रैली जय प्रकाश जी के नेतृत्व में हुई, मान्यवर मुझे भी स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने वहां पर भेजा था, जोशी जी भी वहां पर मौजूद थे, पहली बार हमारी वहां उनसे भेंट हुई, जय प्रकाश जी ने जो मूवमेंट चलाया था, उसमें उन्होंने बड़ी तत्परता से भाग लिया । श्रीमन् आज जोशी जी के न रहने से जिनकी तकलीफ आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाजवादियों को हो रही है, यह मैं ही महसूस कर रहा हूं। समाजवादी लोगों में जैसे हमारे जय प्रकाश जी थे चले गये, आचार्य नरेन्द्र जी थे, चले गये और डाक्टर लोहिया जी थे, वह भी चले गये। मान्यवर गिनती के अब 1-2 और बचे हुए हैं। जैसे हम लोग आज संसार में यतीम से हो गये, अच्छे नेतृत्व करने, अच्छी विचारधारा व आंदोलन चलाने वाले लोग हमारे पास अब नहीं रहे।

मान्यवर अब मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्री जोशी जी को श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि उनके परिवार तक हमारी यह संवेदनाएं पहुचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्व0 श्री एस0 एम0 जोशी जी के निधन के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय तिवारी जी तथा माननीय राम शरण दास जी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर श्री जोशी जी ने जहां देश की आजादी की मुहीम में भाग लिया वहीं पर गरीबों, किसानों और मजदूरों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ भी वह बराबर लड़ाई लड़ते रहे और देश की आजादी की लड़ाई में भी बड़ी कार्यशील भूमिका अदा की और यहां तक कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ और इसके बावजूद अनेक आन्दोलनों में वह भाग लेते रहे और वह हर क्षेत्र में चाहे वह राजनीतिक हो, समाजवादी हो, रचनात्मक क्षेत्र हो हर क्षेत्र में वह अग्रणीय रहे। आचार्य विनोबा भावे जी के साथ पद यात्रा में भी भाग लिया। आप नगरपालिका से लेकर लोक सभा तक के सदस्य रहे। पूरे जीवन में नैतिकतावादी की ओर प्रेरित रहे और सदैव आदर्शवादी जीवन व्यतीत करते रहे ऐसे समाजवादी नेता के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है जो जल्दी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी भगवान से प्रार्थना है कि शोक संतप्त परिवार के प्रत्येक लोगों को भगवान शांति दे और ताकत दे इस व्यथा को सहन करने के लिए मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे मान्यवर, अनुरोध है कि शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री कौशिक रमाशंकर--

अध्यक्ष महोदय, श्रीयुत श्रीधर महादेव जोशी जी के निधन पर जो शोकोद्गार नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री जोशी जी समाजवादी आन्दोलन के प्रेणता थे वह हमारे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के बहुत बड़े योद्धा थे और महाराष्ट्र में सामाजिक चेतना का काम राष्ट्रीय सेवा दल के जरिये जो जोशी जी ने किया है, वह इतिहास में याद रहेगा उनके चले जाने से समाजवादी आन्दोलन को विशेष रूप से श्रमिक आन्दोलन को तथा भारत के सामाजिक क्षेत्र को अपार क्षति हुई है। श्रीमन्, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह बड़े सरल हृदय और शालीनता के प्रति मूर्ति थे, लेकिन मान्यवर अनुशासन और अपनी मान्यताओं के प्रति उतने ही दृढ़ थे, जैसा कि उनका सरल और सहज स्वभाव अपनी पराकाष्ठा पर था। श्रीमन् उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राज किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने तथा अन्य नेताओं ने एस0 एम0 जोशी जी के जीवन पर प्रकाश डाला और अपने-अपने विचार व्यक्त किये, मैं अपने को अपने दल को उनके उद्गारों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जोशी जी समाजवादी आन्दोलन के अगुआ थे और जो 1942 में उन्होंने शुरू हुआ, वह जमाना ऐसा था कि लगता था कि पूरा देश समाजवाद के घेरे में आ जायेगा। उस समय समाजवाद के बड़े-बड़े विचारक थे। हमारे देश में, और जब 1947 में कानपुर में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद बहुत बड़ी उम्मीद हमारे देशवासियों और देश के गरीबों को और शोषित पीड़ित जनता को थी कि 1942 के आन्दोलन से जो चीज निकली और जो समाजवादी आन्दोलन की लहर फैली है, उससे गरीबों को लाभ होगा। मान्यवर, जोशी जी राजनीति में 5 दशकों से अधिक छाये रहे और वह लगातार समाजवादी आन्दोलन को मजबूत करने में लगे रहे और उनका बहुत बड़ा सम्बन्ध मजदूर आन्दोलन से भी था। मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ता और अफसोस की बात है कि समाजवादी आन्दोलन बिखर गया और समाजवादी विचारधारा के जो लोग उस समय थे, वह अलग खेमे में बैठ गये, इससे देश को नुकसान पहुंचा है। एस0 एम0 जोशी जैसे महान विचारक, समाजवादी नेता के निधन हो जाने से हमारे देश की अपूर्णीय क्षति पहुंची है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, स्वर्गीय एस0 एम0 जोशी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय जोशी जी नहीं रहे। समाजवादी विचारों से ओत-प्रोत, राजनीति के लिए समर्पित व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया। यह हम सब के लिए प्रेरणा के रूप में सदैव अमर रहेगा। ऐसे व्यक्तित्व के उठ जाने पर मैं उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धान्जलि के पुष्प उनके शोक-संतप्त परिवारों तथा शुभचिन्तकों तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

समाजवादी खम्भे एक-एक करके गिरते जा रहे हैं। उन खम्भों में से जोशी भी थे। महाराष्ट्र में पैदा हुये। पूरी जिन्दगी गरीबों और मजदूरों में गुजार दी और आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। जो विचार आपने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप सब की संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी। अब आइये, दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति हम श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

जनपद हरदोई की तहसील सन्डीला के ग्राम गिरन्ट-रहीमाबाद के लिंक मार्ग को बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 99 सूचनाएं प्राप्त हुई यानी एक कम सौ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्ति से बैठ जायं। नियमानुसार 90 सूचनाएं स्वीकृत हुई और 9 सूचनाएं अस्वीकृत की गई। जिनकी सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार हैं--श्रीमती गदा देवी, श्री उदयवीर सिंह राठौर, श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अवधेश राय शास्त्री, श्री दीप चन्द्र सोनकर, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री किशन लाल तथा श्री मरगूब अहमद खां । मुझे दुखः है कि इनकी सूचनाएं स्वीकृत नहीं हुई । सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं ?

(उक्त 90 सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

श्री राम कृष्ण--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद तहसील सण्डीला जिला हरदोई के लिन्क मार्ग को बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रथम सत्र 1988 के नवें सोमवार (2 मई, 1988) के अता0 प्र0 सं0-118 के उत्तर में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि "इस लिन्क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है" परन्तु सत्यता यह है कि अभी तक उक्त लिन्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है । उक्त मार्ग का निर्माण न कराये जाने से जनता को आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनहित में मोहम्मदपुर गांव के सामने से गिरन्ट तक एक हजार मीटर लिन्क रोड यथाशीघ्र बनवाया जाए ।]

प्रदेश के ब्लाक, ग्राम-प्रधानों आदि को नियमित वेतन आदि दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

[मान्यवर, माननीय संसद सदस्य व माननीय सदस्य विधान की चुनाव प्रक्रिया के ही अनुसार प्रदेश ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य व ग्राम प्रधानों के निर्वाचन की प्रक्रिया है । साथ ही अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य पद्धति व व्यवहार उसी तरह के हैं, पर ब्लाक प्रमुखों को जिला परिषद् सदस्यों ग्राम प्रधानों को न तो कोई वेतन दिये जाने की कार्यवाही आज तक हुई और न ही बैठकों आदि का कोई भत्ता ही उन्हें दिया जाता है ।

इसलिए पूरे प्रदेश के ब्लाक प्रमुख जिला परिषद् के सदस्यों और ग्राम प्रधानों में क्षोभ व रोष व्याप्त है । सरकार द्वारा पंचायतीराज शोषणों को मजबूत और शक्तिशाली बनाये जाने की लगातार घोषणायें की जाती रही हैं । पर व्यवहार में लगातार उपेक्षित किया जा रहा है ।

कुन्ठा से ग्रस्त निराश ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के सदस्यों और ग्राम प्रधानों की मांग है कि उन्हें नियमित वेतन यात्रा भत्ता और बैठकों का भत्ता मिलना चाहिये । उपरोक्तानुसार क्रमशः जिला परिषद् के सदस्यों को प्रति माह 300 रु0 ग्राम प्रधानों को 200 रु0 प्रति माह और ब्लाक प्रमुखों को 500 रु0 प्रतिमाह का कम से कम वेतन और बैठकों के दिनों का भत्ता तथा बैठक स्थल तक पहुंचने का यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये इस मामले पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

टिप्पणी--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बांदा के हिन्दू इंटर कालेज, अतर्रा की दुर्व्यवस्था को दूर करने हेतु प्रबन्ध समिति का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[जनपद बांदा के हिन्दू इंटर कालेज, अतर्रा जो एक शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, के प्रबन्ध के लिये जिम्मेदारी साधिकार नियंत्रक/जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को सरकारी ड्यूटी से फुरसत न पाने के कारण घोर दुर्व्यवस्था और अराजकता का शिकार है तथा अनुदान राशि का भारी दुरुपयोग हो रहा है। कालेज में करीब चार हजार छात्र व एक सौ अध्यापक कर्मचारी कार्यरत हैं। उसमें प्रतिवर्ष शासन की ओर से करीब 25-30 लाख रुपयों का अनुदान दिया जाता है। दुर्व्यवस्था, अराजकता धांधली और अराजकता के माहौल को समाप्त करने के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव कराकर कालेज का प्रबन्ध जनता के हाथों सौंपे जाने की मांग को ठुकराया जा रहा है। इससे जनता, छात्रों व अध्यापकों में भीषण रोष व असंतोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा कालेज की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराकर कार्यभार सौंपे जाने की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्रेडर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतर सिंह यादव--

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्रेडर जनपद देवरिया के उच्चीकरण हेतु एक लाख सोलह हजार रुपये की स्वीकृति शासन ने सन् 1985 में हां दे दी थी और धन भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया को उपलब्ध करा दिया गया था। परन्तु उसके उदासीन एवं आयुर्वेदिक के साथ सौतेलापन व्यवहार करने के कारण अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया। जबकि शासन स्तर से धन व्यय हेतु कई बार अवधि भी बढ़ायी जा चुकी है। कई बार कार्य में रुचि न लेने के कारण अनेकों प्रकार के उल्टा-सीधा आब-जेक्शन लगाकर खामखाह कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलम्ब उच्चीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाय और विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें।]

सहकारिता विभाग के सेवानिवृत्त आर0 डी0 सुपरवाइजरों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर यादव--

[मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान सहकारिता विभाग से अवकाश प्राप्त आर0 डी0 सुपरवाइजरों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं इन सुपरवाइजरों के पेन्शन के सम्बन्ध में डिप्टी ट्रीब्यूनल कोर्ट, जवाहर भवन, लखनऊ को दिए। लगभग एक वर्ष हो

टिप्पणी--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया परन्तु अभी तक इनके पेन्शन भुगतान की स्वीकृति शासन के उदासीन रवैइया के कारण नहीं हो सका। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इनमें से दो एक की मृत्यु भी हो गयी और अभी तक यह प्रसंग शासन के विचाराधीन ही बना है। मुझे यह भी सूचना मिली है कि सेवानिवृत्त सुपरवाइजरों में से कुछ के विषय में शासन ने स्वीकृति दे दी है और उनको पेन्शन दो चार वर्ष से मिल भी रही है।

अतः मैं यह मांग करता हूं कि अविलम्ब इन सेवा-निवृत्त आर० डी० सुपरवाइजरों के विषय में शासन गम्भीरता से विचार कर पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करे।]

जिला आगरा के विकास खंड फतेहपुर सीकरी तथा अछनेरा के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत खेड़ा बाकन्दा से दूरी मार्ग बाया मरसा जहरेरा, ग्वालियर घाट से दुलहारा, राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 से पलगाल व पानी सड़क दला से शिकरौदा और अछनेरा ब्लाक में अछनेरा झुन्डवई मार्ग से छैकोरक मार्ग गडोमा मार्ग, राजकीय मार्ग नं० 2 से सीधना मार्ग रुनकता से रुनकता घाट मार्ग आदि पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा न तो रोलर चलाया गया है और न पटरियां ठीक कर उक्त मार्गों को चलने लायक भी मरम्मत नहीं की गई। केवल थोड़ी सी मिट्टी इन मार्गों पर बिखेर दी गई है और वर्ष 1988-89 में डी० आर० डी० ए० द्वारा आठ हजार रुपया प्रति किलोमीटर स्वीकृत परिव्यय को भ्रष्टाचार कर इस विभाग के अभियन्ताओं ने डकार लिया है। उक्त मार्ग अत्यन्त ही खराब व खतरनाक स्थिति में ज्यों के त्यों पूर्ववत् दशा में ही छोड़ दिए गए हैं। इस पैसे का भ्रष्टाचार कर लेना और सड़कों की मरम्मत न कराना के कार्य से वहां की जनता आक्रोश में है और वह आन्दोलनरत है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त मार्गों की मरम्मत रोलर चलाकर और पटरी बनाकर पुनः करायी जाये। और दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।]

लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में पड़ने वाले इस्माइलगंज पानी गांव आदि में भवनकर वसूली को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर सिंह यादव—

[मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में यह महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व लखनऊ जिले के बीसियों गांवों जैसे इस्माइलगंज, पानी गांव, कमता, उजरियांव, विजईपुर आदि को लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में ले लिया गया है। इन गांवों में लखनऊ नगर महापालिका द्वारा न तो खड़ंजा की व्यवस्था की गई है और न मार्ग प्रकाश, न ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिससे लोग नारकीय जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं। परन्तु इसके बावजूद भी इन गांवों में भवनकर वसूलने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है जिससे इन गांवों के निवासियों में भीषण असंतोष व रोष व्याप्त है।

टिप्पणी—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु जब तक इन गांवों में लखनऊ में नगर महापालिका द्वारा खड़ंजा, मार्ग प्रकाश व पेयजल सुविधा उपलब्ध न करा दी जाय तब तक इन गांवों में भवनकर वसूलने की कार्यवाही को स्थगित किया जाय वरना स्थिति किसी दिन विस्फोटक हो सकती है और शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।]

जनपद देवरिया में गण्डक की नहरों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज राम--

[मान्यवर, देवरिया जनपद में गण्डक की नहरे महीनों से बन्द है नहरों में पानी न होने के कारण जनता में हा हा कार मचा है। खेतों में बोई गयी गन्ने की फसल प्रचंड गर्मी में सूखकर नष्ट होने के लिए मजबूर है मेरे क्षेत्र में कुशीनगर राजबाहा, प्रेमपुर, गोपालमढ़, राजवाहा, अन्हयां माइनर, बरवा माइनर, मैनपुर माइनर, कुशीनगर माइनर, सुन्दरपुर माइनर, पकहां माइनर, विशुनपुरा, पथरेटबन तथा जोसपट्टी माइनर में पानी नहीं है। इन नहरों की फर्जी सफाई दिखाकर लाखों रुपया फर्जी भुगतान करा लिया गया है किन्तु सफाई नहीं हुई है जिससे पानी रहने पर भी खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। यदि तत्काल नहरों में पानी छोड़े जाने की व्यवस्था नहीं की गई तो हजारों एकड़ गन्ने तथा जायद की फसल सूख जायेगी और किसानों को भारी क्षति उठानी होगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी में रामनगर से सआदतगंज तक के अधूरे मार्ग के कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री औसान सिंह--

[मान्यवर, मैं सम्मानित सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज से 8-10 वर्ष पहले सरकार द्वारा बाराबंकी जनपद के रामनगर कस्बे से सआदतगंज कस्बे तक की पुरानी कच्ची सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से रामनगर से लगभग 5 किलोमीटर तक सड़क की पटाई करके खड़ंजा लगा दिया गया था परन्तु शेष लगभग 4 किमी0 सड़क तब से अधूरी पड़ी हुई है। जनता द्वारा निरन्तर मांग किए जाने के बावजूद भी अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण रामनगर से सआदत गंज के किनारे पड़ने वाले तमाम गांवों की जनता को आवागमन की भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उक्त दोनों स्थान कस्बे हैं और दोनों में सप्ताह में दो बार बाजारें लगती हैं। उक्त सड़क उपरोक्त दोनों कस्बों को जोड़ने वाली एक मात्र तथा महत्वपूर्ण सड़क है।

अतः मैं सदन का ध्यान उक्त लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए अधूरी सड़क के निर्माण को अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के सार्वजनिक निर्माण विभाग अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई के पूर्व कार्य अधीक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, बहराइच जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई के भू0 पू0 कार्य अधीक्षक एवं स्थानिक अभियन्तागण जन धन के करोड़ों का अपहरण कर तमाम लोक महत्व के प्रपत्रों एवं अभिलेखों को लेकर गायब हैं। बिना काम कराये अहाता लिंक कटका मगढ़वा तथा कैसरगंज मार्ग जरवल गण्डारा का शेष भाग कैसरगंज के रही गण्डारा व अतौरा सिंह, गण्डारा कटका तथा बभनौटी लिंक व गोपचन्द राजा बीड़ी गोण्डहिया लिंक तथा जरवल गण्डारा एवं तपोहिया एवं जरवल टाउन के जरवल मार्गों पर विभागीय बिना कार्य कराये फर्जी मस्टर रोलों द्वारा तथा राम सेवक के नाम बेनामी ठेकेदारी करके करोड़ों रुपया के लगभग गम्भीर वित्तीय अनियमिता करते हुए अपहरण किया है।

अतः लोक महत्व की सूचना माननीय सदन को अवश्य कार्यवाही हेतु दे रहा हूं।]

जनपद बलिया की हरिजन कालोनी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[मान्यवर, आजादी के 42 वर्ष बाद भी हरिजन नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हरिजनों को उनकी आवास की व्यवस्था नहीं है। विधान सभा क्षेत्र बलिया में हरिजनों के आवास के लिए हरिजन विभाग से एक हरिजन कालोनी बनायी गई जिसमें लगभग 400 परिवार रहते हैं। हरिजन कालोनी के जीर्ण-शीर्ण होने और कभी भी ध्वस्त होने की स्थिति में उसमें रह रहे हजारों हरिजनों का जीवन संकट में है। उक्त कालोनी जीर्ण शीर्ण नहीं बल्कि गन्दगी का पर्याय है। उसमें प्रकाश, पाखाना की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें रह रहे हरिजनों को बिना सुविधा दिए अधिक किराया भी लिया जा रहा है। यदि वर्षात के पहले हरिजन कालोनी की मरम्मत नहीं करायी गई तो इस वर्ष निश्चित रूप से कालोनी ध्वस्त हो जायेगी और उसमें रह रहे हरिजन काल के गाल में चले जायेंगे। बलिया नगर में ही माल गोदाम रोड पर हरिजन कालोनी बनाने के लिए 1975-76 में सरकार ने एक निर्णय लिया था आज भी तत्कालीन मंत्री जी बलदेव सिंह आर्य का एक पत्थर लगा हुआ है लेकिन आज भी आवास की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि हरिजन कालोनी की तुरन्त मरम्मत कराई जाये और माल गोदाम पर लगे [illegible] लोगों का निर्माण कराया जाय।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के सिविल अस्पताल में आंख के डाक्टरों द्वारा आंखों के आपरेशन में की गई लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खरपत राम--

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1987-88 से अब तक सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में आंख के दो कार्यरत डाक्टर श्री बी0 कुमार एवं श्री एम0 आर0 सिंह ने धन प्रलोभन एवं फीस के लालच में अब तक कितने आपरेशन किए हैं उसमें से लगभग पचासों आंख के मरीजों की आंखें जान-बूझकर एवं लापरवाही करके फोड़ डाली हैं इसकी निश्चित जानकारी हुई है, उदाहरणार्थ इसमें जितने अनुसूचित जाति के एवं कमजोर वर्ग के व्यक्ति या कर्मचारी हैं जिनसे पैसा एवं फीस नहीं मिली है उस आंख के आपरेशन होने वाले मरीजों को लापरवाही बरतकर आंख फोड़ दी गई है जिसमें दारूलसफा के ए ब्लाक का चौकीदार श्री रामअवध तथा शिवदेनी पुत्र सखरज, निवासी फरहवा उर्फ पुरा बलिया और सिविल अस्पताल के सामने कालोनी की महिला जाति धोबिन तथा भू0 पू0 कर्मचारी श्री कालिका सिंह दारूलसफा का नाम उल्लेखनीय है।]

अतः वर्ष 1987-88 से अब तक के सभी आपरेशन कराये गये मरीजों की आंख की जांच मेडिकल बोर्ड से शीघ्र करायी जाय और सभी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दी जाय। जांच से पहले इन दोनों डाक्टरों को सिविल अस्पताल, लखनऊ से पर्वतीय क्षेत्र में करके निष्पक्ष जांच करायी जाय।]

जनपद लखनऊ के ग्राम इस्माइलगंज में पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री प्रेमपाल सिंह--

[मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व का प्रश्न यह लाना चाहता हूं कि लखनऊ शहर की सीमा पर, फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम इस्माइलगंज जहां की आबादी लगभग 10 हजार है वहां पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामवासी संकट का सामना कर रहे हैं। यह गांव लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में है। इस गांव में केवल एक इंडिया मार्क-11 हैंडपम्प लगाया गया है जबकि इस गांव में कम से कम 10 इंडिया मार्क-11 हैंड पम्प विशेषकर हरिजन बस्तियों में लगाये जाने चाहिए थे। गर्मी के मौसम में यह गांव हमेशा पेयजल के संकट से त्रस्त रहता है। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से अभी तक यहां की पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

अतः मैं मांग करता हूं कि गरमी के पहले इस गांव में जो अब शहर का एक हिस्सा बन गया है कम से कम 10 इंडिया मार्क-11 हैंड पम्प विभिन्न बस्तियों में लगाए जायें।]

जिला मिर्जापुर में पत्थर के व्यवसाय उत्पादन पर बिक्रीकर को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। मिर्जापुर जनपद के कुल क्षेत्रफल का अस्सी प्रतिशत जंगल

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं पहाड़ इस जनपद में है जहां अत्यन्त ही गरीब एवं आदिवासी लोग रहते हैं जो अपना जीविकोपार्जन हाथ से पत्थर तोड़कर करते हैं। शासन द्वारा पत्थर के व्यवसाय को नियन्त्रित करने हेतु पूर्व में 'स्टोन महाल ऐक्ट 1886' बनाया गया जिसके अनुसार समय-समय पर निर्धारित शुल्क कोषागार में जमा करके एक वर्ष हेतु कोई भी व्यक्ति खानों का व्यवसाय कर सकता उस पर किसी प्रकार बिक्रीकर देने का प्रविधान नहीं था। शासन द्वारा 'स्टोन महाल ऐक्ट 1886' के स्थान पर 16 जून, 1979 सं0 उ0 प्र0 उप खनिज नियमावली 1963 लागू हो जाने से पत्थर के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। खनन कार्य में लगे लाखों मजदूर भूखमरी के शिकार हैं। चुनार तहसील के पत्थर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उत्पादन पर किसी प्रकार का बिक्रीकर समाप्त किया जाय। पिछले वर्ष लगाये गये बिक्रीकर को भी माफ किया जाये।]

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन, रक्षा महिला सदन आदि संस्थाओं में नियुक्त शिक्षिकाओं के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन, उत्तर रक्षा महिला सदन तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में नियुक्त व्यवसाय सिखाने वाली शिक्षिकायें 25-30 वर्षों से कार्यरत हैं। लेकिन अभी तक इन्हें स्थायी नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ उत्तर रक्षा महिला गृह मेरठ कैन्ट में नियुक्त श्रीमती कान्ता सेठ, सिलाई शिक्षिकों को जिनके लगभग 30 वर्ष पूरे होने को हैं और सेवानिवृत्त होने वाली हैं, को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है जबकि शासन की नीति है कि यदि कोई कर्मचारी 3 वर्ष सेवा कर लेता है तो उसे स्थायी कर दिया जाय। लेकिन उक्त विभाग के अधिकारियों ने शासन के नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों व्यवसाय सिखाने वाली शिक्षिकाओं को स्थायी न करके आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अधिकतर शिक्षिकायें सेवा निवृत्त होने वाली हैं इससे उनको पारिवारिक पेंशन भी नहीं मिलेगी जिससे उनके परिवार के लोग भुखमरी के शिकार हो जायेंगे। यह शिक्षिकायें तथा उनके परिवार के लोगों में हा-हा कार एवं असंतोष तथा रोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि इन शिक्षिकाओं को जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष से अधिक हो स्थायी किया जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।]

जनपद लखनऊ के विभागीय निर्माण इकाई डी0 सी0 यू0 सा0 नि0 वि0 द्वारा सड़क निर्माण में कर्जी भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विभागीय निर्माण इकाई डी0 सी0 यू0 सा0 नि0 वि0 के अभियन्ताओं द्वारा डंडहिया बाजार से नुरनिया रोड के बीच का मार्ग जो 800 मी0 के लगभग है, उक्त अभियन्ताओं ने लाखों रुपया फर्जी बिल बनाकर हड़प गये हैं जबकि यह मार्ग एल0 डी0 ए0 विभाग ने बनाकर अभी डेढ़माह पूर्व ही सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित किया है। इसके अतिरिक्त इन्ही अभियन्ताओं ने महानगर से फरीद नगर मार्ग पर जो कार्य कराये हैं उसमें लगभग एक कि0 मी0 सड़क तथा पुल बनना शेष है, लेकिन शासन द्वारा स्वीकृत रकम फर्जी बिलों के माध्यम से व्यय हो चुकी है। यह सड़के इतनी अधिक घटिया बनायी गयी हैं, जो अभी से उखड़ रही है और यात्रियों को चलने में परेशानी हो रही है। इससे शासन की छवि तो धूमिल हो ही रही है, दूसरी तरफ जनता में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से मांग करता हूं कि इन सड़कों की जांच टेक्निकल सेल से करायी जाय तथा दोषी अभियंताओं को हटाकर इन्हें दण्डित किया जाय।]

जनपद मेरठ के थाना अमीनगर के अन्तर्गत श्रीमती कौशिल्या हत्याकाण्ड में हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भाटी--

[मान्यवर, जनपद मेरठ के ग्राम कमाला थाना अमीनगर के अन्तर्गत कौशिल्या का विवाह आठ वर्ष पूर्व ओमपाल पुत्र बिजुआ के साथ हुआ था। हमेशा दहेज के लालच में विवाद होता रहा है। और उसकी सास, ननद और पति बराबर प्रताड़ित करते रहे हैं। इस तरह की घटनायें प्रायः पूरे प्रदेश में भारी पैमाने पर हो रही हैं। दिनांक 28/29 अगस्त, 1988 की रात को कौशिल्या के पति, देवर, सास तथा ननद ने मिट्टी का तेल उसके मुंह में डालकर आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी इसकी रपट उपरोक्त थाने में अपराध सं0 86/88 द्वारा 498-ए/302/201 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज है, लेकिन वहां की पुलिस मुल्जिमों को नहीं पकड़ रही है। इससे क्षेत्रीय जनता में पुलिस के प्रति भारी रोष, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है. स्थिति बहुत ही विष्फोटक हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इस हत्याकाण्ड के हत्यारों को गिरफ्तार कराया जाय तथा शिथिलता बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम हरैया में हुये अग्निकांड से क्षतिग्रस्त लोगों को सहारा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जनम--

[मान्यवर, ग्राम अजगर मगरवी विकास खण्ड हरैया, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में दिनांक 30 मार्च, 1989 की रात्रि 8 बजे आग लग जाने के कारण इस ग्राम के 25 व्यक्तियों के घर जल कर राख हो गये। साथ ही घर के अन्दर जो सामान एवं खाद्य सामग्री रखी हुई थी सम्पूर्ण जलकर राख हो गयी। जिसके फलस्वरूप श्री राधे,

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सोयई, सनेही, जगई, चन्द्रपति, जग्गो, रामधारी, रमरजियां विपति, रामनवल, रामप्रकाश भागवत, रमदेई, भीमल आदि लोगों को जीवकोपार्जन तथा रहने के लिए कोई साधन नहीं बचा ।

अतः आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि जिन व्यक्तियों के घर तथा घर में रखी हुई सामग्री जल गयी है उन्हें अधिक से अधिक सहायता दी जाय ।]

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दरा राऊ क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी---

[मान्यवर, गत वर्ष अति वृष्टि एवं बाढ़ से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त सिकन्दरा राऊ क्षेत्र के मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु सा0 नि0 वि0 द्वारा कोई भी कार्यवाही न किये जाने से यातायात अवरूद्ध है जनता को कठिनाई हो रही है जनपद के अधिकांश बड़े नालों एवं नदियों का टेल क्षेत्र होने के कारण बाढ़ से सर्वाधिक क्षति इस तहसील में होती है । अस्थायी खण्ड सा0 नि0 वि0 अलीगढ़ के अन्तर्गत नाला जलाल कपशिया मार्ग, खरतर-टटी इंडिया मार्ग, अगसाली स्टेट बरगदामार्ग आगरा जलेसर रोड से सिधौली-पोशमार्ग, तथा अस्थायी खण्ड हाथरस के अन्तर्गत पुरविल नगर-हसायन मार्ग, हसायन बदायन मार्ग मंकुरी-रतिमानपुर मार्ग पी0 बी0 मार्ग से बसई मार्ग आदि मार्गों की विशेष क्षति पहुंची है इन मार्गों की विशेष मरम्मत कराया जाना अविलम्ब आवश्यक है । सा0 नि0 वि0 द्वारा इन मार्गों पर अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत का कार्य भी नहीं कराने से उक्त खडंजा लगे पक्के मार्ग विशेष रूप से क्षति ग्रस्त होने से जनता को कठिनाई हो रही है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र की सड़कों पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह--

[मान्यवर अलीगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र खैर में अनेक मार्गों का निर्माण कई वर्षों पूर्व कराया गया था परन्तु उन पर आज तक खरंजा नहीं लगवाया गया तथा कुछ खरंजा लगी सड़कों का खरंजा गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है इन्हें शीघ्र सतह लेपन कार्य कराने की आवश्यकता है, जैसे टप्पल मानगढ़ी मार्ग व अंदपुरा उटासानी मार्ग जहारी से घाघौली वाया नगरिया, टप्पल से बूढ़ाका आदि इन मार्गों का निर्माण न होने से क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में आलू की खरीद एवं शीत गृहों में भण्डारण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप--

[मान्यवर, प्रदेश के किसानों के आलू की मिट्टी के मोल बिकने से बचाने के लिए सरकार आलू की तुरन्त खरीद एवं शीतगृहों में भण्डारण की व्यवस्था करानी चाहिए । लखनऊ जनपद में आज किसानों को आलू बोरों में भरी हुई सड़कों पर, ट्रकों/ट्रैक्टर की ट्रालियों में भरा हुआ सड़ रहा है और उसे कोल्ड स्टोरेज के मालिकान किसानों के आलू को भरने में आनाकानी कर रहे हैं । किसानों के आलू को कोल्ड स्टोरेज के मालिक एवं बड़े-बड़े आढ़तियों की साजिस के तहद माटी के भाव खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में भण्डारण कर रहे हैं । जिससे वह बाद में मुनाफा कमायेंगे और किसानों का हजारों बोरा आलू खेतों मैदान में सड़ रहा है जिससे किसानों के समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और अपनी आलू का भण्डारण न कर पाने के कारण इन आढ़तियों एवं कोल्ड स्टोरेज मालिकों को माटी के भाव बेचने को मजबूर हैं । इससे किसानों के अन्दर आक्रोश की भावना पैदा हो गई है । जिससे किसी भी समय विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर के थानाध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को दिलाकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही चाहता हूं । वर्तमान दिनों में थाना जैदपुर बाराबंकी के थाना इंचार्ज श्री रमेश चन्द्र द्वारा उदय भान सिंह व घनश्याम मिश्रा के सहयोग से बड़े पैमाने पर बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकदमों में फसाने व फंसा देने की धमकी देकर धन की वसूली व उत्पीड़न किया जा रहा है । जिसकी सूचना जैदपुर के मार्डन राइस मिल के पार्टनर सुरेशचन्द्र वर्मा बरया निवासी मोलाई, रामनारायण जैदपुर कस्बा के असफाक ग्राम टेरा के प्रधान मुस्ताक ग्राम चन्दौली के निवासी शब्पू व शल्लन, टिकरा निवासी इकबाल आदि के द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं ट्रेली ग्रामों के माध्यम से पुलिस विभाग के जनपद से लेकर प्रदेश स्तर के उच्च अधिकारी को दी जा चुकी है । मैंने स्वयं विधान सभा में आशय की जानकारी 10 मार्च, 1989 को दे दिया है । और 30 मार्च, 1980 को गृह सचिव को लिखा है किन्तु अब तक थाना अध्यक्ष के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे कि थाना क्षेत्र जैदपुर आम जनता में पुलिस विभाग के प्रति निराशा एवं क्षोभ की भावना पैदा हो गई है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह थानाध्यक्ष को थाने से हटाकर उनके विरूद्ध उपरोक्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करायें तथा थानाध्यक्ष के बुरे कारनामों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला आजमगढ़ के विकास खण्ड तहबरपुर के ग्राम वासियों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु सब स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव --

[मान्यवर, जिला आजमगढ़ में मंजारी बाजार ब्लाक तहबरपुर के आस पास 50 ग्रामों में बिजली आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है । किसानों को व्यापारियों को, छात्रों को बहुत ही असुविधा हो रही है । प्रायः बिजली समय-समय कट जाती है । सिंचाई के लिए समय पर बिजली आपूर्ति न होने से खेती में सिंचाई नहीं हो पाती है । सैकड़ों एकड़ फसल सूख जाती है । खलिहान की मड़ाई नहीं हो पाती है । और बरसात व ओले से भूसा और अन्य सड़ जाता है । पढ़ने के समय लड़कों को बिजली नहीं मिल पाती है । शादी विवाह के समय में बिजली की आंख मिचौली से बारातियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । व्यापारियों को चक्की चलाने में बिजली की आपूर्ति न होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है ।

अतः आपसे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि जिला आजमगढ़ के मंजरी बाजार तहबरपुर ब्लाक में पास के लगभग 50 ग्राम वासियों के हितों को ध्यान में रखकर 33 केवी0 का सब-स्टेशन बनवाने का आदेश प्रदान करें । जिससे जनता को राहत मिल सकें ।]

जनपद देवरिया की तहसील देवरिया के ग्राम महुअवा बाजार में हुये अग्निकांड में क्षतिग्रस्त लोगों की क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही---

[मान्यवर, देवरिया जनपद में ग्राम महुअवा बाजार टाटर तहसील देवरिया में दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को दोपहर में भीषण आग लग गयी जिससे लगभग 400 घर जल कर राख हो गये और दर्जनों जानवर जल कर मर गये । इसी भीषण अग्निकाण्ड के कारण गांव में बहुतांशा घर जल गये हैं और घरों में रखा ग्रामीणों के खाद्यान्न गहने, कपड़े आदि सम्पूर्ण सामान जल जाने से हा-हा कार मचा है उनके पास भोजन के लिए मुठ्ठी भर अनाज नहीं है । घटना की सूचना अग्निशमन दस्ते को टेलीफोन पर दी गयी और दो अग्नि शमन गाड़ियां दो बजे दिन में घटना स्थल पर पहुंची । किन्तु उनके पम्प खराब होने के कारण वे आग को बुझाने में असमर्थ रही और गांव धू-धू कर जलता रहा । कसाया के आस पास हजारों घर प्रत्येक वर्ष आग से जलते हैं, जिसके कारण वहां अग्नि शमन दस्ता कायम कराने की बराबर मांग होती रहती है किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन की संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अग्नि पीड़ितों को तत्काल अहेतुक सहायता मकान क्षति पूर्ति तथा जीवन रक्षा हेतु आवश्यक खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था करने के साथ कसया में अग्नि शमन दस्ता स्थापित करने की मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम दाउदपुर में बने धार्मिक स्थल से अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हफीज भारती--

मान्यवर, जिला आजमगढ़ में ग्राम दाउदपुर तहसील--संगड़ी के गाटा संख्या 368 पर ग्रामवासियों तथा अन्य पड़ोसी ग्रामवासियों का धार्मिक स्थल है । जहां पर औरते जीवतिया की पूजा करती है और इसी नम्बर के दूसरे भाग पर मरणोपरान्त दशवां व बाल बनाने आदि का कार्य सम्पन्न होता है इसी नम्बर पर एक पुराना पेड़ है जहां पर गर्मी के समय में बैठ कर विश्राम करते हैं ।

उक्त नम्बर पर जगन्नाथ पुत्र जानकी दूधनाथ पुत्र मानकी बलदेव पुत्र गोकुल, राम पुल गोकुल कब्जा करके मकान बना रहे हैं ।

अतः आपसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि जिला आजमगढ़ ग्राम दाउदपुर संख्या 368 सगड़ी पर अवैधानिक किये हुए कब्जे में समाप्त कराने हेतु आदेश प्रदान की कृपा करें ताकि जनता को राहत मिल सके ।]

जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी में बने उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्र चालू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

[मान्यवर, जनपद ललितपुर में महरौनी तहसील मुख्यालय पर उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र भवन को बने लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय से बन चुका है । सभी सुविधाओं से यह भवन पूर्ण है, सिर्फ उद्घाटन हेतु पड़ा है । हजारों मरीज इस सुविधा के अभाव में तहसील केन्द्र पर आकर दम तोड़ रहे हैं । प्रशासन की उदासीनता के फलस्वरूप इससे जनता में भारी क्षोभ व्याप्त है । चिकित्सा सुविधा हेतु यहां की जनता को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सागर और 36 किलोमीटर ललितपुर मुख्यालय जाना पड़ता है । हजारों रुपया का अतिरिक्त व्यय मरीजों को भुगतना पड़ रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि इस उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र को तुरन्त सुविधायों युक्त नवीन भवन में प्रारम्भ कराकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जावे ।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी व नौगढ़ में राप्ती व बूढ़ी राप्ती पर बने बांधों की कटान रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी--

[मान्यवर, सिद्धार्थनगर जिले के बांसी एवं नौगढ़ तहसीलों में स्थित राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती नदियों पर बांसी-पनघटिया, सोनखर टडिया एवं ककरोही गोनहा बांधों पर कटान स्थलों को रोकने से लिए वर्ष 1985-86 में योजना स्वीकार हुई थी । परन्तु बचाव

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

योजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उक्त कार्यों के पूरा न होने से यह भय बना हुआ है कि राप्ती नदी बरसात एवं बाढ़ के समय बांसी-रनघटिया बांध के स्थल बंजरहा, डुमरिया, कुड़जा स्थानों पर कटाव करके बांसी एवं खलीलाबाद के लगभग 300 गांवों को बर्बाद कर देगी। इसी प्रकार सोनखर-ठडिया तथा ककरही-गोनहा बांधों के कटान स्थलों पर कार्य पूरा न होने से यह भय बना हुआ है कि राप्ती नदी एवं बूढ़ी राप्ती नदी के बीच का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जायेगा। उपरोक्त कार्यों के लिए विगत वर्षों में कई बार सिंचाई विभाग तथा शासन को सूचित किया गया परन्तु सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के लापरवाही एवं उदासीनता के कारण कार्य नहीं हो सका है। जिसके कारण जनता में भय, असंतोष और रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर को निर्देशित किया जाये कि 15 जून से पूर्व उक्त स्वीकृत कटान निरोध कार्यों को पूर्ण करावे।]

श्री राम मिलन सिंह, उप गन्ना आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर के द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)---

[मान्यवर, श्री राम मिलन सिंह, उप गन्ना आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निरन्तर प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके तानाशाही रवैये का स्पष्ट प्रतीक है कि अनेकों कर्मचारियों को नियमों को नजरन्दाज करके बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करना, उनकी चरित्र पंजिकाओं में निराधार प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करना, मनमाने तरीके से स्थानान्तरण करना, निर्धारित समय से बैठक न कर रात में बैठकें करके कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार के साथ अपशब्दों का प्रयोग करके उनमें आतंक एवं दहशत पैदा कर दिये हैं।

इतना ही नहीं शासन के मान्यताप्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को भी शासनादेश की अवमानना करके द्वेष भावना से परिपूरित होकर स्थानान्तरित कर देते हैं। श्री बी0 के0 चन्द्र, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग, लिपिक वर्गीय सेवा संघ, जनपद शाखा-गोरखपुर को दिनांक 31-3-89 को देवरिया के लिए स्थानान्तरित कर दिये हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा जनपद गोरखपुर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारी उद्वेलित हो गये हैं। इनके उक्त कार्यों की चर्चा सड़क, चौराहों आदि स्थानों पर न रह कर पूरे जनपद में की जा रही है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के तन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि उप गन्ना आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर को निलम्बित करके उनके कार्यकाल की पूरी खुली जांच कराई जाय और कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त किया जाय तथा श्री बी0 के0 चन्द्र, अध्यक्ष, उ0 प्र0 गन्ना विकास विभाग लिपिक वर्गीय सेवा संघ, जनपद शाखा-गोरखपुर का स्थानान्तरण शासनादेश सं0 1433/का-4-7-ई0 एम0/30, कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 9 सितम्बर, 1983 के अनुसार निरस्त किया जाय।]

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर स्थित सहकारिता विभाग के केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लगभग 3–4 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। उन्हें बिना कारण बताये प्रतिष्ठान से बलपूर्वक हटा दिया गया है। सेवा नियम सी–52/1976 के प्राविधानों के तहत इन कर्मचारियों के सेवाकाल में तीन वर्ष का व्यवसाय लगातार बढ़ता रहा है। उक्त कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल में बड़ी मेहनत व निष्ठा से भंडार की सेवायें की जिसके परिणामस्वरूप कारोबार बढ़ा और लाभ आ। उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी द्वारा किये गबन के कारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकालने का प्रमुख कारण यह रहा है कि अध्यक्ष के अवैधानिक व भ्रष्ट कार्य–कलाप के बारे में कोई तथ्य प्रकाश में न आ सके। जिसमें लाखों रुपये का घोटाला किया है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हटा दिये जाने से भंडार के सभी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निकाले गये कर्मचारियों को लिये जाने व संस्था में की गई गड़बड़ियों व घोटाले की मैजिस्ट्रेटी जांच कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद गाजीपुर के मरदह क्षेत्र में सहकारिता शीतगृह खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व में जनपद गाजीपुर के विकास खंड मरदह में सहकारी शीतगृह निर्माण करवाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे मरदह क्षेत्र में आलू का उत्पादन बहुत अधिक है। किन्तु शीतगृह न होने के कारण वहां के किसान आलू का भंडारण नहीं कर पाते हैं। यहां से शीतगृह बहुत दूरी पर हैं जिससे किसानों को आलू ले जाने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए किसानों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि मरदह क्षेत्र में सहकारी शीतगृह खोलने की उचित व्यवस्था करें जिससे वहां के कृषकों एवं अन्य लोगों को सुविधा एवं लाभ मिल सके।]

जिला गाजीपुर के बहादुरगंज में जहरीली शराब के कारण हुई दुर्घटना के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयवीर सिंह राठौर—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व से जनपद गाजीपुर क्षेत्र बहादुरगंज में जहरीली शराब काण्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसमें श्री मोहन कांटू पुत्र श्री विश्वनाथ कांटू की 1-4-1989 को शराब पीने से मृत्यु और दो व्यक्ति अनुसूचित जाति के दुखन्ती और कन्हैया अस्पताल में हैं। इस काण्ड की शिकायत वहां के स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिनांक 30-3-1989 को दिया। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई स्थानीय शराब की दुकान के पास पुलिस चौकी भी है। लेकिन पुलिस चौकी के पुलिस भी शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं किये। इस घटना से पूरे जनपद में असंतोष व्याप्त है कई हजार जनता ने धरना एवं प्रदर्शन किया तथा टाउन एरिया बहादुरगंज दिनांक 2-4-1989 को पूर्णतया बन्द रहा। मृतक के परिवार को अब तक कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निदशित करें कि आबकारी एवं पुलिस विभाग के दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों और अन्य दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही करें। जिससे जन-जीवन सामान्य हो सके।

जिला गाजीपुर के परसा वाराचवरपुर तिराहीपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद-गाजीपुर में सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्मित परसा वाराचवर तिराहीपुर मार्ग लम्बाई 14 कि0मी0 चौड़ी करने एवं मजबूती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर प्रतिदिन कई भारी गाड़ियां गुजरती हैं। यह सड़क सकरी है। इस सम्बन्ध में कई बार लिखित रूप से सम्बन्धित अभियंताओं व अधिकारियों को लिखा गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मार्गों पर धन आबंटित कराकर निर्माण कराये। जिससे उस क्षेत्र की जनता हजारों लोगों को सुविधा एवं लाभ मिल सके।]

जनपद बलिया में रसड़ा, मुड़ेरा, तिराहीपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निहाला सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद बलिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रसड़ा, मुड़ेरा, तिराहीपुर मार्ग लम्बाई 6 कि0मी0 की वाइडनिंग एवं स्टैंथलिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मार्ग पर प्रतिदिन कई भारी गाड़ियां गुजरती हैं। यह सड़क सकरी है इस सम्बन्ध में कई बार लिखित रूप में सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं अधिकारियों को लिखा गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनता में रोष एवं क्षोभ है। जनता ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त मार्ग पर धन आवंटित कराकर निर्माण कराये जिससे उस क्षेत्र की हजारों लोगों को इस मार्ग से लाभ एवं सुविधा मिल सके।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला गाजीपुर में मैनपुर करण्डा मार्ग पर गंगा नदी पर परमिट घाट पर पहुंच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह राणा--

[मान्यवर, आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीत लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गाजीपुर, मैनपुर, करंडा मार्ग पर गंगी नदी परमिट घाट पर बनाये जा रहे :--

1--पहुंच मार्ग, 2--सेतु निगम (सा0 नि0 वि0) द्वारा उपरोक्त मार्ग, उपरोक्त नदी, उपरोक्त घाट पर कमजोर एवं खराब एवं घोटाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त पहुंच मार्ग पर निर्धारित मात्रा से बहुत ही कम मिट्टी डाली गयी एवं मिट्टी भी बहुत कम डाली गयी। मिट्टी में दो बार गलत पेमेन्ट भी किया गया। पक्के पुल के निर्माण में सरिया एवं सील का जो प्रयोग किया गया निर्धारित मात्रा में न करके, कम और कमजोर दिया गया। जिससे कार्य रोक दिया गया। इससे पूरे क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। यहां के लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया समाचार-पत्रों में भी इसकी चर्चा समाचार पत्रों में आयी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त मामले की उच्च स्तरीय टेक्निकल सेल से जांच करायी जाये तथा दोषी अभियंताओं एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

अतः आप सरकार को निर्देशित करें कि उक्त मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये तथा शीघ्र पक्के पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाये जिससे वहां की जनता को लाभ एवं सुविधा मिल सके।

जनपद गाजीपुर के ब्लाक कासिमाबाद एवं बाराचवर में विश्व बैंक के माध्यम से नलकूप लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजन्म सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में विकास खंड कासिमाबाद एवं बाराचवर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक के माध्यम से राजकीय नलकूप लगवाये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये दोनों विकास खंड सिंचाई के मामले में अत्यन्त पिछड़े हुये हैं। इन ब्लाकों में राजकीय नलकूपों की संख्या बहुत ही कम है जिसमें बहुत से फेल हो गये हैं। यह ब्लाक नहरों के टेल पर होने के कारण इनके ग्रामों को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता। इस सम्बन्ध में कई बार लिखित रूप से स्थानीय प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों द्वारा सम्बन्धित अभियंताओं एवं अधिकारियों को दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिए पूरे क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ है। इसके लिए कई बार कृषकों ने हजारों की संख्या में धरना एवं प्रदर्शन भी किये।

अतः आपसे प्रार्थना है कि सरकार को निर्देशित करें कि जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचवर एवं कासिमाबाद में विश्व बैंक की सहायता से लगने वाले नलकूपों के दो-दो क्लस्टर प्रति विकास खंड में लगाया जाय जिससे इस क्षेत्र के किसान एवं अन्य लोग लाभ उठा सकें।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी में हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा--

[मान्यवर, जनपद देवरिया के विकास खंड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता में पानी पीने की बड़ी असुविधा है। इस गांव में अभी तक इण्डिया मार्क-2 का कोई हैण्ड पम्प नहीं लगवाया गया है जिससे लोगों को पानी पीने की बड़ी असुविधा होती है कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है और दो-एक जो कुएं हैं वह पट गये हैं। गांव के लोग पानी बगैर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस गांव में इण्डिया मार्क-2 का हैण्ड पम्प न लगने से लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को आपके संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि उक्त ग्राम सभा में अधिक से अधिक इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प तत्काल लगवाया जाय।]

जनपद गाजीपुर के विकास खंड मरदह में बेलसड़ी सिगरा आदि मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रसेन--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के लिए जनपद गाजीपुर के विकास खंड मरदह में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बेलसड़ी, सिगरा, भदसा से देवरूपो मार्ग लम्बाई 6 कि0 मी0 तथा मदरहनरौर विपसार कोडरी मार्ग लम्बाई 6 कि0 मी0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन सड़कों पर मिट्टी का कार्य बहुत कम किया गया है। पुलिया भी खराब स्तर का बनवाया गया तथा मिट्टी की मात्रा कम दी गयी है। यह पुलिया भी खराब स्तर का बनवाया गया जिससे सड़क टूट रही है और सड़क भी अधूरा छोड़ दिया गया है। यह सड़क की स्वीकृति सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत हुआ था। इस सड़क पर कोई मानव दिवस नहीं बनाया गया जबकि इस क्षेत्र के मजदूरों को भूमिहीन हैं, को कोई कार्य नहीं दिया गया है। इस कार्य से क्षोभ प्रकट करने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता ने प्रदर्शन एवं धरना दिया लेकिन इसका कोई प्रभाव सम्बन्धित अधिकारियों पर नहीं पड़ा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सड़कों को लेपन स्तर तक बनवाया जाय तथा अधूरी छोड़ी गयी सड़कों को पूरा कराया जाय इन सड़कों के बन जाने से वहां की जनता में व्याप्त क्षोभ एवं रोष कम हो जायेगा और उससे उन्हें लाभ व सुविधा मिल जायेगी।]

क्षेत्रीय विकास विभाग के भूगर्भ जल विभाग के अधीक्षण अभियन्ता मंडल बरेली द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उमा त्रिपाठी--

[मान्यवर, क्षेत्रीय विकास विभाग के भू-गर्भ जल विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल प्रथम, बरेली ने सीनियर हाइड्रोज्योलाजिस्ट, ज्योफिजिकल खंड द्वितीय के पद पर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहकर 1978 से 1984 तक भारी धन का दुरुपयोग किया, जिसकी पुष्टि महालेखाकार के पत्र से की जा सकती है । इसी अधिकारी ने शासन द्वारा कार्य प्रभारित अधिष्ठान में जून, 1984 में नियुक्ति पर रोक लगाने के बावजूद धन लेकर नियुक्तियां की जिसके लिए निदेशक द्वारा फरवरी, 1989 में आरोपित किया गया । टेक्निकल आडिट सेल से जांच करवाने हेतु अक्तूबर, 1988 में शासन को लिखा गया । इन्हीं चार्जों के आधार पर वैयक्तिक सहायक तथा एक अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है । विभाग के एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी को मात्र अपनी पत्नी द्वारा शासन को लिखने पर राजनैतिक दबाव के आरोप में निलम्बित किया गया जबकि अधीक्षण अभियन्ता को राजनैतिक दबाव की केवल चेतावनी दी गई, इन्हीं अधीक्षण अभियन्ता ने वर्ष 1987-88 में दुर्भावना से 11 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टियां दी ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधीक्षण अभियन्ता को तुरन्त निलम्बित कर सतर्कता विभाग अथवा टेक्निकल आडिट सेल से आरोपों की खुली जांच करायी जाय ।]

जिला गाजीपुर के बाराचंवर ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमल किशन पाण्डेय--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व में जनपद गाजीपुर के विकास खंड बाराचंवर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस क्षेत्र में लड़कियों का हाई स्कूल स्तर का कोई विद्यालय न होने के कारण क्षेत्र की हजारों लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं । क्षेत्र बाराचंवर से लगभग 20 कि0 मी0 की दूर पर लड़कियों के हाई स्कूल हैं, जहां लड़कियों को प्रतिदिन आना-जाना काफी मुश्किल है । इस सम्बन्ध में कई बार स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से सम्बन्धित अधिकारी व शिक्षा मन्त्री जी को देकर मांग की गयी कि लड़कियों के लिये हाई स्कूल तक का विद्यालय खोला जाय, क्योंकि विद्यालय के अभाव में वहां के स्थानीय लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ है । इसी कारण वहां के हजारों लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि बाराचंवर में एक राजकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की जाय, जिससे इस क्षेत्र के अभिभावकों को अपनी लड़कियों को शिक्षित करने में सुविधा मिल सके ।]

जनपद देवरिया के विकास खंड, भटनी के ग्राम सभा खजुरी करौता के मार्ग संख्या 134 को रेलवे क्रासिंग वाली सड़क से मिलान के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाकान्त--

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद देवरिया विकास खंड, भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता की एक मार्ग संख्या 134 को सही करने के तरफ दिलाना चाहता हूं ।

उक्त जनपद के ग्राम सभा से सटे दक्षिण साइड में एक मार्ग जिसका नं0 134 है, जो ग्राम सभा का मेन रास्ता है । वह विकास खंड देवरिया सदर के ग्राम सभा

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बतरौली पाण्डेय को होते हुये रेलवे क्रासिंग होकर ग्राम सभा बाराडीह को जो सड़क जाती है, उसमें से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उक्त ग्राम सभा का मार्ग संख्या 134 अटक रहा है। जिसके न मिलने से गांव के लोगों को काफी असुविधा होती है। आने-जाने के लिये दूसरा कोई रास्ता नहीं है, काफी दूरी पर घूमकर आना-जाना पड़ता है। उक्त मार्ग को सड़क में न मिलाने से लोगों में क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि उक्त मार्ग संख्या 134 को रेलवे क्रासिंग वाली सड़क में तत्काल मिलाकर खड़न्जा कराया जाय।]

जिला देवरिया के विकास खंड, भटनी के प्राथमिक पाठशाला खजुरी चौकी करौता के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महराज सिंह--

[मान्यवर, जनपद देवरिया के विकास खंड, कटनी के अन्तर्गत बेसिक प्राइमरी पाठशाला, खजुरी करौता का भवन काफी दिनों से जर्जर स्थित में है। जिससे स्कूल के छात्र छात्राओं को पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। इस स्कूल के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुलायम सिंह यादव, नेता लोकदल विधान मंडल द्वारा भी पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। स्कूल का भवन निर्माण न होने से छात्र छात्राओं को बड़ी असुविधा होती है।

अतः इस अत्यन्त लोकमहत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि उक्त बेसिक प्राइमरी पाठशाला खजुरी करौता का भवन निर्माण तत्काल कराया जाय।]

जनपद मुरादाबाद के राजकीय दीक्षा विद्यालय एवं आदर्श कन्या विद्यालय को मुरादाबाद शहर मुख्यालय पर रहने दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

[महोदय, निवेदन है कि मुरादाबाद जनपद के मुख्यालय मुरादाबाद शहर से राजकीय दीक्षा विद्यालय एवं आदर्श कन्या विद्यालय को मुरादाबाद जनपद के कांट क्षेत्र में भेजा जा रहा है और दीक्षा विद्यालय, मुरादाबाद के प्रांगण में पब्लिक लाइब्रेरी का भवन निर्माण किया जा रहा है। कांट क्षेत्र हिंसक घटनाओं का अड्डा है और सुविधा और सुरक्षा के नाम पर यह क्षेत्र शून्य है। यह दोनों विद्यालय लगभग दो दशक से मुरादाबाद मुख्यालय पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालयों को कांट क्षेत्र में भेजने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं तथा अध्यापिकाओं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा, इससे जनता में असंतोष व्याप्त है। समाचार-पत्रों में भी इसकी आलोचना हो रही है। एक पात्र दीक्षा विद्यालय मुरादाबाद शहर से एक निर्जन स्थान ले जाया जा रहा है। इससे बहुत सी छात्रायें प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रहेंगी। इस विद्यालय का मुरादाबाद से हटाकर कांट ले जाना महिलाओं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस रोष को रोकने के लिये और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये उक्त दोनों विद्यालयों को मुरादाबाद शहर मुख्यालय पर ही रहने दिया जाय ।]

सीतापुर नगर में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

[मान्यवर, जनपद सीतापुर में नगरपालिका द्वारा शौचालय योजना के अन्तर्गत सीतापुर शहर की बीच सड़कों पर टैंक बना दिये गये हैं और उसी से निकट पीने के पानी की पाइप लाइन भी वहीं से निकली है, इस समय जगह-जगह पर लीकेज हो गयी है, जिसके कारण गन्दा पानी, पेशाब पाखाना उसी पाइप लाइन के द्वारा घरों के नलों में पहुंच रहा है और इसी कारण पाइप लाइन भी चोक हो गयी है । जिससे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है । एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । इस समय साफ पानी पीने हेतु उपलब्ध नहीं है, बीमारी का भयंकर रूप धारण हो जाने की समस्या है, इस कारण जनता में बड़ा रोष व्याप्त है ।]

जनपद सहारनपुर (हरिद्वार सहित) में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ो रुपये के हुये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास--

[महोदय जनपद सहारनपुर (हरिद्वार सहित) में जब से वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है आज तक सौ करोड़ रुपया सरकारी खजाने का फूंक दिया गया, जिसको विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खा गये हैं । जनपद सहारनपुर (हरिद्वार सहित) में 13 अप्रैल, 1988 से 31 जनवरी, 1989 तक सामाजिक वानिकी विभाग, शिक्षा विभाग व भूमि संरक्षण विभाग द्वारा एक करोड़ पांच लाख 25 हजार पेड़ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तगत रोपित दिखाये गये हैं, जबकि यह आंकड़े एकदम फर्जी हैं । क्योंकि इस अवधि में दो हजार पेड़ों को छोड़कर कहीं कोई वृक्षारोपण किया ही नहीं गया, परन्तु इन पेड़ों के नाम पर पांच करोड़ रुपये जो व्यय दिखाया गया है, जिसे अधिकारी व कर्मचारी खा गये हैं ।

जनपद के रामपुर मनिहारान ब्लाक में तो ऐसे ग्राम भी दिखाये गये हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है । रामपुर, गंगोहनकुड़, ननौता ब्लाक के अनेकों ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुख तथा जनपद के कांग्रेस आई० के नेताओं ने भी ऐसी शिकायतें की हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि इस घोटाले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करायें] ।

जनपद आजमगढ़ में करवा मेहनगर मंगरावा विन्वा बाजार होते हुये लखनऊ व कानपुर तक रात्रि बस सेवा प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फागू चौहान--

[महोदय, जनपद आजमगढ़ में लखनऊ बलिया रोड जिला को दो हिस्सों में बांटती है । शहर आजमगढ़ से एक रोड गाजीपुर जाती है । आजमगढ़ जिले में शहर से होती अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हुई जितनी बसे कानपुर या लखनऊ को जाती हैं । वह सब आजमगढ़, गाजीपुर रोड से उत्तरी साइड के इलाके में जाती हैं । महमनपुर, बिन्दा बाजार लालगंज, ठेकमा, मेहनगर करवा होते हुए जो जिले का आधा दक्षिणी इलाका हैं । उसमें कोई बस नहीं जाती । जनता की मांग पर करवा, मेहनगर, मंगावा, बिन्दा बाजार, महमवपुर, कोचिला, खरिहा, शाहगंज होते हुए लखनऊ व कानपुर की रात्रि सेवा के बारे में अनुरोध किया गया परन्तु जनपद आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए यही जवाब मिला कि जनपद आजमगढ़ में लखनऊ व कानपुर के वास्ते बहुत सी बसें हैं । शहर आजमगढ़ के दक्षिणी साइड म एसी बसों के न चलने की वजह से जनता में काफी असंतोष व आक्रोष हैं ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि एक रात्रि सेवा बस जनपद आजमगढ़ में करवा, मेहनगर, मंगरावा बिन्दा बाजार होते हुए लखनऊ व कानपुर तक चलायी जाये ।]

उत्तर प्रदेश में नलकूप के मोटर के खरीद पर दिये जाने वाले टैक्स को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रधान प्रभू दयाल--

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान किसान को खेती हेतु नलकूप का मोटर 3 हार्स पावर से साढ़े 7-30 तक दिल्ली में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जब कि उत्तर प्रदेश में 13-20 प्रति सैकड़ा नलकूप का मोटर खरीदने के लिए देना पड़ता है जबकि अधिकतर किसान उत्तर प्रदेश में रहता है । दिल्ली से मोहन नगर (उत्तर प्रदेश) में आते ही उसको 40 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ता है और साथ ही साथ अपमानित भी होना पड़ता है ।

अतः उपरोक्त गंभीर बातों पर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूंगा कि उक्त विषय पर सरकार ध्यान देकर इस समस्या का निदान कराय और छुटकारा दिलाये ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के समदा से मुसहरा मार्ग पर पुरानी छोर राप्ती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

[महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र खेसरहा की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या सदन की संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

ग्राम मुसरहा विकास खंड साघा जनपद सिद्धार्थ नगर 1500 से अधिक आबादी का गांव है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस गांव को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक सड़क समवासे मुसहरा ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है जिस पर मिट्टी का काम पूरा होकर खड़जे का काम भी लगभग पूरा हो रहा है परन्तु ग्राम मुसहरा राप्ती नदी तथा पुरानी छोर राप्ती के बीच में बसा है । अतः जब तक पुरानी छोर राप्ती पर एक एक छोटे से पुल का निर्माण न कराया जाय तब तक यह गांव किसी भी तरफ से नहीं जोड़ा जा सकता ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि समदा मुसहरा मार्ग पर पुरानी छोर राप्ती के ऊपर एक छोटे से पुल का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जाय ।]

जनपद गाजियाबाद के लोनी कस्बे की जमीन पर से अनधिकृत कब्जे को हटाकर पात्र व्यक्तियों के नाम पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूं कि लोनी कस्बे में पुलिस एवं प्रशासन मिल कर लगभग 400 एकड़ कस्बे की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करा दिये हैं कुछ लोगों को ऐसे भी बसा दिया है । जो उत्तर प्रदेश के निवासी ही नहीं हैं फर्जी नसबन्दी कालोनियां बसा दी गयी हैं ।

अतः मेरी मांग है कि उपरोक्त की जांच दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये व टाउन एरिया लोनी के चेयरमैन से प्रस्ताव कराकर पात्र व्यक्तियों को नियमित पट्टे दे दिये जायं, जिससे कभी भविष्य में पुलिस प्रशासन में और जनता में टकराव न हो ।]

जनपद आजमगढ़ को अनऔद्योगिक जनपद घोषित करके उद्योग खोलने हेतु 50 प्रतिशत की छूट देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अति लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में आजमगढ़ एक बहुत ही बड़ा जिला है जहां की आबादी इस समय लगभग 32 लाख की हो गयी है । इस जनपद में 21 ब्लाक हैं । गत दिनों में आजमगढ़ का औद्योगिक केन्द्र मऊ को आजमगढ़ से अलग कर दिया गया जिसके फलस्वरूप एक भी उद्योग आजमगढ़ में नहीं रह गया । मात्र सहकारी चीनी मिल सठियांव को छोड़ कर यह भी मऊ जनपद की सीमा से मिली हुई है इसे भी मऊ में ही लिया जाना उचित होगा ।

अतः आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सठियांव चीनी मिल को मऊ में देते हुए आजमगढ़ जनपद को अनऔद्योगिक जनपद (नान इण्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट) घोषित किया जाये और उद्योग खोलने हेतु 50 प्रतिशत की छूट जनता को दिया जाय ताकि इस जनपद आजमगढ़ का विकास हो सके ।]

जनपद मथुरा के कोसी एवं छाता के बीच प्रस्तावित तारकोल फैक्ट्री को अन्यत्र लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी नारायण--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं । समस्या इस प्रकार है मेरे क्षेत्र

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छाता, जनपद मथुरा में अनेक तारकोल की फैक्टरियां कोसी एवं छाता के मध्य स्थापित की गयी हैं एवं लगाया जाना प्रस्तावित है । तारकोल फैक्टरियों से जो कि गांवों के बिल्कुल किनारे एवं जनसंख्या के मध्य हैं, से वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि आस-पास के ग्राम, गोंहारी, दौताना, अजीजपुर, चंदौरी, तूमौला, छाता एवं कोसी के नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । जिससे अनेक प्रकार के भयंकर रोग व्यक्तियों में फैल रहे हैं तथा गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं । अनेक शिकायतें की गयी हैं परन्तु प्रशासन आंख बन्द करके बैठा हुआ है । यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे भयंकर बीमारियों से ग्रसित होंगे जो कि समाज के लिए अभिशाप बन जायेगा ।

अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि उपरोक्त मेरी मांग को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपरोक्त क्षेत्र से तारकोल फैक्टरियों को अन्य लगाया जाय तथा नागरिकों के स्वास्थ्य का विशेष परीक्षण कराया जाय और भविष्य में उपरोक्त स्थान पर तारकोल फैक्ट्री के निर्माण पर रोक लगाया जाय ।

महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर नरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि इस समय पूरे प्रदेश में तमाम सन्तों के जन्म दिवस पर सार्वजनिक (राजपत्रित अथवा निर्बन्धित) अवकाश घोषित किये जाते हैं परन्तु महर्षि बाल्मीकि जो बहुत बड़े सन्त हुए हैं उनके जन्म दिवस पर जो शरद पूर्णिमा के दिन पड़ता है, सार्वजनिक (राजपत्रित या निर्बन्धित अवकाश) घोषित नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश मे महर्षि बाल्मीकि के अनुयायियों में काफी क्षोभ व्याप्त है । ऐसी स्थिति में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि जिस प्रकार अन्य तमाम सन्तों के जन्म दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये गये हैं उसी प्रकार महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिवस, शरद पूर्णिमा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाय ।]

जनपद हरदोई में अतरौली-सिधौलीमार्ग के बीच भटपुर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा—

[मान्यवर, जनपद हरदोई की पूर्वांचल सीमा के अतरौली तथा सीतापुर जनपद के सिधौली मार्ग को जोड़ने हेतु भटपुर घाट पर गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अतरौली-सिधौली मार्ग को जोड़ने से हरदोई, सीतापुर, लखनऊ जनपदों की सीमाओं का सीधा सम्पर्क हो सकेगा । कृषकों के लिए बाजार के रास्ते खुलेंगे, आवागमन तथा संचार के साधनों का उपयोग सुलभ हो सकेगा । बरसात में बाढ़ की विभीषिका से बचने व आने जाने के लिए मात्र नौका का सहारा ही अपेक्षित रहता है जिससे तमाम जन-धन की हानि होती है ।]

अतः आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतरौली-सिधौली मार्ग के बीच भटपुर घाट पर गोमती नदी में पुल बनाये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मुरादाबाद में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मुरादाबाद में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना के प्रबन्धक ओ0 पी0 विमल ने परियोजना जिस रजिस्ट्रेशन पर कराई है वह संस्था अवैधानिक है। साथ ही साथ परियोजना के उप केन्द्र कतई नहीं चलते हैं। वह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हैं विकास खंड मुरादाबाद के ग्राम जगतपुर का कार्यालय इन भ्रष्ट अड्डों का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। अनियमित तरीके से लोगों की नियुक्तियां प्रबन्धक ने पैसा लेकर की हैं। जिसको जब मन चाहा रख लिया और जब चाहा निकाल बाहर किया। परियोजना विधिवत् न चल पाने से क्षेत्र में कतई लाभ नहीं पहुंचा है जिससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मात्र ग्राण्ट हथियाने के लालच में उक्त प्रबंधक ने भ्रष्ट तरीके अपनाये हैं।

अतः आपसे मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर में महापालिका की लापरवाही से फैली भीषण गन्दगी को तुरन्त साफ कराने हेतु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल—

[महोदय, कानपुर महानगर में इस समय भीषण गंदगी से मलेरिया-फाइलेरिया डेंगू व पीलिया जैसे अनेक संक्रामक रोग फैल रहे हैं। कानपुर की आबादी 30 लाख के लगभग है लेकिन कानपुर नगर महापालिका की अफसरशाही प्रवृत्ति इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही है। यद्यपि सफाई कर्मियों, उपकरणों की कमी है लेकिन अधिकारियों में सामंजस्य न होने भ्रष्ट नीतियों के कारण व सफाई नायकों की लापरवाही के कारण महानगर की सफाई व्यवस्था कतई लचर हो गयी है। कानपुर नगर महापालिका के अधिकारियों में कमीशन बाजी चरम सीमा पर फैली है। जो भी सामान खरीदा जाता है वह कमीशन के चक्कर में समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि झाड़ू, पंजा, कूड़ागाड़ी वगैरह उपकरणों की खरीद मात्र फाइलों पर ही होती है। इससे सफाई नायकों को सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के गंभीर विषय की ओर ध्यान दिलाते हुये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

जिला उन्नाव के रिकार्ड आपरेशन के ए0 आर0 ओ0 बड़े बाबू तथा नवनियुक्त नायब तहसीलदार द्वारा की गई अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, उन्नाव रिकार्ड आपरेशन के ए0 आर0 ओ0 ने रिटायर होने के बाद अपना छः माह का कार्यकाल बढ़वाकर अपने स्तर से ही एक नायब तहसीलदार की

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियुक्ति उन्नाव जिला अधिकारी के बगैर कर दी, जबकि वहां पहले से ही दूसरे नायब तहसीलदार विधिवत तौर पर नियुक्त हैं और कार्यभार देख रहे हैं। रिकार्ड आपरेशन में ए0 आर0 ओ0 ने जिस नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है उसकी नियुक्ति पहले से ही शासन ने जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में कर रखी है। ए0 आर0 ओ0 व बड़े बाबू तथा नव-नियुक्त नायब तहसीलदार ने भ्रष्ट कारनामें शुरू कर दिये हैं, जिससे जनता में काफी असंतोष आक्रोश फैल रहा है। इसके पहले नव-नियुक्त नायब तहसीलदार घपले एवं घांधली में निलम्बित किये जा चुके हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान देते हुए ए0 आर0 ओ0 बड़े बाबू व नव-नियुक्त नायब तहसीलदार (श्री जमील अहमद) के कार्य कलापों की जांच कराने का कष्ट करें।]

शारदा सहायक पोषक नहर में लाइनिंग हेतु ठेकेदारों को किये गये कार्य में हो रही क्षति की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[महोदय, वर्ष 1987 में शारदा सहायक पोषक नहर में शासन ने लाइनिंग हेतु निविदा आमंत्रित की। मेसर्स एफ0 सी0 सी0 को 70 करोड़ में यह कार्य दिया गया। परन्तु उक्त फर्म द्वारा कार्य न करवाये जाने के कारण छोटे-छोटे ठेकेदारों को यह कार्य दिया गया। छोटे ठेकेदारों की निविदायें 54 करोड़ की थी और वे अब समय से संतोषजनक कार्य पूरा करते रहे हैं। इस वर्ष कुछ विभागीय अधिकारियों ने सांठ-गांठ करके मेसर्स एफ0 सी0 सी0 को पुराने रेट पर 4 प्रतिशत महंगाई देकर फिर कार्य करने की अनुमति दे दी। छोटे ठेकेदारों द्वारा मेसर्स एफ0 सी0 सी0 के मुकाबले 16 करोड़ रुपये कम पर कार्य दिया जा रहा है। मेसर्स एफ0 सी0 सी0 द्वारा कार्य किये जाने पर शासन को 16 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। इसमें सिंचाई विभाग के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है और चर्चा का विषय है कि 16 करोड़ रुपया अधिकारियों एवं मेसर्स एफ0 सी0 सी0 नाजायज तौर से हजम करने जा रहे हैं।

अतः मैं इस अविलंबनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि शासन को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर प्रभावी कार्यवाही की जाय।]

जनपद आजमगढ़ के ग्रामोद्योग अधिकारी की अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव--

महोदय, जनपद आजमगढ़ में ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में सैकड़ों गरीब मजदूर किसान और सैकड़ों काश्तकारों के कुम्हारी उद्योग, खिलौना, चर्मशिल्प, चर्म शोधन, काष्ठ कला आदि उद्योग के नाम पर फर्जी ऋण दिया जाना दिखाकर ऋण राशि प्रतिवर्ष हड़प की गयी है। साथ ही जनपद आजमगढ़ के सैकड़ों लघु उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि प्रतिवर्ष

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भुगतान करके हड़प ली गयी है और इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 20,00,000 रु0 (बीस लाख रुपये) का घपला किया गया है ।

संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वाराणसी मंडल, वाराणसी के आदेश दिनांक 7 मई, 1987 के अनुपालन में जांच करायी गयी और जांच आख्या जिसमें मामले सही पाये गये हैं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को भेजी गयी । पर आजतक कोई प्रभावी कार्यवाही दोषी लोगों के विरुद्ध नहीं की गयी और न ही ऐसे लोग, जिनके नाम पर फर्जी ऋण निकाला गया है, उनकी ऋण वसूली रोकी गयी । इससे जनपद आजमगढ़ के लघु उद्यमियों, प्रभावित मजदूरों और किसानों में बेहद रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

मैं चाहता हूं कि ग्रामोद्योग अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा की गयी इन कारगुजारियों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायी जाय, अनुदान की राशि को पात्रों में वितरित कराया जाय तथा ऐसे सैकड़ों लोग जिनके नाम पर फर्जी ऋण निकाल कर हड़पा गया है, की ऋण वसूली तत्काल रोकी जाय ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए इस मामले पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत स्टोर कीपरों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत स्टोर कीपरों से अपने पद पर रहते हुए भी कई वर्षों से स्टोर कीपर का काम नहीं लिया जा रहा है । वित्तीय हस्त पुस्तिका में स्टोर कीपर का काम तय है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा सभी विभागों में गैर तकनीकी व्यक्तियों को भी स्टोर कीपर बनाया गया है, परन्तु सा0 नि0 वि0 ने कार्य से हटा दिया । वह बिना कार्य के वेतन पा रहे हैं । दूसरे लोवर डिवीजन क्लर्क के समकक्ष पद पर नियुक्त होकर इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं जबकि लोवर डिवीजन क्लर्क को बड़े बाबू तक पहुंचने का अवसर है ।

अतः मेरी मांग है कि सा0 नि0 वि0 के कार्यरत स्टोर कीपरों को स्टोर का प्रभारी बनाया जाय तथा लोवर डिवीजन क्लर्क की भांति इन्हें अपर डिवीजन क्लर्क तथा बड़े बाबू तक की प्रोन्नति दी जाय ।]

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम भैसाखरहा के प्रधान को फर्जी पत्र के आधार पर निलम्बित किये जाने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्रामसभा भैसाखरहा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल के फर्जी पत्र सं0 427-20/21--215-87-88, दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । उक्त ग्राम सभा भैसाखरहा के नव निर्वाचित प्रधान भू0 पू0 प्रधान के जालसाजी के कार्यों, ग्रामसभा की सम्पत्ति को फर्जी पट्टा कराने, फर्जी कार्यवाही दर्ज कराने, ग्रामसभा की सम्पत्ति को स्वयं हड़पने, ग्रामसभा के रजिस्टर में सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दर्ज कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर मू0 पू0 प्रधान ने अपनी गोल के राजबली द्वारा नये प्रधान के विरुद्ध आयुक्त महोदय गोरखपुर के नाम प्रार्थना-पत्र तयार करके, आयुक्त महोदय का उक्त फर्जी आदेश तैयार करके उनकी फर्जी मोहर लगाकर परगाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर परगनाधिकारी ने नवनिर्वाचित प्रधान को 14 दिसम्बर, 1988 को निलम्बित कर दिया है और वास्तविकता की जानकारी होने पर भी नवनिर्वाचित प्रधान अब भी निलम्बित हैं जिससे ग्रामसभा तथा देहात की जनता में बहुत ही क्षोभ एवं असन्तोष पैदा हो गया है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त जालसाजी के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रशासक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश कुमार पाठक--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1983 में श्री राम सिंह उक्त बैंक (फतेहपुर जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर) के प्रशासक नियुक्त किये गये थे । अपने प्रशासकीय कार्यकाल के दौरान स्टेशनरी तथा लड़कों को नौकरी देने आदि के नाम लाखों रुपया हड़पने जिसकी शिकायत समय समय पर की जाती रही है, परन्तु उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी । श्री राम सिंह ने 1986-87 में नेचुरल केलेजिलिटी फण्ड सृजन किया और उक्त वर्ष के लाभ में से एक लाख रुपया इस फण्ड के नाम जमा किया जिसमें से दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 को 80,000 रुपये का गेहूं का बीज समितियों के सदस्यों को मुफ्त में वितरण दिखाकर पूरा रुपया स्वयं हड़प गये जबकि बैंक के अभिलेखों में उक्त गेहूं के वितरण सम्बन्धी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । जिसे 1987-88 के आडिट रिपोर्ट की आपत्तियों को भी दिखाया गया है । इसी तरह से बिना विभागीय स्वीकृति के लाखों रुपये की स्टेशनरी खरीदना दिखाया गया है और उक्त रुपये को भी खामोश प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के माध्यम से पूर्व प्रशासक ने आपस में बांट लिया है इसी तरह से अन्य भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व प्रशासक के विरुद्ध समय-समय पर लगाये गये हैं ।

अतः सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करा कर पूर्व प्रशासक श्री राम सिंह के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 68 की कार्यवाही करने का आदेश पारित करने की कृपा करें ।]

उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा मनमानी व धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह--

[मान्यवर, उच्च शिक्षा निदेशक की मनमानी व धांधली से प्रदेश के प्राध्यापकों में भारी रोष है । मेरठ व कानपुर विश्वविद्यालयों आदि के प्राध्यापक आन्दोलनरत हैं ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कानपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी है। चयन तथा पुनरीक्षित वेतनमानों के निर्धारण में लेखाधिकारी के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतों पर लेखाधिकारी का स्थानान्तरण तो हो गया किन्तु निदेशक उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं।

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू होने से महाविद्यालयों में कार्यभार बढ़ गया है। प्रवक्ताओं के पदों के सृजन में मनमानी से सैकड़ों महाविद्यालयों का शिक्षण कार्य पंगु हो गया है। 25 लाख का अनुदान प्रवक्ताओं के पद सृजन हेतु आवंटित किया गया किन्तु अधिकांश पद कर्मचारियों के सृजित कर दिये गये। नयार घाटी योजना का घोटाला प्रकाश में आ चुका है। निदेशालय के बजट विभाग में आग लगाकर महत्वपूर्ण रेकार्ड नष्ट कर दिये गये। निदेशक निदेशालय में 6 माह में कुल 55 दिन ही बैठे। निदेशक ने यात्रा भत्ता में रिकार्ड खर्च किया। सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। निदेशालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। स्थिति बिगड़ती जा रही है और विस्फोटक बन चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

फैजाबाद रोड लखनऊ पर स्थित रवीन्द्र पल्ली योजना के निवासियों से महापालिका द्वारा अवैध भवन कर वसूलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्र सेन—

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। महानगर लखनऊ में लखनऊ-फैजाबाद रोड पर इन्दिरा नगर के विपरीत रवीन्द्र पल्ली आवासीय कालोनी स्थित है। इस कालोनी का विकास एवं निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन रवीन्द्र सहकारी आवास समिति द्वारा ही किया गया है। इसकी सड़क प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था आज तक उक्त समिति ही करती है और नगर पालिका, लखनऊ ने आज तक अपने यहां से प्रदत्त की जाने वाली सभी सुविधाओं से उक्त कालोनी को वंचित कर रखा है। कुछ समय महापालिका ने उपरोक्त कार्यों का ग्रहण किये बगैर कोई अधिसूचना जारी करके उक्त कालोनी निवासियों से भवन कर वसूलना शुरू कर दिया है जो सिद्धान्ततः अवैध एवं अनियमित है। अतएव, इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नवयुग कन्या इन्टर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फूल सिंह सौदाई—

[मैं आपका ध्यान नवयुग कन्या इन्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकर्षित करते हुये शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं। श्रीमती शान्ति ठाकुर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नवयुग कन्या इन्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में कार्यरत थीं, की सेवा पुस्तिका में उल्लिखित जन्म तिथि 9 नवम्बर, 1938 को

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिटाकर 8 नवम्बर, 1938 कर दिया गया है एवं प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें 10 वर्ष पूर्व ही सेवा निवृत्त कर दिया गया। प्रार्थिनी के सम्बन्ध में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, षष्ट मण्डल, लखनऊ ने एक्सपर्ट से जांच कराकर अपने पत्र सं0 आशु0 लि0 7096-7101/1988-89, दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 द्वारा निम्नलिखित संस्तुति की थी :--

1--प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत आदेशों को निष्प्रभावी घोषित किया जाये।

2--श्रीमती ठाकुर की सेवा पुस्तिका में मूल रूप में अंकित जन्म तिथि 9 नवम्बर, 1938 ठीक जन्म तिथि घोषित किया जाता है।

3--श्रीमती ठाकुर पूर्ववत विद्यालय में कार्यरत रहेंगी। यदि उन्हें सेवा निवृत किया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।]

4--जालसाजी द्वारा श्रीमती ठाकुर के जन्म 9 नवम्बर, 1938 को मिटाकर 8 नवम्बर, 1938 करने वाले अपराधी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त संस्तुति को प्रधानाचार्य द्वारा नजरन्दाज करके प्रार्थिनी को सेवा निवृत कर दिया गया।]

कर अधीक्षक महापालिका सहायक कर अधीक्षक की प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मरगूब अहमद खां--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1966 में प्रभावी नियम जो कि 3 मई, 1983 के पूर्व में यथा स्थित में रहे हैं उनके अनुसार प्रशासनिक प्रवर एवं अवर सेवा के अन्तर्गत नियमावली में निहित अधिकारियों के श्रेणी के अनुसार क्रमशः पदोन्नतियां की जाती थीं और कर अधीक्षक महापालिका, उप नगर अधिकारी के पद पर प्रोन्नत होते थे। निम्न पद से उच्च पद पर प्रोन्नति इस नियमावली के अन्तर्गत होती थी। इस नियमावली 1966 में 3 मई, 1983 से संशोधन लाया गया और राजस्व सेवा व प्रशासनिक सेवायें गठित की गयीं। शासन ने केवल 24 अधिकारियों के विकल्प लेकर सहायक कर अधीक्षक से अधिशासी अधिकारी बनाया जब कि नियमानुसार स्थिति यह थी कि मई, 1983 के पूर्व में नियुक्त सभी अधिकारियों से विकल्प लेकर सेवा वर्गों में रखा जाता, क्योंकि ऐसे पद प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। निदेशक, स्थानीय निकाय ने 3 जून, 1988 को अपना पत्र शासन को नियमानुसार स्थिति बताने के लिये भेजा, किन्तु नियमानुसार स्थिति नहीं मानी जा रही है। अतः इस सूचना के अनुसार निवेदन है कि मई, 1983 से पूर्व नियुक्त समस्त कर अधीक्षक/सहायक कर अधीक्षक से भी विकल्प लेकर उन्हें पूर्व अनुसार प्रशासनिक सेवा में मान कर प्रोन्नति कराई जाये अभारी हूंगा।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेतु निगम व निर्माण निगम में भेजे गये अधिकारियों को विशेष वेतन मिलने पर अन्य अधिकारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महमूदुल हसन अन्सारी--

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण सूचना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेतु निगम व निर्माण निगम में

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारी 5 वर्ष के लिये या विशेष वेतन पर लिये जाते हैं और अगर कोई अधिकारी 5 वर्ष से अधिक रहता है, तो विशेष वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इससे यह भी मन्सा होती है कि बारी-बारी से अधिकारी आ सके और अपना योगदान देकर सुचारु रूप से विभाग में फिर से वापस आकर अपनी पद्धति में सुधार ला सके। सार्वजनिक निर्माण विभाग में से जो अधिकारी शुरू में उक्त दोनों निगमों में गये थे वे अभी तक उन निगमों में हैं। अतः उक्त निगमों में उन अधिकारियों ने अपनी जड़ मजबूत कर ली हैं और विदेश में खराब काम होने पर और प्रदेश के कामों में अनियमितायें पकड़े जाने पर भी उक्त निगमों में उन अधिकारियों को उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और विशेष वेतन का लाभ भी दिया जाता है जिससे वरिष्ठ अधिकारियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त हो गया है। कृपया इसे दूर करने के अति कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थ नगर के सिपरापार गांव से लखनपारा तक के बांध के निर्माण को पूरा कराने तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तहत गेहूं वितरण में किये गये घोटाले में कार्यवाही करने के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव--

[माननीय महोदय, जनपद सिद्धार्थ नगर में बदोला लखनपारा बांध बनाया जा रहा है। इसमें आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तहत करोड़ों रुपया भुगतान हो चुका है जिसमें काफी मात्रा में गेहूं में घोटाला किया गया है। इन घोटालों के कारण ही बांध अपूर्ण है। अप्रैल 1987 में ड्रेनेज उप खंड, बर्डपुर के अभियन्ता ने डी0 सी0 एफ0, नौगढ़ के सेल्समैन से मिलकर हजारों कुन्तल गेहूं को बाजार में बेच डाला, 29 मई, 1989 को लगभग 10 लाख रुपये के खाद्यान्न की गड़बड़ी की रिपोर्ट तेतरी बाजार थाने में हुयी। मार्च, 1989 में मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती ने कृषि उत्पादन आयुक्त लखनऊ, सचिव, ग्राम्य विकास को 70 लाख रुपये के खाद्यान्न के गड़बड़ी के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु लिखा है। इस तरह लाखों रुपये के खाद्यान्न को बाजारों में बेचा गया और बांध भी सिपरापार गांव और लखनपारा के बीच में अधूरा रह गया। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सिपरापारा से लखनपारा तक बन्धे के गैप को पूरा करावे और खाद्यान्न में हो गयी गड़बड़ी में दोषी व्यक्तियों को सजा दिलावें।]

सरकार द्वारा सीधे भर्ती वाले स्थायी पुलिस उपाधिक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

[मान्यवर, दिनांक 4 नवम्बर, 1988 को माननीय उच्चतर न्यायालय के आदेशों के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक सीधी भर्ती वाले स्थायी पुलिस उपाधीक्षकों को प्रोन्नत नहीं किया जा रहा है जबकि प्रदेश में लगभग पुलिस अधीक्षक के 60 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पुलिस उपाधीक्षकों को जानबूझ कर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं कुछ अपर पुलिस अधीक्षकों को नुकसान पहुंचाने की नियत

नोट --[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से उन्हें पदावनति कर दिया गया। जिससे इन पुलिस अधिकारियों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। शासन तथा पुलिस विभाग इन पुलिस अधिकारियों को जानबूझ कर मुकदमेबाजी में फंसाना चाहती है ताकि यह पुलिस अधिकारी अपना कार्य न कर सकें। इन उक्त कारणों से पुलिस विभाग में व्यापक रूप से असंतोष बढ़ता जा रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर पदावनति किये गये अपर पुलिस अधीक्षक को तथा पुलिस अधीक्षकों को प्रोन्नत किये जाने की शासन से मांग करता हूं।]

प्रदेश के गांधी आश्रम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं में की जा रही अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हर्ष वर्धन—

[मान्यवर, प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी/वेतन सुनिचित किये गये हैं। इन कानूनों को नजरंदाज करते हुये प्रदेश में श्री गांधी आश्रम में कार्यरत लगभग 25 हजार कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन न देकर उनका व्यापक शोषण सेवायोजकों द्वारा किया जा रहा है। सम्बन्धित कर्मचारियों का मूल वेतन आज भी 125·00 रुपया प्रतिमाह है, साथ ही इन कर्मचारियों को सेवायोजकों द्वारा कोई सेवापुस्तिका भी नहीं दी जाती है तथा इनकी सेवा शर्तें आदि भी नहीं निश्चित हैं। इसके साथ ही इनके प्रावीडेंट फण्ड का हिसाब रखने में व्यापक अनियमितायें की जाती हैं तथा उसकी कोई जानकारी इन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। सेवायोजकों द्वारा किये जा रहे शोषण के चलते श्री गांधी आश्रम के लगभग 25 हजार कर्मचारियों में व्यापक क्षोभ, हताशा एवं संत्रास व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फर्रुखाबाद से घटियाघाट जरीनपुर मार्ग तक प्राइवेट बसों का आना जाना रोकने से जनता में फैले असंतोष को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद से बदायूं जाने वाले मार्ग पर फर्रुखाबाद से जरीनपुर के लिए लगभग 15 प्राइवेट बसों से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति यात्रा करते हैं। फर्रुखाबाद से बदायूं, फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद से बरेली या हरदोई और सीतापुर आदि स्थानों को आने जाने के लिए गंगा नदी पर बने एक मात्र पुल घटियाघाट से होकर ही गुजरना पड़ता है। फर्रुखाबाद से घटियाघाट की दूरी लगभग 6 किमी0 है और परिवहन विभाग द्वारा उक्त दूरी का मार्ग राष्ट्रीयकृत है ऐसी स्थिति में फर्रुखाबाद से जरीनपुर व बदायूं जाने वाले अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर भी घटियाघाट होकर ही वाहनों को जाना पड़ता है क्योंकि अन्य कहीं पर गंगा नदी को पार करने हेतु पुल

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि नहीं हैं । इसके अतिरिक्त भी फर्रुखाबाद से जरौनपुर तक बीच म कोई भी पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प नहीं हैं ऐसी स्थिति में बाध्य होकर प्राइवेट बसों को डीजल व पेट्रोल लेने हेतु फर्रुखाबाद आना ही पड़ता हैं । किन्तु परिवहन विभाग ने एक अत्यंत अव्यावहारिक आदेश जारी कर फर्रुखाबाद से घटिया घाट जमापुर तक 7 किमी0 के मार्ग पर राष्ट्रीयकृत मार्ग का बहाना लेकर प्राइवेट बसों का आना-जाना रोक दिया हैं जिससे तपती दोपहरी व ठिठुरन भरी सर्दी और वर्षा में हजारों स्त्री पुरुषों और बालकों को फर्रुखाबाद से जमापुर तक के सात किमी0 लम्बे रास्ते को पैदल ही तय करने के लिए बाध्य होना पड़ता हैं क्योंकि जमापुर से फर्रुखाबाद तक कोई अन्य सवारी मिलती नहीं हैं इसी प्रकार फर्रुखाबाद से जमापुर तक आने-जाने के लिए भी कोई रिक्शा तांगा तैयार नहीं होते हैं । यही नहीं बसों को डीजल आदि लेने की भी भारी कठिनाई हैं और इस हेतु आने जाने के लिए भी जमापुर से फर्रुखाबाद तक एक मात्र मार्ग यही हैं ।

इस आदेश के कारण क्षेत्रीय जनता को महान कष्ट हैं और स्थिति अत्यंत विस्फोटक हैं । इससे स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो रही है । इस प्रतिबन्ध को जनहित में समाप्त करना अपरिहार्य हैं । अतः लोकमहत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं ।]

जनपद गाजीपुर, मुहल्ला मियांपुर में स्थित मकान नं0 88 (पुराना) को नीलामी को रद्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई--

[महोदय, जनपद गाजीपुर में मुहल्ला मियांपुरा में स्थित मकान नं0 88 (पुराना) जो कि वक्फ शाह मुनीर आलम (नं0 100) गाजीपुर में वक्फ हैं, को जिलाधिकारी ने 25 मार्च, 1989 को एक रुपये में सरकार के पक्ष में नीलाम कर दिया है । वक्फ के मुतवल्ली श्री शाह हबीब आलम पुत्र शाह अजीज आलम ने जिलाधिकारी को 25 मार्च, 1989 को तथा इसी सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड ने 13 फरवरी, 1989 को सूचित किया कि यह वक्फ की सम्पत्ति हैं तथा नीलाम नहीं की जा सकती । परन्तु फिर भी गैर-कानूनी तौर से इस मकान को जिले के अधिकारियों को नीलाम कर दिया ।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर माननीय अध्यक्ष जी से अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस नाजायज नीलामी को रद्द करते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करें ।]

प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी के प्रशिक्षणार्थी को सेवायोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश की राजकीय पालीटेक्निकों म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंस पाठ्यक्रम वर्ष 1986 से संचालित कर रही हैं यह पाठयक्रम वित्त विभाग की संस्तुतियों पर प्रारम्भ हुआ हैं ।

इस पाठयक्रम पर शासन का लाखों रुपया व्यय हो रहा हैं किन्तु इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों में से एक को भी सेवायोजन प्रदान नहीं किया गया है जबकि प्रति प्रशिक्षणार्थी पर लगभग 18,000 रुपया प्रति वर्ष व्यय आ रहा हैं । प्रशिक्षित डिप्लोमा धारकों में तीव्र रोष व्याप्त हैं और वे आन्दोलन पर उतारू हैं ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं ।]

अपर निदेशक (पर्वतीय क्षेत्र) पशुपालन विभाग गोपेश्वर चमोली द्वारा पशुधन प्रसार निरीक्षक के पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी--

[माननीय अध्यक्ष जी, डा0 वेद प्रकाश गुप्ता, अपर निदेशक (पर्वतीय क्षेत्र) पशुपालन विभाग, गोपेश्वर चमोली के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में बी0एस-सी0 (एजी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक माह का अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर पशुधन प्रसार निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाये ।

डिप्लोमा पशु-चिकित्सा संघ (पर्वतीय क्षेत्र) द्वारा माननीय श्री गुलाब सिंह पर्वतीय विकास मंत्री को सम्बोधित अपने पत्र में उक्त प्रस्ताव का विरोध किया गया है क्योंकि उक्त पद की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट बायलोजी/कृषि है तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान व पशुपालन विज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा है । उक्त प्रस्ताव के लागू हो जाने से जहां एक ओर विभाग का तकनीकी स्वरूप नष्ट हो जायेगा तथा गैर तकनीकी कर्मचारी द्वारा पशु-चिकित्सा का कार्य करने पर पशुओं के प्राण संकट में पड़ जायेंगे वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी कालेज में एग्रीकल्चर विषय न होने के कारण पहाड़ के बेरोजगार युवकों के हित प्रभावित होंगे । इससे इस बात की भी आशंका है कि पर्वतीय क्षेत्र में अपर निदेशक द्वारा अपने चहेतों को एकमुश्त नौकरी देने की साजिश की जा रही है जैसा कि इससे पूर्व भी वे चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के पदों पर मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर चुके हैं ।

इस स्थिति को लेकर सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में अत्यंत क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि--

उक्त अव्यवहारिक प्रस्ताव को तुरन्त निरस्त किया जाय । रिक्तियों की पूर्ति हेतु पर्वतीय क्षेत्र के 150-150 प्रशिक्षार्थियों के दो विशेष सत्र पशुलोक (ऋषिकेश) में चलाये जायें जैसा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एच0 एन0 बहुगुणा द्वारा निर्धारित नीति के तहत वर्ष 1976-78 में पर्वतीय क्षेत्र का एक विशेष सत्र चलाया गया था ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम लड़वा में बिजली के तार टूटने से फसलों को हुई क्षति पूर्ति किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन के संज्ञान में एक लोक महत्व के विषय को लाकर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के किसान श्री राजीव पुत्र श्री बलराम, निवासी ग्राम लड़वा की फसल 19 सितम्बर, 1985 को विद्युत् तार टूटने से नष्ट हो गई थी। इसी प्रकार श्री नाहर सिंह व समय सिंह पुत्रगण घासी, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर राय सिंह की गन्ने की फसल दिनांक 5 मार्च, 1989 को बिजली के तार से आग लगने से नष्ट हो गई थी। इस सम्बन्ध में बार-बार माननीय मंत्री को लिखा गया। अब पुनः दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को माननीय श्रीमती रीता कुमारी, उप मंत्री जी को माननीय विधायक हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा लिखा गया परन्तु अब तक किसानों को उनको क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान नहीं हो सका है। जिससे किसानों में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में इस किसान हित के विषय को लाकर तत्काल उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा क्षतिग्रस्त किसान राजीव पुत्र बलराम तथा नाहर सिंह व समय सिंह पुत्र घासी को मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ में अवैध शराब के धन्धे के पकड़े गये मामलों की सी0 आई0 डी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा--

[मान्यवर, आपके और शासन के संज्ञान में राजधानी लखनऊ के अन्तर्गत चल रहे शराब के धंधे में भ्रष्टाचार और जहरीली शराब की उमड़ती हुई काली छाया को लाना चाहता हूं। अभी स्प्रिट के थोक विक्रेता लालता प्रसाद वैश्य के पुराना किला स्थित गोदाम से 42 ड्रम स्प्रिट, जिसमें मिथायल अलकोहल मिला था पकड़े गये पर आबकारी निरीक्षक श्री गुलाब सिंह ने भारी रकम लेकर इसे समाप्त कर दिया। यहीं अवैध शराब का एक कारखाना पकड़ा गया और इस मामले को भी पैसा लेकर दबा दिया। यही नहीं इसी वर्ष शराब की नीलामी में एक ठेकेदार शिव प्रसाद जायसवाल से इसने 20 लाख रुपये और एक मारुतिकार स्वयं ली तथा एक कार अपने अधिकारी शर्मा को दिलाई। हैवलक रोड स्थित देशी शराब की दुकान से पांच हजार मसालेदार शराब को पकड़े और मामला यों ही छोड़ दिया।

यह निरीक्षक पहले से ही बहुत भ्रष्ट है वर्ष 1988-89 में गोरखपुर की तैनाती के समय बद्रीप्रसाद जायसवाल ठेकेदार को 20 लाख रुपये रिश्वत लेकर एक करोड़ रुपये कम पर ठेका दिलाया और बाद में जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो भारी रकम लेकर कोर्ट में वांछित पत्रजात जमा न करके मामले को निरस्त करा दिया।

सम्पूर्ण मामलों की सी0 आई0 डी0 या विजीलेंस से जांचकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रशस्त कराने की कृपा करें।]

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील के एस0 डी0 एम0 सदर द्वारा चकबन्दी में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के सदर तहसील में ग्राम बिशुनपुर सारा है जहां पर चकबन्दी प्रक्रिया के चलते गांव सभा की भूमि को एस0 डी0 एम0 सदर श्री भगेलू राम ने अवैध रूप से अपने निजी फायदे के लिये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भूमि

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नं0 511, 583, 672, 705, 231, 335, आदि नम्बरान को दिनांक 18 जुलाई, 1988 को हस्तान्तरण कर दिया और उसके एवज में उन लोगों से अपने सगे साले के नाम दिनांक 13 मई, 1988 को अबुसराय की भूमि नं0 164 जो बाईपास के पास है। लाखों रुपये की है। बेनामा कम कीमत में लिखा गया। इसी प्रकार ग्राम देवई में चकबन्दी चलते हैं। दिनांक 20 जनवरी, 1989 को भूमि0 नं0 2109 जो ईदगाह तथा उससे सम्बन्धित भूमि है। ईद के समय मेला लगता है उसे हस्तान्तरण कर दिया इसी के साथ-साथ भू0 2044, 2155, 2158, 2159, 2160, 2161, आदि शामिल है। ईदगाह की जमीन हस्तान्तरण करने से दंगा फैलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ग्राम सोहावल की भूमि नं0 247 मी एक गरीब नाई का मकान था उससे दूसरे को पट्टा दे दिया, स्थिति विस्फोटक हो चुकी है।

मान्यवर, सम्बन्धित अधिकारी का जनपद से स्थान्तान्तरण कर सी0 बी0 आई0 अथवा चेयरमैन, राजस्व परिषद् से जांच करायी जाय।]

जनपद बदायूं के क्षेत्र दातागंज में राम गंगा नदी के किनारे बसे नगरिया, खून, कुडरा, मझरा आदि गांवों में ऊंगी डाट घास को नष्ट करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज में राम गंगा नदी के किनारे के लगभग 100 गांव नगरिया खुनू, कुडरा, मझरा, बेलाडाडी शेरपुर, नवाबावदन, मौजमपुर, लालपुर खादर, हररामपुर, सुन्दरपुर, अजरतपुर, चितरी, माऊनगला, लमारी आदि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि में एक विशेष प्रकार की घास, जिसे कि डाट कहते हैं, उग आई है, जिसके कारण वहां की उपजाऊ भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है। इस क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि ये लोग अपने स्तर से इस घास को सफाई नहीं करा पाते हैं तथा इस उपजाऊ भूमि में फसल लेने से वंचित रह जाते हैं। इस पिछले क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीविका का साधन नहीं है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में डाट घास को नष्ट करने के लिए वहां के कृषकों को शीघ्र अनुदान अथवा तकावी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।]

जनपद बाराबंकी के ग्राम बुधनाई, थाना कोठी के निवासी श्री नवमी लाल द्वारा अपराधिक कार्य किये जाने पर सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बाराबंकी के ग्राम बुधनाई, थाना कोठी, निवासी श्री नवमी लाल की अपराधिक गतिविधियों तथा पुलिस विभाग द्वारा उसे संरक्षण दिये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री नवमी लाल एक शातिर बदमाश है कि जो अवध राम के साथ मौके पर पकड़ा गया और उसके विरुद्ध अपराध सं0 21/78, धारा 457, धारा 380 एवं धारा 411 आई0 पी0 सी0 दर्ज है फिर भी उसे पुलिस में वर्कवार्ज रसोइये पद पर कार्यरत है, जिसका नाजायज फायदा उठा

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर गांव के भोले-भाले व्यक्तियों को उत्पीड़ित किया करता है जिसकी तमाम शिकायते जिला स्तर पर तथा शासन स्तर पर एवं माननीय गृह मंत्री जी को दिनांक 27 अप्रैल, 1987 को की जा चुकी है। उक्त नवमी लाल 7 जनवरी, 1978 को थाना कोतवाली में पकड़ा गया था और उसके पास चोरी एवं लूट का माल बरामद हुआ है। कई महीने तक जेल में भी रहा फिर भी उसे पुलिस मेंत सेवा में से निकाला नहीं गया है, जो अनियमित कार्य किया गया है। कृपया इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करके उसे सेवा से हटाने के आदेश देने एवं उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में बाह नदी पर पुलिस निर्माण तथा पक्का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर--

[महोदय, मुरादाबाद जिले के ब्लाक धनौरा के पपसरी, देवीपुरा, रसूलपुर, मुबारमपुर आदि गांव बाह नदी के कारण जिले के शेष भाग से साल में कई माह अलग-अलग रहने के लिये मजबूर होते हैं। उक्त नदी पर पुल न होने के कारण आवागमन बन्द हो जाता है। उक्त क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है पहाड़ पर गांव के पास 30 मीटर से लम्बा पुल स्टेट सेक्टर में बनाना आवश्यक है। सा0 नि0 वि0 द्वारा पूर्व में सर्वेक्षण भी हो चुका है। पुल स्थल के लिये पक्का मार्ग धनौरा से पहाड़पुर बनाना आवश्यक है। कच्चा मार्ग बन चुका है किन्तु लगभग 8 कि0 मी0 लेपन स्तर कार्य शेष है। हरिजन बाहुल्य क्षेत्र, हजारों व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकता एवं संरक्षण की दृष्टि से, मैं श्रीमन्, सदन के माध्यम से बाह नदी पर शीघ्र पुल बनाये जाने तथा पुल स्थल तक तुरन्त पक्का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर की नगरपालिका सिसवा की पोखरी मसजिदिया टोला तथा रामलीला ग्राउन्ड आदि स्थानों के बेचे जाने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं। नगरपालिका सिसवा की पोखरी मसजिदिया टोला तथा रामलीला ग्राउण्ड आदि सार्वजनिक स्थानों को भूतपूर्व जमींदार बेचने की साजिश कर रहा है जिससे नगरपालिका को लाखों रुपये की क्षति होने की सम्भावना है। जमींदार का कोई हक नहीं है और यह कार्य गैरकानूनी होगा। अतः इसे सदन के संज्ञान में उपस्थित सरकार द्वारा किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद में हेराफेरी के विरुद्ध कार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[मान्यवर, प्रदेश में आयुर्वेद दवाओं की खरीद में व्यापक हेरा-फेरी की जा रही है दवाओं की खरीद हेतु आवश्यक औपचारिकता पूरी करने के पश्चात् रेट कांट्रेक्ट के

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत स्वीकृत कम्पनियों से दवा खरीदने के स्थान पर गत 28 मार्च से 31 मार्च, 1989 की अवधि के बीच में लगभग 35 लाख रुपये की दवाइयां बाहर के कम्पनियों से खरीदी गयी। ज्ञातव्य रहे कि स्वास्थ्य निदेशक द्वारा लगभग 22 लाख रुपये की आयुर्वेदिक दवायें तथा आयुर्वेद निदेशक द्वारा लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की दवाओं को यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से खरीदा गया। इन दवाओं को यह संस्था नहीं बनाती है अपितु लोन लाइसेन्सिंग से आधार पर इनका क्रय देश रक्षक औषधालय, हरिद्वार द्वारा कर उसकी आपूर्ति यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 करता है। सम्बन्धित देश रक्षक औषधालय, हरिद्वार के राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति का है। इन दवाओं में पेटेन्ट, टानिक आदि का भी क्रय किया गया है जिनका क्रय नियमतः नहीं होना चाहिए। साथ ही रेट कांट्रेक्ट की निश्चित दर से अधिक पर उदाहरणार्थ सीतोपलाद 60 रुपये किलो के हिसाब के दर के स्थान पर 92 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गयी। सरकारी धन के इस व्यापक दुरुपयोग से आम आदमी हताश, निराश एवं क्षुब्ध है। अतः लोकमहत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं]

जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्र के कताई मिल में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरदेव--

[मान्यवर, आपका ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र रसड़ा बलिया में कताई मिल कम्पनी नं0 2 सर्वोदय नगर कानपुर से संचालित होकर चल रही है जिसकी क्षमता दुगुनी बढ़ानी है इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी राज्य कताई मिल में जिन 54 आवंटित खेतिहर मजदूर किसानों की जमीन मैंने इस आश्वासन पर 85 एकड़ दिलायी थी कि इसमें प्रत्येक परिवार के दो-दो व्यक्तियों को नियुक्ति की जायेगी। मगर स्थानीय लोगों का तथा आवंटित व्यक्तियों को काम न देकर इस मिल के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, कानपुर द्वारा बाहरी लोगों को पैसा लेकर नियुक्ति कर दी गयी है और मिल अभी तक सा0 नि0 वि0 से हस्तानान्तरित नहीं हुई है और अधूरे निर्माण में मिल में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है इसमें कई मजदूरों तथा फायरमैन बलिया की मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार को कुछ नहीं मिल पाया है। पांच बार खराब रूई में आग लगा कर झूठा नुकसान दिखाकर जीवन बीमा से पैसा लिया गया है। 1985-86 में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के भ्रष्टाचार और मिल के तैयार सूत से अपने कानपुर के निवास पर एक फैक्ट्री सूत की स्वयं खोलकर 6 मिलों से सूत स्वयं लेकर काम करा रहे हैं। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर स्वीकृति प्रदान करते हुए संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को अविलम्ब हटाकर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करा कर तत्काल प्रभावित कार्यवाही करके आवंटियों व स्थानीय लोगों को रखने की मांग करता हूं।]

जनपद फर्रुखाबाद के उमर्दा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रामनन्दिनी वर्मा--

[महोदय, आपके संज्ञान में अपने जनपद फर्रुखाबाद विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में पेयजल के संकट की भीषण समस्या को लाना चाहती हूं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है । पीने के पानी की समस्या से जन जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो रहा है । लोगों को पानी के बिना इतनी परेशानी है कि क्षेत्र के कई गांवों के लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर अपने पशुओं को लेकर भाग रहे हैं । मेरे क्षेत्र ग्राम सभा फकरपुर, बरवा, कनौसी, दन्ना पुरवा आदि ग्रामों का पानी दूषित हो गया है । उस पानी के पीने से नई उम्र जवानी में ही लोगों के दांत गिर जाते हैं तथा तरह-तरह की बीमारियों के शिकार लोग हो रहे हैं । शरीर की हड्डियां कमजोर होकर शरीर टेढ़ा पड़ जाता है । मैंने इस सम्बन्ध में सरकार को पहले भी कई पत्र लिखे हैं लेकिन समाधान नहीं हो सका । यदि नीची बोरिंग कराकर टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाय तो शुद्ध जल मिल सकता है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए पेयजल की समस्या के समाधान के लिए माननीय अध्यक्ष जी से अपेक्षा करती हूं ।]

जिला मुजफ्फरनगर में ट्रेड यूनियन केन्द्र में श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध मजदूरों द्वारा जारी भूख हड़ताल में हस्तक्षेप करके कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान भारत का ट्रेड यूनियन केन्द्र जिला मुजफ्फरनगर की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उक्त यूनियन केन्द्र में गैर कानूनी तालाबन्दी छंटनी एवं मिल मालिकों, श्रम विभाग कारखाना उप निदेशक कार्यालय एवं इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की सांठ-गांठ के कारण श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध जनपद में मजदूर आन्दोलन एवं अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल जारी है और श्रमिकों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । श्रमिकों के उपरोक्त शोषण व उत्पीड़न के विरोध में गत मार्च से सी0 आई0 डी0 यू0 से सम्बन्धित विभिन्न यूनियनों द्वारा जिला मुख्यालय पर अनशन चलाया जा रहा है जो अब 17 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया है । भूख हड़तालियों की दशा गम्भीर होने के कारण श्रमिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकता है । आन्दोलनरत श्रमिकों की मांगें पूर्ण वैधानिक और न्यायपूर्ण हैं । कृपया तुरन्त हस्तक्षेप करके उचित कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ की कुमारी काफिया के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने तथा अपराध की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह—

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बनचौरी, टोला बेनी नगर, थाना शोहरतगढ़ के निवासी श्री लाल बहादुर की पुत्री कुमारी काफिया अपने गांव के पास के भूतपूर्व प्रधान के खलिहान में अपने भाई को बुलाने खेतों के मेड़ से होकर जा रही थी, उस

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समय बाजू की सड़क से होकर तीन सिपाही जा रहे थे। कुमारी काफिया द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को दी गयी सूचना के अनुसार वे सिपाही इस लड़की को जाते देखकर अरहर और गन्ने के खेत में छिप गये। जब काफिया खलिहान से अपने गांव वापिस जा रही थी तो एक ने हाथ पकड़कर दूसरे ने उसका आंचल मुंह में ठूंस कर खेत में उठा ले गये और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को दी गयी परन्तु खेद है कि न तो इसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी और न ही कुमारी काफिया का डाक्टरी मुआयना कराया गया जिसके कारण जनता में इस मामले को लेकर भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि कुमारी काफिया के साथ किए गये सामूहिक बलात्कार की एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने और उसका डाक्टरी मुआयना न कराने के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा इस अपराध की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जाए।]

जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी---

[मान्यवर, पिहानी नगरपालिका हरदोई में पानी की टंकी वर्षों से स्वीकृत है, पिहानी नगरपालिका जनपद हरदोई घोर पेयजल संकट से गुजर रहा है। 8 जनवरी, 1988 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने इस टंकी के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया था, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पिहानी नगर क्षेत्र की 50 हजार जनता गम्भीर पेयजल संकट से गुजर रही है। वर्ष 1988 में इस टंकी के निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है। पूरे नगर में इसके निर्माण न होने से क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के बन्द पड़े नवाब गंज शुगर मिल का अधिग्रहण करके मिल को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नवाबगंज शुगर मिल जनपद गोण्डा तीन माह से बन्द हो जाने से गन्ना किसानों एवं श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। हजारों श्रमिक एवं उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हाहाकार मचा है और उग्र प्रदर्शन भी कई बार हो चुके हैं और समाधान न हुआ तो कोई भी नई समस्या खड़ी हो सकती है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब उपरोक्त मिल का अधिग्रहण कर शीघ्र मिल चलाई जाय, जिससे उपरोक्त समस्या का निराकरण हो सके।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरिया गंज व इटवा में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज व इटवा के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। परन्तु चकबन्दी के जो नियम चकबन्दी व विवादों के निस्तारण के हैं, भ्रष्टाचार के कारण वह ठीक से नहीं हो पा रहा है। किन्हीं-किन्हीं गांव में चक का निर्माण ए0 सी0 ओ0 स्तर पर एक वर्ष से ज्यादा हो गया है। परन्तु सी0 ओ0 स्तर से उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, कहीं-कहीं पर धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाही हो चुकी है, जैसे गौड़डीह व अन्य गांव, परन्तु चक निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। चक निर्माण में छोटे-छोटे कृषकों को तीन-तीन चक दिया जाता है। कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां एक एकड़ जोत वाले को तीन चक न दिया गया हो। चक के पूर्व नम्बरों की पैमाइश व रकबे दुरस्ती मौके के अनुसार नहीं की जाती है, परिणाम स्वरूप चक बन जाने के बाद वह त्रुटियां अपने आप बनी रहती हैं। चक की पैमाइश पूरे गांव के नम्बरवाइज आज तक नहीं हुई है। दूसरे नक्शों में भारी त्रुटि बना देते हैं। रकबों की दुरुस्ती ठीक ढंग से आज तक किसी गांव की नहीं हुई है। सी0 ओ0 इटवा, कठेला, सिकरा में चार-चार वर्ष से प्रारम्भिक न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन हैं, फैसले नहीं हो पा रहे हैं। एस0ओ0सी0 व सभी अधिकारी चूंकि किसी न किसी बहाने इसी क्षेत्र के रिश्तेदारी से सम्बन्धित हैं, इसलिए निर्णय निष्पक्ष नहीं कर पा रहे हैं। रुपये का लेन-देन व्यापक स्तर पर चल रहा है।

अतएव आपके माध्यम से शासन व सदन का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल--

[मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर श्री यमुना शंकर पहले रायबरेली, सहारनपुर, वाराणसी में कार्यरत रह चुके हैं। जहां उनके भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। उन बिन्दुओं पर जांच भी चल रही है। खाद्य सचिव ने अपने आदेश संख्या रा0-1105/उन्तीस-अनु-1-16-74, दिनांक 15 मई, सन् 1987 द्वारा उनके विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दिये थे परन्तु 50 हजार रुपये रिश्वत का सौदा तय हो जाने पर मामला समाप्त कर दिया गया।

खाद्य एवं रसद विभाग में पद और अधिकार का गम्भीर दुरुपयोग चल रहा है। अवैध कोयले के लाइसेन्स की प्रक्रिया वैध लोगों के सामने मजबूत पड़ गई है फर्जी लाइसेन्स से जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशन में कार्य हो रहे हैं। आवश्यक उपभोग सामग्रियों को जिन्हें सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित होना चाहिये, उसे श्री यमुना शंकर मिश्र की साजिश से चोर बाजारी में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता अपने हक पाने के

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए बेचैन हैं लेकिन जिलापूर्ति कार्यालय हुक मारने पर अडिग हैं । राज्य शासन को जो शिकायतें जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जाती हैं, उन्हें भारी रिश्वत के बल पर जांच के दौरान दबा दिया जाता है जिससे आम जनता को राहत मिलने के स्थान पर कुव्यवस्था मिलती है । अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं ।]

जनपद मथुरा की न्याय पंचायत शेरनी, गंजू, सोनई आदि ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा गोकुल क्षेत्रों के कुण्डों के प्रदूषित पानी को स्वच्छ बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह—

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की न्याय पंचायत शेरनी, गंजू, सोनई, अनोड़ा, मेंसारा, कारब, ग्रेवन, पानी ग्राम, नीमग्राम, गंजेयरा, अवेरनी, हथकोली, बहेंटा, दरोली, नगवावली, हथौड़ा, पटतोपी, हयातपुर आदि के समस्त ग्रामों में पेयजल का भारी संकट गहरा गया है । इण्डिया मार्क–2 हैण्डपाइप एवं टंकियों पर लगे नलकूपों की मशीनें खराब पड़ी हैं । नलकूपों का स्टाफ गायब रहता है, लोकल अवर अभियन्ता तैनात हैं जो अपने कार्यों का निर्वहन सुचारु रूप से नहीं कर रहे हैं और न अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे हैं । मरम्मत हेतु स्टाफ नहीं मिलता है । अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालयों में अभियन्तागण गायब रहते हैं । लोगों में बेचैनी है । अभी यह हाल है तो मई, जून में क्या होगा ? शेरनी न्याय पंचायत के गांव मनी नाबालू, संम्पत जोगी, भंकरपुर बसेला की स्थिति अति दयनीय है । महिलाएं और ग्राम की लड़कियां भारी परेशान हैं। घड़े लेकर दूर जाना पड़ता है पानी के लिये । मवेशी, जंगली जानवरों एवं पक्षियों का बुरा हाल है । खोरसागर बलदेव का पानी अति प्रदूषित है । इसी प्रकार गोकुल, महावन के पवित्र कुण्डों का पानी अति प्रदूषित हो गया है । यमुना में जल नहीं रहा है ।]

आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराते हुये सरकार से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद पीलीभीत, तहसील बीसलपुर की ग्राम समाज अमृता खास की भूमि पर ग्राम प्रधान आदि द्वारा अवैध कब्जे के मामले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र शर्मा—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व सूचना लाना चाहता हूं । जनपद पीलीभीत, तहसील बीसलपुर, ग्राम व पोस्ट अमृता खास में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा के सदस्यों की मिलीभगत के कारण ग्राम समाज की जमीन तथा ग्राम सुधार एवं विकास को जो मजूरी शासन द्वारा जनपद पीलीभीत के उक्त ग्राम के लिये की गयी उसका लाभ गरीब हरिजन एवं अन्य जाति के लोगों को नहीं हो पाता, क्योंकि इस ग्राम में एक ही जाति का बाहुल्य है जिसके कारण निरीह जनता पर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में परगनाधिकारी द्वारा ग्राम की जो आबादी चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत छोड़ी गयी थी । उसे ग्राम प्रधान ने फर्जी पट्टे कर ग्राम के रास्तों को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है और इस तरह न कोई

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चारागाह न कोई अन्य सुविधाएं जो ग्राम को मिल सकती हैं उन सबको बन्द कर दिया गया है । इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि ग्राम प्रधान एक पुस्तैनी प्रधान इसके पूर्व में उसके पिता व उसके बाद उसकी माता तथा अब वर्तमान में खुद प्रधानी कर रहा है जिसके कारण सभी अभिलेख बराबर उसी के पास चला आ रहा है । इसके ग्राम के फर्जी पट्टे की पत्रावली परगनाधिकारी बांसलपुर द्वारा गायब करा कर लाखों की ग्राम समाज की जमीन को हड़प लेना चाहता है । जिससे ग्राम में अत्यन्त असन्तोष व्याप्त है । किसी भी वक्त कोई वारदात हो सकती है । क्योंकि जनपद पीलीभीत लखनऊ से काफी दूर है ऐसी परिस्थिति में वहां से आने में काफी पैसा खर्च होता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच करायें जिसमें ग्राम समाज की जमीन का सुधार हो सके और ग्रामवासियों को उन सुविधाओं का लाभ मिल सके ।]

जनपद देवरिया के मरचहवा हत्या काण्ड के सम्बन्ध में कृत कार्य-वाही की जानकारी की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कल और परसों दोनों दिन मरचहवा काण्ड के बारे में यहां पर उल्लेख हुआ । मैं परसों की बात याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय मुख्य मन्त्री जी सदन में थे और जब वे चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उसके बाद माननीय सदस्यों ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण करना चाहा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । क्या आप मुख्य मन्त्री जी का घेराव कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यही स्थिति उस दिन भी हो गई थी । मान्यवर, उस समय हम लोगों ने इस बात पर बल दिया था कि जो मरचहवा काण्ड हुआ उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने विस्तार के साथ वहां की स्थिति पर प्रकाश डाला । हम लोग यह जानना चाहते थे कि शासन उसके बारे में क्या-क्या करना चाहता है, क्या करने जा रहा है । एक दुख की बात यह थी कि प्रागदर्शन में और सभी दृष्टियों से यह बात साबित हो गई कि वहां के पुलिस अधिकारियों का इसमें बड़ा भारी दोष था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जब किसी थाने में कोई छोटी सी घटना हो जाती है और असामान्य घटना होती है तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उन्हें दंडित किया जाता है, उनका स्थानान्तरण किया जाता है और उनका निलम्बन तक किया जाता है ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन मान्यवर, एक नृशंस नरसंहार हुआ और 13 आदमियों को गोलियों से भून दिया गया और वहां पर किसी भी पुलिस कर्मी के खिलाफ किसी कार्यवाही की जानकारी हमें नहीं मिली । मान्यवर, मैं उस दिन की बात नहीं दुहराऊंगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ दरोगा, आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 के खिलाफ रिपोर्ट आयी है, उनके ऊपर आरोप लगाये गये हैं, तो मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या विचार किया है । उन्होंने यह भी कहा था कि किस एजेन्सी से जांच कराई जाय । मान्यवर, 48 घंटे हो गये हैं, अब तक मुख्य मन्त्री जी ने विचार कर लिया होगा । मैं समझता हूं कि अब तक मुख्य मन्त्री जी ने कुछ निश्चय किया होगा वे कृपया सदन में उसकी घोषणा करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरीश जी कृपा करके बैठें ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन् अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस सदन में किये गये उल्लेखों के अनुरूप माननीय सदस्य देवरिया और गोरखपुर जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे, उनसे विस्तृत विचार विमर्श करने का यहां अपने कक्ष में, उनके विचारों से मैं लाभान्वित हुआ । मैं उनका आभारी हूं उन सभी ने आने का कष्ट किया जिन्होंने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने कुछ ऐसी गोपनीय बातें भी बताईं, गोपनीय इस संदर्भ में कि उनसे सहायता मिलेगी आगे की कार्यवाही में । हमारा उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के जितने भी गिरोह हैं जो असामाजिक कार्यों में लगे हैं चाहे वह बिहार में हों या उत्तर प्रदेश में या नेपाल के अन्दर शरण प्राप्त कर रहे हों, उनका सफाया किया जाय । इस समय वहां कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही के बीच में कोई इस तरह का व्यवधान डालना जिससे चलती हुई कार्यवाही में कोई प्रभाव पड़े जिसको सदन ने कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा । बिहार सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, बातें चल रही हैं, जिस प्रकार की भी कार्यवाही करनी होगी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी और जो तथ्य माननीय सदस्यों ने बताये हैं उनको भी देख कर मैं कह सकता हूं कि इस समय कार्यवाही चल रही है, जिसमें सब लोग लगे हैं । मैंने आज प्रातःकाल बात की और बताया गया कि परसों फिर नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों की बैठक उच्च अधिकारियों की बैठक बाल्मीकि नगर में है ताकि संयुक्त अभियान किया जा सके । जो सुझाव दिये गये हैं उनसे बल मिला है । जो भी दोषी होगा उसे अवश्य दण्ड दिया जायेगा । उसकी प्रारम्भिक कार्यवाही हम कर भी चुके हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं, इसमें अब चर्चा होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करहना हत्या काण्ड की सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

कल माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि करहना में जो 11 निर्दोष लोग मारे गये जिसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराई गयी उसके सम्बन्ध में कहा था कि सदन उठने तक पटल पर रख देंगे। आपके पूर्व के मुख्य मन्त्री जी ने सदन में घोषणा की थी जांच आख्या यहां रखेंगे। आज अन्तिम दिन है लेकिन इस एजेंडा में कहीं पर उसका उल्लेख नहीं है। तो उसे आप करवा दीजिये।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही थी सदन में उसकी सारी सूचना आपके पास भेजी जा रही है आज सम्मानित सदन को भी सूचित कर देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आपके पास भेजने से क्या होगा, सदन के पटल पर क्यों नहीं रखते हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना देने का मतलब सदन के पटल पर रखना ही हुआ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1989 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 अप्रैल, 1989 को वापस प्राप्त हो गया है।

(इस समय 12 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

*शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खन्ड (15) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (X) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री सरदार सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है परीक्षण हो रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से बढ़ाने के संकल्प का प्रस्ताव

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं। चूंकि इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई ऐक्ट, 1948) ऐक्ट संख्या 54, 1948 की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, जो सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल रु0 1,500 करोड़ मात्र (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन 31 मार्च, 1988 तक रु0 1,200.11 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़ ग्यारह लाख रुपये मात्र) का ऋण लिया है और आगे वर्ष 1994-95 तक स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 1,500 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 2,500 करोड़ रु0 (दो हजार पांच सौ करोड़ मात्र) निर्धारित की जाये जिससे परिषद् अपने आयोजनागत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके;

अतएव, अब विधान सभा, एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 1,500 करोड़ रु0 (एक हजार पांच सौ करोड़ रु0 मात्र) से बढ़ाकर 2,500 करोड़ रु0 (दो हजार पांच सौ करोड़ रु0 मात्र) निर्धारित करती है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो प्रस्ताव विद्युत् मंत्री जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बात समझते हैं कि संसाधनों को बढ़ाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरत है लेकिन बोर्ड ऐसा सफेद हाथी है जिसको जितना रुपया देते चले जायं वह पता नहीं कहां गायब हो जाता है इसलिए इसके सम्बन्ध में दो तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, अभीतक 1,500 करोड़ रुपया कर्ज लेने की सरकार की ओर से गारन्टी मिली थी किन्तु अब उसको 2,500 करोड़ रुपये करना चाहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बोर्ड पर एक हजार करोड़ रुपये का घाटा है जो बोर्ड के बदइंतजामी का नतीजा है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बोर्ड में किस तरह सत्तारुढ़ दल अपने राजनीतिक कार्यों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वंय भ्रष्टाचार करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य विद्युत परिषद् ने लगभग 150 जीपें खरीद रखी हैं जो बोर्ड के अधिकारियों के पास न रहकर आपकी पार्टी के नेताओं और विधायकों के पास रहकर पार्टी का काम लिया जा रहा है। उदाहरण देना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य सामने से मेरी ओर देख रहे हैं, उनके पास जीप नं0 यू0 ए0 एम0 9265 है जो बोर्ड में 29 सितम्बर, 1988 को खरीदी गई और 25 फरवरी, 1988 से उनके कब्जे में है जो निजी और पार्टी के कामों में उपयोग की जा रही है। इसी तरह से बोर्ड के एक सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके पास एक एम्बस्डर गाड़ी नं0 यू0 ए0 जी0 1806 है जो 7 नवम्बर, 1988 को खरीदी गई और 12 दिसम्बर, 1988 से उनके कब्जे में है, ऐसे ही लम्बी फेहरिस्त है कि जो बोर्ड ने गाड़ियां खरीदीं, वे गाड़ियां बोर्ड के काम में न आकर इनके दल के नेताओं के पास हैं, यह मेरी जानकारी में है। मेरी बात गलत हो तो उसके बारे में मंत्री जी अपने जवाब में प्रतिवाद करने की कृपा करें।

1 जुलाई, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 के मध्य विद्युत् परिषद् ने 48 जीप, जिप्सी और अम्बेसडर गाड़ियां खरीदी हैं, वह कहां हैं? वह किसी अधिकारी को नहीं दी गयीं हैं, वह बोर्ड के पूल में हैं और वह आपके दल के नेताओं को पार्टी का काम करने के लिए, लोगों को आबलाईज करने के लिए बांट दी गईं हैं। इस तरह से यह बोर्ड के पैसे की खुली फिजूलखर्ची की जा रही है। यदि काम किया जाता, बोर्ड सही काम करे तो इतना पैसा देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल यहां चर्चा हो रही थी, आप बड़े विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि इतने गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। किन्तु क्या यह सही नहीं है कि केवल मेन गांव को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, कर देते हैं और उसके साथ उसके सब मजरों को इलेक्ट्रीफाई किया हुआ मान लिया जाता है। मुख्य गांव के इलक्ट्रिफिकेशन के साथ-साथ उसके सब मजरों को भी होना चाहिए, तभी उस गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ मानना चाहिए। यदि आपने यह व्यवस्था नहीं की तो जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का आंकड़ा है वह कागज में किया हुआ ही माना जायेगा। इसके अलावा बिना पैसा दिए और बिना राजनीतिक प्रभाव डाले बिजली बोर्ड में कोई काम होता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों में भी बिजली बोर्ड की नाक कटी है।

सारनाथ में एक तिब्बती शिक्षा शोध संस्थान है। वहां का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं थी। उन्होंने उसको बदलने के लिए फीस का धन भी अपनी तरफ से जमा कर दिया था, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था। इसके फलस्वरूप विवश होकर वहां के धर्मगुरू को अनशन पर बैठना पड़ा और वह अनशन पर दो दिन बैठे, तब उनका आपने काम किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

उनके यहां के लोगों के क्वार्टर्स बने थे, अपने कर्मचारियों को आवास देना चाहते थे, लेकिन बिजली न लगने के कारण यह लोग उसे नहीं लेना चाहते थे, जिससे 44 हजार रुपया मासिक इनको हाउस एलाउंस के रूप में देना पड़ता था।

(व्यवधान)

नम्बर तो गाड़ी का मैंने बता दिया है, उनका नाम नहीं बताना चाहता था, लेकिन बताए देता हूं वह श्री भोला शंकर मौर्य, भूतपूर्व राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। इनमें हिम्मत नहीं है इतनी कि वह प्रतिवाद कर दें इसका। यह लोग इस तरह से बिजली बोर्ड की जीपों आदि का अपने स्वार्थ में दुरुपयोग करते हैं।

अभी यहां पर सीतापुर के बुनकरों का मामला चला था। मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि यदि बुनकर बिजली का उपभोग अपने काम में नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कामर्शियल टैरिफ नहीं लगना चाहिए। फिर भी वह लगा है। आप इस पर विचार करें और यह न लगाकर डोमेस्टिक टैरिफ ही उनके ऊपर लगना चाहिए। इसके साथ में मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री भोला शंकर मौर्य--

यह मेरे ऊपर आरोप गलत है....

(व्यवधान)

मेरे ऊपर आरोप लगा है, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरा नाम लिया गया है। यह बिल्कुल गलत है। मेरा नाम घसीटा गया है, यह बिल्कुल आरोप गलत है। मेरे पास न तो कोई जीप है न उससे मेरा कोई मतलब है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज भी इनके घर पर यह गाड़ी खड़ी हुई है, मान्यवर, आप आज किसी भी आदमी को इनके घर पर भेज कर उसको दिखवा लें।

*श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय विद्युत् राज्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं, वह इसलिए करता हूं कि राज्य विद्युत् परिषद् का जो हमारे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, वह बहुत ही खराब तरीके से चल रहा है.... न तो यहां की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसके अलावा वह ऐसा अड्डा बन गया है जहां हमारा बहुत बड़ा धन बिल्कुल बेकार जा रहा है भ्रष्टाचार का तो वहां यह आलम है कि उसको देखने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको माननीय मंत्री जी देखें और गम्भीरता से विचार करें। विद्युत् परिषद् का पूरा का पूरा बजट इस सदन के माध्यम से पास हो। यह ऐसी बात नहीं है कि होती न हो। रेलवे में भी एक ऐसा बोर्ड गठित है, जिसका बजट लोकसभा में पास होता है, तो विद्युत् परिषद् का बजट भी इस सदन के सामने आना चाहिए। इसमें इनको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पैसा तो इनको दे ही दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वजह से इसमें हजारों रुपये का घोटाला हो रहा है । इसमें एक हजार करोड़ से ज्यादा घाटा है और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 80 हजार से ज्यादा पोल नहीं लगे हैं और आर्डर दे दिया गया तीन लाख का मान्यवर, 6-6 फैक्ट्रियां इनकी ऐसी हैं कि वह पोल बना सकती हैं, इतनी क्षमता उनमें है वह उत्तर प्रदेश की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती हैं जिस तरह के ट्रांसफार्मर आ रहे हैं वह तो आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हजारों ही नहीं सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर फुंक गये और उसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई है ।

मुरादाबाद जनपद में 200 ट्रांसफार्मर की कमी है, लेकिन विद्युत् परिषद् उनको बदल नहीं रहा है इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने ऐसी फर्म को ठेका दिया है जो बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसी फर्म को इन्होंने पांच करोड़ के ट्रांसफार्मर का ठेका दे दिया यह गाजियाबाद की फैक्ट्री है, इसकी बिजली बिल पेमेन्ट में कट गई, लेकिन विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध बिजली को लगवा दिया, क्योंकि उनका उसमें हिस्सा था जो पांच करोड़ के ट्रांसफार्मर ले रहे थे, वह ट्रांसफार्मर मान्यवर, कुछ ही दिनों में फुंक जाते हैं । पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है । लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो मैं बुनियादी तौर से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । और माननीय मंत्री जी को यह राय देना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद का पूरा बजट इस सदन में लाकर पास करायें । हम उनके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उनको धन देंगे इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । विद्युत् परिषद् के बारे में अक्सर इस सदन में चर्चायें हुआ करती हैं । आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले 15 सौ करोड़ रुपये ऋण सीमा बढ़ाने के लिये इसी सदन में एक संकल्प लाया गया था और आश्वासन दिया गया था कि उस पैसे का सदुपयोग होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री जी आप अन्दर चले जायें या लोगों को बैठा दें ।

श्री माता प्रसाद पांण्डेय--

× × × ×

मान्यवर, पिछली बार यह आश्वासन दिया गया था कि बोर्ड अपने कार्यकलापों में सुधार लायेगा इसलिये ऋण सीमा बढ़ायी गयी थी । लेकिन यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट देखी जाय तो बोर्ड की तमाम त्रुटियों के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है । जो बोर्ड के मूल उद्देश्य थे वह पूरे नहीं हो रहे हैं । जो अधिष्ठापित क्षमता है वह 30, 40, 50 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं पहुंचा है । जिस दिन अधिष्ठापित क्षमता के बारे में सदन में बताना होता है तो उस महीने में जो हाइयेस्ट प्रोडक्शन होता है उसको पढ़कर बता देते हैं । मैं मानता हूं कि अधिष्ठापित क्षमता/100 प्रतिशत उत्पादन नहीं हो सकता लेकिन कम से कम 75-80 फीसदी उत्पादन किया जा सकता

नोट :--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ह अगर कार्यकलापों में सुधार किया जाय । कम विद्युत् उत्पादन होने के कारण विद्युत् महंगी हो जाती है । ऋण आप लेते हैं सुधार के लिये लेकिन उसका सही सदुपयोग न होने के कारण बिजली कम उत्पादित होती है जिससे अनेक वस्तुओं जिनका उत्पादन बिजली से होता है प्रभावित होती हैं और उन चीजों के मूल्य बढ़ जाते हैं ।

आपकी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना है इसके लिये आप सेन्टर से और वर्ल्ड बैंक से ऋण लेते हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण की हालत यह है कि उसके लिये जितना आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह कभी पूरा नहीं होता है । कहीं पर आपने खंभे गिरा दिये कहीं पर तार पहुंचा दिया उसको आप विद्युतीकृत मान लेते हैं जिस गांव में 33 के0 वी0 11 हजार के0 वी0 की लाइन चली जाय आप उसे अर्जीकृत मान लेते हैं और इस प्रकार से पूरे प्रदेश का आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं जब कि वास्तव में जितने आंकड़े दिये जाते हैं उतने गांवों का विद्युतीकरण होता ही नहीं है ।

मान्यवर, बस्ती जिले में 7 हजार रेवेन्यू विलेज हैं और आपने सन् 2000 तक जिले को अर्जित कर देने का लक्ष्य रखा है जब कि अभी 25 प्रतिशत से ज्यादा बस्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्र को अर्जित नहीं किया गया है । जो छोटे जिले होते हैं वहां पर ग्रामों की संख्या ज्यादा रखते हैं और जो बड़े जिले होते हैं उनमें कम ग्रामों का लक्ष्य रखा जाता है । यह जो नीति है यह उचित नहीं है । पैसों का दुरुपयोग जो किया जाता है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पैसों के दुरुपयोग का क्या हाल है । मेरी जानकारी को सही मानकर कि विद्युत् बोर्ड को एक फर्म को 50 करोड़ रुपये पेमेन्ट करना था लेकिन रुपया नहीं था । मंत्री जी ने कहा कि 50 करोड़ रुपया दे दो जब विद्युत् परिषद् में आ जायगा तो ब्याज सहित अदा कर देगें । उस फर्म का 50 करोड़ रुपया टाइम से नहीं दिया लेकिन विद्युत् परिषद् ने 5 करोड़ रुपये ब्याज सहित सूद से वसूल लिया तब फर्म को 50 करोड़ रुपया दिया । कानपुर की फर्म है, हो सकता है कि मेरी जानकारी में कोई त्रुटि रह गयी हो । आप इसकी सत्यता का पता लगा लीजियेगा और मुझे बता दीजियेगा ।

मान्यवर, इनके तार और खंभे चोरी हो रहे हैं । मेरे यहां बस्ती में जो मेन लाइन नेपाल को सप्लाई देती है उसमें 12 कि0 मी0 लाइन चोरी से काट ली गयी । 12 दिन तक विद्युत् सप्लाई बन्द रही, उद्योग धंधे ठप रहे । नेपाल के लोगों ने आंदोलन किया तब बिजली मिली । इसी तरह से विद्युत् दुर्घटनाओं के बारे में कहना चाहता हूं मेरे अपने क्षेत्र में 35 आदमी तार टूटकर गिरने से मर चुके हैं किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है । बोर्ड आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । कर्जे की सीमा को बढ़ाना उचित नहीं है । मान्यवर, बोर्ड का लेखा-जोखा कंपनीज ऐक्ट के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखना चाहिये और उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये । आज 1989-90 चल रहा है अगर लेखे देखें जायं तो 84 तक के रखे गये हैं । बोर्ड के नवीनतम लेखे नहीं रखे जाते हैं और सदन में चर्चा नहीं होती है । इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक बोर्ड के कार्यकलापों में सुधार नहीं आ जाता है तब तक ऋण सीमा बढ़ाने की अनुमति न दी जाय ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने संकल्प रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, जब कभी विद्युत् परिषद् के बारे में कोई भी मसला उठता है, चाहे क्रिया-कलाप के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही या भ्रष्टाचार के बारे मे, ऐसे जवाब यहां पर दिये जाते हैं, जैसे लगता है कि परिषद् को

[× × × ×]

को तरह से छोड़ दिया गया है, वह कह देते हैं कि स्वायत्तशासी संस्था है, उसमें हस्तक्षेप का अधिकार ये नहीं समझते। जहां पर पैसे का मामला होता है, वहां पर सदन की मोहर लगवाते हैं। मान्यवर, उनके ऊपर जहां पर अंकुश लगाने की बात होती है, तो उसके ऊपर इनका अंकुश नहीं है। मान्यवर, उनके कार्यकलापों की तरफ देखें, चाहे ट्यूब-वेल को बिजली देने का सवाल हो या किसानों को बिजली देने का सवाल हो, ये बिजली किसी को दे नहीं पाते हैं। ट्रांसफारमर य पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हरदोई जिले की बात मैं बता रहा हूं। वहां पर मेरे क्षेत्र के 17 किलोमीटर लाइन बिछायी गयी, सारे तार चोरी हो गये। चोर तो दोषी हैं ही, लेकिन इनके विभाग के लोग भी दोषी हैं, बिना उसको ऊर्जीकृत किये हुये, लाइन वर्षों पड़ी रहेगी, तो उसके तार भी चले जायेंगे और खम्भे भी चले जायेंगे। मान्यवर, भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है, दूसरे उदासीनता व्याप्त है पैसा जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। यदि माननीय मंत्री जी इस बात को घोषित करें कि उनके कार्यकलापों पर अंकुश लगायेंगे, तब तो इस सदन की मोहर लगवायेंगे, वरना इस संकल्प को वापस ले लें, अच्छा रहेगा।

श्री राम औतार दीक्षित—

यह संकल्प केवल ऋण प्राप्त करने की सीमा बढ़ाने के लिये है। सप्लाई ऐक्ट, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् का बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि एम्बेसडर कार है और जो जीपें आदि हैं, उनका दुरुपयोग होता है। उसके संबंध में केवल एक बात कह सकता हूं कि व्यक्ति अगर स्वयं में देख ले कि हम भ्रष्ट नहीं होना चाहिये, बाकी समाज के बारे में कुछ कहा जाय, तो उसे उचित समझता हूं। जो बात सीतापुर के बारे में कहा, उसके लिये मैंने अपने अधिकारियों को आदेशित कर दिया है। जीप और कार के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं तो जानता हूं कि मुझे एक सरकारी गाड़ी मिली हुई है, मेरे मकान पर देख लीजिये। जहां तक ऋण का सवाल है, हमारी कुछ योजनायें अगली पंचवर्षीय योजना मे आ रही हैं, विशेषकर अनपारा (सी) खारा, श्रीनगर में हम नई योजना लगाने जा रहे हैं, जिसके लिये हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये आपके माध्यम से माननीय सदन से अपेक्षा की है कि इसको बनाना है, इसको स्वीकृति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय ऊर्जा राज्य मन्त्री जी ने रखा है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यमुना जल के प्रदूषण के सम्बन्ध में यमुना नदी के जल के शुद्धीकरण की योजना के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

श्री रघुवर दयाल शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व का प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, पवित्र यमुना नदी हिमालय पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से 6315

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ग्लेशियर की ऊंचाई से निकलकर बहुत लम्बा मार्ग तय करके प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में जाकर मिलने का काम करती है। श्रीमन्, यमुना नदी में जहां से इसका उद्गमन है उसके बाद यमुना नदी का सारा जल स्रोत, जो जल है यमुना जी की धारा का उसको कई जगह बांध बनाकर इकट्ठा कर सिंचाई और पेय जल के लिये लिया जाता है इसके बाद यमुना जल में जो जल बचता है वह रहा बचः सारा का सारा पानी पेय जल की समस्या के लिये आने वाले भिन्न नगरों में ले लिया जाता है और उसके बाद यमुना जी मे स्वयं का जल मात्र का नहीं बचता है। मैं निवेदन करता हूं कि जब यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से चलती है और हिन्डन के पास आती है तो हिन्डन के आस-आस जितने नगर हैं उनकी सारी गंदगी का पानी यमुना जी में आ जाती है और उसके बाद जब यमुना जी दिल्ली ओर चलती हैं तो दिल्ली के पास 2 जगह बन्धों में रोककर इसका पानी ले लिया जाता है।

दिल्ली के बाद जो भी नोएडा का पानी है, गाजियाबाद का पानी है, जो शाहदरा का पानी है और साहिबाबाद का जो प्रदूषित जल है, औद्योगिक बस्तियों का वह सारा का सारा जल यमुना जी में डाल दिया जाता है तो यह सारा का सारा गन्दा पानी गिरता है और इसके बाद हरियाणा मे जो बिजलीघर है उसको जो पानी यमुना जी से लेते हैं वह सारा का सारा पानी लेने के बाद वहां के प्रदूषण की सारी गन्दगी, कचड़ा, कूड़ा व गन्दा पानी यमुना जी में छोड़ दिया जाता है। जब आप ओखला के बाद चलेंगे तो वहां से चलने के बाद यमुना का जल स्वतः का जल नहीं रहता और उसके बाद जो उसमें जल बचता है यह जैसा मैंने गिनाया कि नोएडा का पानी, गाजियाबाद का पानी, शाहदरा का पानी, साहिबाबाद का पानी और हरियाणा का गन्दा पानी यह सारा पानी इकट्ठा होकर आगरा की ओर बहता है तो वृन्दावन और मथुरा की तेल की रिफाइनरी, छपाई धोतियों का पानी यह सारा गन्दा पानी यमुना जी मे आ जाता है और सारे मथुरा के सीवर का पानी जो सीवर 1929 मे बना था, वह सीवर आज बिल्कुल टूट चुका है वह सारा पानी यमुना जी मे चला जाता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यमुना जी के अन्दर मथुरा और वृन्दावन का पानी, तेल रिफाइनरी का गन्दा पानी आ जायेगा जो केमिकल से युक्त पानी है तो यह सारा पानी यमुना जी में आ गया उसके बाद फिर आगरा में आकर आगरा का सारा मलमूत्र, कीचड़ दुर्गन्धयुक्त पानी सारा का सारा 7 नालों के द्वारा यमुना नदी में गिर जायेगा और ताजमहल में इकट्ठा हो जायेगा ताजमहल जो विश्वविख्यात है और सुनहरा उपहार है, वहां सारा पानी इकट्ठा होकर कीचड़ में बदल जाता है और दुर्गन्ध में बदल जाता है और जब गर्मियों के दिन आते हैं तो कोई भी विदेशी और भारतीय पर्यटक उसकी स्थिति का अवलोकन नहीं कर सकता है और दुर्गन्ध के मारे ताजमहल में जाना बन्द हो जाता है। यह आगरे के नाम पर कलंक है।

मैं जानता हूं कि ताज प्रदूषण के नाम पर सारी औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का कार्य चल रहा है लेकिन यमुना नदी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इस कचड़े से जो गन्दा जल हो जाता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बाद जो यमुना नदी इटावा की तरफ बढ़ती है तो दिल्ली के ऊपर हिंडन नदी मिल जाती है वह सारी गन्दगी लाती है इसके बाद चलेंगे गाजियाबाद, साहिबाबाद का सारा पानी आ गया इसी तरीके से हरियाणा का पानी, एक बिजलीघर का सारा पानी आया, मथुरा का आया इसके नदी नाले आये इसके बाद आगरा में गम्भीर नदी, खारी नदी, उल्धंन नदी, पर्वती नदी, चम्बल बेतवा केन, करवन (झरना नाला) सिरसा सेंगर यह सारी गंदगी ढोकर यमुना नदी में डाल देती है इटावा में इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इटावा से बदरीबाद तक के बीच में जो 490 किलोमीटर का एरिया है इसका पानी सर्वाधिक रूप से प्रदूषित है और 5 प्रदेशों के शहर की गंदगी और जहर यमुना नदी में आते हैं।

वजीराबाद से इटावा तक हमारा पीने का पानी जल स्रोत एक ही है, जमुना जल वह यह है कि जमुना जी के दोनों किनारों का पानी खारा है। श्रीमन् आगरा में बड़ी आबादी है और उसको पीने के पानी के लिये यही प्रदूषित जल मिलता है, जो नालों का है, गन्दा है, मल-मूत्र का है और औद्योगिक इकाइयों का छोड़ा हुआ प्रदूषित जल है। वह पानी आगरा को पीने के लिये मिलता है। इसके अलावा वृन्दावन एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। मथुरा तीर्थस्थल है। आगरा में बटकेश्वरनाथ हिन्दुओं का बड़ा तीर्थस्थल है। इन तीनों तीर्थ स्थलों में स्नान करने वाले गर्मी में कई बार स्नान करने के लिये आते हैं तो हालत यह होती है कि जमुना के जल में कोई नहाना अच्छा नहीं समझता और इस प्रकार से यमुनोत्री के प्रति जो भावना लोगों में पैदा होती जा रही है, यह चिन्ता का कारण है। इस जल से लोगों में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है। आगरा में पीने के पानी के लिये इसी प्रदूषित जल को स्टोर किया जाता है। श्रीमन् आगरा में गर्मी में यदि थोड़ा सा भी जल सूख जाता है तो कचरा कीचड़ से सना मिला पानी, आगरा का पानी जमुना में आता है और ज्यादा हालत खराब तक होती है जब कीचड़ का सारा पानी छोड़कर फिर यमुना जी का पानी उपयोग में लाया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि जितने कारखाने लगे हैं, चमड़े की फैक्ट्रियां लगी हैं, छापे की धोतियों का पानी आता है, जितना पानी तेल रिफाइनरी का आता है, वह सारा गन्दा पानी जमुना जी में डालने से जब तक प्रदूषण संयंत्र लगाकर उसको साफ न किया जाय, तब तक प्रदूषण के अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। किसी भी कारखाने को बिना संयंत्र लगाये उस पानी को जमुना जी में छोड़ने की इजाजत कैसे मिल गयी, यह चिंता का विषय है। जो टाउन एरिया, नगरपालिका और महापालिकायें गंदा पानी मल मूत्र जमुना जी में छोड़ती हैं, इनको किसी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिये। जो सरकार के स्वयं के हाथ में हैं। आगरा महापालिका के सात नालों का पानी जमुना जी में पड़ता है। पहले जल निगम ने कहा कि सीवरेज का पानी ले कर खेती के लिये दिया जायेगा लेकिन सातों नाले टूट गये हैं। सीवर चोक हो गये हैं और सीवर लाइन बेकार हो गये हैं और पानी के बहाव के कारण उसके हिस्से ऊंचे नीचे हो गये हैं और इसी प्रकार से सातों नाले टूट कर जमुना जी में जा रहे हैं। जिन लोगों ने सीवर लाइन का काम किया था, गन्दे पानी के स्टोरेज का जो प्रोग्राम था, उसमें जो दोषी हैं, लाइन डालने में करोड़ों का घपला हुआ, इसकी जांच की मांग करता हूं।

आगरा में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं पानी के लिये बटुकेश्वर नाथ तक, यह भयंकर बात है। आगरा के लोगों के पास पीने के पानी का एक ही स्त्रोत है। जमुना जी का जल उनके लिये समस्या बन गया है और एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि इसके लिये शासन व्यवस्था कब करेगा। वृन्दाबन के बहुत से लोग कहते हैं, मथुरा और वृन्दावन के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के हैं, वे कहते हैं कि वृन्दावन को ठीक करने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तीर्थ स्थल हैं, वहां पर जमुना जी के लिये किस प्रकार का कौन सा काम कर रहे हैं। जो गंदा पानी नालों का जमुनाजी में गिर रहा है, जो प्रदूषित जल गिर रहा है, इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं...

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय वर्मा जी एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सदन में इस विभाग के कैबिनेट स्तर के या राज्य स्तर के कोई मंत्री नहीं हैं। केवल यहां संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

कैबिनेट स्तर के और मंत्री बैठे हैं। शिक्षा मंत्री बैठे हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह विषय नगर विकास मंत्री जी से सम्बन्धित है। नगर विकास के 2–3 मंत्री हैं, लेकिन कोई मंत्री उपस्थित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी चर्चा चल रही है। समय रहते आ जाएंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप सामूहिक दायित्व के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन इन मंत्रियों को इस विभाग के कार्यकलापों की जानकारी नहीं है, न वे विभाग इनकी देखरेख में हैं। मान्यवर, कम से कम नगर विकास मंत्री को तो यहां पर उपस्थित होकर बहस को सुनना चाहिये फिर उसका सम्यक् रूप से उत्तर दें। इसकी व्यवस्था करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी समय है, आ जायेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यमुना नदी का जिक्र कर रहा था, 490 कि0 मी0 क्षेत्र की चर्चा की है माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो इसका स्पष्ट उत्तर दें। 490 कि0 मी0 के एरिया में जहां यमुना का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, वहां क्या किया? चार पांच प्रदेशों का जहर यमुना नदी में आता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश यह जो इन प्रदेशों का जहर आता है इसमें यह कलंक का विषय है, अभिशाप है। जो नगरपालिका में गंदगी फैलती है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं। दूसरी मांग करता हूं कि जो औद्योगिक कारखाने है उनका जो गंदा पानी आता है गंदे पानी का प्रदूषण संयंत्र लगाकर साफ न हो जाय तब तक वह गंदा पानी उसमें न छोड़ा जाय। उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गयी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं। प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिये सरकार के पास क्या योजनायें हैं। क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत के पास यमुना जी के शुद्धीकरण की योजनायें है? आगरा के पास ताजमहल में मलमूत्र से युक्त पानी जा रहा है, उसको शुद्ध करने की क्या योजना है? वहां के पेयजल की समस्या के निवान की क्या योजना है? जो यमुना जी का जल प्रदूषित हो गया है उसको दूर करने के लिये क्या योजनायें हैं? और उन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित करायेंगे? ताजमहल के पास जो गंदा कचड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको शुद्ध करने के लिये क्या योजना है जिससे विदेशों में तस्वीर न खराब हो।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका तो अगला मामला है, नगरपालिका वाला है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं इसमें भी बोलना चाहता हूं ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, आज यह दो आदमी ही रुचि ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले ऐसा है कि संक्षिप्त बोलना चाहें मंत्री जी तो बोल दें ।

श्री विजय सिंह राणा--

कोई है ही नहीं नगर विकास से सम्बन्धित मंत्री यहां । यही तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न शुरू में उठाया था । नगर विकास का कोई मंत्री नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय हुकुम सिंह जी आ गये हैं, इन्हीं से कहलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप राणा जी बोल लें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं अब भी आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री को बुलवा लें ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर भली प्रकार चर्चा हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा, आ रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय को माननीय वर्मा जी ने उठाया यह आगरा-मथुरा के जीवन से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस प्रदेश की पूरी जनता के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । हमारे यहां हमारे देश की संस्कृति में यमुना-गंगा दोनों को सहोदरा बहन मानकर उसकी पूजा की गयी । इस देश की मिट्टी में जनमानस से जुड़े लोगों ने तो गंगा और यमुना के पानी को अन्तिम क्रिया के समय में संस्कार के रूप में ग्रहण किया था । इनकी शुद्धता और पवित्रता के कारण यह सम्भव था । दुर्भाग्य यह है कि शुद्धता और पवित्रता को लेकर लोगों के अन्तिम संस्कार के रूप में आचमन कराया जाता था पानी का, अब गंगा-यमुना के पीने का पानी तो दूर रहा कोई श्रीमन् सामान्य आदमी भी उसमें स्नान नहीं कर सकता । और स्नान करना तो दूर, उसमें नदी के नीचे पैर उतारना भी सामान्य रूप से सम्भव नहीं है । वैसे मान्यवर, बहुत सी बातें वर्मा जी ने बताई हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता । सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, सबसे बड़ी गलती यह हुयी कि गंगा और यमुना के पानी को पहाड़ों की तलहटी में

रोक लिया गया और इससे हमेशा-हमेशा के लिये इन नदियों में प्रवाह खत्म हो गया। अब इन नदियों में सिर्फ गन्दे नालों का और छोटी-छोटी नालियों का पानी ही आ पाता है।

मान्यवर, गंगा-यमुना के ऊपर इनकी 3-4 योजनायें चल रहीं हैं और उससे सम्पूर्ण पानी को वहां रोक लिया गया, जिससे पानी का प्रवाह बिल्कुल इन नदियों में नहीं रहा। अब शहरों के अन्दर, कस्बों के अन्दर इन नदियों के किनारे जो नाले पड़ते हैं, उन्हीं का पानी इसमें आता है और उस पानी से गंगा-यमुना की धारा बिल्कुल नाम को रह गयी है। तो मान्यवर, इन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय जो योजना का प्रारूप बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग की गलती थी या बड़े-बड़े अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं की गलती थी, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि गलती हुयी। मान्यवर, एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता था कि बड़ी नदियों के पानी को बांधा नहीं जायगा लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार के सामने घुटने टेककर नतमस्तक प्रणाम करने के लिए विवश है और उनकी इच्छा इनके लिये आदेश है। इसका नतीजा यह हुआ कि यमुना के ऊपर दिल्ली में दो-दो बैराज बना लिये गये और दोनों बैराजों में यमुना का पानी रोक लिया गया। तो इस तरह मान्यवर, इस नदी का पानी पहले पहाड़ों में रोका गया और फिर रहा-सहा दिल्ली में रोक लिया गया।

मान्यवर, हमारा 200 क्यूसेक पानी बराबर दिल्ली में लिया जा रहा है, जिसके लिये मैं हमेशा से कह रहा हूं कि 200 क्यूसेक वाला यह समझौता एक बार उत्तर प्रदेश से हुआ था, जब मुख्य मंत्री पंडित गोबिन्द बल्लभ पन्त जी थे। वह समझौता आज तक न तो पुनरीक्षित किया गया और न उसे बदला गया। उस समझौते में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उत्तर प्रदेश उसको बराबर पानी देता रहेगा और न ही उसके प्रतिकर का कोई उल्लेख है। मान्यवर, बिना कोई पैसा लिये यह दिल्ली को 200 क्यूसेक पानी रोज दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज भी इसका प्रतिकर निर्धारित कर दिया जाय, तो एक बहुत बड़ी धनराशि उत्तर प्रदेश के पास प्राप्त हो जायगी और उससे वह अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है, लेकिन वह भी नहीं किया गया। जो अपनी दिल्ली का मलमूत्र निकलता है, उसको भी राजघाट के पास सिंचाई के लिये प्रयोग कर लिया गया और दिल्ली के बाद यमुना में प्रवाह के के लिये कुछ बूंद पानी रह जाता है।

मान्यवर, इसी तरह आगरे की स्थिति, मथुरा की स्थिति आती है। मथुरा में गोकुल बैराज की घोषणा कर दी गयी। माननीय वर्मा जी कह रहे थे कि ताजमहल के नीचे पानी नहीं है, सारा सूख पड़ा है और मलमूत्र का ढेर पड़ा हुआ है। आप विदेशी यात्री की बात कहते हैं, उसको तो आप छोड़ ही दें, मैं यहीं के यात्री की बात कहता हूं और मंत्रीगण यहां बैठे हैं, अगर वह यमुना के उस ओर झांककर देखने की हिम्मत कर दें, तो मैं उनको दाद दूंगा। मान्यवर, इसी यमुना के जल में ताजमहल का जो बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रतिबिम्बित होता था, वह बिल्कुल तिरोहित हो गया है। हमारे तमाम कलाकारों ने जिसे अपनी कला में बांधा था, चित्रकारों ने अपने चित्रों में चित्रित किया था, वह सब खत्म हो गया। जो ताजमहल की अनन्यतम सुन्दरता यमुना के जल में चांदनी में दिखती थी, वह सब समाप्त हो गयी। अब वहां ढेरों कूड़ा-करकट का पहाड़ बन गया है और पूरे इलाके में गन्दगी फैली हुयी है। मान्यवर, आगरे में बहुत सी टेनरीज हैं और एक टेनरी तो बिल्कुल ताजमहल के नीचे है, उससे सटी हुयी है। कल-परसों इसी सदन में मैंने इसका मामला उठाया था। मान्यवर, ओखला-बिचपुरी-सिकन्दरा को जो सड़क जाती है, उस पर भी बहुत सी टेनरी बनी हुयी हैं, उनका सारा पानी सिकन्दरा नाले से निकलकर शहर में यमुना नदी में आकर गिरता है।

आपने भी स्वयं अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि इन सारे टैनरीज का पानी यमुना में आ रहा है। जो टैनरीज बनी हुई हैं, जो औद्योगिक बस्तियां बनी हुई हैं और जो रिफाइनरीज का शीशा मिला हुआ पानी आता है, वह सारा का सारा प्रदूषण यमुना में आता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि आगरा के अन्दर 8 बड़े नाले हैं। नगर विकास राज्य मन्त्री जी आप हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनिए, वैसे भी आपकी प्रज्ञा बड़ी तेज है, इसे भी हम जानते हैं। इन 8 बड़े नालों के गन्दे पानी को पहले विक्टोरिया पार्क के पास एक बड़े जलाशय में एकत्र किया जाता था और वहां से पम्प करके सीवर लाइन से इसे जोड़ दिया गया था। उसका एक बूंद पानी भी यमुना में नहीं आता था, वह सारा का सारा पानी गांवों में किसानों के खेतों में प्रयोग किया जाता था। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 1972 में 24 गूलें बनी थी, परन्तु आज उन 24 गूलों में से सिर्फ 4 गूलें शेष रह गई हैं, यह इस बात का साफ प्रमाण है कि जो ये गन्दे नाले व गूलें काम करती थीं, वे टूट गई हैं और सीवर लाइन के माध्यम से पम्प करके जो पानी इकट्ठा किया जाता था, वह नहीं हो रहा है और उसका सारा पानी यमुना में आ रहा है, ताजमहल के नीचे के तट से होकर यह पानी यमुना में निकल जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इन 24 गूलों की आप जांच करायें। आज केवल 4 ही गूलें रह गई हैं। आज आगरा में निरन्तर पानी की खपत बढ़ रही है तो निश्चित रूप से पानी का डिस्चार्ज बढ़ेगा और जब डिस्चार्ज बढ़ेगा तो जहां 24 गूलें थीं, वहां कम से कम 60–70 गूलें होनी चाहिए थी, परन्तु आज वहां पर 4 ही गूलें शेष रह गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आज आगरा के अन्दर लोगों को सड़ा हुआ पानी पीने को मिल रहा है और यमुना में गन्दगी बढ़ती जा रही है। ताजमहल की भव्यता और सुन्दरता के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, महल बादशाही के डाऊन स्ट्रीम पर एक बड़ा बैराज बनाया जाय, जिससे ताजमहल के नीचे की तलहटी में 6 फुट पानी भी रहेगा और उसकी भव्यता और सुन्दरता में और भी निखार आयेगा। परन्तु आपके विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट लगा दी कि यमुना के नीचे 7–8 फिट पानी रहेगा तो उससे खतरा हो जायेगा ताज महल को। पता नहीं आज यह खतरा कहां से पैदा हो गया है।

मान्यवर, जब हम पढ़ते थे तो हमने वहां पर 7–8 फुट पानी देखा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम वह महल बादशाही पर एक बैराज बनावें, उससे जो पानी ताजमहल की नीची तलहटी में आ गा तो उससे उसकी भव्यता सुन्दरता में और भी निखार आयेगा। अगर सरकार आवश्यक समझती है कि ताजमहल के पास अगर वह पानी की मात्रा बढ़ती है तो एक नहर निकाल दी जाय और यमुना की दूसरी तलहटी पर जहां आप नेशनल पार्क बनाने जा रहे हैं, लिफ्ट कैनाल बनाकर उस पानी को इस नेशनल पार्क को प्रोवाइड कर दिया जाय, परन्तु इसके साथ यह आप सुनिश्चित कर दें कि आगरा की जनता को पानी देने के लिए यमुना पर जो बैराज बनाया जाय, वह कहीं नहीं बल्कि महल बादशाही पर बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। सिंचाई के लिए इसकी आवश्यकता है, यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता है और आगरा के पर्यावरण के लिए भी यह आवश्यक है और सबसे अधिक मूल्यवान आवश्यकता है आगरा की जनता को शुद्ध पानी पिलाने की। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि यमुना के शुद्धीकरण के लिए पहला कारगर उपाय यह किया जाय कि यमुना के नीचे महल बादशाही के नीचे बैराज का बनाया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

श्री सतीश चन्द्र—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि इस गम्भीर विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने जब माननीय रघुवर दयाल वर्मा का वक्तव्य सुना था तो ऐसा आभास

हो रहा था कि आगरा की इस गम्भीर समस्या के प्रति जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उससे ऐसा मालूम होता है कि फिरोजाबाद से आगरा में बस रहे हैं और आगरा के तीनों सीटों को खतरा पैदा हो गया है । एक बात कहना चाहता हूं कि इधर और उधर का सवाल नहीं है, आगरा की गम्भीर समस्या है जिसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए । यमुना और गंगा प्रमुख नदियां हैं । भारत सरकार और राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं कि गंगा के शुद्धीकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है और शुद्धीकरण की दिशा में प्रगति हो रही है वहीं यमुना के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं हो सका है । जो प्रदूषण हो रहा है उससे स्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि सारे क्षेत्र में पेयजल की समस्या विषम हो गयी है । मथुरा और आगरा की तरफ निश्चित रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा, मथुरा वृन्दावन पवित्र धार्मिक स्थल हैं, खेद की बात है कि वहां पर भी स्वच्छ जल नहीं मिलता है । सीवर लाइन और दूसरे स्रोत हैं, जिनसे यमुना का जल प्रदूषित हो गया है । वहां पर साड़ी की छपाई का उद्योग चल रहा है । उसके कारण सारे केमिकल्स जो साड़ी छपाई में प्रयोग में आते हैं, उनको प्रयोग के बाद यमुना में छोड़ दिया जाता है, जिससे पीने के पानी की कठिनाई होती है । जिले में एक इंटरनेशनल कल्चरल एसोसियेशन आफ आर्ट्स है, उसने एक वृहद योजना मथुरा के लिए तयार की थी, सुझाव दिया था कि साड़ी छपाई उद्योग के लिए अलग से स्थान बनाया जाय, साड़ी धुलाई का काम यमुना में न करें । यह जो केमिकल्स यमुना में छोड़े जा रहे हैं, इन्हें बन्द कर दीजिए ।

एक-दो बातें और कहना चाहता हूं । एक बात यह है कि पानी बहुत कम है । एक बात और है आगरा में है । पानी को खींचने की क्षमता 300 एम0 एल0 डी0 और फिल्ट्रेशन 190 एम0 एल0 डी0 का है । विश्व बैंक द्वारा 90 एम0 एल0 डी0 का प्लान्ट लगाने की योजना दी गयी थी जो कि पूरा नहीं हो सकी है । जैसा राणा जी कह रहे थे इस बार फिर पानी के शुद्धीकरण की समस्या का सामना करना पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और नये फिल्ट्रेशन प्लान्ट को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास करे । माननीय सिंचाई मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस बार गर्मी में 200 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ देंगे । मुझे विश्वास है कि अपने आश्वासन की तरफ वह ध्यान देंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

(बैठे ही बैठे) कहां से छोड़ देंगे ?

श्री सतीश चन्द्र--

मुझे ऐसा आभास दिया गया था कि 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जायेगा । एक मिनट रुक जाइये, माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर में इसकी घोषणा कर ही देंगे ।

एक और परियोजना पीठम लोक की है जो कि पानी का बड़ा स्रोत है उसकी रिटेन्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना है । मान्यवर, समस्या गम्भीर है, हम चाहते हैं कि इस तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाय । हमें आशा है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और हमें पीने के लिए पानी अधिक से अधिक प्राप्त हो सकेगा ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री कौशिक रमाशंकर पीठासीन हुये ।)

*श्री बदन सिंह --

मान्यवर, मैं माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी का आभारी हूं कि वह यहां पर यमुना जल के प्रदूषण के सम्बन्ध में और उसके शुद्धिकरण के सम्बन्ध में उसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मान्यवर, यमुना नदी, गंगा नदी की ही भांति भारतवर्ष में पवित्र नदी मानी जाती है, यह यहां की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई नदियां हैं । लेकिन यमुना नदी के निकट बसे हुये कस्बों, महानगरों के निवासियों को पेय जल की आपूर्ति नहीं कराई जाती है और इसके लिए हम लोगों को जो गन्दा जल पानी में मिलता रहता है, वह उपयोग के लिए मिलता है । यह हम लोगों के साथ शासन का अन्याय है । अभी तक केवल गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा अथारिटी बनायी गई है जिसके लिए 200 करोड़ रु0 की धनराशि मंजूर की गयी, लेकिन यमुना नदी के लिए, उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना नहीं होती है तब तक यमुना नदी पवित्र नहीं की जा सकती है ।

इस नदी में सैकड़ों, हजारों रसायनिक अवशिष्ट बहाये जाते हैं, हजारों टन आधी जली लाशें, शिशुओं के शव बहा कर इसके जल को अपवित्र किया जाता है । यह जल पेशाब की तरह गन्दा बन जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिये अलग से इनडिपेन्डेन्ट अथारिटी बनायी जाय और उसके लिये धन का अलग से एलोकेशन हो, इंजीनियर्स का सेट-अप अलग से हो । जब तक इसके लिये अलग से इनडिपेन्डेन्ट अथारिटी नहीं बन जाती है तब तक इस नदी का पानी अपवित्र और प्रदूषित हो रहेगा । हमें याद है कि जब हम छोटे-छोटे थे और नदी में नहाने के लिये जाते थे तो वहां बहुत बड़े-बड़े कछुए पड़े रहते थे । आज दिल्ली से लेकर इटावा तक नदी में आपको कहीं भी एक भी कछुआ देखने को नहीं मिलेगा । आप इस नदी में कछुए डलवा कर और नदी के किनारे वृक्ष लगवाइये जिससे कि इसका पानी कुछ हद तक शुद्ध हो सके ।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यमुना नदी में जो गन्दे नाले डाले जाते हैं, एक तरफ 10 गन्दे नाले गिरते हैं दूसरी तरफ 6 गन्दे नाले गिरते हैं, इस तरह से 16 गन्दे नालों का पानी इस नदी में डाला जाता है । दो-तीन वर्ष पहले ढाई करोड़ रुपये की धनराशि नालों को टेप करके पानी बहा दिये जाने के लिये दी गयी थी हांलाकि आगरा में जल निगम विभाग की परियोजना बन गयी है, लेकिन अभी तक उसके द्वारा कोई कार्य हो नहीं पाया है और लोगों को गन्दे पेय जल को ही पीना पड़ रहा है ।

जैसा पानी हम लोगों को पीना पड़ रहा है इसलिए इस पर आपके माध्यम से मान्यवर सुझाव देना चाहता हूं कि आगरा जल प्रदूषण..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

श्री बदन सिंह जी अब समाप्त करें क्योंकि एजेंडा काफी बड़ा है माननीय सरदार सिंह जी....

(इस बीच भी माननीय बदन सिंह जी बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया) ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठायी गयी चर्चा पर हमें भी बोलने और विचार रखने का अवसर मिला ।

*श्री लोकपति त्रिपाठी (सिंचाई मन्त्री)--

श्रीमन् यहां पर यमुना के जल में प्रदूषण की बात चल रही है और पेय जल की समस्या पर बात चल रही है । श्रीमन् आप क्षमा करेंगे, आप भी स्वास्थ्य मन्त्री रह चुके हैं । प्रदूषण क्यों हो रहा है ? इस पर श्रीमन् राष्ट्रीय जल आयोग ने अपनी संस्तुति दी है कि नदियों (गंगा व यमुना) से जो जल प्रति दिन उठाया जा रहा है, यदि उसका 30 प्रतिशत पानी ही फिर उन्हीं में छोड़ दिया जाए और इस प्रकार से यदि नदियों की धारा बरकरार रखी जाए ताकि यह गंदगी स्वयं अपने आप बह जाए ।

श्रीमन् इस पर शासन द्वारा विचार हो रहा है कि गंगा यमुना के 1-1 बूंद पानी का उपयोग सिंचाई के कार्य के लिये हो और गंगा यमुना में जो जल का प्रवाह है, अब उन क्षेत्रों में जहां से होकर यह बहती है, जगह-जगह पर नलकूप लग गये हैं, जिनसे नदियां पानी लिया करती थीं, अब वह लेना बन्द हो गया है इन नलकूपों की बहुतायत की वजह से, इसलिए नदियों में पानी व धारा प्रवाह कम हो रहा है । जन-संख्या के बढ़ने के कारण पानी का उपयोग जिस अनुपात में बढ़ा उसी....।

(व्यवधान)

जैसा कि माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा....।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने जनसंख्या के बारे में जो कहा....।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी आप कृपया विराजें, माननीय मन्त्री जी खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, सभी जगहों का दूषित जल नालों द्वारा इस गंगा व यमुना में जाता है ।

(व्यवधान)

विपक्ष की ओर से एक सदस्य--

तो इन नालों को बन्द करवा दिया जाए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

नालों के बन्द करवाने से काम नहीं चलेगा और यदि नाले आप बन्द करवा देंगे तो यह पानी कहां फिर ले जायेंगे, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। तो श्रीमन् इस बढ़ते हुए नालों द्वारा बढ़ती हुयी गन्दगी और ऐसे जल का शुद्धीकरण करना आसान नहीं है, लेकिन इनका शुद्धीकरण करना पड़ेगा, इनकी गन्दगी एक तरफ रखनी पड़ेगी जो खाद्यों के रूप में काम आएगी फिर जल का शुद्धीकरण कर जल प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे श्रीमन् आज इन नदियों में गिरने वाले नालों की संख्या साढ़े सात हजार के करीब है, इस जल के शुद्धीकरण का काम श्रीमन् एक दिन में नहीं होगा, प्रयास हमारा प्रारम्भ हो गया है, शीघ्र ही होगा और हमारे यहां इस बारे में जो लोग संवेदनाशील हैं, उनका संवेदनाशील होना शत-प्रतिशत सत्य है। यह भगवान की कृपा है कि हमारे यहां जिस प्रकार से इन नदियों का प्रवाह है, इनको देखते हुए किसी भी क्षण कोई भयंकर महामारी पड़ सकती है। श्री सूर्य की कृपा है और राम कृष्ण भगवान की यह धरती है, जहां हम सब जीवित हैं। परन्तु आगरे के पीने के पानी के बारे में जो बात उठायी गयी....।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं एक बात पूछ लूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

नहीं आप विराजें....बाद में....

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पीने का पानी 200 क्यूसेक धारा प्रवाह बढ़ाने के लिए ईथम लेक से दिया जायेगा ताकि अच्छी धारा बनी रहे और यह पानी फिरोजाबाद व इटावा तक यमुना के किनारे-किनारे जब तक जाएगा, तब तक वहां वह गन्दी प्रवाह समाप्त हो जाएगी। अभी तीन दिन पहले आगरे में सवा 800 क्यूसेक पानी था और अब यह व्यवस्था 1.15 तक की जायेगी ताकि आगरे में जो पीने के पानी का संकट है, वह दूर हो सके।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय मन्त्री जी ने पूरे प्रदूषण की बात कही है, यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने का कार्य बहुत कठिन है, लेकिन मैंने जो आगरे की समस्या बतायी है, वह बहुत ही आसान है और उसको आसानी से हल किया जा सकता है। एक तो यह है कि आगरे में 8 नाले हैं और 1972 में एक योजना के तहत इन नालों को बांध कर शाहजहां पार्क के पास एक बहुत बड़े जलाशय में एकत्र कर दिया जाता था और यहां से उसे पम्प करके एक सीवर लाइन के द्वारा खेती के प्रयोग में आता था, लेकिन जो 1972 में 24 गूले बनायी गयी थीं, वह गूलें टूट गयी हैं और केवल 4 गूले रह गयी हैं। पानी की खपत बढ़ी है, तो डिस्चार्ज वाटर भी बढ़ गया है और इस कारण यह गूले 24 के स्थान पर 60-70 हो जानी चाहिये। सीवर लाइनों के टूट जाने से गन्दा पानी यमुना नदी में बहता रहता है। वहां के प्रदूषण को रोकने के लिये आवश्यक है कि इन गूलों को बनाया जाये, जो टूट गयी हैं, उनकी मरम्मत करायी जाये और जांच करायी जाये। दूसरी बात यह है कि आगरा से यमुना नदी पर एक बैराज

बनाया जाये, यह बैराज महल बादशाह के नीचे की बनना चाहिये और अगर यह बैराज बन जाता है, तो ताजमहल के पास 6 फिट पानी हमेशा रहेगा । इससे ताजमहल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा । यमुना में अगर पानी बढ़ता है, तो उसे लिफ्ट करके नेशनल पार्क की सिंचाई के लिये काम में लाया जा सकता है । यह दोनों ही कार्य बहुत ही आसान हैं । अगर इन दोनों कार्यों को पूरा कर दिया जाता है, तो आगरे की जो प्रदूषण की समस्या है, वह दूर हो जायेगी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आगरे में बैराज बनने का योजना स्वीकार हो चुकी है । 8वीं योजना में आगरा के सीवेज और जल वितरण के लिये योजना रखी जा रही है । संभवतः किसी विदेशी एजेन्सी से उसमें सहयोग प्राप्त किया जायेगा । अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यमुना नदी का जल बहुत प्रदूषित हो गया है । मथुरा और वृन्दावन में जो यात्री आते हैं, वह आचमन लेते हैं और स्नान करते हैं । वहां पर यमुना नदी ने एक गन्दे नाले का रूप ले लिया है । म्युनिसिपल, बायोलोजिकल गन्दगी है, फिरोजाबाद में जो फैक्ट्री है, उसकी जो गन्दगी है वह सब यमुना में आती है और उसका पानी प्रदूषित हो गया है । उसका पानी पीने के लायक नहीं रह गया है, बाहर से यात्री आते हैं और वह उसमें आचमन करते हैं और स्नान करते हैं । सिंचाई मन्त्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताजेवाला से ओखला से मई और जून में यमुना में इतना पानी छुड़वा दें, जिससे वहां की गन्दगी दूर हो जाये और लोग यमुना में आचमन और स्नान कर सकें । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बहुत परेशानी हो जायेगी । इस पर मैं माननीय मन्त्री जी का आश्वासन चाहता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मथुरा में दो चीजों से पानी आ सकता है, ओखला से आ सकता है, तो 50-60 क्यूसेक बढ़वा देंगे ।

विधान भवन के गेट पर हड़ताली बुनकरों द्वारा नारे लगाने और रास्ता रोकने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बुनियाद हुसेन अंसारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 3-4 हजार बुनकर गेट पर नारे लगा रहे हैं और रास्ता रोके हैं और 2 विधायक रुके हैं । बड़ी मुश्किल से मैं यहां पर आ सका हूं । उनकी उचित मांगें हैं और किसी ने उनकी बातों पर विचार नहीं किया है और कोई उनकी बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं है । 9 दिन की हड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने धरना दिया है । पुलिस डन्डा लिये खड़ी है, सामने रस्सा लगाये हुये हैं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और मन्त्री जी को निर्देश दें कि उनकी बातों को सुनें और कोई हल निकालें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी ने जो मामला उठाया है, उसको दिखवा लें। माननीय राज्य संसदीय कार्य मन्त्री जी, वहां पर धरने के कारण आने-जाने में अवरोध पैदा हो रहा है, कृपया इसको दिखवा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

कृपया बैठ जायं। मैंने बता दिया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, जो उनकी मांगें हैं ....।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस पर चर्चा का सवाल नहीं है। आपकी बात हो गई। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री वहां किसी को भेज रहे हैं। वे दिखवा लेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

उनकी जो मांगें हैं वह मैं आपके माध्यम से उन्हें भेजना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप सीधे संसदीय कार्य राज्य मंत्री के पास भेज दें। यहां से नहीं हो पायेगा क्योंकि यह किसी नियम के तहत नहीं है। इसलिये आप इसे स्वयं उनके पास भेज दें। यह सदन किसी नियम के अनुसार ही चलता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह सदन किसी नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। माननीय बुनियाद जी ने एक मामला उठाया है और आये दिन बुनकरों के बारे में यहां पर चर्चा होती रहती है। सरकार की तरफ से उनको आश्वासन भी दिया गया है। उनकी पूर्ति न होने के कारण यह समस्या पैदा हो गई है कि वे धरने पर बैठे हुये हैं और एसे स्थान पर बैठे हैं जहां से माननीय विधायकों के आने-जाने में परेशानी हो रही है। सदन उठने से पहले उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट कर दिया जाय और जो आश्वासन दिया गया है उसकी पूर्ति हुई है या नहीं इसकी जानकारी आज सदन उठने से पहले हमें मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आपने और माननीय बुनियाद जी ने बुनकरों के धरने के कारण माननीय सदस्यों के आने-जाने में व्यवधान से सम्बन्धित जो बात कही है उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री से कह दिया है कि वे स्वयं वहां जायं या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेज दें जो बुनकरों के धरने से यहां पर एक स्थिति पैदा हो गई है, उस पर विचार करें। इसमें सारी बातें आ जाती हैं।

*श्री अमर चन्द्र—

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो भावना यमुना जल के शुद्धीकरण हेतु रखी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मेरी बात का जवाब दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब वह बात हो गई।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

वहां पर कुछ विधायक रह गये हैं। उनके सम्बन्ध में व्यवस्था करा दें। धरना वहां पर चल रहा है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)--

मान्यवर, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं उसको स्वयं जाकर या किसी को भेजकर देख लूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा इसका पूरा प्रयास किया जायेगा।

यमुना जल के प्रदूषण के सम्बन्ध में यमुना नदी के जल के शुद्धिकरण की योजना के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, जो वास्तव में प्रदूषण होता है वह दिल्ली से होकर आगरा तक यमुना में होता है। वास्तव में सोचने की बात यह है कि कम समय में कोई ऐसी योजना बने जिससे यमुना के जल को शुद्ध किया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं अपने विवेकानुसार कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सिंचाई मंत्री मौजूद हैं सम्भवतः उन्हें इसमें कोई वजन नजर आये। मान्यवर, जब यमुना आगरा तक आ जाती है तो उसमें ताजमहल के पास एक बैराज बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि इस बैराज के साथ ही उसके जल के शुद्धीकरण के लिये अगर एक प्लांट लगा दिया जाय और उस बैराज से जो पानी निकले उसे शुद्ध करके अगर उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया जाय तो मेरी यह धारणा है कि कम से कम यमुना जहां पांच नदियों के संगम पर मिलती है वहां तक उसके जल में कहीं कोई प्रदूषण नहीं होगा और बीच में 100-150 किलोमीटर की दूरी पर जितने गांव हैं उन सभी को शुद्ध पानी मिलेगा।

मान्यवर, वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में नाले, उद्योगों का प्रदूषित पानी यमुना जल में मिलता है जिससे उसका जल आज जहर बन गया है। मेरे क्षेत्र में बटेश्वर तीर्थ-स्थल है पिछले साल वहां गर्मियों के दिनों में मछलियां और कछुवे पानी के प्रदूषण के कारण मर कर पानी में तैरने लगे थे जिससे महामारी फैलने की आशंका हो गई थी। मैं पुनः वर्मा जी की बात पर बल प्रदान करते हुये यह चाहूंगा कि कोई ऐसा प्लांट एक जगह पर लग जाय जिससे सारा गंदा पानी साफ होकर प्रवाहित किया जा सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव यमुना जल प्रदूषण को रोकने के लिये दिये। मैं आभारी हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी का जिन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया। मान्यवर, यमुना जल

प्रदूषण के सम्बन्ध में जब सर्वे कराया गया तो मथुरा तेल रिफाइनरी से जो प्रदूषित जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है उससे तेल व अन्य जहरीले पदार्थ मिश्रित गदगी यमुना में गिरायी जाती है। इस रिफाइनरी में आधा तेल बम्बई हाई से आता है और आधा विदेशों से आयातित होता है। आयातित तेल में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है मथुरा में यमुना के प्रदूषण का अनुमान यहां के पानी की जांच के निष्कर्षों से लगाया जा सकता है। जब इसका परीक्षण कराया गया तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डा0 अजमल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मेंगनीज और शीशा मथुरा के यमुना जल में सर्वाधिक पाया गया, औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र, लखनऊ की जांच रिपोर्ट में यहां के पानी में प्रति लीटर सस्पेंडेड सौलिड्स 116 मि0ग्रा0, डिजाल्व्ड सालिड्स 284 मि0ग्रा0, बी0 ओ0 डी0 9.5, सी0 ओ0 डी0 14, नाइट्रोजन 3.9, क्लोराइड 44, सल्फेट 36, फिलाइल 4, फ्लोराइड 7 पाया गया। इसके अलावा भारी धातुओं में तांबा, मंगनीज, लेड, आयरन, क्रोमियम, कैडमियम, निकिल और जिंक अवशेष भी कुछ मात्रा में पाये गये। इन सबका सामूहिक असर जीव-जंतु और आदमी सबके लिये खराब है।

तो जब इसका परीक्षण कराया गया तो यह रिपोर्ट सामने आई है इससे महसूस होता है कि यमुना का जल न नहाने के योग्य है और न पीने के योग्य है। मेरा सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि यदि हम वृन्दावन–बटेश्वर से इटावा तक की आबादी को लें तो यह करीब दो करोड़ की बैठती है माननीय मंत्री जी आपने हिंडन से प्रयागराज तक की बताई जो ठीक ही है 11 करोड़ बैठती है तो यह सब गंदा पानी पीते हैं। इतने में 7 हजार नाले इसमें गिरते हैं जिसमें मथुरा शहर की गंदगी, फिरोजाबाद का टूटा सीवर है और कैमिकल व कांच यमुना में गिरता है और गंदा पानी व मैला इकट्ठा करने के लिये जो जल निगम ने सीपेज फिरोजाबाद में बनाया है तो मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह उल्टा बन गया है, पम्प स्टेशन ऊंचा है और सीवर लाइन नीची है, इस कारण सारा सीवर चोक हो गया है। फिरोजाबाद की अलग समस्या है जिसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सीवरेज व्यवस्था जो खराब हो गई है, टूट गई है, जिसको बनाने में गल्तियां की गई हैं उनकी आप जांच करायें, सीवरेज नया बनायें, यह मैं मांग करता हूं। इसलिये मांग करता हूं कि क्योंकि इसका सारा गंदा पानी यमुना में जाता है और इसके कारण यमुना का पानी जो पीते हैं, स्नान करते हैं उनको त्वचा के रोग हो जाते हैं। पशु, गाय, भैंस पानी पीने के कारण दूध उनका प्रदूषणयुक्त होता है जिससे रतौंधी और त्वचा के रोग पैदा हो रहे हैं।

मान्यवर, आगरा में जो लेप्रोसी अस्पताल बना है, वहां के 20 गांवों का सर्वे किया गया, ताजमहल के नीचे के गांवों का सर्वे किया गया, यह सर्वे जापान के डाक्टरों की एक टीम ने किया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि जो 10 साल यमुना का पानी पियेंगे उनको कोढ़ होना स्वाभाविक है, यह कलंक की बात है और सरकार के लिये अभिशाप है। मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि बनारस से आप सम्बन्धित हैं, बनारस का प्रदूषण और शुद्धिकरण की बात कही गयी है, तो उसी तरह से आगरे में भी कई जगह स्नान होता है यमुना में और कई जगह हम लोग इकट्ठा होकर अपने धर्म की पूजा करते हैं जैसे वृन्दावन, मथुरा-बटेश्वर में स्नान होता है, तो यह लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिये निवेदन है कि यमुना जल में जब जापान के डाक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण की यह हालत है तो 11 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य का क्या होगा? इसलिये प्रदूषित जल को साफ करने पर ध्यान दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, अंतिम मांग है कि औद्योगिक प्रदूषण जो यमुना में आता है उसको रोकने में विभाग ने कोई काम नहीं किया है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये । महापालिका और नगरपालिका के लोग मैला डालने का काम करते हैं इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करें । नगर विकास मंत्री का विभाग यमुना को गंदा करते हैं इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करें । प्रदूषण बोर्ड इनके डर के कारण कार्यवाही नहीं करता है, इसलिये उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जायें । मंत्री जी आप अपनी बात दो मिनट में कहें ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (नगर विकास राज्य मंत्री)--

5 मिनट का समय मुझे दे दें ।

मान्यवर, यमुना नदी हरियाणा जिले के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश होती है और जितना आपने इस नदी के जल को प्रदूषित अपने विचारों से बताया है उसको हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया और उसने काफी कार्य इस दिशा में शुरू किये । इसके अतिरिक्त प्रदेश ने केन्द्र के साथ गंगा प्रोजेक्ट की तरह यह विचार व्यक्त किया कि यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिये जमुना प्रोजेक्ट बनना चाहिए लेकिन विचार-विमर्श के बाद निकला कि पहले गंगा प्रोजेक्ट पूरा हो जाये उसके बाद यमुना प्रोजेक्ट को लिया जायेगा और उसके बाद यमुना को भी लिया जायेगा । लेकिन जब तक नहीं लिया जायेगा, प्रदेश सरकार बिल्कुल सोई हुई नहीं है, उसने अपने जो कार्य किये हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं । मथुरा, वृन्दावन और आगरा की एक चर्चा है और उसमें पेयजल के बारे में..।

(व्यवधान)

आप भी सब्र रखें, मैंने आपकी बात सुनी है तो आप मेरी भी बात सुन लें । यह जो प्रदूषण है मथुरा का । यह प्रदूषण वहां पर एक तो रिफाइनरी के कारण होता है और दूसरे धोती ईश्यू के कारण बनता है । रिफाइनरी पर बाकायदा शुद्धीकरण का प्लान्ट लगा हुआ है और बाकायदा शुद्धीकरण करने के बाद वह पानी डिस्चार्ज करता है ।

जहां तक धोती वाले पानी का सवाल है । निर्देशों के आधार पर इसके लिए किया गया, लेकिन वह गरीब जनता इसको पकड़ कर ही चलती है । अब इस पर कोई प्रहार करते हैं तो वह दूसरे तरह से लिया जायेगा और उनका नुकशान होगा । जो निशानी नाला है, उसको ठीक करने की बात है, तभी प्रदूषण वहां पर समाप्त होगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

इसी तरह वृन्दावन में 18 नाले हैं, जिसका डिस्चार्ज है तब पानी पहुंचाया जा रहा है। और नालों को टेप करने के लिए 143 करोड़ रुपया देंगे तब वह हो पाएगा। इसके लिए भी कोशिश हो रही है। फिर आगरा का जो ईश्यू है, इसमें यह है कि इसमें 16 बड़े नाले हैं। इनमें कुछ करें और हम पूर्ण करें तो 64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत उसमें आयेगी। इस पर हम विचार कर रहे हैं, और इसके सम्बन्ध में 3 करोड़ रुपये की योजना पहले प्रथम चरण में प्रस्तावित हो चुकी है और बनने जा रहा है। इसमें 5 नाले टेप करने का प्रयास किया जायेगा और शेष कार्य आगे धन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा। इस बीच में वहां पर बैराज भी बनेगा, गोगुल और आगरा दोनों जगह का बैराज बनेगा। जल का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि प्रदेशीय स्तर पर हरियाणा सरकार के साथ बाकायदा इस पर चर्चा हो कि ताजेवाला से हमें और पानी मिले। क्योंकि जब यह पानी हमें ताजेवाला से मिलता है तो पहले उसे दिल्ली वाले लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का मिलता है। ताजेवाला से हमें और पानी उपलब्ध हो जाय तो हमें पानी भी मिलेगा और शुद्ध जल भी मिलेगा। हम इसके लिए प्रयत्नशील है कि हरियाणा से बात करें और इसका हल निकालें।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैंने बार-बार बल देकर कहा है कि नगर महापालिका की और टाउन एरिया की जो गंदगी गिरती है, उसके लिए वह क्या उपाय करेंगे, यह वह बता दें और फिरोजाबाद में जो सीवेज टूटा हुआ है उसको ठीक कराने की क्या वह बात करेंगे और जिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

धन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य नहीं हुए हैं। अब तो करेंगे, अब हम जरूर करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, क्या आप अपनी चर्चा कल के लिए स्थगित कराना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा--

जी नहीं। मुझे आश्चर्य है कि कल की आप बात कर रहे हैं। कल आप यदि विधान सभा चलाना चाहते हैं तो अवश्य कर दें।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं/नगरपालिकाओं टाउन एरिया क्षेत्रों से किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण किये जाने के विषय में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, अर्बन सीलिंग ऐक्ट के तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण पूरे प्रदेश की समस्या है। यह समस्या पूरे प्रदेश की है और हमारा प्रदेश बहुत विशाल है इसलिए मैंने अपने को आगरा तक ही सीमित रखा है। हमारे सभी सम्मानित सदस्य चाहे वह इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, सभी माननीय सदस्यों की यह गम्भीर समस्या है, उसका समाधान भी हम इस सदन के माध्यम से चाहते हैं उस दिन मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब मैं कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में इसी मामले को पेश कर रहा था, तो संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा था कि माननीय नगर विकास मन्त्री जी से परामर्श करेंगे और उनसे स्वयं सम्पर्क स्थापित करेंगे और उम्मीद है कि इनकी शंका का समाधान हो जायेगा। तो हम मान्यवर, चाहते हैं कि कोई शंका का समाधान हुआ है, समस्या का कोई समाधान यह खोज पाए हैं ? नगर विकास राज्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, वह बता दें। हम उम्मीद करते हैं कि वह जब उत्तर भाषण देंगे तो इस बारे में जरूर बतायेंगे।

मान्यवर, आगरा की समस्या के बारे में, मैं कहना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र ऐसा है जो शहर से तीन तरफ से सटा हुआ क्षेत्र है। और जो शहर का विकास हो रहा है वह हमारे क्षेत्र में हो रहा है। वह विकास हमारे क्षेत्र में दौड़ रहा है हमारे गांव की जमीन में दौड़ रहा है। नगर बढ़ रहे हैं उनकी आबादी बढ़ रही है तो उनके समस्या के समाधान की भी आवश्यकता है। नगर समस्या का समाधान सही रूप में होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि एक की समस्या दूसरे की समस्या बन जाए। यह जो नगरों को बसाने की समस्या है नगरों की आबादी को खपाने की समस्या है यह प्रदेश में किसानों की गाढ़ी कमाई और किसानों के जीवन के साथ यह भयंकर रूप से जुड़ गई है। अगर इस समस्या का समाधान न किया गया, तो किसानों का जीवन संकट में पड़ जायेगा। मान्यवर, आगरा विकास प्राधिकरण ने वहां पर प्लान बनाया था। यह प्लान 1974 में बना था। 1974 के प्लान की हमारे पास कापियां हैं। यह मास्टर प्लान है। मैं इसको आपके माध्यम से माननीय मंत्री तक पहुंचाने की याचना करूंगा। यह मास्टर प्लान 1974 में बना। मास्टर प्लान बनने के बाद में इस मास्टर प्लान का जो रूप था उसमें सन् 2001 तक जिस नगर को बसाया जाना था उसका नक्शा इसमें था। अब इसमें समस्या यह है कि जिसको 2001 में बसाना था उस जमीन को 2001 के पहले बसाया जा रहा है अब इसमें प्रश्न यह है कि 2000 तक जिस आबादी को बसना चाहिये था वह बसी या नहीं, अगर नहीं बसी है तो उसके लिए आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यह है, मैं यह बताना चाहता हूं कि 2000 तक जिस जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए था वह नहीं हुआ, और उससे पहले 2001 की जमीन को लिया जा रहा है।

मान्यवर, जो पांच-सात योजनायें आगरा विकास प्राधिकरण के हाथ में थी उसमें नगला बोदरा विस्तार योजना, सिकन्दरा योजना ताजनगर विस्तार योजना शमशाबाद विस्तार योजना आदि हैं। इसमें न तो पूरी जमीन में आवासीय भवन बनाये और न पूरी जमीन का जिस तरह से विकास होना चाहिये, पार्क बनने चाहिये और बाजार बनने चाहिए, उस तरह का विकास नहीं हुआ है। यह योजनायें पूरी

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

नहीं हुयीं लेकिन सन् 2001 तक की जमीन का एक्वीजीशन करने जा रहे हैं। कोई मास्टर प्लान बनाने के पहले जोनल प्लान बनाना चाहिए लेकिन जोनल प्लान नहीं बनाया जाता। लखनऊ में जोनल प्लान नहीं बनाया गया था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। कि जब जोनल प्लान नहीं है तो एक्वीजीशन नहीं होगा। यही बात आगरा विकास प्राधिकरण पर भी लागू होनी चाहिये वहां पर भी जोनल प्लान नहीं बनाया गया है इसलिए आगे की कार्यवाही को रोक देना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण इमरजेंसी काज दिखाकर आपात स्थिति दिखाकर एक्वीजीशन कर लेते हैं। तो यह इमरजेंसी काज क्या है इसे कम से कम प्राधिकरण को डिफाइन करनी चाहिये तब जमीन लेनी चाहिए। मकान बनाना तो आपात स्थिति में नहीं आता है। अगर कोई नहर निकलनी है, सड़क निकलनी है और उसके लिए इमरजेंसी काज दिखाकर जमीन ले ली जाती है तो ठीक है उसको मैं मना नहीं करता लेकिन आवासीय योजनाओं में इमरजेंसी काज दिखाकर

जमीन लेना अनुचित है। आज विकास प्राधिकरणों के अधिकारी करोड़ों रुपये डकार रहे हैं हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। विकास योजनाओं में मनमाने ढंग से जमीन ले लेते हैं इस पर रोक लगायी जानी चाहिए। हमारे यहां की जो समस्यायें हैं उनको मैं बिन्दुवार बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जिन गांवों की जमीन लेने जा रहे हैं तो बिचपुरी ब्लाक के चार गांव, जहतोरा, मोहम्मदपुर, लखनपुर और सोनारी तथा दूसरे ब्लाक के गांव बसई नगला मेवाती, चमरौली लकावली यह गांव हैं जिनकी जमीन लेने के लिए नोटीफिकेशन नगर महापालिका द्वारा किया जा रहा है। मैं यह नोटीफिकेशन आपको दिखा रहा हूं। (माननीय सदस्य ने नोटीफिकेशन को सदन में दिखाया।) इसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जिन गांवों की जमीन आप लेने जा रहे हैं वह नगर महापालिका सीमा में नहीं हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आगरा विकास प्राधिकरण को क्या अधिकार मिल गया है नगर महापालिका की सीमा के बाहर की जमीन लेने का अगर मिल गया है तो किस धारा के अन्तर्गत, किस नियम और किस कायदे के अन्तर्गत अधिकार मिला है यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसको सदन के पटल पर रखें कि किस नियम के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जमीन मास्टर प्लान में हरित पट्टी के रूप में दिखायी गयी है। इसमें यह प्राविधान है कि हरित पट्टी की जमीन आवासीय योजनाओं के लिये नहीं ली जाती है।

माननीय मंत्री जी यदि आप आपस में बात करियेगा तो हमारी बात आप नहीं सुन पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

यह आपकी ही बात कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, वह हमारी बात नहीं कर रहे हैं अपने घर की बात कर रहे हैं क्योंकि यह इनकी आदत है।

मान्यवर, जो हरित पट्टी है उसके लिये प्राविधान है कि उसको तभी अध्याप्त किया जायेगा जब हरित पट्टी को मास्टर प्लान में आवासीय योजना में परिवर्तित कर दिया जायगा। इसके लिये शासन की स्वीकृत प्राप्त की जायगी और शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद धारा 5 की नोटिस जारी होगी जिसमें जनता से उसकी आपत्तियां आमंत्रित की जायगी और आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही उसका निस्तारण किया जायगा और विकास प्राधिकरण आवश्यक समझता है तो अधिगृहण करेगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसके अन्दर हरित पट्टी ली जा रही है और जो शासन से उसके लिये स्वीकृति लेनी चाहिये वह नहीं ली गयी और जालसाजी का काम किया गया। 3 दिसम्बर, 1988 को प्राधिकरण की बैठक बुलायी गयी उसमें प्रस्ताव करके यह कहा गया कि इस जमीन को आवासीय योजना में बदल दिया जायगा। और बदलकर वहां की जमीन का एक्वीजीशन कर लिया जाय। यहां से स्वीकृति का पत्र पहुंचा नहीं।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम शरण दास पीठासीन हुए।)

उन्होंने एक्वीजीशन की कार्यवाही कर दी। यह शासन की स्वीकृति प्राप्त होने से पहले ही कर दी गयी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगरा विकास प्राधिकरण के ऊपर

आपका कोई नियंत्रण है कि नहीं ? नियंत्रण है, तो आप उससे पूछें कि किस नियम, कायदे, कानून के अन्तर्गत यह आदेश जारी कर दिया गया । पहले आवास योजना की स्वीकृति शासन से मिल जाती, तब वह करते । मान्यवर, एक काम और किया गया कि जो लैंड एक्वीजीशन की जा रही है और 3 दिसम्बर को एक बैठक बुलाकर उसको आवास योजना में बदल कर यहां पर जो प्रोसीडिंग भेजी गयी, मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए कि आपका शासन लुंज-पुंज बना हुआ है, 3 दिसम्बर को कार्यवाही हुई, वहां की बैठक की प्रोसीडिंग यहां पर आई और शासन ने स्वीकृति दे दी ? आप स्पष्ट करें सदन के सामने कि शासन ने यह स्वीकृति दिया है ? मुझे यह मालूम है कि शासन ने स्वीकृति दे दिया है । अगर स्वीकृति दे दिया है, तो वह स्वीकृति किस तारीख को और किस नियम, कानून और कायदे के अन्तर्गत दिया है ? मान्यवर, आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए कि इन्होंने हरित पट्टिका की जमीन आवास में बदल दी । मान्यवर, यह जो इसमें निकाला गया है, 1 जनवरी, 1989 तक इसमें आपत्तियां मांगी गयी थीं, जो इस नोटिस में है और यह सूचना इस अखबार में प्रकाशित हुई और अन्य अखबारों में भी प्रकाशित हुई । मान्यवर, यह जो सूचना किसानों के लिए प्रकाशित हुई, वह सबकी सब अंग्रेजी में है, बाकी एक लाइन ऊपर हिन्दी में है । मान्यवर, सारे किसानों को इन्होंने अंग्रेजी पढ़ा दिया । ये हिन्दी तो पढ़ा नहीं पाये हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ा कर इन्होंने किसानों को दक्ष कर दिया है । मान्यवर, ये अंग्रेजी में नोटिस प्रकाशित कर रहे हैं, केवल इसलिए कि न इसको किसान समझ पायेगा और न जान पायेगा । मान्यवर, किसानों को धोखा देने के लिए एसा किया गया है । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इसके बाद में यह पूछना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण को आपने केवल आवासीय भू-खण्ड बनाकर किसानों की जमीन को एक्वायर करने के लिए खुला छोड़ रखा है अथवा विकास प्राधिकरण को आप इस तरह से नियंत्रित करेंगे जो उनके अन्य कार्य हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे सड़कों का विकास, पार्कों का विकास, नालियों का विकास, नालों का विकास, पानी की निकासी का विकास, बिजली देना आदि ये जो अन्य सारे कार्य हैं, ये भी विकास प्राधिकरण के कार्य में आते हैं, अगर यह कार्य पूरा नहीं किया गया है, तो उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है । अगर हम अपने कमरे को साफ-सुथरा नहीं रख पाते, तो हमें बड़ी बिल्डिंग घेरने का अधिकार नहीं है । मान्यवर, कोई विकास का कार्य पूरा नहीं हुआ और इन्होंने एक्वीजीशन की कार्यवाही कर दी ।

मान्यवर, इन्होंने जो कालोनियां बसाई हैं, उनमें न पानी की निकासी है और न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, लोग दर-दर पानी के लिए तालों के किनारे चले जा रहे हैं ।

मान्यवर, यह सब अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि लैण्ड का कोई एक्यूजीशन बाजार मूल्य से कम पर नहीं होगा परन्तु यह क्या अंधेर गर्दी हो रही है । आगरा के अन्दर जो किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है वह 3 हजार रुपये बीघे पर विकास प्राधिकरण कर रहा है और वह एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेच रहा है यह मुनाफा कौन खा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है । किसानों को लूटकर, किसानों का खून इनके अधिकारी बैठकर पियेंगे और किसानों को 2 आंसू बहाने के लिए भी नहीं मिलेगा. तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस शासन की कुर्सी पर मंत्री जी को बैठने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, किसान की सात-सात पीढ़ियां तबाह होंगी तो उनके दुधमुहे बच्चे को जवाब कौन देगा कि किसने तुमको तबाही दिया है । मान्यवर, यह बहुत ही दर्द भरी बात है और इससे आप भी सहमत होंगे । मान्यवर, इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि किसान की जो जमीन अधिग्रहीत की गयी है वह

सारी की सारी जमीन को उन्होंने ऊसर और बंजर दिखाया है खसरा और खतौनी के कागज पर जब कि वहां दयालबाग माइनर, सिकन्दरा रजबहा, मघटई माइनर आगरा टर्मिनल नहर से निकलती है और उसके बीच में जो क्षेत्र बसा हुआ है उस क्षेत्र की जमीन को इन्होंने कैसे ऊसर और बंजर दिखा दिया और उसको बंजर दिखा दिया तो उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई मंत्री जी क्या आप के अधिकारी खुला भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ रखे गये हैं। मान्यवर, किसानों की जमीन को अनउपजाऊ और असिंचित दिखाया है और 3-3 हजार रुपये बीघे में उनकी जमीन ली गयी है। मान्यवर, यह है कि 1500 वर्ग मीटर जमीन आप किसानों के लिए छोड़ देंगे मैं पूंछना चाहता हूं कि अभी तक जहां जमीन ली गयी है किसानों को वहां 1300 वर्ग मीटर भी नहीं छोड़ी गयी, किसान रोता रहा, उसके बच्चों को बसाने के लिए उसके पास जमीन नहीं रह गयी उसके पास जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं रह गयी उसके लिए तो 1500 वर्ग मीटर की जमीन नहीं छोड़ी गयी। मैं चाहता हूं कि यह सब बहुत ही गम्भीर मामला है आप इस सब पर मंत्री जी विचार करें।

मान्यवर, इसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो आवासीय कालोनी है उस पर व्यवसायिक भूखण्ड बनाने की स्वीकृति दे दी। मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि हमारे यहां ताज नगर योजना चल रही है पूर्णतः आवासीय योजना है उसमें 3-3 भूखण्ड बड़े-बड़े होटल स्वामियों को दिये गये हैं आप इसका पता लगा ले, उनसे पहले 20-20 लाख रुपये लिये गये हैं रिश्वत में और कम दाम पर उनको जमीन दी गयी है। आवासीय योजना में व्यवसायिक भूखण्ड नहीं बन सकता, बनाया गया, अनियमितता हुई, जांच करायें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप आवासीय योजना के लिए किसानों की जमीन ले रहे हैं किसानों की रोटी-रोजी को छीन रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को करोड़पति बनने का अवसर दे रहे हैं। मान्यवर, जहां तक हमारी जानकारी है, आगरा विकास प्राधिकरण के अन्दर कोई सेक्रेट्री और कोई प्रशासक आज तक गया हो और करोड़पति से कम होकर न लौटा हो, करोड़ों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उनके पास जमा है। मान्यवर, किसानों की जमीन को बंजर दिखा रहे हैं, किसान तबाह हो रहा है और अधिकारी करोड़पति हो रहे हैं यह कैसी व्यवस्था आपने लागू किया है इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह जमीन नगर महापालिका के अन्दर थी। यह हरित-पट्टिका की जमीन है। इसका एक्जीक्यूशन नहीं हो सकता था। यह 2001 के मास्टर प्लान में दिखायी गयी थी यह गैर कानूनी काम हो रहा है, इसलिये आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप ऐसी न्याय की, सच्चाई की, शासन की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कोई भी किसी तरह का जीवन्त कोई मामला है, आत्मा गवारा करती है, मैं गरीब किसानों के लिये मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार की आद्योपरान्त जांच करा दीजिये और उनके न्यायसंगत अधिकारों को बचाएं और उन आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रतिबन्धित कीजिये। किसानों की आत्माएं दुआएं देंगी और उत्तर प्रदेश विधान सभा का स्वर्णिम इतिहास बनेगा कि आगरा की समस्या को उठाया गया तथा माननीय सदस्यों ने सरकार को आरूढ़ कर दिया कि किसानों के साथ न्याय करे। किसानों के साथ न्याय करने की मिसाल कायम कर दीजिये। बहुत घड़ियाली आंसू बहाए हैं, इस गलत कार्यवाही को तुरन्त रोक देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही को तुरन्त रोका जाय।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

मान्यवर, मैं श्री राणा जी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ प्रदेश की और विशेष तौर से आगरा की ओर ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश से मान्यवर, आगरा की

स्थिति कुछ भिन्न है । आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म सेन्टर है और जितने लोग आगरा में आ रहे हैं, उसमें बसने के लिये, उनसे आगरा की आबादी बढ़ रही है । इसलिये कि आगरा में विशेषता होती है । ये सौभाग्यशाली हैं कि आगरा के रहने वाले हैं । वहां पर विदेशों के वर्ल्ड के सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज राणा जी के माध्यम से वहां पर मिलता है । दो-तीन मुद्दों की ओर राणाजी ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया । एक तो यह कि जो नगरों में, बहुत लम्बा है, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, 50 परसेन्ट आबादी नगरों में अपने आप बढ़ी है और नगरों में 50 परसेन्ट अपने आप वर्थ के कारण बढ़ी है और ग्रामीण अंचल के लोग जो रोटी-रोजी की तलाश में नगरों में आ रहे हैं, उनके आने के कारण उनको आवासीय सुविधा मिलना आवश्यक है । अभी राणा जी ने कहा कि 2001 तक के मास्टर प्लान के अन्तर्गत उनकी सीमाएं अधिकृत करनी चाहिये थीं । यह सही है, लेकिन 2001 तक के मास्टर प्लान में मान्यवर, कोई भी विकास प्राधिकरण, यदि दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है तो इसका इंतजार नहीं किया जा सकता कि इतनी ही जमीन 2001 तक अधिग्रहीत की जायगी । दूसरे राणाजी को जानकारी की बात कहूंगा कि नगर महापालिका की जमीन है, उससे प्रदेश में जितने विकास प्राधिकरण हैं, वे 8 किलोमीटर और आगे अधिग्रहण करते हैं । उनको जानकारी है । नगर महापालिका की म्युनिसिपल लिमिट से कोई नगर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, उससे 8 किलोमीटर आगे तक जाते हैं । तो आगे जाने की जो बात है कि आगे बढ़कर कर दिया है, यह समझ लेना चाहिये कि आगे का कैसे अधिग्रहण किया ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, मैंने जो कहा, आप नहीं समझे । मैंने यह कहा कि जमीन का 2001 तक का मास्टर प्लान बनता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है और आगे विकास करते हैं तो आपके पास कायदे कानून होने चाहिये । उसके अनुसार चलेंगे या बिना कायदे कानून के करेंगे ? कायदा यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले उस जमीन को जिसको यह आवासीय बनाना चाहते हैं, उसको मास्टर प्लान जो योजना है उसको पुनरीक्षित करे, पुनरीक्षित करके हरितपट्टिका को आवासीय घोषित कर दें । मंत्री जी हरितपट्टिका और आवासीय में अन्तर समझते होंगे । हरितपट्टिका के नाम पर रोक लगायी जाती है किसान अपनी जमीन को बेच नहीं पायेगा किसान को फायदा पहुंच सकता है, तो रोक लगा दी । विकास प्राधिकरण को जमीन बनाने के लिये अधिकृत कर दिया, यह गलत है । आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, लेकिन आगे बढ़ाने का कोई कायदा कानून तो होगा । यह नियम मेरे घर का नहीं है । यह नियम आपने बनारखा है । कायदा यह है कि मास्टर प्लान हो पुनरीक्षित करे, जो हरितपट्टिका की है उसमें आवासीय में पहले बदले, शासन में स्वीकृति ले, 3 दिसम्बर की बैठक में पूरी कार्यवाही कर लें, शासन से स्वीकृति नहीं ली गयी और आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, मैं पूरी बात कह नहीं पाया हूं, माननीय सदस्य खड़े हो गये थे । आगरा के मास्टर प्लान की योजना 1975 में स्वीकृत थी, उसके अनुसार विकास प्राधिकरण आगे बढ़ा है उसके अलग कोई हरितपट्टि अधिग्रहण नहीं की गयी है । दूसरे कभी-कभी इमरजेंसी की बात है । एक तो वह धारा 4 के अन्तर्गत हम नोटिस देंगे धारा 5 में आगे आपत्तियां लेंगे । ई0 डब्लू0 एस0 की कालोनी है, तब मान्यवर 4-5 को रोक कर इमरजेंसी पावर में 4/17 करते हैं । 4/17, विशेष तौर पर जब हम ई0 डब्लू0 एस0

कालोनी, गरीब लोगों को बसाने की बात हो, 4/17 इमरजेंसी पावर के रूप में करते हैं हर जगह नहीं करते हैं। मुआवजे की बात, किसानों के साथ ज्यादती वाली बात कही। विशेष तौर से आगरा के बारे में कहना है वह यह है कि कम्पनसेसन, मुआवजा आगरा विकास प्राधिकरण या नगर महापालिका नहीं देते हैं, स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर वह देते हैं वहां के, आगरा के स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपका न्याय चाहता हूं, संरक्षण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मननीय राणा जी बोल लेने दे, इन्हें पहले।

श्री विजय सिंह राणा--

मानचित्र में 1974 के मास्टर प्लान में जिन जमीनों को हरितपट्टिका घोषित किया था वह तो नगर महापालिका की सीमा के बाहर मान ली गयी 8 कि0 मी0 से ज्यादा है, नगर महापालिका सीमा के अन्तर्गत नहीं. हरितपट्टिका से बाहर जमीन है वह ली जा रही है यह कह रहे हैं कि वह नहीं ली जा रही है। यह तो मैं सच बोल रहा हूं या मंत्री जी सच बोल रहे हैं। दो सच तो हो नहीं सकते या भी सच कह रहे हैं हम भी सच कह रहे हैं। एक बात सच होगी मेरी बात या आपकी बात। अगर मेरी बात झूठी है तो सदन में झूठ बोलने के लिये मुझे दंडित किया जाय, माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को सदन के सामने झूठ बोलने के लिये दंड मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

इसके आगे मंत्री जी बोल लेंगे कोई स्पष्टीकरण होगा तो मांग लीजियेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। सदन के सामने झूठ बोला गया है, या तो मने बोला है, अगर मैंने बोला है तो मुझे दंड देना चाहिये, मंत्री जी ने बोला है तो मंत्री जी को दंड देना चाहिये इन दोनों में कौन सा सच है।

श्री अधिष्ठाता--

यह आप लिखकर दे दीजिये।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, एक ही स्थान पर चर्चा चलती रहेगी।

श्री अधिष्ठाता--

छोड़िये, उसे, माननीय मंत्री जी चर्चा जारी रखिये।

श्री नरेश चन्द्र--

राणा जी ने एक दूसरी बात उठायी वहां के किसानों के कम्पनसेशन की, मुआवजा सही समय पर नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल पा रहा है। एक बात बताना चाहता हूं खासतौर से कि लगभग अब तक 453 एकड़ जमीन का अधिग्रहण विकास प्राधिकरण

द्वारा किया गया उसमें मान्यवर, लगभग 453 में 4 करोड़ 91 लाख रुपया हमने दिया है । लैन्ड एक्वीजीशन आफीसर को 5 करोड़ 36 लाख दे चुके हैं, उसमें हम 30 परसेन्ट देते हैं, 12 परसेन्ट को अतिरिक्त पैसा देते हैं और 9 परसेन्ट ब्याज देते हैं, इस तरह उनको हम इतना पैसा दे चुके हैं । होटल वाली एक बात राना जी ने कही और होटल में भूमि के अधिग्रहण के बाद नोटीफिकेशन की बात कही । मान्यवर, नगर महापालिकायें केवल नोटिफिकेशन की नोटिस देती हैं और गवर्मेन्ट द्वारा अधिग्रहण होता है । गवर्मेन्ट उसको एक्वायर करती है, नगर महापालिका उसको डाइरेक्ट एक्वायर नहीं करती, नोटिस दे सकती है । मान्यवर, इन्होंने एक बहुचर्चित बात कही कि 3 दिसम्बर, 1988 को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया । मान्यवर, यह विकास प्राधिकरण के लिये नहीं किया गया था बल्कि जोनल प्लान के लिये किया गया था । यह 10 जनवरी, 1989 को किया गया है । मान्यवर, वसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस वक्त मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसके लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये दो ही संस्थायें हैं, एक विकास प्राधिकरण और दूसरा आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण का ही काम है कि वह नगरों की आबादी की समस्याओं को हल करे । आवासीय समस्याओं को हल करने के बाद बहुत सी कालोनीज के देख रेख की बात भी माननीय राणा जी ने कही । मान्यवर, विकास प्राधिकरण और आवास विकास, कालोनी बनाने के बाद महापालिका को हैन्डओवर कर देती है और बिजली, पानी, सड़क, खड़न्जा, इन सब का रखरखाव महापालिका करती है जैसे इन्दिरा नगर, राजाजीपुरम् में आवास विकास ने कालोनी बनायी और अलीगंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और तीनों कालोनियां महापालिका को हैन्डओवर हो गयीं । इसी तरह मान्यवर, राणा जी ने सन् 2001 के प्लान की बात कही कि हम एक ही तरफ बढ़ते चले गये । मान्यवर, जब इन्डस्ट्रियल स्टेट बन गया और कालोनीज बन गयी, उधर लोग बसते चले गये, तो उधर ही विकास प्राधिकरण भी बढ़ता है ।

दूसरी एक और बात सिंचित उपजाऊ जमीन की कही । मान्यवर, विकास प्राधिकरण लैन्ड एक्वीजीशन आफीसर से एक प्लान जमीन ले लेता है और स्पेशल एक्वीजीशन आफीसर यह तय करता है कि जमीन सिंचित है या असिंचित है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी मार्केट वैल्यू के एक्यूवेलेन्ट होगी, उसी को आगरा विकास प्राधिकरण ने दिया है और आगे भी उसी को देने के लिये वह बाध्य है । लेकिन मान्यवर, मार्केट वैल्यू का वैल्यूशन कोई आफीसर ही करेगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं । मंत्री जी ने बाजार मूल्य के बारे में बताया कि एक अधिकारी बैठेगा, वह इसको करेगा । बाजार मूल्य बढ़ा है और मऊ, जगतपुर में ।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, आमने-सामने बहस मत कीजिये । अपना स्पष्टीकरण बाद में ले लीजियेगा । यह इस तरह बीच मे ठीक नहीं है ।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं लम्बा भाषण न करके माननीय मंत्री जी के सामने आम आदमी की पीड़ा और परेशानी के लिए निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, शहरी भूमि सीमा आरोपण एक अधिनियम है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि को छूट मिली है

यह जो आपका मास्टर प्लान लागू हुआ है, इसने शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही डिफीट कर दिया है। मास्टर प्लान में कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई छुट देने का प्राविधान नही किया गया है और यही समस्या की मूलजड़ है। उत्तर प्रदेश में जो ये 42 मुख्य नगरपालिकायें हैं, यहां मास्टर प्लान लागू हुआ। समस्या यह है कि जो महापालिकाओं की सीमा रेखा है, उससे 8 कि0 मी0 चारों तरफ की जगह को मास्टर प्लान में ले लिया गया और कृषि भूमि को छूट नहीं दी गई। सरकार जो कानून बनाये हैं कि शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत जो कृषि भूमि को छूट मिली है, मास्टर प्लान में भी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् में भी इसका प्राविधान करिये कि कृषि भूमि को छूट दी जाय।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो आपका यह प्लान बना है, मौके पर कुछ और है और कागज पर कुछ और है। आप इसका निरीक्षणण करायें। मौके पर मकान बना है और कागज पर मैदान दिखाया गया है। अब मकान आप गिरा नहीं सकते हैं, इसलिए आप कागज और मौके पर निरीक्षण कर इसे देखें और इसकी जांच करायें।

तीसरा, निवेदन यह है कि इसी सरकार ने घोषणा की है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिनके पास जमीन नहीं, उनको जमीन दी जायेगी। जिनके पास रोजी नहीं होगी, उनको रोजी दी जायेगी और जिनके पास मकान नहीं होगा, उनको मकान दिया जायेगा। माननीय नगर विकास मंत्री जी आपका यह आवास विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण और मास्टर प्लान ये तीनों मिलकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बधियां उधेड़ रहे हैं। जो लोग एक-एक व डेढ़-डेढ़ बिसवा के स्वामित्व वाले सब्जी पैदाकर और छोटे-मोटे काम करने वाले लोग अपने जीवन का गुजारा कर रहे है, उनकी जमीन ली जा रही है और जो आपका बड़ा आदमी है, वह लखनऊ आकर 10, 15 व 20 हजार रुपये देकर किसी न किसी तरह अपनी जमीन पर छूट करवा ले रहा है। अभी माननीय सदस्य ने आगरा की बात कही, मैं आपको बनारस का निमंत्रण देता हूं माननीय मंत्री जी, मैं नाम नहीं लूंगा, परन्तु जो बड़े-बड़े लैण्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने मास्टर-प्लान से विकास परिषद् से और विकास प्राधिकरण से छूट करवा ली है, किन्तु जो एक-एक व डेढ़-डेढ़ बिसवा के सब्जी पैदा कर अपना जीवन-यापन करने वाले लोग हैं, उनको लपेट दिया गया है। जब रुपया चल गया तो इसे लागू होने में देरी लगी। एक तुलसीपुर की योजना है, जहां कागजों में खुले मैदान दिखाये गये हैं, वहां मौके पर मकान बना दिये गये हैं। बड़े-बड़े कोलोनाईजर ने कृषक से जमीन खरीद ली है। किसान से वह कहने लगे कि सरकार तो मिट्टी के दाम लेगी, हम आपको अच्छा दाम दे रहे हैं। आवास विकास परिषद् ने अपना नक्शा बनाया, प्राधिकरण ने अपना नक्शा बनाया, परन्तु मौके पर मकान बन गये तो क्या आप अब इस योजना को रद्द करेंगे या जो लोग मकान बनवाये हैं क्या उन्हें आप गिरवायेंगे। मैंने तीन बातें रखी हैं। पहली, जिस प्रकार शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम में कृषि भूमि को छूट मिली है, उसी प्रकार आप अपनी योजनाओं में भी कृषि भूमि को छूट दिलवायें। दूसरा, नक्शा और मौके पर दोनों की जांच करवायें। नक्शे में मैदान है, परन्तु वहां निर्माण हो गया है, तो उन निर्माणों को दण्डित करने के स्थान पर उन्हें भी छूट दिलवायें। एक सीमा निर्धारित की जाय कि इतने सीमा तक के स्वामित्व के लोगों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा, तब जाकर मान्यवर, गरीब बचेगा और प्रदेश की समस्या हल हो पायेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बिन्दुओं पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द्र—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मद संख्या 11, 12 व 48 से 63 तक आज का जो एजेन्डा है, हमारा यह सदन 11.00 बजे पूर्वाह्न से चलता है, 12

बजे रात तक चलने पर तब जाकर कहीं 13 घण्टे हो पायेंगे। मद संख्या 11, 12 और 48 से लेकर 63 तक 15 घंटे हो रहे हैं, किस तरह कार्य पूर्ण होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

जितना चलेगा, चलेगा, आप बैठ जाइए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपका आभारी हूं। मैं माननीय सदन के सामने कुछ मौलिक बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं।

गांव उजड़ रहे हैं, शहर बन रहे हैं। गांव में जो बसते हैं उनको भूत कहा जाता है, शहर में जो बसते हैं उनको देवता कहा जाता है। जमींदारी एबालीशन एक्ट को देखें। इसमें है कि खेती की जमीन खेती के काम में ही प्रयोग होगी। जब यह महापालिकाओं की सीमा बढ़ाते हैं और खेती की जमीन को एक्वायर करते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं, तो सारे गांवों का नक्शा इकट्ठा किया और एक नक्शा मास्टर प्लान को बनाकर सरकार को भेज दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बिना किसी की आज्ञा के, बिना घोषणा के, बिना किसान को नोटिस दिये, मास्टर प्लान का नक्शा बनाते हैं, जो कि गैर कानूनी है। जब तक उस जमीन जो नगरपालिका की सीमा में आकर भू-उपयोग चेन्ज न हो जाय तब तक मास्टर प्लान के नक्शे में उसका आना गैर कानूनी है। जो नक्शे मास्टर प्लान के बनते हैं, सारे प्रदेश में किसानों की जमीन को लेकर हरित पट्टी के नाम पर प्राइवेट कालोनाइजर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि किसानों को बरबाद किया जाय। किसान की जमीन आबादी के लिए एक्वायर की कि जिनके पास जमीन नहीं है मकान नहीं है, उनको आबाद करेंगे। जो शहरी जमींदार हैं, उनकी जमीन को कैसे एक्वायर करते हैं, उसके ऊपर कोई रोक है या नहीं सर्वेक्षण कराकर देख लें। गांव के खेत की जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के मुताबिक सीमा बनायी अरबन सीलिंग में जो 50 हजार गज में या 10 एकड़ में मकान बना रहा है, उस पर कोई सीलिंग नहीं लागू है। गाजियाबाद में चन्द्रलोक कालोनी है, 400 एकड़ जमीन में बनायी जा रही है, क्या कोई सीलिंग है ?

इसी प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने कालोनाइजर्स जमीन ले रहे हैं, हरित पट्टी को घोषित की जा रही है। मास्टर प्लान बन रहा है। मुझे जानकारी है कि भू-अर्जन में भू-उपयोग परिवर्तन में महकमा किस तरह से करोड़पति बन रहा है, यह चीज छिपी नहीं है। एक भी पत्रावली बता सकते हैं जिसका भू-उपयोग बदला गया हो। टाउन प्लानर के यहां पत्रावली कितने दिनों तक पड़ी रहती है ? इसीलिए इसमें से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। इकस क्षण सर्वे कराने की आवश्यकता है। अगर आपकी सरकार में हिम्मत है कि कोई भी खेती के योग्य जमीन आबादी बनाने के लिये क्रय नहीं कर पायेंगे, कानून का परिपालन सुनिश्चित करेंगे। घोषणा की जानी चाहिये, कर दें घोषणा कि यदि किसान अपनी जमीन को खेती के लिये बेचना चाहे तो उसका तो वह हकदार है। आवास विकास परिषद् के चेयरमैन गुफरान जाहिदी साहब। आप भी अध्यक्ष हैं आवास विकास परिषद् के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान तो अपनी जमीन खेती के लिए बेच सकता है। उसे आपने यह भी अधिकार दिया है कि वह अपने भू-उपयोग को चेन्ज करायें तब, वह बेच सकता है, क्या आप ऐसा कोई कानून बनायेंगे ? यदि आप उसको इसके लिये इजाजत नहीं देते हैं तो यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है और उनके अधिकारों पर कुठराघात है और उसका शोषण है।

यहां जो सरकार के वकील बैठे हुए हैं और बराबर उसकी वकालत करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भू-उपयोग चेन्ज करने का अधिकार किसानों को ही हो ऐसा कानून बनाये । जो आवास-विकास और प्राइवेट कालोनाइजर्स के लिए सरकार चेन्ज करती है, यह सारा धन्धा चुनावी दृष्टिकोण को लेकर चंदा लेने और कोलोनाइजरों के करोड़पति बनाने को किया जा रहा है, इसको आप बन्द कीजिये और किसानों के प्रति हो रहे शोषण को रोकिये । कानून की इस विषमता की जानकारी किसान को जब होगी तो वह आप को माफ नहीं करेगा ।

दूसरी बात नगरपालिकाओं की और महापालिकाओं की सीमा बढ़ाने के लिए आप किसानों को आप अपना भोजन बनाना चाहते हैं । क्या आप ऐसा कोई कानून बना सकते हैं कि जो गांव का किसान एक नोहरे में रह रहा है उस किसान से आप कहें कि तुम दो बीघा, तीन बीघा जमीन में अपना मकान बना लो ? जमीन, माननीय मंत्री जी, नरेश चन्द्र के नाम से है और उनके लड़के के नाम आप उसको नहीं मानेंगे । इसी तरह से खेत में जिसका नाम है, उसके पूरे परिवार को आप मानिये, प्रति बच्चे के लिये आप उसे मानिये । जब तक आप इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे तो यह सफेद पोश सरकार और इसके आई0 ए0 एस0 अफसर प्रदेश को खा कर चले जायेंगे और पूरे प्रदेश के गरीब किसानों का नुकसान हो जायेगा । माननीय खान गुफरान जाहिदी साहेब, भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार किसानों को मिले, भूमि के परिवर्तन का अधिकार किसानों को मिले, हरितपट्टी पर नक्शा टाउन प्लान बिना किसान की भूमि लिये आपको तैयार नहीं करना चाहिये । इस तरह से प्राइवेट कालोनाइजर्स ने जो किसानों की भूमि हड़प ली है, उसका आप भू-परिवर्तन किसान से करिये और उनके खिलाफ जांच बैठाई जाय और दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय विजय सिंह राणा ने महत्वपूर्ण विषय रखा है जो किसानों से सम्बन्धित है और अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत किसानों को जो भूमि अधिग्रहीत की जाती है, इसके लिये भी कोई नीति नहीं है और बराबर किसानों के साथ अन्याय होता है और उनकी भूमि अधिग्रहीत करने का काम प्रदेश में चल रहा है । माननीय राणा साहेब को अपने क्षेत्र के लिए वेदना थी इसलिए उन्होंने अपने को अपने ही क्षेत्र तक सीमित रखा, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी टाउन एरिया है और उनसे लगी हुई किसानों की जो भूमि बहुत ही सस्ते दर पर नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा और आवास-विकास परिषद् के द्वारा उसे अधिग्रहीत किया जा रहा है ।

मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगर सीमा आरोपण ऐक्ट जो है, उसका पालन इसमें क्यों नहीं हुआ ? नगरों में हजारों बड़े-बड़े आदमियों की कोठियां 7-8 एकड़ जमीन में बनी हैं, ऐसे में नजूल की जमीन भी है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि नागरिकों को छूटी हुई जमीन में बसाया जा रहा है । यह सरकार [×××] और गुण्डों को, असामाजिक तत्वों को जो उसके सामने थे, को जमीन दे दी और उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और आबादी बढ़कर नगरों के लिए एक समस्या जो पैदा हो गई है । इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हूं कि जहां भी आज यह विकास प्राधिकरण के नाम से जमीनें अधिग्रहीत कर रहे हैं जो निर्माण कार्य रहे हैं और इनमें गांवों में रहने वाले लोग आकर नहीं बस रहे हैं, यहां वह लोग बस रहे हैं जिन्होंने काले धंधे करके अनाप-शनाप पूंजी एकट्ठा कर ली है वह आज यहां पर कोठियों पर कोठियां बनवाते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, किसानों की जमीन तो आपके एक आदेशानुसार प्रतिबन्धित कर दी थी कि 10-12 एकड़ से अधिक जमीन कोई किसान अपने पास नहीं रख पाएगा, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि इन शहरों में रहने वाले लोगों के पास कितनी कोठियां एक साथ रह सकती हैं और एक-एक कोठी में कितनी-कितनी जमीन रह सकती है, यही वजह है कि आज इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इन कोठियों में रहने वालों का हिसाब-किताब लगवाया जाये तो मालूम होगा कि इनके पास कोठियां अधिक हैं या इनके अंदर इनके रहने वाले परिवार के आदमी ? तो मालूम होगा कि परिवार में रहने वाले आदमियों की संख्या कम है और कोठियों की संख्या ज्यादा है। इसलिये मैं सुझाव रूप में कहना चाहता हूं कि किसानों की जमीन उस वक्त तक न ली जाए तब तक इन बड़ी-बड़ी कोठियों में जिनमें 8-8 व 10-10 एकड़ भूमि छूटी हुई है, पहले इन भूमि को अधिग्रहीत किया जाये उसके बाद किसानों की भूमि नगर सीमा से जो कहा गया है कि 8 किलो मी0 तक आगे की ली जा सकती है। नियमानुसार, तब तक वह क्यों ली जाती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि इन भूमि का पहले सदुपयोग किया जाये बाद में आगे की सोची जाये।

मान्यवर, इसके साथ-साथ जो जमीनें आप अधिग्रहीत करते हैं किसानों की जमीनें वह बहुत कम रेट पर करते हैं और इन बेचारे किसानों के बीच जो बिचौलिए कालोनाईजर्स के रूप में होते हैं, वह सब के सब भूमि अधिप्राप्ति अधिकारी से मिलकर कई गुने कम पर दरें निर्धारित करवा लेते हैं और उनकी जमीन को जो शहर के करीब है, तहसील रेट पर ले लेते हैं और फिर इस जमीन को इन कालोनाईजर्स द्वारा विभिन्न विभागों को बाजार रेट पर दी जाती है। इस प्रकार से यह बिचौलिए किसानों को एक-एक स्थान पर 15-15 व 20-20 लाख रुपयों तक लूट रहे हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आज हो रहा है मान्यवर, और अधिकारियों से मिलकर यह लूट किसानों की हो रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों की जितनी भी जमीनें कहीं पर भी अधिग्रहीत की जाती हैं, जिनका पैसा विभिन्न किस्तों में बांटा जाता है, बल्कि उनकी समस्त भूमि का पैसा उस जमीन के कब्जा प्राप्त करने से पहले-पहले भुगतान कर दिया जाए और जब तक पूरा भुगतान न हो जाए तब तक उन्हें अपने खेतों पर खेती करने से न रोका जाए, वह उस पर बराबर खेती करते रहें, इसके साथ-साथ जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जैसे आवासीय योजना, इसके तहत उन्हें भी एक-एक हजार वर्ग मीटर के दो प्लाट दिये जाये और जिन परिवार की जमीनें ली गई हैं, जिनके पास सिर्फ एक एकड़ ही भूमि खेती के लिए रह गई है, ऐसे परिवार में से एक व्यक्ति को नियमानुसार नौकरी भी मिलनी चाहिये, वरना एक दिन अवश्य आने वाला है कि यह जो विकास अधिग्रहण व आवास-विकास परिषद् द्वारा जहां पर चाहते हैं, बोर्ड गाड़ देते हैं और किसानों की जमीन एक प्रकार से माटी के मोल ले रहे हैं, उनको उखाड़ कर यह जनता अलग फेंक देगी और जो शहरों में बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हुई हैं उसमें अपने आप जाने पर मजबूर हो जायेगी, इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय राणा जी को बधाई देता हूं कि इस पर मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर मिला और माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि जब वह इसका उत्तर भाषण देने खड़े होंगे तो वह मेरे प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य देंगे।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय राणा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है, जिस पर आज आवश्यकता है कि गम्भीरता से विचार हो कि जो समस्या आज शहरों में उत्पन्न हो गई है । यह एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में कि देहातों से शहरों की ओर इन्फलक्स हो रहा है और यह माइग्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और शहरों की आवासीय समस्या दिन व दिन जटिल होती जा रही है । सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि शहरों में पूरे तरीके से जमींदारी नहीं समाप्त हुई है, उसको मुकम्मल तरीके से समाप्त कर देना चाहिये और जब हमने एबोलिशन की ओर कदम उठाया तो एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल में तकसीम कर दिया और उससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और जमींदारों का शोषण बाकी है । दूसरी समस्या यह है कि नाजायज अतिक्रमण बहुत हो गये हैं, इनक्रोचमेंट बहुत हो गये हैं । जमीनों पर बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया है । जो जमीन तालाबी आराजी की थी, उसको जमीन को बेचकर जमींदारों ने पैसे कमा लिये । उन पर मकान बन गये और अब उनको हटा पाना बड़ा कठिन हो गया है । तीसरी बात यह है कि जो जमीन अब एक्वायर की जाती है, उसका समुचित मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है । उनकी मांग रही है कि मुआवजा बाजारू मूल्य पर किया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि शहर में जमीन की कीमत बहुत बढ़ रही है मैंने जब प्रतापगढ़ शहर में मकान के लिए जमीन लिया था, तो 500 रुपये बिसवा के हिसाब से लिया था और आज हमारे मकान के बगल में मकान बन रहा है, वह 50 हजार रुपये में बन रहा है । तो कहने का आशय यह है कि जमीन की कीमत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है । तो यह समस्या है । किसानों को उनकी जमीन का समुचित मुआवजा मिलना चाहिये । कालोनाइजर करने के लिए जमीन ली जाती है, तो जो उनके पास के छोटे रकबा वाले किसान हैं, उनको बड़ी परेशानी हो जाती है । वही उनकी जीविकोपार्जन का साधन होती है । उसको यह आशा रहती है कि जमीन है, तो उसके सहारे कुछ न कुछ करके जीविकोपार्जन कर लेंगे । इसलिए यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है । मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि हम छोटे-छोटे जो बाजार हैं, टाउन हैं और जो छोटे-छोटे मारकेट हैं, उनको डेवलप किया जाये । इससे इनफलक्स कम होगा । छोटे-छोटे स्थानों पर अगर आप सुविधायें देंगे तो लोग शहरों में कम आयेंगे और हमारी यह समस्या कम हो सकती है ।

*श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, राणा जी ने जो समस्या रखी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, इनका नगर प्राधिकरण बना हुआ है, जो नगर का विकास करता है । किसानों की जो जमीन होती है, उसको यह अधिग्रहण कर लेते हैं और किसानों की जो रोटी का सहारा होती है, उसको छीन लेते हैं । किसानों की जो जमीन एक्वायर की जाती है, वह बहुत कम रेट पर ली जाती है और जब यह उसी जमीन को देते हैं, तो बहुत अधिक रेट पर देते हैं । जो मुआवजा दिया जाता है, वह भी एक साथ नहीं दिया जाता है, किश्तों में दिया जाता है । मान्यवर, गाजियाबाद में सस्ते दाम पर किसानों से ली गयी जमीन को 3 हजार प्रति गज के हिसाब से बेचा गया है । यह समस्या इस इसलिये है कि जो सुविधायें शहर में हैं, वह गांवों में नहीं मिल पाती हैं और इसलिये लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, अगर गांवों में यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुविधायें मुहैया की जाये, तो समस्या का समाधान हो सकता है । यह समस्या हल हो पायेगी ।

मान्यवर, एक अजीब तमाशा है कि जो किसान अपनी भूमि किसी दूसरे परपज के लिये अक्वायर करना चाहता है जिससे कि उसे आवास की सुविधा मिल सके तो आप उसे अनुमति नहीं देते हैं । आगरे के बारे में आपने बताया । जो प्राइवेट कालोनाइजर्स हैं जब वे किसान की भूमि खरीदते हैं तो जो आपके चीफ टाउन प्लानर्स हैं

[समय 3 बजकर 20 मिनट पर]

उन्हें 50 हजार या 1 लाख रुपया देकर उनको तो परमीशन मिल जाती है लेकिन किसानों को वह भूमि नहीं मिल पाती है । जो दलाल हैं, जो नागरिकों को लूटते हैं उनको परमीशन मिल जाती है । मान्यवर, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नगर क्षेत्र के जितने भी विकास प्राधिकरण हैं वे अंधाधुंध तरीके से भूमि का अधिग्रहण करते हैं उनसे यह कहा जाय कि पहले वे जो जमीन अधिग्रहीत किये हैं उसका वे इस्तेमाल करें । मान्यवर, अगर नगर की सीमा से लगे गांव दहनारा, मोहम्मदपुर, लखनपुर, में सुनारी तथा इस नगर के दूसरी ओर जो सीमावर्ती गांव बसई, तोरा, चमरोली, नालासेवाली तथा लाकावली हैं, यहां के किसानों की कृषि भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण ने भूमि अध्यापन के सभी नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं को बलाये ताक पर रखकर अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई है जो नितान्त अनियमित तथा अवैधानिक है । मान्यवर, जिन गांवों में किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वे गांव नगरमहापालिका की सीमा के अन्तर्गत नहीं हैं । अतः वहां भूमि अध्याप्त नहीं हो सकती है किन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया नियमों के विपरीत उस भूमि को अधिग्रहीत किया जा रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों की जो भूमि इस तरह से आप अधिग्रहीत करते हैं उसका एक चौथाई आप उन्हें दे दें । यदि उनकी चार एकड़ भूमि ली गई तो एक एकड़ उनको दे दें ताकि वे भी अपने भवन उस पर बना सकें । आप उनकी यह भूमि कामर्शियल परपज के लिये ले रहे हैं । जितने भी आपके विकास प्राधिकरण हैं वह सब इसी कामर्शियल परपज के लिये ले रहे हैं । इसीलिये उनको आप उस भूमि का एक-चौथाई दे दें ।

आपके विकास प्राधिकरणों में जितने भी चेयरमैन हैं उनके पास अपार सम्पत्ति है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ब्रह्मदेव हैं, उनके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पकड़ी गई । इसको दिखवा लिया जाय । लखनऊ में ही देख लिया जाय । अन्धाधुन्ध तरीके से किसानों की जमीन ली गई है । ये लोग उस जमीन की बन्दरबांट करते हैं जैसे कि खैरात बंटती है । इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जिस किसान की भूमि आप लेते हैं उनके बच्चों को चाहे उसके चार बच्चे हों या 6 बच्चे हों उन सभी को प्राधिकरण की सेवा में ले लिया जाय और दूसरी बात यह है कि जब तक वे पहली अधिग्रहीत भूमि का इस्तेमाल नहीं कर लेते तब तक दूसरी भूमि एक्वायर न की जाय । 1/4 जमीन उनके पास छोड़ दी जाय ताकि वे भी अपने आवास बना सकें । जो किसान सस्ते दाम पर अपनी जमीन दे रहे हैं उनको भी कुछ जमीन मिल जाय और वे अपने प्लाट काट सकें । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राणा जी को बधाई देना चाहता हूं ।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि विकास प्राधिकरणों में जितने भी लोग नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकों की सीमा में है जो अनुसूचित जाति के हैं उनकी जमीन जबरदस्ती ली जाती है । वह 40 वर्ष से 50 वर्ष से जो लोग उस जमीन पर काबिज हैं उनकी जमीन ली जा रही है । चाहे लखनऊ में हो, बनारस में हो, कानपुर में हो जहां गरीब जाति के लोग बसे हुये हैं उनकी जमीनें जबरदस्ती ले

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ली जाती है। अभी कुछ रहीमनगर के लोग मेरे पास आये थे। मैंने मुख्य मंत्री जी को उसके बारे में लिखा था उसकी जांच हुई, क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला। इससे किसानों का और गरीब हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी इन गरीब लोगों की जमीन, जैसा कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक सरकार की योजना है कि अगर उस जमीन में कोई गरीब या अनुसूचित जाति के लोग बसे हों तो उनके लिये 50 या 100 गज जमीन रहने के लिये दी जाय। 30 जून, 1985 का भू-राजस्व का कानून हमने पास किया है कि उनको बेदखल नहीं किया जायेगा। उनके घर गिरा दिये जाते हैं और उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। यह हमारी जनप्रिय सरकार है और यह जनता का हित सोचती है। इसलिये उस नियम को नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया में यह किया जाय जिससे अनुसूचित जाति के लोग बेदखल न हो सकें उनका उत्पीड़न न हो सके। अरबन सीलिंग ऐक्ट, 72-73 में संशोधन कर दिया जाय जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा मिल सके।

मान्यवर, वाराणसी में विकास प्राधिकरण में पिशाच मोचन में आवासीय योजना के लिये विज्ञापन हुआ जिसमें छोटे भवनों के लिए 14 हजार में देने के लिये कहा गया।

44 हजार में 66 हजार में मकान दिये जायेंगे इस बात का एडवरटाइजमेन्ट हो गया कि पिशाचपोचन में अनुसूचित जाति के लोगों को गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मकान दिये जायेंगे लेकिन बाद में उसके तिगुने-चौगुने रेट कर दिये गये जिससे आवंटी लोग पीड़ित हैं और कोर्ट का सहारा ले रहे हैं इन भवनों में खराब मैटीरियल इस्तेमाल किया गया है और गलत सीमेंट इस्तेमाल हुआ है जिससे यह नष्ट हो रहे हैं और इस प्रकार इनमें निरीह गरीब लोगों की जान चली जायेगी। इसलिये इसकी जांच विशेष दल से कराई जाय और आवंटियों को राहत दी जाय, उदाहरण के लिये एल-29 आवंटित भवन की जांच करा ली जाय, जो एडवरटाइजमेन्ट हुआ उसके अनुसार भवनों के रेट लिये जायं जब तक वह न हो जाय तब तक किश्तों पर रोक लगा दी जाय। प्रत्येक विकास प्राधिकरण में, लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं या डेपुटेशन पर हैं उनको पुराने रेट पर भवन आवंटित किये जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि हम लोगों को भी पुराने रेट पर प्लाट एवं मकान दिये जायं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका अवश्य परीक्षण कराकर तत्काल कार्यवाही करेंगे और मुझे भी सूचित करेंगे ताकि इन सभी बिन्दुओं का परीक्षण हो सके और गरीबों को राहत मिल सके।

इस विभाग में आरक्षण कोटा भवनों के आवंटन और नौकरियां में शीघ्र पूरा किया जाय। विकास प्राधिकरणों में और आवास विकास परिषद् में गरीबों की तथा अन्य लोगों की जमीनें ली गयी हैं उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाय और मुआवजा देकर ही भूमि का आवंटन किया जाय। आज गरीब किसानों का उत्पीड़न हो रहा है उदाहरण के लिये इंदिरानगर लखनऊ में आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने राणा जी द्वारा रखी चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया। माननीय सदस्यों ने बहुत सारे बिन्दुओं पर चर्चा की। मैं संक्षेप में एक बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

नगरपालिका, नगर महापालिका और टाउन एरियाज में किसानों की जमीन अधिग्रहीत उन एरियाज को सुन्दर (इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये) बनाने के लिये करते हैं लेकिन जिनकी जमीन ली जाती है उनकी जो हालत होती है उसको संक्षेप में मैं कहूं तो उनको आप भिखारी बना देते हैं उनके पास आजीविका चलाने के कोई साधन नहीं रह जाते हैं आपके नगर जरूर महक जाते हैं लेकिन गरीब किसानों को जिनकी जमीन ली गयी है उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें। विकास प्राधिकरणों की जो आपने योजना चलाई है उसमें दो बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो यह कि जो विकास प्राधिकरण बनते हैं वह इस उद्देश्य से बनते हैं कि शहरों का विकास हो, उनका फलाव हो जनसंख्या क्षेत्र विशेष में एकत्र न हो, उसे कम किया जाय लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा इससे आप शहरों में आबादी को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि शहर से बाहर के लोग भी जमीन लेते हैं जब आप प्लाटिंग करते हैं उस वक्त बाहर के लोग भी आ जाते हैं इस अपरोक्ष रूप से नगरों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि बड़े शहरों के लिये लोगों का आकर्षण बढ़ता है और वह शहरों में आ जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आज बहुत बड़ा एजेंडा है मैं चाहूंगा कि दो-दो चार-चार मिनट में सबकी बात आ जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी--

तो मैं कह रहा था कि जहां आप शहर में आबादी का भार कम करने की योजना आप बनाते हैं वहां अपरोक्ष रूप से भार बढ़ जाता है। दूसरी बात जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप किसानों की जमीन ले लेते हैं उसमें कोई काम नहीं होता है लेकिन किसान भुखमरी के लिये मजबूर हो जाता है। जिनकी जमीन लेते हैं उनको रोजगार के साधन मुहैय्या कराई जाय। उनके लिये कोई स्कीम चलाई जाय। मैं उदाहरण देना चाहता हूं नैनीताल में विकास प्राधिकरण बना है उसका काम शुरू नहीं हुआ। न कोई उसका नियम, कानून बना, लेकिन उसका टैक्स वसूलना शुरू हो गया है। प्राधिकरण और नगरपालिका के बीच में टैक्स में विवाद पैदा हो गया है और जो मकान मालिक हैं उनको दो-दो भार झेलने पड़ रहे हैं, एक नगरपालिका का और दूसरा विकास प्राधिकरण का, इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर ध्यान दें और कोई सार्थक हल निकालें।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कृषकों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है नगरपालिकाओं में और नगर महापालिकाओं में और ज्यादातर जमीन आवास विकास परिषद् लेता है। किसानों के लिये सबसे बड़ा घातक है। उसके आप मान्यवर, अध्यक्ष है क्या यह उचित है कि उसकी चर्चा आपकी अध्यक्षता के सामने हो? आप अधिष्ठाता है, उचित होगा कि आप यहां अपने आसन पर आ जाते और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को वहां बिठाते वरना समझा जायेगा कि चर्चा में आप आवास विकास परिषद् का समर्थन करना चाहते हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

वैसे तो आपकी बात में वजन है, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं यहां से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, एक सदस्य खान गुफरान जाहिदी भी हैं वह जब

वहां होंगे तो जो जवाब देना चाहता हूं वह दे दूंगा। आपकी बात में वजन है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप आ जायें।

डा0 रजनीकान्त दत्त--

मान्यवर, मन्त्री जी का ध्यान में आकर्षित करते हुये दो तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पहला बिन्दु है विकास प्राधिकरण किसानों की जो भूमि अपनी योजना के लिये अवाप्त करता है, यदि साल भर के अन्दर बाजार दर पर किसानों को पैसा न अदा करे तो साल भर बाद समझा जायेगा कि वह अवाप्त की नोटिस समाप्त हो जायगी और दुबारा जब नोटिस होगी तो जो बाजार दर जमीन की होगी उसके हिसाब से पैसा दिया जायेगा।

(इस समय 3 बज कर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुये)

दूसरा बिन्दु है कि जो आवासीय योजनायें विकास प्राधिकरण चला रहा है उनको वह न चलाकर किसान लोग किसान सहकारी आवासीय कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर आवासीय सड़कों और भवनों का निर्माण करें और पूरा-पूरा लाभ उठायें। धन्यवाद।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न है, मैं चाहूंगा आइटम नं0 55 और 60 वक्तव्य के पहले ले लेते तो सुविधा होती।

श्री अधिष्ठाता--

जो चल रहा है उसे चलने दें, जल्दी ही समाप्त कर रहे हैं।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, काफी बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण विकास प्राधिकारी और अवास विकास परिषद् द्वारा किया जा रहा है इसमें सन्देह नहीं है। मान्यवर, इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो सुझाव है कि जिस क्षेत्र में आवासों की आवश्यकता हो उस क्षेत्र विशेष के किसानों को एक सोसाइटी बनाने की अनुमति दी जाये और वह अपने हिसाब से सोसाइटी बनायें और अपनी जमीन को स्वयं बेचें इससे किसान को काफी लाभ होगा और तब उनका शोषण नहीं होगा।

दूसरा सुझाव है कि सस्ते दर पर जमीन आवासीय योजनाओं के लिये उपलब्ध कराने की जो बात है तो। मान्यवर, किसान ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि वह अपनी उस जमीन से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, उस नगर महापालिकाओं और विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद् तथा प्राइवेट आवास समितियों को सस्ते भाव पर दे दे। तो जब यह सोसाइटियां बन जायें तो सब्सीडी देकर कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन-प्लाट उपलब्ध कराये जायें। उनको इस तरह भूमि अत्यधिक कम दाम पर लेकर उनका शोषण न किया जाय। शहरों के अन्दर बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, जिसमें 50-50 और 60-60 बीघे जमीन हैं। उनमें विगत कई वर्षों से कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी है। आगरा में भी ऐसी कई बड़ी-बड़ी कोठियां हैं। वह अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण उनका अधिग्रहण नहीं होने दे रहे हैं। तो एक ओर जो किसानों के पास 2-4 बीघे की थोड़ी जमीन है, उसको आप सस्ती दर पर अधिग्रहण कर रहे हैं और वे किसान मुखमरी के शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े-

बड़े रईस हैं, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके अपनी जमीन बचाये हुये हैं, और चोर बाजारी से उसका सौदा बड़े-बड़े कालोनाइजर्स से करके करोड़ों-करोड़ों का फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब मालूम पड़ता है कि किसी की चिन्ता इसमें है, नहीं, इसे समाप्त करें।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं और टाउन एरिया में आमतौर से हर जगह किसानों की बहुत कीमती जमीनों का अधिग्रहण होना शुरू हुआ है और बहुत जगह पहले से ही है। यह जमीन चूंकि टाउन एरिया, नगर पालिकाओं और महापालिकाओं के करीब रहती हैं, उनकी कीमत इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आवास विकास द्वारा उनकी जमीन ली जा रही है या आवास समितियों द्वारा ली जा रही हैं और इससे करोड़ों-करोड़ों रुपये का मुनाफा आवास विकास कर रहा है और प्राइवेट आवास समितियों के लोग भी भारी कमाई कर रहे हैं। इससे किसानों को बहुत लूटा जा रहा है और जो जमीन ली गयी हैं, उन पर जो मकान बनाये जा रहे हैं, उनमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भवन निर्माण में जो मैटीरियल उनमें इस्तेमाल हो रहा है, वह बहुत घटिया किस्म के हैं और जिनको उनका आवंटन हो रहा है, वह लोग भी बहुत घाटे में रहते हैं। आवंटन में भी बहुत रुपया वसूला जा रहा है। किसानों की एक तरफ जमीन सस्ते में ली गयी और उस पर जो मकान बनवाया गया, चाहे जिसने बनवाया....।

श्री अधिष्ठाता—

यह विषय तो जमीन के अधिग्रहण का है।

श्री राज किशोर सिंह—

उसी पर तो कह रहा हूं। उसका किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता है। इससे उनकी रोटी-रोजी छिन रही है। उनका और कोई रोजी का जरिया नहीं है। हमारे बनारस में 12 किलोमीटर में मास्टर प्लान योजना है। उसमें बनारस के करीब के कई गांव आ गये हैं। सुन्दरपुर और नवादा आदि तमाम अच्छे-अच्छे गांव उसमें आ गये हैं। यहां सैकड़ों-सैकड़ों बीघा जमीन ली गयी है। अभी शिवपुर और तुलसीपुर का भी योजना चल रही है। इन जमीनों पर गरीब किसान शाक सब्जी आदि पैदा किया करते थे। अब वह बेजमीन हो गये हैं और सरकार ने इनकी रोजी-रोटी का कोई इंतजाम नहीं किया है। उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। और आज आमतौर से उनकी भुखमरी की स्थिति है। उनके परिवार के किसी भी आदमी को नौकरी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है यहां तक कि उनका अपना मकान बनाने के लिये भी जगह नहीं छोड़ी गयी है मास्टर प्लान में सारी योजनायें बन गयी हैं और अर्बन सीलिंग जो ऐक्ट है उसके तहत कार्यालय बने हुये हैं। अगर कोई किसान अपने मकान के लिये जमीन लेना चाहता है तो उसे छूट नहीं होती है, अगर होती भी है तो उसमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। उनकी झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं। यही स्थिति करीब-करीब हर नगर महापालिका और टाउन एरिया के अन्दर हो रही है। यह सही है कि शहरों के अन्दर आबादी का बोझ पड़ रहा है। बाहर से ज्यादा लोग आ रहे हैं और वह मकान का निर्माण कर रहे हैं। शहरों का विकास होना चाहिये यह बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसानों को तो उसका उचित मूल्य मिलना चाहिये किसानों को इसका उचित

मूल्य नहीं मिल रहा है। उनको उचित मूल्य सरकार नहीं दिलवा पा रही है। और बड़े-बड़े लोग सैकड़ों एकड़ जमीन फंसा कर रखे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है उसको मनमाने ढंग से वह बेच भी रहे हैं। उसमें कोई रोकथाम नहीं है और किसानों की जमीन को लेकर बेघर-बार कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इस पर रोक होनी चाहिये। किसानों को मकान के लिये जमीन दी जानी चाहिये। आजकल 6 हजार 7 हजार पर फुट जमीन हो गयी है जहां टाउन एरिया हैं। अब तो देहातों की जमीन की भी कीमत बढ़ गयी है, तो यह सारे सवाल किसानों की जिन्दगी से जुड़े हैं। सरकार जब किसानों की जमीन ले तो उसके बदले उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था भी करनी चाहिये। तभी जा कर जो परिवार उजड़ रहे हैं वह आबाद हो सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं इस प्रश्न को माननीय राणा जी ने संसद में उपस्थित किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह समस्या बहुत गम्भीर है और किसानों के हित का सवाल इसमें है दोनों पक्षों के लोग किसानों की वकालत करते हैं माननीय मन्त्री जी किसानों के हित की रक्षा करें। हमारे आवास विकास परिषद् के अध्यक्ष खान गुफरान जाहिदी साहब हैं उनको भी किसानों के हित में कदम उठाना चाहिए इस सम्बन्ध में, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा--

पहला सुझाव तो यह है कि जो जमीन आप कालोनियों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत करते हैं उसका मूल्य बाजार भाव से किसानों को मिलना चाहिए। आवास विकास परिषद् या जो भी संस्थायें, जमीन अधिग्रहण करती हैं उनके द्वारा किसानों को मार्केट दर से पैसा मिलना चाहिए। यह आप सुनिश्चित करें।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि कालोनियां बनाते हैं, उसमें किसानों की भूमि जो लेते हैं, उसमें एक प्लाट, जिस मूल्य पर लेते हैं, किसानों को भूमि उसी मूल्य पर प्लाट दें, जिस पर वह मकान या दुकान बना सके, ऐसी सुविधा अवश्य दें।

आप नियमों में संशोधन करें कि जिस किसान की भूमि ली जाती है उसको एक प्लाट आवासीय या दूकान वाला दिया जायगा। दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस किसान की जमीन आप लेते हैं उस किसान के परिवार के एक व्यक्ति को आप सेवा में अवश्य रखें। अगर वह अनपढ़ है तो उसको चपरासी में रखें, पढ़ा-लिखा है तो उसको क्लर्क बनायें और यदि तकनीकी योग्यता रखता है तो उसको कोई तकनीकी पद दें ताकि किसानों को सहारा मिल सके। अगर ऐसा करेंगे तो आपको यश मिलेगा और जाहिदी साहब की जयजयकार होगी। केवल आवास विकास का काम बढ़ाकर, आवास विकास का धन बढ़ाकर आपको यश नहीं मिलेगा। किसान की जो जमीन लेते हैं तो किसान को राहत दें तो आपको यश मिलेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, प्रदेश की नगर महापालिकाओं/नगरपालिकाओं/टाउन एरिया क्षेत्रों से किसानों की भूमि के अधिग्रहण किए जाने के विषय में श्री विजय सिंह राणा द्वारा दी गई सूचना पर जो चर्चा हो रही है मैं उस पर बोलने जा रहा हूं। मान्यवर, विकास प्राधिकरण अभी नए बने हैं और आवास एवं विकास परिषद् जो है वह 1966 से बना हुआ है। इसी तरह से हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम वगैरह-वगैरह बहुत से

आवास काम कर रहे हैं। 3–4 महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आये हैं जो हमारे साथियों ने उठाये हैं। यह सुझाव किसानों के हक में हैं और मैं इनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी जमीन ली जाय उसको मुआवजा पूरा न मिले, मैं समझता हूं कि यह बात अपने में बेइन्तहायी वाजिब है और ऐसी चीज होना भी चाहिए, जो वाजिब रेट है वह किसान को मिलना चाहिए। सोलेशियम 15 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या जो इंटरेस्ट वाजिब है वह उसको अवश्य मिलना चाहिए। जबसे उसकी जमीन ली गई है और जब उसको पैसा दिया गया है तो उसके बीच के समय का उसको इंटरेस्ट देना चाहिए।

माननीय मैनेजर सिंह ने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने 3 बातों को उठाया है। एक तो यह कि जिनकी जमीन ली जाय उसको सही वक्त पर मुआवजा मिले। दूसरी बात यह है कि उचित मुआवजा मिले और तीसरी बात जिसकी जमीन ली गयी है उसको प्लाट या मकान दिया जाय।

मैं इन्हीं बातों के सम्बन्ध में आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं तो एक एजेंसी का अध्यक्ष हूं आपके सहयोग आपके प्रेम से। तो हमारे यहां विस्थापितों के लिए एक रेज्योल्यूशन है जिसकी हम जमीन लेते हैं उनको मकान आदि दिए जाते हैं। आज गांवों में खेतों में मकान बन रहे हैं। गांव बढ़ रहे हैं। हर छोटा गांव बड़े गांव में तब्दील हो रहा है। बड़ा गांव टाउन एरिया और टाउन एरियाज शहरों में तब्दील हो रहे हैं। छोटे शहर बड़े शहर बनते जा रहे हैं और आबाद होते जा रहे हैं। जैसा कि हरीश जी ने तुलसीपुर योजना की बात कही मैं उस सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। सवाल यह है कि 1984 का जो लैंड एक्यूजीशन का सेंट्रल गवर्नमेन्ट का कानून है उसमें साफ लिखा है कि किसी की जमीन ली जायगी तो 80 परसेन्ट एवार्ड का पैसा पहले दे दिया जायगा। हमारी तरफ से इसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है इसको एनाउन्स करते हुए मुझे खुशी हो रही है। फिजिकल पजेशन लेते हैं तो 80 प्रतिशत देना पड़ेगा नहीं तो पजेशन ले ही नहीं सकते और निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। 1984 के पहले जो भूमि ली गयी है जैसा कि शुक्ल जी ने कहा चाहे वह कुर्सी रोड का मामला हो, या किसी दूसरे शहर या कस्बे का मामला हो तो उसी में यह झगड़े हैं जो जमीन पहले ली गई है।

श्री शारदा प्रताप—

84 के बाद भी ऐसा हुआ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

हो सकता है कि शुक्ला जी के पास 84 के बाद का कोई ऐसा स्पेशीफिकेशन हो। लेकिन मेरे आवास विकास परिषद् में ऐसा कोई केस नहीं है, मैं दूसरी एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। 1984 का ऐक्ट जो है, वह साफ इस बात को कहता है कि 80 प्रतिशत मुआवजा दिए बगैर जमीन का भौतिक कब्जा नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई कब्जा गैर कानूनी होगा। अतः हम लोग बराबर यह प्रयास कर रहे हैं कि एवार्ड के बाद ही हम जमीन पर कार्य शुरू करें और इसी में समय भी लग रहा है और कास्ट भी बढ़ रही है। ऐक्ट में यह प्राविधान है कि 80 प्रतिशत एवार्ड दिया जाय। जहां पर बहुत अच्छी जमीन है, उसके ऊपर सोलेशियम दिया जाय और जिस दिन से उसको एक्वायर किया गया है, उस दिन से उस पर इन्ट्रेस्ट दिया जाय। लेकिन एवार्ड के न बांटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, केवल पैसे देने की जिम्मेदारी हमारी है। एवार्ड तैयार करने और उसको बांटने की सारी जिम्मेदारी एस0 एल0 एओ0 पर है, जो रेवन्यू बोर्ड या कलेक्टर से अटैच हैं।

उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अफसोस तो यह है कि हमारा करोड़ों-करोड़ों रुपया ट्रेजरी एवार्ड के मद में ट्रेजरी में पड़ा रहता है, जिस पर कोई इन्टरेस्ट नहीं मिलता, कई-कई साल वह पड़ा रहता है, न इसका फायदा काश्तकारों को मिलता है और न परिषद् का ही धन बढ़ता है। हम तो यह भी कहते हैं कि काश्तकार को जमीन जब तक भौतिक तौर पर कब्जा में न आये, उस वक्त तक उसको काश्तकारी करने का अधिकार भी दे देते हैं। लिटिगशन की वजह से भी 5-5, 10-10 साल के केस फंसे हुए हैं, न एवार्ड बट रहा है, न जमीन उपलब्ध हो रही है। इस तरह से जमीन जब 10 साल के बाद मिलती है और उस पर मकान बनते हैं, तो उसकी कास्ट बहुत बढ़ जाती है। दूसरे लोग रिफरेंस में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और फिर एक दम से जमीनों का रेट बढ़ जाता है। यह भी 1984 के अन्तर्गत काश्तकार को हक दिया गया है कि अगर काश्तकार को पैसा कम दिया गया है, तो वह अदालत में रिफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है। एक काश्तकार भी अगर रिफरेन्स कर देता है और उस पर जो भी निर्णय उसके हक में होता है, तो सारे काश्तकार जिनकी भूमि उनको बिना रिफरेंस में गए हुए, उतना ही पैसा देय होगा, जितना रिफरेन्स में जाने वाले काश्तकार को न्यायालय से मिला है। सवाल यह है कि क्या मकान हमारी समाजिक जरूरत है और मैं यह मान कर चलता हूं कि रोटी कपड़ा के बाद मकान एक समाजिक जरूरत है।

छोटे गांव बड़े गांव हो गए, बड़े गांव कस्बे हो गए, कस्बे शहरों में बदल गए और जो छोटे शहर थे, आज बड़े-बड़े शहर बन गए। 40 साल में शहरों की आबादी 4 गुना बढ़ गया, बल्कि देहात की आबादी केवल दो गुना बढ़ी। जब मुल्क आजाद हुआ, तब शहरों की आबादी 5 करोड़ थी, अब 20 करोड़ हो गयी और देहात की आबादी जो 30 करोड़ थी, वह 65 करोड़ हो गई। इससे साफ जाहिर है कि शहरों की आस पास की जमीनों पर दबाव बढ़ गया। इसलिए देहात की जमीनों के मुकाबिले शहरों की जमीनों के दाम 4 गुने बढ़ गये दूसरी अहम सवाल यह है कि कारखाने के लिए जमीन लीजिए, आवास के लिए जमीन लीजिए, अन्य सामाजिक जरूरतों के लिए जो जमीन लीजिए, उनके बारे में जो काश्तकार खुद बेंचता है, उनके बारे में कोई आपत्ति यहां पर नहीं उठाई गयी, केवल आवास बनाने के लिए जो जमीन ली जा रही है, उसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि आप काश्तकारों के विरोध में यह काम कर रहे हैं। यह इलजाम सही नहीं है। अगर यह इलजाम सही होता, तो रोटी, कपड़ा, मकान का दारा एक साथ न लगता। मकान का बनाना भी उतना ही आवश्यक है, जितना रोटी, कपड़ा जरूरी है। हुकूमत में हमारी पार्टी की सरकार ने पहली दफा स्टेट हाउसिंग पालिसी का ऐलान किया, उसमें हम लोग बराबर यह सजेस्ट कर रहे हैं और उसमें इशारा भी मिला है कि उसमें एक लैंड बैंक शहरों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए कि हम लोग अपने कार्यक्रम के लिए अगले पांच साल के लिए भी लैंड लेकर रख लेते हैं। अगर लैंड बैंक बन जाय, तो हमारी जितनी आवश्यकता साल की है, वह हमको उस बैंक से मिलती जाय और बैंक द्वारा मोआवजा भी बटने लगे। बैंकों में धनराशि का इन्टरेस्ट भी मिलने लगे, जो ट्रेजरी में रखने से नहीं मिलता। सिर्फ तीन चीजें अहम हैं, काश्तकार यदि अपनी जमीन देता है, तो उसको पूरा मोआवजा मिलना चाहिए और मोआवजा भी समय से मिलना चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आपसे थोड़ा समय ले लूं चूंकि चर्चा की बात थी इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मान्यवर, जो 3 सवाल उठाये गये हैं जैसे तुलसीपुर, पाण्डेपुर का जिक्र भाई हरीश जी ने किया उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि तुलसीपुर पाण्डेपुर में जबरदस्त अधिग्रहण हो गया है यह सब विलम्ब के कारण हो

रहा है अब यह शासन स्तर पर पूरा मामला गहराई से विचाराधीन है और जल्द ही कोई निर्णय सामने आ जायेगा हमें जितना जमीन लेनी है वह लेंगे और जितनी छोड़ी जा सकती है वह छोड़ देंगे। आज से एक हफ्ता 10 रोज में इसका फैसला अवश्य हो जायेगा आज की चर्चा से बड़ा फायदा होगा। हम आपके आभारी हैं कि इस चर्चा में हमें मौका दिया।

मान्यवर, भाई मैनेजर सिंह जी ने जो तीन बातें कहीं हैं उसके बारे में बताना है कि हमारे आवास विकास परिषद् में जिस काश्तकार की जमीन लेते हैं यदि वह जमीन चाहता है मकान बनाने के लिए या अन्य कार्य के लिए तो हम उसको व्यवस्थापित कोटे में रजिस्टर्ड कर लेते हैं और उसको टाप प्रायरिटी पर विकसित भूमि से जितनी उसकी रिजोनेबिल आवश्यकता है जो हमारे यहां मान्य हो सकती है वह उसको दी जाती है जहां तक रोजी देने का सवाल है तो जो चीज हमारे पास हैं वही दे पाते हैं चूंकि हमारे टेक्निकल डिवीजन "होते हैं और स्किल्ड लेबर ही उसमें वर्क करते हैं तो हमको रोजी रोटी देने" के सवाल पर विचार करने में मुश्किल नजर आ रही है तीसरे हमारे यहां इतना मुआवजा मिलता है कि किसान देहात के अन्दर जाकर जितना पैसा हम देते हैं उस पैसे से दुगनी चौगुनी जमीन खरीद सकता है तो इस प्रकार से काश्तकार काश्तकार बना रहता है लैण्डलेस नहीं बन पाता है। ज्यादातर काश्तकार बड़ी-बड़ी रकमें लेकर उन मुकामात पर चले जाते हैं जहां उनको सस्ती भूमि मिल जाती है और उनकी रोजी रोटी इस तरह से लगी रहती है और उनका प्लाट योजना में एक मकान भी हो जाता है। मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि जो एजेंसिया भूमि लेती हैं वह होती है काश्तकारों की और उसको व्यवसायिक बनाकर आवास में तब्दील करते हैं या मार्केट में तब्दील करते हैं यह अधिकार एजेंसीज को मिला हुआ है वही अधिकार यदि व्यक्तिगत काश्तकार को दे दिया जाय तो पूरा खेतिहर इलाका वह अनप्लांड हो जायेगा। सोसाइटियों को यह अधिकार नहीं मिला है केवल सरकारी अधिकारियों को ही यह अधिकार मिला है कि वह अपनी पूरी जमीन को प्लांड वे में डेवलप करें एक इंडिवीजुअल यह काम नहीं कर सकता है। आपने यह प्रश्न उठाया है इसलिए सरकार इस पर विचार करें मैं इससे ज्यादा कोई राय नहीं दे सकता हूं। मान्यवर, आज की इस चर्चा से हम सबका फायदा होगा आपने मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षता--

2.20 पर चर्चा प्रारम्भ हुई थी, 2 घंटे का समय है, 4.20 पर समय होगा, 4.00 बजा है 20 मिनट में सब प्रक्रिया पूरी होनी है 2-2 मिनट में आप लोग बोल लें।

*श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, माननीय राणा जी ने नगरमहापालिका, नगर पालिका और टाउन एरिया की जो जमीन अधिग्रहीत की जाती है, की चर्चा उन्होंने मांग की थी उस पर बोलने का मौका दिया, मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, 3 फरवरी, 1987 को एक लखनऊ नगर का नोटिफिकेशन हुआ था नगर महापालिका के क्षेत्र को बढ़ाने का मैं उसके अन्तर्गत जो 82 गांव लिये गये हैं, उसके बारे में बताता हूं। अभी जाहिदी साहब बोल रहे थे मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। हमने इस सवाल को पहले भी उठाया है क्योंकि जब किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी तो उनको दिया गया 25 पैसे, 27 पैसे, 1.25 रु0, डेढ़ रुपया और 75 पैसे, इस तरह से जमीन लेकर अधिग्रहीत कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ली गयी आवास विकास और एल0 डी0 ए0 द्वारा । गोमतीनगर योजना में उजरियांव और ग्वारी की भी यही स्थिति है । मामूली रेट देकर किसानों से जमीन ले ली । अब मैं अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । मदरूइ किसान मोहम्मदी नगर औरंगाबाद जहांगीर, औरंगाबाद खालसा, ये गांव, जैसा कि जाहिदी साहब कह रहे थे सन् 84 के बाद, मेरी निश्चित जानकारी है कि ये गांव 84 में अधिग्रहीत किये गये और उन काश्तकारों को मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया ।

जाहिदी साहब ने कहा कि 80 परसेंट मुआवजा दे दिया गया, मेरी निश्चित जानकारी है कि आधा भी मुआवजा नहीं दिया गया । तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनको मामूली धन देकर छोड़ दिया गया उनके सामने भुखमरी का सवाल है । दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट होल्ड किया । सेक्शन 4 और 6 दोनों एक साथ इन्होंने निर्गत किये थे, उस पर रोक लगा दी गयी जिससे कि एक अजीब स्थिति लखनऊ जनपद में फैल गयी और काश्तकार लड़ाई की स्थिति में आ गया । सालेह नगर गांव में एल0 डी0 ए0 ने इस तरह से घेर रखा है कि गांव के लोग, महिलाएं और बच्चे, शौचालय के लिये कोई स्थान नहीं बनाया और कोई रास्ता गांव में नहीं दिया । माननीय मंत्री जी से विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि चूंकि मा0 मंत्री जी लखनऊ के करीब के रहने वाले हैं, मेरे आपके पुराने सम्बन्ध रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एल0 डी0 ए0 की कानपुर रोड योजना की कालोनी को देख लें । निर्बल वर्ग आवास, इंदिरा जी के नाम पर छोटे लोगों के लिये बनाए, उनमें किस तरह से एल0 डी0 ए0 के अधिकारियों ने घपले किये हैं, पैसा खाया है, गबन किया है, जरा सा धक्का दे दें, दीवार गिर जायगी, फर्श खोद कर देख लें, गिट्टी नहीं पड़ी है । न सीवर है, न पानी है न बिजली की व्यवस्था है । सड़कें टूट गयी हैं । जो लखनऊ, कानपुर राजमार्ग लखनऊ-बिजनौर मार्ग से जोड़ता है, वहां पहले सड़क बनाई गयी और अब सीवरेज के नाम पर सड़क खोद दी गयी । लाखों-लाख रुपया अधिकारी इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं । किसानों की लूट हो रही है । दूसरी तरफ जो भी एल0 डी0 ए0 या आवास विकास परिषद् के अधिकारी हैं, उनके घर भर रहे हैं ।

मैं कहना चाहूंगा कि उन अधिकारियों की जांच करा लें, इनके एक-एक अधिकारी के इस शहर में 2-2, 4-4, मकान हैं । कोई ऐसी आवासीय कालोनी नहीं है जिनमें इन अधिकारियों के मकान न हों । ये पैसे वाले लोग किसानों को लूटना चाहते हैं । मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, जमीन अधिग्रहीत करें, शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, कालोनी बनावें, लेकिन ग्रीन बेल्ट, सब्जीबेल्ट लखनऊ के चारों ओर इतनी सब्जी और साग गंदा होता है कि पूरे शहर में सप्लाई होता है, अब आवासीय कालोनी बन गयी हैं और शहर में सब्जी इतनी मंहगी हो गयी है कि आम आदमी परेशान है । इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और मास्टर प्लान में आवासीय कालोनियों के साथ ही ग्रीन बेल्ट, सब्जी बेल्ट नहीं बनायी गयी तो प्रदूषण की स्थिति यह होगी, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव को समझते हुए अविलम्ब काश्तकारों को, जिनकी जमीन 84 के बाद ली गयी है, उनको मार्केट रेट से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें और ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था अवश्य करें ।

श्री सतीश चन्द्र--

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 विजय सिंह राणा ने भूमि अधिग्रण के सम्बन्ध में किसानों के हितों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं । लेकिन मान्यवर, भूमि अधिग्रहण करें समस्या तो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है और इस सम्बन्ध में जो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में बना था, उसमें यही सिद्धांत है कि बाजार मूल्य देना और 15-20 परसेंट सोलेशियम देना और मार्केट रेट के भुगतान

की शीघ्र व्यवस्था करना । लेकिन मान्यवर पिछले 20–25 वर्षों में इस अधिनियम का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है इसे मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है । मान्यवर अनेक सरकारी विभागों द्वारा धारा 4 के अधिसूचना जारी करने के बाद में प्रक्रिया को सारा हाल दिया गया और अनेक वर्षों में उसके सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया । उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने के आधार पर उन्हें धारा चार की तिथि से प्रतिकर देने का प्राविधान किया गया है । यह कठिनाई किसानों की इससे पैदा हुई । आवाज उठायी गयी हम लोगों के द्वारा । हमारी सरकार ने 1976 में इस कानून में संशोधन किया । यह आधार बनाया गया कि धारा 4 की अधिसूचना के तीन वर्ष के अन्दर धारा 6 की सूचना हो जानी चाहिये और प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिये । अभी भी इसके सब्सिडियरी लेजिलेशन नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण उसमें संशोधन की आवश्यकता है । ऐसी बहुत सी योजनायें जो इस संशोधन से पूर्व हुई थी, उसके सम्बन्ध में सारी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके । किसानों को राहत मिल सकेगी । संशोधन की आवश्यकता है विधि विभाग को कार्यवाही करनी चाहिये ।

जहां तक कठिनाइयों का प्रश्न है मैं राणा जी का विशेष रूप से इस वर्ष जो हमारी आवास विभाग ने राज्य आवास नीति घोषित की है, की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिसमें उनकी बहुत सारी बातों को सिद्धांत रूप से मान लिया गया है । पहली बात तो यह कही गयी है, राज्य सरकार ने पहली बार तय किया कि सारी प्रक्रिया तत्काल बनायी जाय । भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर को शीघ्र किसानों को दिया जाय । दूसरी बात यह है कि भूमि से अर्जित होने वाले लाभ का उचित भागीदार भू0 स्वामियों को भी बनाने की व्यवस्था की जाय । तीसरी बात यह की गयी है कि भूमि अधिग्रहण के फलस्वरुप बेरोजगार हुए भूस्वामियों को उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक भूखंड, एक दुकान अथवा एक भवन उनकी भूमि के बदले में निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाय । जिनकी भूमि अर्जित की गयी है, उनके परिवारों के प्रार्थना–पत्र आये तो वरीयता दी जाय । एक ओर प्राविधान यह किया गया है कि भूमि अधिग्रहण करने वालों से, रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्य किया जाय । मान्यवर, यह राज्य आवास नीति बहुत ही नीति विषयक दस्तावेज है । पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, कार्य करेगी और किसानों के हितों का संरक्षण करेगी । मैं राणा जी को विश्वास दिलाता हूं कि इन नीति निर्देशक सिद्धांतों पर काम होने देंगे तो बहुत बड़ी सफलता होगी ।

श्री विजय सिंह राणा––

मान्यवर, मुझे खुशी है कि इस चर्चा में इस सदन के माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीरता से भाग लिया और जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उसमें माननीय हरीश जी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा, माननीय बदन सिंह, माननीय लाल प्रताप सिंह, माननीय हरेन्द्र मलिक, माननीय हरदेव जी, माननीय काशी सिंह ऐरी, माननीय राज किशोर, माननीय अमर चन्द्र शर्मा, माननीय मैनेजर सिंह, माननीय खान गुफरान जाहिदी, माननीय शारदा प्रताप शुक्ल और माननीय सतीश चन्द्र गुप्त– इन लोगों ने भाग लिया । एक चीज को देखने का प्रयास किया । वास्तव में किसानों के प्रति हमदर्दी कितने में है यह मुझे कहने में संकोच नहीं है । इधर बैठे हुए सदस्यों में तथा उधर बैठे हुए सदस्यों में किसानों के प्रति पीड़ा देखी । साथ ही साथ यह कहने में संकोच नहीं है कि माननीय नगर विकास राज्य मंत्री जी में किसान की पीड़ा का कहीं कोई एक आंसू उनके मन में नहीं है । वही लेकिन सतीश चन्द्र गुप्त जी का है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री विजय सिंह राणा--

हमारे भक्षण से ही उनका जीवन पल रहा है । किसानों के लिए ऐसी बात कही है कि कोई बात नहीं । माननीय मंत्री जी में किसानों के प्रति पीड़ा की एक सांस नहीं दिखी । मुझे सुख होता, यह श्याम सूरत उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, समर पाल जी बैठे हुए हैं, अगर कोई गांव का यहां बैठा होता, तो वह इस तरह प्रश्नों के उत्तर न देता । यह जो आगरा विकास प्राधिकरण की गलत-सलत रिपोर्ट है उसको यहां पढ़ कर आप अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनके अन्दर जरा भी ईमानदारी है, सच्चाई है तो यह दो चीजों का सही उत्तर दे देते । एक तो हमने आगरे की समस्या स्वंय उठाई, वहां कमियों की बात थी । दूसरा मुद्दा था लैन्ड एक्वीजीशन जो किया जा रहा है, विभिन्न शहरों में, उसकी प्रक्रिया गलत होने की बात । मान्यवर, अब मैं पहली बात पर आ रहा हूं, जो आगरे की है । मान्यवर, मैं कहता हूं कि मंत्री जी के अन्दर जरा भी सच्चाई है तो यह सदन की एक कमेटी बना दें और ऐसे लोग जो किसानों के बारे में जानते हों, जिन्होंने कभी खेती की हो, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से शामिल कर लें, इसमें हमारी तरफ से कोई आवश्यकता नहीं है, तब आगरा विकास प्राधिकरण की जो समस्या है, जिन गांवों के बारे में मैंने बताया है, उसकी जांच करा लें । अगर इनसे यह भी नहीं हो सकता तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं कि दोनों राज्य मंत्री और आपके माननीय मंत्री, जो बुजुर्ग हैं, और यहां नहीं हैं, वह और खान गुफरान जाहिदी साहब, यह 3-4 लोग आगरे में आ जायें और वहां जो भूमि अध्याप्ति की गई है, उसको देख लें । अगर वह गलत न हो तो मैं आपसे कहता हूं कि वहीं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और यह भी वचन देता हूं कि जिन्दगी में फिर कभी विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा ।

मान्यवर, मैंने एक बात कही थी कि लैन्ड एक्वीजीशन जो हो रहा है, वह नगरपालिका की सीमा के बाहर जाकर के हो रहा है, यह कैसे सम्भव हुआ ? आप इसकी जांच करा दें । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हरित पट्टिका क्षेत्र को आवास क्षेत्र में बदलने की योजना पूरी नहीं हुई और शासन से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई और बिना धारा 5 की कार्यवाही किये अधिग्रहण शुरू कर दिया गया, इसकी भी आप जांच करा दें ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बाजार मूल्य है, वह नहीं दिया गया है इसमें मेरा सुझाव है कि आस-पास की जमीन जिस भाव से बिक रही है, उस दाम से उसको किया जाना चाहिए, इस मामले की भी आप जांच करा दें और इस बात की भी जांच करा दें कि पर्यटन विभाग एक कान्फ्रेंस हाल वहां बना रहा है, जिसके लिए आज तक 30 लाख रुपया रिलीज हो चुका है, उसकी जमीन का अधिग्रहण आज तक नहीं हो सका और जिस पर आगरे का पूरा विकास निर्भर है, उसकी जमीन का एक्वीजीशन आज तक नहीं हुआ । मान्यवर, यह जो विकास प्राधिकरण है, यह अपनी जेब भरने के लिए और किसानों की जमीन का फायदे के लिए उपयोग करने को तैयार है । मान्यवर, इन बातों के साथ लैन्ड एक्वीजीशन की सामान्य प्रक्रिया के बारे में यहां बातें आयीं, उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि आप यह निश्चित कर दें

कि बाजार मूल्य से दाम मिलेगा, वह भी जो इस साल का बैनामा है, 4 साल पहले का नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, संक्षेप में अपनी बात कहें और असली मुद्दे पर आयें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, वही कह रहा हूं । कि जो इस साल का बैनामा खेत का हुआ है, आस-पास का हुआ है, उसी कीमत पर किसान को दाम मिलेगा, यह आप निश्चित कर दें ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी और रोजगार में आप किसानों के लड़कों के लिए अवश्य व्यवस्था कर दें और यह सुनिश्चित कर दें कि उनको जरूर लिया जायेगा ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर किसान की जमीन, जो लैन्ड एक्वीजिशन आप कर रहे हैं, उसमें 25 प्रतिशत जमीन किसान के पास जरूर छोड़ दी जायगी, जिससे वह अपने बच्चों को समय पड़ने पर रोजगार करा सके जिस क्षेत्र में लैण्ड एक्वीजिशन किया जाता है और कालोनी बनाई जाती है तो वहां पर एक भू-खण्ड और उस भू-खण्ड पर मकान बनवाकर किसान को दिया जाना चाहिए और यह जरूरी भी है ताकि उसके बच्चे छत के नीचे रह सकें, खुले आसमान के नीचे उन्हें न रहना पड़े । एक अन्य बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब विकास प्राधिकरण लैण्ड एक्वीजिशन करता है तो 3-4 साल के बाद उसकी कीमत 10 गुना व 20 गुना बढ़ जाती है, इसलिए आप एक निश्चित अवधि कर दीजिए कि इतनी अवधि के अन्दर जो मुनाफा विकास प्राधिकरण को मिलेगा, उसमें से बोनस के रूप में एक परसेन्ट के हिसाब से किसान को अदा किया जायेगा । इसके अलावा आपका जो यह आपतकालीन है, इसकी परिभाषा को आप डिफाईन कर दीजिए । एक वर्ष, दो वर्ष में जो काम होता है, वह आपातकाल में नहीं आता है । हवाई जहाज की पट्टी बनानी है वह एक इमरजेन्सी है, नहर बननी है, कोई जमीन पर इन्क्रोचमेंट कर देगा, इसलिए यह इमरजेन्सी है, परन्तु एक योजना बन रही है और पुरानी योजना पूरी नहीं होती है तो उसे आप कैसे आपातकालीन मानेंगे । अच्छा यह होगा कि लैण्ड एक्वीजिशन की सारी प्रक्रियायें, केवल उन कामों को छोड़कर जो सर्वजनिक हों, जैसे नहर, सड़क का निर्माण व बिजली घर आदि, बाकी किसी भी स्थिति में किसान के जमीन का एक्वीजिशन नहीं होगा । आप योजनायें बनायें हमें कोई एतराज नहीं है, किन्तु किसान को बाजार मूल्य के हिसाब से दाम दिए जाने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र--

श्रीमन्, 10 मिनट लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि सदन सहमत हो तो 10 मिनट चर्चा में और बढ़ा दिए जाए ।

(उक्त प्रस्ताव पर सदन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की ।)

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर मैं श्री राणा जी, आदरणीय श्री मैनेजर सिंह जी, श्री वर्मा जी, श्री हरिश चन्द्र "हरीश जी", और अन्य सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण मसले पर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस सदन का हर माननीय सदस्य इस बात को जानता है कि जिस तरह से शहरों की तरफ ग्रामीण अंचल के लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं और जिस तरह से उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उसे किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। आज जिस तरह से अनधिकृत कालोनियां बन रही हैं, क्या उनको बनने दिया जाय या न बनने दिया जाय। जब कोई निश्चित प्लान चलाया जायेगा तो जमीन का अधिग्रहण करना ही पड़ेगा। चाहे वह आवास विकास परिषद् करे, विकास प्राधिकरण करे या कोई अन्य एजेन्सी करे। मैं अब एक-एक बिन्दु करके माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा।

श्री मैनेजर सिंह--

किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि अधिग्रहण न किया जाय और कालोनी न बनाई जाय, बल्कि यह कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाय, उनको नौकरियां दी जांय और उनको प्लाट दिये जायं

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री मैनेजर सिंह जी उचित मूल्य में तो खतरा हो जायेगा। वह तो सरकार देने को तैयार ही है। शायद आपका उचित मूल्य से तात्पर्य बाजार मूल्य से होगा।

श्री मैनेजर सिंह--

जी हां, यही है।

श्री नरेश चन्द्र--

श्री हरिश चन्द्र, "हरीश जी" ने मास्टर प्लान में अरबन सीलिंग ऐक्ट की तरह कृषि भूमि में छूट की बात कही है। यह सही है कि मास्टर प्लान में इस पर छूट नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार ने योजना बनाई है और उत्तर प्रदेश के 12 नगरों में यह अरबन लैण्ड सीलिंग ऐक्ट लागू है। नगरों की यह हालत है कि अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं उनका जब अधिग्रहण करते हैं तब समस्या होती है। समस्या इसलिये उत्पन्न होती है कि उनके मकान नजल की जमीन पर बनते हैं जिसे इनक्रोचमेंट कहते हैं। उनके लिये व्यवस्था करनी होगी तब तो शहर में जमीन ही नहीं मिलेगी।

[4 बजकर 20 मिनट]

श्री वर्मा जी ने कुछ मुद्दे उठाये थे। वर्मा जी ने जो मुद्दे उठाये थे। एक खासकर यह था कि हाउन प्लानर के यहां मुद्दे पड़े रहते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि ऐसे मुद्दे हैं और हमारी जानकारी में लायेंगे तो फौरन उनको दिखलायेंगे, इसलिये कि इतना समय नहीं लेना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी 2–3 दिन पहले राज्य आवास नीति सदन के पटल पर रखी थी । कुछ बिन्दु ऐसे हैं, जिनका उत्तर हमारी आवास नीति में समाहित हैं । नयी आवास नीति में जो सबसे पहले व्यवस्था की गयी है यह है कि किसान की जमीन अगर कालोनाइजर भी लेगा तो उसकी म्यूचुअल कन्सेन्ट से लेगा । चाहे उसे फायदे का 1/4 हक देना पड़े या दो मकान देना पड़े, जैसा भी तय हो जाय । सहकारी समिति अगर किसान बनायेगा तो आवास नीति में है, वह लागू रहेगा ।

अभी कहा कि अधिग्रहण कर लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, जो 1984 के एक्ट में संशोधन हुआ, आपको जानकारी है 80 प्रतिशत रुपया जमा कर देते हैं । इसके बाद भी शासन ने, जो इस वक्त व्यवस्था है, उस पर शासन की कैबीनेट कमेटी मुकर्रर है, वह विचार कर रही है कि और कैसे व्यवस्था हो ।

शारदा प्रताप जी ने कुछ मुद्दे उठाये । यह बात सही है अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण या किसी संस्था ने ऐसा अधिग्रहण किया है...

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । 2 बजकर 20 मिनट पर चर्चा शुरू हुई थी, 4.20 हो चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने 10 मिनट का समय पहले ही बढ़ा दिया था ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी । अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैंने कहा था कि जांच कर लीजिये जो लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही हो रही है गलत हो रही है ।

श्री नरेश चन्द्र--

जो मुद्दे माननीय राणा जी उठायेंगे, उसकी जांच हम अवश्य कर लेंगे ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा "मद संख्या–13" पुकारे जाने पर)

विधान भवन के समक्ष हजारों बुनकरों द्वारा धरना दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं विधान भवन के समक्ष हजारों बुनकरों ने धरना दिया हुआ है अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिये, वे लोग ज्ञापन देने के लिये भटक रहे हैं । किसी ने उनका ज्ञापन अभी तक नहीं लिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

जानकारी वहां है, यह जानकारी मैं अपनी जानकारी के आधार पर दे रहा हूं ।

संसदीय कार्य एवं सूचना राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र--)

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य बुनियाद हुसैन अन्सारी ने जो जानकारी के बारे में प्रश्न उठाया है और कहा है कि बुनकर आये हैं और धरना दिया है तो इस समय सदन में माननीया उद्योग मंत्री जी आ गयी हैं, वे इस सम्बन्ध में पूरी बात बतला सकेंगी।

लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बुनकरों की जानकारी के बारे में बात कही है, यह बात सही है कि बुनकर लोग आये हैं, धरना भी दिया है, लेकिन उनका प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और अपना मेमोरेन्डम भी दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको आज 5-30 बजे का समय दिया है जिससे कि उनके साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सके, उस समय उनसे वे चर्चा करेंगे।

एक ट्रक ड्राईवर की हत्या के सम्बन्ध में दी गयी सूचना की कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री औसान सिंह--

मान्यवर, आज सदन का अन्तिम दिन है और मैंने एक सूचना नियम 56 में 314 को दी थी जिसमें एक ट्रक ड्राईवर की हत्या तथा 28 ट्रकों को लूटने की सूचना थी। माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि हम इसके लिये हाट लाईन पर बात कर रहे हैं, जैसे सूचना मिलेगी, उससे अवगत करायेंगे। लेकिन आज तक माननीय गृह राज्य मंत्री ने उस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है। इसलिये मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करायें कि इस पर वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जो विषय आपने उठाया है, यह विषय आज के एजेण्डे पर नहीं है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, जब यह सदन की कार्य सूची समाप्त हो जाय तो आप माननीय गृह मंत्री जी के साथ मिल कर इसकी जानकारी कर लीजियेगा।

जनपद जौनपुर में बढ़ रहे अपराधों और उनसे सम्बन्धित अपराधियों की लिखित शिकायत करने के फलस्वरूप श्री राम लक्ष्मी नारायण सिंह के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सईदुज्जमा--

[सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 को जिलाधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित अपने तीन पत्रों में ग्राम बिझबट, सराय पहाड़ी, आनापुर, बहोरिकपुर, अंगराह, एकहुआ, पूरकाला

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व कमलाबाजार, जो थाना सुजानगंज व महराजगंज क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, में अपराधों के बढ़ने तथा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की जान माल को खतरा होने आदि का उल्लेख किया था ।

माननीय विधायक जी की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उन्हें एक अंगरक्षक प्रदान किया गया था किन्तु माननीय विधायक जी के अनुरोध पर उनको अंगरक्षक के स्थान पर गनर उपलब्ध कराए जाने हेतु आदेश दिए जा चुके हैं । माननीय विधायक जी के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु गांव में एक सशस्त्र गार्ड भी नियुक्त कर दी गयी है । थाना सुजानगंज एवं महराजगंज के गत पांच वर्षों के अपराध आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त क्षेत्रों में गम्भीर अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है माननीय विधायक जी द्वारा प्रस्तुत सूची में उल्लिखित अभियोगों में पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है तथा सूची में उल्लिखित अपराधियों के विरुद्ध भी नियमानुसार विरोधात्मक एवं अन्य कार्यवाही की गयी है ।

माननीय श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी के पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1988 में उल्लिखित दिनांक 19 अक्टूबर, 1988 की घटना की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।]

श्री मैनेजर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या राय लक्ष्मी नारायण सिंह ने आपको जिन दो थानाध्यक्षों, महराजगंज और सुजानगंज के बारे में शिकायत की थी और कहा था कि इनका सम्बन्ध अपराधी तत्वों के साथ है और वे उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और उनसे उनको जान का खतरा है, तो उन दोनों थानाध्यक्षों का आवांछनीय लोग से क्या रिश्ता है ? आपने उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया ? आज भी उनसे उनको खतरा बना हुआ है ।

श्री सईदुज्जमा—

सम्मानित विधायक ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी सुरक्षा व्यवस्था उनके लिये कर दी गयी है, गार्ड लगा दिये गये हैं इसके अलावा जो उन्होंने अपने पत्र में कहा था, उस पर सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है । उनका पत्र जिलाधिकारी के लिये 30 अक्टूबर, 1988 का था और उनको गार्ड कब प्रदान किये गये, इसकी तिथि कृपया बतला दें ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, उनको (बड़ी देर तक पत्रावली में कुछ ढूंढ़ते रहे)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इसको देखा नहीं है ।

अधिष्ठाता—

उनका खास सवाल है । इसलिये देख रहे हैं ।

श्री सईदुज्जमा—

उन्होंने अपने लम्बे पत्र में बीस व्यवस्थाओं का जिक्र किया था । हमने उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया है ।

मान्यवर, 16 फरवरी, 1982 को उन्हें अंगरक्षक दे दिया गया था ।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, अब मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह अंगरक्षक, जो उन्हें दिया गया उनकी मांग से साढ़े तीन माह बाद दिया गया, आखिर इतना विलम्ब किन कारणों से हुआ यह तो एक विधायक. . .

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये ।) की बात है इसी तरह से यह आम जनता के जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते होंगे, इससे मान्यवर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं . . .

(शोर)

* श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल—

मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने माननीय सदस्य को अंगरक्षक व अन्य सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की, इससे मान्यवर यह तो साबित हो गया कि माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप उस थानेदार पर लगाए हैं, उन आरोपों को आपने मान लिया, यदि ऐसा है तो अब तक जिस थानेदार पर माननीय सदस्य ने अपनी शंका व्यक्त की उनके खिलाफ जांचकर कार्यवाही न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, जिन-जिन बिन्दुओं पर माननीय सदस्य ने अपनी दरख्वास्त दी थी, उनका परीक्षण कर उन पर कार्यवाही की जा चुकी है और उन सभी का जवाब भी बाकायदा दिया जा चुका है ।

* श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि माननीय श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी अपनी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिन बातों का प्रश्न किया, यदि उनको पूरा न किया गया तो जिस प्रकार से इस देश का प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके पास हर तरह के सुरक्षा सम्बन्धी सामान होने के बावजूद और देश की प्रधान मंत्री होने के बावजूद, मारी गयीं अपने ही घर में, तो जन सुरक्षा व्यवस्था की बात राय साहब ने कही है यदि उनका अभाव रहा तो इनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसलिए माननीय मन्त्री जी आप यह स्पष्ट बतावें कि माननीय राय लक्ष्मी नारायण सिंह की अपनी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है या क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, अतएव उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं सुरक्षा सम्बन्धी ?

श्री सईदुज्जमा—

मान्यवर, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि 16 फरवरी, 1988 को उन्हें अंगरक्षक दे दिया गया और दिनांक 18 अक्तूबर, 1988 को पुलिस चौकी गार्ड उनके यहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगा दी गयी और फिर उनके द्वारा एक गनमैन की मांग की गयी वह भी उन्हें दे दिया गया, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो उन्होंने समय-समय पर मांगी वह दे दी गयीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि साढ़े तीन माह का अंगरक्षक देने में जो विलम्ब हुआ है, इसके क्या कारण हैं, एक बात तो यह बता दें और मैं दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चाहे वह कहीं के प्रदेश भर में रहने वाले हों व्यक्तिगत रूप से जिन थानेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लिखा है, उन पर कार्यवाही करने में आपको क्या कठिनाई आ रही है और जिन माननीय विधायकों ने गार्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखा है, उन्हें यह व्यवस्था न प्रदान करने के अब तक क्या आपके नियमों में कमी है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, हमारे नियमों में कोई कमी नहीं है, जहां पर जिस व्यवस्था की मांग होती है, उसके अनुसार कर ही दी जाती है, यदि इस मामले में कोई कमी रह गयी हो तो उसे हम दिखवा लेंगे और सुनिश्चित उसे किया जायेगा ।

* श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पहले इस आशय का प्रश्न किया था कि श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह जी ने जो शिकायतें की हैं कि वहां पर कुछ अपराधिक, डकैत प्रकृति के कुछ मुल्जिम हैं, उनसे उस थानेदार की मिलीभगत है और उसी थानेदार की वजह से उनको खतरा है तो ऐसे दरोगा के प्रति कार्यवाही अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं, क्या आप ऐसों के प्रति कार्यवाही करने में अक्षम हैं, लगता तो ऐसा ही है क्योंकि अब तक आप मुजफ्फरनगर के सी0 ओ0 को नहीं हटा सके, बनारस के एस0 पी0 सिटी को, जो पूरा गुन्डा है, उसे नहीं हटा सके और यहां के थानेदार के प्रति आप कार्यवाही करने में भी अक्षम हैं, जिससे इनको खतरा है, तो इस दरोगा को न हटाए जाने के अब तक के क्या कारण हैं, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जिन-जिन अपराधियों की सूची दी थी, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है । जहां तक थानेदारों की बात है, अगर कोई ऐसी बात है, तो उसको देख लिया जायेगा ।

*सहकारी विभाग में कार्यरत हजारों संग्रह अमीनों का विनियमितीकरण न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता राज्य मंत्री का वक्तव्य

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)--

मान्यवर, ...

एक सदस्य--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री समरपाल सिंह--

[1--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1985 की धारा 95-क के अन्तर्गत जारी किए गए सहकारी देयों की वसूली के प्रमाण-पत्रों एवं मध्यस्थ निर्णय/अपील में दिए गए एवार्ड आदि के निष्पादन हेतु सहकारी संग्रह अमीन कार्यरत हैं। इन अमीनों की नियुक्ति जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। इन्हें अप्रैल, से जुलाई तक वसूल की गयी धनराशि का 4 प्रतिशत तथा अगस्त से मार्च तक वसूल की गयी धनराशि का 6 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धारित लक्ष्य से अधिक बकाया वसूल करने पर 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाता है।

2--प्रत्येक जिले में विकास खंड स्तर पर 3.00 रु0 लाख इजरायशुदा धनराशि पर, अधिकतम 3 अमीन कमीशन पर रखने की व्यवस्था है। अमीनों की संख्या, नियुक्ति तथा उनके द्वारा वसूल की गयी धनराशि का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाता है। जिन ऋणियों से उपरोक्तानुसार बकाया की वसूली की जाती है, उनसे बकाया की धनराशि का 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है, जिसे संग्रह कोष कहा जाता है। इसी कोष में से अमीनों का कमीशन तथा वसूली के कार्य से सम्बन्धित व्यय वहन किया जाता है। संग्रह शुल्क की 10 प्रतिशत धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाती है। इस कोष से व्यय उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह कोष नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है तथा इस कोष का आडिट वित्त सेवा के क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा किया जाता है।

3--माननीय विधायकों द्वारा की गयी उपर्युक्त सूचना में सहकारी संग्रह अमीनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि एक रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि चूंकि सहकारी संग्रह अमीनों की नियुक्ति सरकारी अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, अतः इनकी सेवा-समाप्ति हेतु सरकारी सेवकों की भांति प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।]

* श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में कार्यरत अमीनों को सरकारी सेवक मानने का आदेश दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है, उनको सरकारी सेवक मानने में उनको कौन सी परेशानी है। क्या माननीय मंत्री जी उनका विनियमितीकरण किया जायेगा।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को भ्रम है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि उनको सरकारी सेवक मान लिया जाये ऐसा है कि एक अमीन को निकाल दिया गया था, वह हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने कहा कि उसको गलत तरीके से निकाला गया है। चूंकि उसकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की गई थी, तो जब उसको निकाला जाये तो जो प्रक्रिया सेवा-निवृत्ति के समय होती है, उसी से निकाला जाये।

* श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो रुपया यह अमीन एकत्र करते हैं, वह रुपया 029 हेड में जमा किया जाता है, लेकिन उसके अन्तर्गत जमा नहीं किया जाता है। मैं चाहूंगा कि उस धन को

नोट--[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।]

जो जमा होना चाहिये, उसको जमा करायेंगे और जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ।

श्री समरपाल सिंह--

पहले तो मैं माननीय सदस्य की गलत फहमी को दूर कर दूं । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह 029 हेड नहीं है, वह है 04251 सहकारिता संग्रह शुल्क । आप इसको सुधार लें । मान्यवर, जितना भी रुपया एकत्र होता है डिमान्ड का एक प्रतिशत और संग्रह शुल्क का 10 प्रतिशत इस खाते में जमा होता है, तो वह नियमानुसार जमा हो रहा है । इसी से उन अमीनों को कमीशन दिया जाता है । पीक पीरियड में 4 प्रतिशत और लीन पीरियड में 6 प्रतिशत दिया जाता है, वह इसी से दिया जाता है । जो अच्छा काम करता है तो 2 प्रतिशत का बोनस भी दिया जाता है । पीक पीरियड में वसूली के लिये जीपों की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्च इसी से किया जाता है । इसलिये इसमें कोई गुन्जाइश नहीं है कि इसको खतम किया जाये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, अमीन जो होते हैं, वह किसान की लूट करते हैं, पैसा ले लेते हैं, रसीद नहीं देते हैं उसको जमा नहीं करते हैं और हिसाब को बराबर कर देते हैं । माननीय मंत्री जी को इसमें क्या परेशानी है कि उनको पास-बुक दे दी जाये और वह बैंक में पैसा जमा करते रहें और इन अमीनों को समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह--

राना जी के मुंह में घी शक्कर । जो नीति हमने लागू की है, उसको ही वह कह रहे हैं ।

वि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई-वाराणसी में अधिकारियों के भ्रष्ट कार्य-कलापों से मिल बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गन्ना विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)--

वि काशी सहकारी चीनी मिल....

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

[लि0 औराई (वाराणसी) ने सत्र 1988-89 में दिनांक 20-11-88 से पेराई प्रारम्भ किया तथा मिल क्षेत्र में चीनी मिल को पुर्ति योग्य उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई करने के उपरान्त गन्ना आयुक्त की पूर्वानुमति से दिनांक 20-2-89 को गन्ना पेराई का समापन किया । चीनी मिल बंद होने के उपरान्त मिल के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की पूर्ति योग्य कोई गन्ना अवशेष नहीं बचा। अतः किसानों को मिल बंद हो जाने से कोई आर्थिक क्षति पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं है।

वर्तमान पेराई सत्र में मिल द्वारा कुल 7 68 लाख कु0 गन्ना खरीदा गया जिसका कुल गन्ना मूल्य 226.90 लाख रुपये हुआ। अद्यावधिक स्थिति के अनुसार इस समस्त धनराशि का भुगतान चीनी मिल द्वारा किया जा चुका है। इस वर्ष चीनी मिल द्वारा मिल गेट पर दैनिक तथा वाह्य क्रय केन्द्रों पर साप्ताहिक रूप से गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था कराई गई थी। अतः यह कहना सही नहीं है कि गन्ना मूल्य भुगतान न होने से 3.00 लाख कु0 से अधिक गन्ना खेतों में ही खड़ा रह गया।

मिल क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत मेड़िया में सोनभद्र सहकारी खाण्डसारी औद्योगिक समिति, कठौतहा द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना चीनी मिल के सी0 सी0 ओ0 ठा0 बीरेन्द्र सिंह की मिली भगत से नहीं बल्कि गन्ना आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत की गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस क्रय केन्द्र से उक्त खाण्डसारी औद्योगिक समिति द्वारा लगभग 15 हजार कु0 गन्ना खरीदा गया।

क्रय केन्द्र, मार्टिनगंज पर वर्ष 1988-89 में 0.44 लाख कु0 गन्ना खरीदा गया जब कि वर्ष 1987-88 में इस क्रय केन्द्र पर मात्र 0.13 लाख कु0 गन्ना ही खरीदा गया था।

क्रय किए गये गन्ने को क्रय केन्द्र से ट्रांसपोर्टर्स द्वारा मिल में पहुंचाया गया जिसके लिए स्वीकृत दरों पर ट्रांसपोर्टर्स को नियमानुसार भुगतान किया गया। मार्टिनगंज क्रय केन्द्र पर गन्ने की सूखन गत वर्ष की तुलना में काफी कम होकर वर्ष 1988-89 में 1.11 % रही।

कृषकों की सुविधा की दृष्टि से तथा चीनी मिल को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ क्रय केन्द्रों के इच्छुक कृषकों को मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान की गई थी। जिन इच्छुक कृषकों ने मिल गेट पर गन्ने की आपूर्ति की उन्होंने किसी प्रकार के यातायात व्यय का भुगतान नहीं किया।

क्रय केन्द्रों के नाम से फर्जी पर्ची बनाकर मिल अधिकारियों द्वारा ट्रांसपोर्ट चार्ज हड़प लिए जाने की शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।]

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है वह सच्चाई से परे है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 'वि काशी सहकारी चीनी मिल' लि0, औराई (वाराणसी) की जो स्थिति है उसके...

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

चारों तरफ का क्षेत्र पड़ा हुआ है, जौनपुर का भी क्षेत्र पड़ा हुआ है, रत्ना सागर मिल का क्षेत्र पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मिल 20-11-88 को चली और 20-2-89 को बन्द हो गई तो इतना विशाल क्षेत्र होते हुये भी यह भी केवल तीन महीने चली। आप यह बता दें कि इस मिल की क्रसिंग क्षमता (क्रसिंग कैपेसिटी) प्रतिदिन कितनी है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—]

साढ़े बारह टी0 डी0 सी0 इसकी क्षमता है।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, बहुत पहले से एक सुरक्षित क्षेत्र था मेढ़िया, वह शुरू से ही इस मिल के क्षेत्र में आता था। वहां एक क्रय केन्द्र था। पिछली मर्तबे इसको किसी के साजिश से बन्द कर दिया गया। उसके बाद जब वहां की जनता ने जोर लगाया तो गन्ना कमिश्नर ने खोल दिया और बाद में ठाकुर वीरेन्द्र सिंह के प्रभाव से वह फिर बन्द कर दिया फिर से। इसके बन्द होने से आपके कथनानुसार 15 हजार क्विंटल गन्ना खरीदा गया। इसी को मान लिया जाय तो 15 हजार क्विंटल का यह नुकसान हुआ। आपकी क्षमता आपके ही कथनानुसार 1200 क्विंटल है तो कम से कम 15 दिन के आस-पास का काम था तो आपको इसे मध्य प्रदेश को समर्पित करने का क्या औचित्य था ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

साढ़े बारह हजार क्विंटल है, साढ़े बारह सौ नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल का सट्टा कुल कितने का हुआ था और कुल कितने क्विंटल गन्ने की पिराई इस मिल में की। इसमें एक शब्द आया है "पूर्ति योग्य गन्ना"। मंत्री जी बता दें कि यह "पूर्ति योग्य गन्ना" कौन सा है और कितना "पूर्ति योग्य" नहीं है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, गन्ने की जो पिराई की गई है वह 7 लाख 56 हजार क्विंटल 1987-88 में रही है और इस वर्ष 1988-89 में 7 लाख 67 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई हुई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने सवाल किया है कि पूर्ति योग्य गन्ना जो है वह कौन सा है और सट्टा कितने का हुआ है ? पिराई तो आपने बता दी। सट्टा कितने का हुआ था यह भी बता दें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, विभिन्न गन्ना विकास समितियां हैं और औराई समिति का आफर जो किया गया था वह 4 लाख क्विंटल का था लेकिन उसने 3 लाख 62 हजार क्विंटल दिया। चन्दौली समिति का आफर था 1 लाख 60 हजार क्विंटल का लेकिन दिया 1 लाख 29 हजार क्विंटल। मेहरावां जौनपुर 1 लाख 14 हजार क्विंटल लेकिन दिया 99 हजार क्विंटल शाहगंज जौनपुर 1 लाख 90 हजार क्विंटल और दिया 80 हजार क्विंटल तो इस प्रकार जितना आफर दिया था समितियों ने उससे कम गन्ना दिया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी अपने ही उत्तर से पकड़ गये। जितना समितियों ने सट्टा किया उतना सप्लाई नहीं किया। तो क्या गन्ना आयुक्त के लिये यह मंडेटरी नहीं था कि जितना सोसायटीज ने सट्टा किया था उतनी आपूर्ति कराते मेरी निश्चित जानकारी है और माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है कि तमाम गन्ना खेतों में सूख रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना समितियों ने जितना सट्टा किया था उतना सप्लाई नहीं किया और मिल बन्द कर दी इस प्रकार नियमों की अवहेलना की गयी और जो कंट्रेक्ट तोड़ने के दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने पहले ही मिल को बन्द कर दिया उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

*श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, इसमें कार्यवाही करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि इसकी सूचना आम लोगों तक प्रसारित की गयी थी सभी क्रय केन्द्रों पर छूट कर दी गयी कि यदि किसी को पर्ची नहीं मिली है तो वह भी गन्ना लायेगा तो उसे खरीद लिया जायेगा और मिल गेट पर भी गन्ना उपलब्ध नहीं हुआ तो इसके बावजूद गन्ना नहीं मिला तो स्पष्ट हो गया कि गन्ने की आमद कम है जिसकी वजह से चीनी मिल को गन्ना नहीं मिल रहा है और बन्द किया गया । इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं है जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

डाक्टर रजनीकांत दत्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि बसंत पेपर मिल बन्द हुई ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं ।

डाक्टर रजनीकांत दत्त--

वही कह रहा हूं साहू केमिकल्स बन्द हुई, आक्सीजन फिलिंग फैक्ट्री बन्द हुई । तो इस प्रकार बनारस में एक के बाद एक फैक्ट्री बन्द होती जा रही है तो क्या कोई अदृश्य हाथ है जो औराई चीनी मिल को भी बन्द करा रहा है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

कोई अदृश्य हाथ है यह आप जान सकते हैं, हमारी समझ में तो नहीं आता है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि एक सट्टा हुआ । मेरी निश्चित जानकारी है, वह भी जानते हैं और उनके कमिश्नर भी जानते हैं कोई सहकारी मिल से सट्टा नहीं हुआ । मेड़िया और चुनार का गन्ना मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं इसलिये गन्ने की आपूर्ति नहीं हो रही है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मेड़िया में क्रय केन्द्र स्थापित करने का जो मामला है उसमें बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक खांडसारी इकाई थी उसने अनुरोध किया था डी0एम0 मिर्जापुर से लेकिन उन्होंने मना कर दिया । लेकिन उसके बाद अर्जुन सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने कहा उनके यहां कोई खांडसारी यूनिट है उनको गन्ना नहीं मिल रहा है, उन्होंने निवेदन किया यहां मुख्य मन्त्री से उन्होंने आदेश कर

दिया उस आधार पर क्रय केन्द्र खोल दिया गया जिसमें मात्र 15 हजार क्विंटल गन्ना खरीदा गया जो महज डेढ़ दिन के लिये इस चीनी मिल के लिये होता है। तो इसके लिये एक प्रदेश सरकार दूसरी प्रदेश सरकार से मांग कर दें, कोई इनकार नहीं करता। तो इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने हरीश जी को बुला लिया है।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं आपने अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि जितना सट्टा था उतना गन्ना नहीं खरीदा गया अगर उतना गन्ना नहीं खरीदा गया तो एसी स्थिति में मिल को बन्द करने का क्या औचित्य है? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सट्टा जितने का किया गया था उतना खरीदा नहीं गया और मिल पहले बन्द कर दी गयी, इसकी क्या मन्त्री जी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, उधर एसी चीनी मिल नहीं है कि उसको अधिक गन्ना की आवश्यकता हो घोसी और सुल्तानपुर आदि में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं दूसरी जगह गन्ना भेजने की कोई साजिश की गयी हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो जो गन्ना मिलें हैं उसको बता दूं। वास्तव में गन्ना कम पैदा हो रहा है उधर, इसलिये कमी पड़ रही है, इसलिये किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता है।

श्री यदुनाथ सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है कि गन्ना औराई मिल में जाना चाहिए लेकिन वह वहां न भेजकर मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के मन्त्री हैं और मध्य प्रदेश के भी मन्त्री हैं क्या? मध्य प्रदेश का सहकारी मिल जो है वह चलेगा और उत्तर प्रदेश का चीनी मिल घाटे में क्या रहेगा? इसलिये आदेश दें कि यहां का गन्ना यहां रहना चाहिए।

[× × × ×]

कि यहां का गन्ना मध्य प्रदेश जाय और वहां गन्ना भेजने का क्या कारण है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मात्र 15 हजार क्विंटल गन्ना मेढ़िया से खरीदा गया है जो औराई चीनी मिल के लिये डेढ़ दिन का होता है। यदि यह गन्ना वहां न जाता तो डेढ़ दिन से अधिक चीनी मिल न चल पाती। इसलिये कोई इसमें साजिश नहीं हुई है।

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा । आप लोग बैठ जायं ।

श्री मूल चन्द्र—

(व्यवधान)

औराई चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति होती नहीं है और मध्य प्रदेश को भेज रहे हैं इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि जो सट्टा हुआ था उतना गन्ना सप्लाई नहीं हुआ । मेरा आरोप है कि गन्ना खेतों में सड़ रहा है, इसलिये कोई न कोई इसका दोषी है या फर्जी सट्टा हुआ है

(व्यवधान)

यह तो लाखों एकड़ का मामला है । माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है सट्टा जो हुआ है उससे कम आपूर्ति हुई है । तो इसमें या तो फर्जी हुआ है

(व्यवधान)

दोनों स्थिति में कोई न कोई दोषी है । एक लाख का सट्टा हुआ तो एक लाख की आपूर्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यह कम हुई है, तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में सारे प्रकरण की वह जांच करा लें । गन्ना आज भी खेतों में पड़ा वहां सूख रहा है और बड़े लोग इसे दूसरी जगह भेज रहे हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि गन्ना खेतों में रहते हुए भी इसकी आपूर्ति नहीं कराई गई किसी साजिश के तहत, इसकी जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी कोई शिकायत किसानों की तरफ से तो नहीं हुई । ऐसी स्थिति में जांच का कोई सवाल नहीं उठता । किसान गुड़ बनाते हैं और बीज के लिए अपना रखते हैं और उसका रस के लिए शहरों में भी भेजते हैं । इसलिए हो सकता है कि इसकी कमी पड़ गई हो । अब तो गुड़ का भाव भी बढ़ गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप भी तो लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं, सिर्फ जवाब दीजिए ।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने और पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी आप यदुनाथ सिंह जी को अपने यहां बुला लीजिए, और इनसे बात कर लीजिए, इनको सन्तोष हो जाएगा । यदुनाथ जी आप इनके पास चले जाइयेगा । अब बैठिये ।

नियम 311 में नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आज निम्नलिखित. .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें। मैं यह समझ रहा था कि शायद नियम 311 में नियमों के निलम्बन का कोई प्रस्ताव आया है। हम लोग बार-बार आपका नियम 311 में प्रस्ताव किया करते हैं, कई बार हमने ऐसे प्रस्ताव दिये हैं, लेकिन आपने सुना नहीं। जो भी विधेयक माननीय मंत्री जी पास कराने जा रहे हैं, उसकी कापी हमें पहले मिल जाती तो हम उसको देख लेते, तो यह हमारे और सबके लिये अच्छा रहता।

श्री उपाध्यक्ष--

आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो नियम 311 में नियमों का निलम्बन न करके यह इतनी जल्दी में किया जा रहा है कि मैं इसका विरोध करता हूं और इसके लिये मैं अपने दल सहित सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ बाहर चले गये।)

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह सदन के बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को आज ही सदन में लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आज निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं :--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 के पुरःस्थापन की अनुज्ञा, उस पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव सदन में आज ही लिये जाने हेतु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब अनुपूरक एजेन्डे और विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जायें ।

(अनुपूरक एजेण्डे और विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित की गई ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मन्त्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन), 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 12 तक खण्ड : 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा ।

(2) वह दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त माना जायेगा ।

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ञ) में, शब्द "संसदीय सचिव" के स्थान पर शब्द "सभा सचिव" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 15 में--

(क) खण्ड (पांच--ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(पांच--ख ख) उक्त भत्ता उन दिनों के लिये भी देय होगा जिनमें किसी सदस्य द्वारा जनसेवा के कामों के लिये दौरा किया जाय और जिनके लिये पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन उक्त भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो;"

(ख) खण्ड (पांच--ग) में, शब्द "पद पर आसीन सदस्य" के पश्चात् शब्द "और नेता विरोधी दल" बढ़ा दिये जायेंगे ।

4—मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— धारा 19 का प्रतिस्थापन

"19—नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा

नेता विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें	जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है

और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

5—मूल अधिनियम की धारा 20, 21, 21-क और 22 निकाल दी जायेंगी। धारा 20, 21, 21-क और 22 का लोप

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में— धारा 24 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास" रख दिये जायेंगे और परन्तुक में शब्द "एक हजार पांच सौ पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार पचास" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण दो में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "छः मास" रख दिये जायेंगे; और

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं), उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि के लिये कार्य किया हो और जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई पेंशन, अनुमन्य न हो, अपने जीवन पर्यन्त पांच सौ रुपये प्रति मास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा 25 में जहां-जहां शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" आये हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द "दो हजार पचास रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 26 में जहां-जहां "एक हजार पांच सौ पचास रुपये आये हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द "दो हजार पचास रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 26 का संशोधन

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

9--उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "छः सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "नौ सौ रुपये प्रतिमास" रख दिये जायेंगे और दिनांक 31 जुलाई, 1987 से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 6 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में शब्द "उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता के स्थान पर शब्द "ऐसे दिनांक से, ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जायं यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय--चार

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का संशोधन ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 3 का संशोधन

11--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(1) प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदावधि में आद्योपान्त आठ सौ पचास रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा उसे तीन सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायेगा ।

12--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

धारा 4 का प्रतिस्थापन

यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च

"4--प्रत्येक सभा सचिव अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायें, यात्रा और फुटकर खर्च का हकदार होगा ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

मेंहदावल थाना जनपद बस्ती के ग्राम करहना में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर ग्यारह निर्दोष लोगों की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 की जांच आख्या पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मुझे एक सूचना सदन को देनी है दिनांक 28 जुलाई, 1986 को मेहदावल, थाना, जनपद बस्ती के करहना नामक ग्राम में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 11 निर्दोष लोगों की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में यह सूचना है ।

मान्यवर, इसके बारे में मैंने निवेदन किया था कि सदन के उठने से पहले मैं सम्मानित सदन को सूचित करूंगा कि सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी में क्या-क्या कार्यवाही हुई । सरकार ने क्या कार्यवाही की । मान्यवर, उक्त तथा कथित मुठभेड़ की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग सी0 आई0 डी0 से कराई गई । अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग की विवेचना से यह पाया गया कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 11 व्यक्तियों को जान से मार डाला । अपराध शाखा द्वारा की गयी जांच आख्या का परीक्षण शासन स्तर पर किया गया । परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये समस्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजित करने और उक्त अपराध का किसी प्राधिकारिता युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अभिरक्षा में लिये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 2971/आठ-1-89-2127/86-गोपन-7, दिनांक 4 अप्रैल, 1989 द्वारा निर्गत कर दिया गया है आदेश की प्रति संलग्न† है ।

पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 11 व्यक्तियों को जान से मार डालने के पूरे प्रकरण में उपलब्ध चक्षुदर्शी साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, विशेषज्ञ अभिमत, रसायनिक परीक्षण की रिपोर्ट, विस्फोटक नियंत्रक के अभिमत व बेलेस्टिक एक्सपर्ट के अभिमत

---

†छापा नहीं गया ।

से क्षेत्राधिकारी श्री एन0 एस0 सारस्वत, कां0 ड्राइवर राम सरीख, एस0 आई0 राम किशन यादव, थानाध्यक्ष एस0 आई0 नंद किशोर राम, एस0 आई0 राम नारायण यादव, हेड कां0 हीरा यादव, कां0 विध्याचल सिंह, कां0 श्री राम यादव, कां0 अवधेश सिंह, एस0 आई0 श्री प्रेम कुमार राय, एस0 आई0 जोगेन्द्र सिंह यादव, एस0 आई0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, हेड कां0 महन्त सिंह, कां0 राम सुभग यादव, कां0 लक्ष्मी नरायन यादव, कां0 बलराम यादव, कां0 राम अचल ओझा, कां0 गामा यादव, कां0 जंग बहादुर सिंह, कां0 राम सुरेश सिंह, कां0 ओंकार तिवारी तथा कां0 ड्राइवर छोटे लाल दोषी पाये गये हैं ।

श्री हर्ष वधन--

करहना कांड के सम्बन्ध में जो जांच हुई थी तो उसमें 22 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये अनुमति मांगी गयी थी लेकिन 17 लोगों के लिये अनुमति दी गयी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 22 लोगों के लिये अनुमति दी गयी है ।

आज की कार्य-सूची के अवशेष रहने वाले चर्चाओं एवं वक्तव्यों के सम्बन्ध में शासन द्वारा बाद में सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि अगर सब सम्मानित सदस्यों को स्वीकार हो तो अभी आप 6 बजे तक सदन को चलायें उसके बावजूद भी सारी चर्चायें और वक्तव्य नहीं हो सकते । जो चर्चायें और वक्तव्य जिनके आज उत्तर नहीं आ सके हैं शासन 30 दिन के अन्दर सम्मानित सदस्यों को अपनी नीतियों और मत से सूचित करेगा । आज 6 बजे के बाद सदन उठने से पहले जो धन्यवाद देना होता है वह प्रक्रिया चले और इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर सम्मानित सदस्यों को दे देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो प्रश्न कल रह गये थे जिन पर कल चर्चा नहीं हो सकी थी, कोरम के अभाव में स्थगित कर दिये गये थे । मेरा निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में भी 30 दिन के अन्दर माननीय मन्त्रियों से हमें सूचित कराने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल तो व्यपगत हो गये कल की बात आज नहीं हो सकती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, कल जो रह गये थे उनके बारे में भी सूचना दे दें कि क्या कार्यवाही हो रही है । उनका भी उत्तर भिजवा दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, दो तरह के हैं एक तो माननीय मंत्रियों ने खुद चर्चा को स्थगित कराया था तो जिन पर चर्चा स्वयं स्थगित करायी थी, स्थगित कर दिये गये थे उनतक

उत्तर भेजा दिया जाय लेकिन जो आम प्रक्रिया है, जो लैप्स हो गये हैं, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूचित किया था इसी सदन में कि 22 आदमियों के खिलाफ, जो दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन है । आज मुझे जानकारी मिली है कि केवल 17 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

22 आदमियों के लिये कहा है । आप सदन में देर से आये हैं ।

श्री शारदानंद अंचल--

मान्यवर, मद संख्या 45 के सम्बन्ध में जो वक्तव्य है वह अभी नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसका जवाब तो आयेगा ।

(शोर)

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सूचना दे देंगे । लेकिन नं0 49 पर जो डा0 बाल जी पाठक की हत्या के सम्बन्ध में चर्चा लगी है उसके सम्बन्ध में कौन सा उत्तर लिखित भेजा जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि जो चर्चायें लगी हैं उनको पहले ले लिया जाय वक्तव्यों के सम्बन्ध में भले ही सूचना दे दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत लम्बा एजेंडा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

श्रीमन् निवेदन है कि परसों फैजाबाद के बारे में चर्चा थी, ऐडजर्नमेंट की वजह से चर्चा नहीं हो सकी, तो आज यह चर्चा फैजाबाद के मामले में लगी हुई है, मैं चाहता हूं कि यह काफी अहम मामला है, परसों एक घंटे की चर्चा मंजूर हुई थी, आज लगी हुई है, आज हो जानी चाहिए । यह अहम मामला इसलिए है कि जब हमने इसे नियम 56 में उठाया था, तो केवल दो मस्जिदों में ताले लगे थे, इसके बाद 7 मस्जिदों में और ताले लग गये । वहां पर साम्प्रदायिक भावना भड़कने की साजिश चल रही है, बजाय इसके कि सरकार इसका हल निकाले, सूरतेहाल और बिगड़ी है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चर्चा को 6 बजे से पहले ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे ले लेंगे, सभी इम्पार्टेंट हैं । सभी को अपनी इम्पार्टेंट चर्चा मालूम होती है । निर्णय होगा, तो वह सबका एक साथ होगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, पहले दो मस्जिदों में ताले लगे थे, अब 7 मस्जिदों में ताले लग गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे लिए तो सभी स्टेटमेंट समान हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती, तो साफ बात हो जाय कि सरकार उसको नहीं चाहती । अगर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी तैयार हों, तो आज चर्चा करा ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा होगी, तो सब पर होगी । इसमें सरकार का सवाल नहीं है । 10-11 चर्चायें हैं, सदन सहमत हो तो एक पर हो जाय ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा निश्चित आरोप है सरकार पर कि सरकार [×××] का काम अपने राजनैतिक लाभ के लिए कर रही है, क्योंकि इसमें आपकी पार्टी का मेम्बर पार्लियामेंट [×××] वहां बैठ कर यह सारा शर्मनाक काम करा रहा है । लिहाजा इस नीति के विरोध में मैं सदन का बहिष्कार कर रहा हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, कल 51 की कुछ सूचनाओं पर वक्तव्य आने थे, जिसे सरकार की तरफ से स्थगित कराया गया था, आज फिर उन पर वक्तव्य नहीं आया है, तो उसके लिए आइटम नं0 20, 23 और 25 तीनों के बारे में वक्तव्य नहीं आये हैं, वैसे अंचल जी कह रहे हैं कि 45 पर भी नहीं आया है, तो श्रीमन् 51 की सूचनाओं पर ये हमें क्या उत्तर देंगे ? वह आइटम नं0 28 जो आज एजेंडे का है, इसके बारे में वक्तव्य आया था, सरकार ने उसे स्थगित करा दिया । माननीय मंत्री जी ने मुझसे बात किया था, मैंने उनसे बताया कि वह गलत था, इसलिए वह आज नहीं आया है । श्रीमन् जिनमें सूचनाएं नहीं आयी हैं, वैसे 21, 23 या 25 या जो भी हों, उनको आप लैप्स न मानें, और उनको अगले सत्र में ले लिया जाय, ताकि उन प्रश्नों के बारे में पुनः लिखकर न देना पड़े ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, उन्हें लैप्स नहीं मानेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, अभी माननीय आजम खां ने फैजाबाद के सम्बन्ध में चर्चा उठाई, आपने एक निर्णय दिया कि चर्चायें सभी महत्वपूर्ण हैं । मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मान्यवर, यह मुद्दा ऐसा है कि जितनी चर्चायें लगी हैं, उन चर्चाओं में से यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अगर चर्चा करा दी जाय, तो एक अच्छी बात होगी । इस समय चैत राम

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नवमी का मेला होने जा रहा है और सरकार जानबूझकर साम्प्रदायिक दंगा फैलाना चाह रही है ।

मान्यवर, हमारे यहां एक एस0 डी0 एम0 ने एक ईदगाह पट्टा कर दिया है वहां पर पूरे इलाके में आग लग चुकी है इसमें मैं चाहता हूं कि ऐसा मुद्दा है जिसको और मुद्दों के साथ अगर जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय हो जायेगा । यह अहम मामला है । मेरा पुनःनिवेदन है कि सरकार पर आप दबाव डाले कि इस अहम मुद्दे पर चर्चा ही न चलावे बल्कि एक स्पष्ट घोषणा करे और आश्वासन दे कि फैजाबाद की जनता के लिए जो एक बहुत बड़े संकट की घड़ी से गुजर रही है उनकी सुरक्षा के लिए और इस साम्प्रदायिक भावना को रोकने के लिए क्या-क्या कारगर उपाय किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा तो तभी होगी जब सदन सहमत हो जाय कि इस पर चर्चा हो जाय, बाकी पर न हो तभी कुछ हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, आप नहीं सुन रहे हैं इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री अवधेश प्रसाद सदन त्याग कर चले गये)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री बैठें, गृह मंत्री जी मौजूद हैं इसमें हालात बिगड़ सकते हैं ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

इसमें सरकार की मन्शा ऐसी बिल्कुल नहीं है, तथ्यों को छिपाया नहीं गया है जिन लोगों ने यह किया था प्रिन्टिंग प्रेस और कम्प्यूटर करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सरकार कार्यवाही कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, इन्होंने जवाब दिया कि कार्यवाही कर रहे हैं अगर कार्यवाही किया होता तो हालत ठीक होते लेकिन फिर मस्जिदों पर ताले लगा दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक घंटे की चर्चा करा दें, इसको ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा तो बहुत लगी है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैंने इस चर्चा के बारे में आग्रह किया था कि ले लें तो आपने स्वीकार किया था कि पहले ही नम्बर पर ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले कैसे लिया जायेगा जब स्टेटमेन्ट लगे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, आपने स्वीकार किया था और निर्देशित भी किया था कि पहले नम्बर पर ले लेंगे ।

श्री सईदुज्जमा--

अगर आपको कोई चिन्ता है तो कक्ष में आ जाय इस पर बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आज्ञा दी, मने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था और आपसे निवेदन किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद् ....

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

आप इस पर चर्चा नहीं करा रहे हैं, इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्राप्त हो गयी है और उसका परीक्षण कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

हमको इसकी सूचना मिलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

हां मिलेगी ।

दिनांक 12 मार्च, 1989 को थाना जमालपुर, जिला मिर्जापुर के ग्राम ककरही में हुए भूमि विवाद में दो हरिजनों की हत्या तथा 5 व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार....

श्री उपाध्यक्ष--

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री सईदुज्जमा--

[ग्राम ककरही में एक विवादित प्लाट आराजी नम्बर 120, जिसका पट्टा उक्त गांव के हरिजन, बियार आदि 61 लोगों को हुआ था, में मसूर बोई गई थी। दिनांक 12 मार्च, 1989 को लगभग 8.30 बजे जब ग्राम के सर्वश्री चौथी, पनधारी, रामगती, गुलाब तथा राम दुलारे आदि मसूर काटने गए थे उक्त ग्राम के श्री विजय शंकर तिवारी उर्फ बचाऊ तिवारी, मनोज व सरोजा देवी ने कट्टा बन्दूक सहित मौके पर पहुंच कर फायर करना प्रारम्भ कर दिया जिससे गुलाब तथा राम दुलारे की मृत्यु हो गई और श्रीमती जोरा देवी पत्नी श्री अंगनू को चोट आई। घटनास्थल पर उपस्थित हरिजनों द्वारा अभियुक्तों को मारपीट कर घटना में प्रयुक्त बन्दूक, कट्टा व कारतूस छीन लिए गए।

उक्त घटना की ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम ककरही द्वारा लगभग 9.45 बजे थाना जमालपुर पर लिखित सूचना दिए जाने पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 व 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई तथा विवेचनोपरान्त विजय शंकर तिवारी आदि के विरुद्ध धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 27 मार्च, 1989 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचना से घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बन्दूक श्री राम किशोर कुशवाहा, निवासी सरैया, थाना चकिया, वाराणसी की होना ज्ञात हुआ। अतः इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त विजय शंकर तिवारी की ओर से गुलाब आदि 13 व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/307/382/323/325/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 13 मार्च, 1989 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जिलाधिकारी की ओर से मृतकों के आश्रितों को दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। ग्राम ककरही में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से मृतक परिवार के सदस्य आश्वस्त हैं। घटना के सम्बन्ध में जनपद मिर्जापुर एवं वाराणसी की पुलिस के बीच कोई विवाद नहीं है।

प्रश्नगत विवादित भूमि के विवाद की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा समय-समय पर उभय पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है तथा उभय पक्ष समय-समय पर न्यायालय से पाबन्द भी कराए गए हैं।]

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्ति बनाये।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, आपने स्वीकार किया था कि इसको पहले नम्बर पर लेंगे।

(व्यवधान)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

मान्यवर, मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, अभी-अभी 4 तारीख को कार्यस्थगन मैंने इसका दिया था । मान्यवर, गृह मंत्रीजी ने कहा था कि दो हरिजन मारे गये गुलाब और रामदुलारे । दोनों की 20-20 वर्ष उम्र हैं । उनको 20-20 हजार मुआवजा देने की बात कही थी । वक्तव्य में इसको स्वीकार नहीं किया । उनको जेल भेजने की बात भी स्पष्ट नहीं की । जबकि यह स्पष्ट है कि वह तिवारी परिवार, जिसका हाथ एक बार विश्वनाथ मंदिर में हुई सोने की चोरी में भी था, जो ककरहा थाना जमालपुर, मिर्जापुर का है, उसका इसमें हाथ है । जो हत्यारे हैं हरिजनों के, उनको अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया, 302 आई0 पी0 सी0 और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया ;

[5 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष---

स्पष्टीकरण लें, भाषण करने से कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, अभी तक हत्यारों को जेल क्यों नहीं भेजा गया । दो हरिजनों पर अत्याचार हुआ । गुलाब और रामदुलारे जिनकी उम्र 20-20 साल थी, उनका विधिवत पट्टा किया गया था, जो हत्या के मुल्जिम हैं, गुलाब और राम दुलारे इन दो व्यक्तियों की....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं पूछ रहा हूं, आप बैठिये । यह कह रहे हैं कि दो हरिजनों की हत्या हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया और जिस कान्स्टेबिल ने मारा, उसे जेल क्यों नहीं भेजा ?

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को शायद मालूम नहीं है कि जेल भेज दिया गया है तीन मुजरिमों को जेल दिया गया है । दो जेल में हैं, एक बेल पर है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुआवजे की बात भी बता दें ।

श्री सईदुज्जमा---

मान्यवर, इस मामले में तफ्तीश जारी ।

श्री उपाध्यक्ष---

तफ्तीश तो जारी रहेगी ।

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, उनको 10-10 हजार रुपया दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुआवजे का क्या करना है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, उनको 10-10 हजार रुपये दे दिये गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--

20-20 हजार देने की बात इसी सदन में कही गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

20 कहा गया है तो 20 ही रखें। दस क्यों कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, पहले कितना कहा गया था ?

श्री यदुनाथ सिंह--

इसी सदन में कहा गया है। आपकी पीठ से निर्देश हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में जो कहा गया है, वही रहेगा। यह कहते हैं कि पहले बीस-बीस हजार कहा गया था, अब 10 हो गया है ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, 10-10 हजार रुपये दिये गये हैं। अगर सदन में कोई ऐसी बात कही गयी है तो पूरी की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन में बीस कहा है तो पूरा किया जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हरिजन लोग मारे जाते हैं तो अनुदान देने की व्यवस्था है, क्या इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य जातियों के लोग मारे जाएंगे तो उनको दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मूल चन्द्र--

मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। गरीबों को जो आवंटन पट्टे मिले हैं, यही विवाद है। यह विवाद गरीबों को आवंटन पट्टे मिलने के कारण है। माननीय मंत्री जी इन गरीबों की हत्याओं को मद्देनजर रखते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आवंटितों के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्यवाही न हो ?

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निलम्बित कर्मचारियों द्वारा विधान भवन के सामने आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में परिवहन राज्य मंत्री का वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर।

एक सदस्य--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री प्रमोद कुमार--

[प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1981 से 1986 तक लगभग 4000 कर्मचारियों की सेवाएं अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत समाप्त की गई थीं, या अन्य प्रशासनिक आदेश पारित किये गये थे । इन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार विभिन्न संवर्गों के लिए नियुक्ति अधिकारी नामित किया गया था । कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त तथा नियमों के अधीन पूरी जांच करने के पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त की गई थी ।

उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डित कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई । याचिका का आधार यह था कि दण्डाधिकारी को कोई अधिकार विहित नहीं था ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा एक अध्यादेश दिनांक 17 मई, 1987 को प्रख्यापित किया गया था, जो कालान्तर में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1987 के रूप में पारित हुआ । उस अध्यादेश में यह प्राविधान किया गया कि 19 जून, 1981 के उपरान्त ऐसे अधिकारियों में जिनमें पूर्व में ही अधिकार प्रतिनिधायित किये गये थे, लागू माने जायेंगे । इस अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि केवल अधिकार के कारण किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय दिया गया हो तो उसे निष्प्रभावी माना जायगा ।

इस अध्यादेश की चुनौती भी उच्च न्यायालय में की गई । परन्तु निर्णय निगम के पक्ष में हुआ । उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बिना उच्चतम न्यायालय में भोपाल सिंह तथा कुछ अन्य कर्मचारियों ने एस0 एल0 पी0 प्रस्तुत की । परन्तु यह एस0 एल0 पी0 निरस्त कर दी गई ।

चूंकि हजारों कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में या विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं प्रेषित की गई थीं, जो केवल इस आधार पर स्वीकार कर ली गई थीं, कि अधिकारियों में कोई अधिकार विहित नहीं था और उनके द्वारा कृत कार्यवाही अवैध थी । अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात् कन्टेम्ट आफ कोर्ट की याचिकाएं भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थीं कि कर्मचारियों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है तथा वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है । इन कन्टेम्ट आफ कोर्ट केसेज मामले को तथा भोपाल सिंह के मामले में हुए निर्णय को देखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन छोड़ने के लिए प्रार्थना-पत्र दें और उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप न हो, तो उसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेकर सेवा में रख लें । इसके उपरान्त अध्यादेश पारित किया गया । अध्यादेश प्रख्यापित होने के उपरान्त शेष कर्मचारियों को सेवा में लिए जाने का अधिकार भी समाप्त हो गया । इसलिए उन्हें सेवा में लिया जाना सम्भव नहीं है]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, सदन शांत नहीं है मैं कैसे प्रश्न करूं । मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है, उसका पृष्ठ–2 देखने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी को पीठ का निर्देश दें । यहां पर 20–20 हजार रु0 की बात कही गयी थी । ऐसे बात नहीं चलेगी ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि 20–20 हजार रु0 मुआवजा दिये जाने की मांग करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ जी उन्होंने कहा है कि अगर 20 हजार कहा होगा तो 20 हजार दिया जायेगा । आप अपने आसन पर जायं ।

(श्री यदुनाथ सिंह वापस अपने आसन पर चले गये)

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

वक्तव्य में कहा गया है कि कन्टेंट आफ कोर्ट की याचिकायें भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थीं कि कर्मचारियों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है तथा वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है । इन कन्टेम्ट आफ कोर्ट केसेज के मामले को तथा भोपाल सिंह के मामले में हुए निर्णय को देखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन छोड़ने के लिये प्रार्थना–पत्र दें और उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप न हो, तो उसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेकर सेवा में रख लें । यह जो आदेश कृपापूर्वक शासन ने किया इस आदेश की सूचना किन समाचार पत्रों के माध्यम से कर्मचारियों को दी गयी किस कर्मचारी संगठन के माध्यम से यह सूचना दी गयी । यदि यह माध्यम नहीं अपनाया गया हो तो क्या मंत्री जी इन कर्मचारियों को पुनः इस तरह का अवसर देने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात है, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था मान्यवर, सदन इतना अशांत है कि न तो आपको सुनाई दे रहा है न सदन सुन पा रहा है मैं क्या कहूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

शांति बनाये रखें ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

आप संरक्षण दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

शांति बनाये रखें । आप उनका जवाब तो आ जाने दें जो प्रश्न किया ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न है शासन ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी इन कर्मचारियों की नियुक्ति कर लें अगर वे यह प्रार्थना–पत्र दें कि वेतन नहीं लेंगे उनको

रख लिया जाय मैं यह जानना चाहता हूं कि किस समाचार पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गयी किस कर्मचारी संगठन के माध्यम से यह सूचना प्रसारित की गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप भाषण देंगे या सवाल पूछेंगे ?

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है। यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः कर्मचारियों को अवसर देने पर विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका जवाब तो आ जाने दें ?

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा। हां, अगर किसी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ वह व्यक्तिगत मामला आप हमें दें हम उनको दिलवायेंगे और यदि उन पर आरोप लगाये गये हैं अगर आरोप नहीं हों तो नहीं रखा जायेगा अगर आरोप गलत साबित होंगे तो हम उन्हें तत्काल रखने के लिये तैयार हैं। इसके बाद मैंने मंत्री जी को एक सूची तैयार करके दी। जिसमें एक सूची दी है 73 लोग हैं जिन पर गम्भीर आरोप थे रख लिया। 59 लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप नहीं है नहीं रखा तो क्या इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने कहा कि गोपाल सिंह के मामले में हुए निर्णय को देखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन छोड़ने के लिये प्रार्थना-पत्र दें और उनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप न हों, नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेकर उनको सेवा में रख लें। मान्यवर, एक लाइन इन्होंने नहीं पढ़ी उसको मैं पढ़ देता हूं कि इसके उपरान्त अध्यादेश पारित किया गया और अध्यादेश प्रख्यापित होने के उपरान्त शेष कर्मचारियों को सेवा में लिए जाने का अधिकार भी समाप्त हो गया।

श्री विजय सिंह राणा द्वारा प्रश्न पूछने का अनुरोध करने पर तथा हरीश जी के भी खड़े होने पर

श्री अधिष्ठाता—

हरीश जी आप काफी प्रश्न पूछ चुके हैं, आप बैठ जायें। मैं राणा जी को मौका दे रहा हूं।

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, मेरी पूरी बात का जवाब आया नहीं, मैं इतनी शान्ति से पूछ रहा हूं। अब आप क्या चाहते हैं ? मैं वह सदस्य तो हूं नहीं कि बेल में आ जायें, उत्तेजना पैदा करें अगर आप इसी तरह सदन चलाना चाहते हैं, तो सदन नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा ठीक है, पूछ लीजिये।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, इन्होंने गोपाल सिंह का नाम पढ़ा। लेकिन मैंने जहां से पढ़ा, वहां से माननीय मंत्री जी ने छोड़ दिया। मान्यवर, आदेश की सूचना कर्मचारियों को मिली नहीं और दरख्वास्त बेचारे वह दे नहीं पाये और आपने अध्यादेश लागू करके मामले को रोक दिया, उसी को मान्यवर, विचार करने का अनुरोध करता हूं। अखबार में भी यह जारी नहीं हुआ, किसी संगठन कर्मचारी को जानकारी भी नहीं हुयी जिससे वह लाभ लेने से वंचित रह गये। तो मान्यवर, यही अनुरोध कर रहा हूं कि पुनः विचार कर लें कि जो अवसर आपने दिया उसका वह लाभ उठा लें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय हरीश जी माननीय सदस्य गुस्से में आ गये, इसलिए मैं बड़ी नम्रता से बोल रहा हूं। मैंने तो पूरा वक्तव्य पढ़ दिया था। दूसरी बात यह है कि मेरा आशय यह था कि इस तरह के प्रश्न इस आदरणीय सदन में पहले भी हो चुके हैं। कई बार वक्तव्य के जरिये कई बार चर्चा के माध्यम से, कई बार विधान सभा में अपने भाषण के दौरान, प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से मैंने हर बार स्थिति स्पष्ट की है कि यह वह कर्मचारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मान्यवर, यह प्रकरण उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सभी स्थानों पर आ चुका है, तो इसलिए अब इस पर विचार करना संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न मान्यवर, जो हरीश जी का था कि इसको किसी समाचार-पत्र के माध्यम से या किसी कर्मचारी संगठन के माध्यम से जारी नहीं किया गया। मान्यवर, आर्डीनेन्स जारी करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का इसमें पालन किया गया है। अगर और कोई बात हो, तो मैं उसे देख रहा हूं। मान्यवर, अखबारों में जारी होना कोई आवश्यक नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वैसे तो बड़े उदार हैं, और यह आगे से भी उदार हैं और पीछे से भी उदार हैं। मान्यवर, मेरा भी यही अनुरोध है कि थोड़ा उदारता से सोचें, कर्मचारियों का मामला है। इन्होंने उदारता बरती, इसी आशा के साथ मान्यवर, मैं इनसे कह रहा हूं और एक सूची दे रहा हूं। इसमें यह हो सकता है कि आपके पास जो सूचना है कि वह भ्रष्टाचारी हैं। मैं सूची इसलिए दे रहा हूं कि इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनके पास भ्रष्टाचार के कम अपराध थे और अन्य लोगों के पास ज्यादा थे उनको सेवा में ले लिया गया तो हो सकता है कि आपने जो सूची निकाली हो अपराधों की, तो मेरी इस सूची से पुनरीक्षित कर लें और जिनके अपेक्षा से कम अपराध हैं, उनको नियुक्ति दे दें इसलिए मैं आपसे सूची पुनरीक्षित करने की बात कह रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय सदस्य राणा जी का आभारी हूं कि यह जिनकी सिफारिश कर रहे हैं, उनके बारे में स्वीकार किया है कि वह भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि ज्यादा भ्रष्टाचारी को ले लिया गया है और कम को छोड़ दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि एक निश्चित तारीख दी गयी थी, जो लोग अपना वेतन छोड़ने के लिए प्रार्थना-पत्र देना चाहें और आपस में पारस्परिक समझौते के आधार पर ले लिया गया है। अब अध्यादेश निर्गत हो गया और अध्यादेश निर्गत होने के बाद स्थिति फर्क हो गयी। अब मान्यवर, उन्हें नहीं लिया जा सकता है

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय 5 हजार कर्मचारी निकाले गये तो मामला उच्च न्यायालय में गया और उस समय उच्च न्यायालय ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस पर यह अधिनियम बन गया। मैंने उस समय भी प्रार्थना की थी कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत अपनी कार्यपालिका को हावी करके ऐसा कानून आप बनाने जा रहे हैं। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना और मण्डलों को आदेश दिये कि इस मामले को पुनरीक्षित कर लिया जाय। माननीय मंत्री जी को भी जानकारी होगी कि लखनऊ मण्डल में वह आदेश पहुंचा या नहीं परन्तु यह सुविधा उन निकाले गये कर्मचारियों को नहीं दी गई। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि लखनऊ मण्डल में इस आदेश का सही तरह से पालन नहीं हुआ है, इसलिए इसे दुबारा पुनरीक्षित करने हेतु एक जांच कमेटी बना दी जाय। हो सकता है किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप कम हैं, परन्तु वे सिद्ध हो गये और किसी पर आरोप ज्यादा हैं परन्तु सिद्ध नहीं हो पाये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले को दुबारा पुनरीक्षित करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, मैं श्री गुप्ता जी को पहले यह स्पष्ट कर दूं कि जो यह अध्यादेश निकाला गया था, यह इसलिए निकाला गया था कि जिस अधिकारी ने निकाला है क्या वह सक्षम है। इस समय इस मामले पर विचार करना संभव नहीं है, परन्तु जब कभी ऐसी स्थिति आयेगी तो तब विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक बात कह दी कि जब कोई ऐसा अवसर आयेगा तो पुनर्विचार कर लिया जायेगा। माननीय मंत्री जी बता दें कि उस अवसर को हम किस प्रकार लायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने कहा कि इस प्रकरण पर विचार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और प्रकरणों पर अवसर आते रहते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी जगह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस समय इस पर विचार कर पाना संभव नहीं है।

जनपद गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा शासकीय आदेशों तक सदन में मुख्य मन्त्री जी द्वारा की गई घोषणा के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह राज्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा मान लिया गया।)

गृह राज्य मन्त्री (श्री सईदुज्जमा)--

[प्राप्त सूचनानुसार थाना कैम्पियरगंज के परिसर से बाहर गोरखपुर, सुनौली मार्ग के किनारे, थाना कैम्पियरगंज के समीप ग्राम सभा चौमुखा का मंदिर स्थित है, जो वन

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग की भूमि पर नहीं वरन् ग्राम सभा की भूमि पर जनता के सहयोग से निर्मित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा न तो मंदिर का निर्माण ही कराया गया और न उद्घाटन ही किया गया है। मंदिर के अग्रभाग में स्थित विश्रामालय का उद्घाटन थानाध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया था।

ग्राम गांधी थाना पनियरा में स्थित दिव्येश्वरी काली मंदिर जो ग्राम सभा की पुरानी बंजर जमीन पर चबूतरानुमा पुराना काली मंदिर है। उक्त चबूतरानुमा मंदिर दिव्येश्वरी बाबा, मूल निवासी महाराष्ट्र जिनकी मृत्यु वर्ष 1988 में हो गई थी की स्मृति में दिव्येश्वरी काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की आधारशिला थानाध्यक्ष पनियरा द्वारा नहीं रखी गई। उपर्युक्त से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त थानाध्यक्षों द्वारा किसी मंदिर का निर्माण अथवा शिलान्यास नहीं किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा शासकीय आदेशों, नीतियों एवं सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

यह कहना निराधार है कि वर्तमान सत्र के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के संदर्भ में दिये गये उत्तर से संबंधित थानाध्यक्षों सहित अन्य पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा है और साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने वाली शक्तियां हतप्रभ एवं भयभीत।]

श्री हर्षवर्धन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। शासन का यह स्पष्ट आदेश है कि किसी भी धार्मिक स्थल को बिना पूर्व अनुमति के नहीं बनाया जाएगा। गोरखपुर जनपद में थाना कैम्पियर गंज में वन विभाग की भूमि पर 21 सितम्बर, 1988 को नवनिर्मित मन्दिर के अग्र भाग का उद्घाटन हुआ, इसका पत्थर लगा। इसकी सूचना दी गई। 27 तारीख को इस पर वक्तव्य आना था। इस मन्दिर के अग्र भाग की जो यह फोटो है, आपका बयान उसके विपरीत आ रहा है। इसको दो बार स्थगित किया गया। एक बार 3 तारीख को और एक बार 5 तारीख को 21 सितम्बर, 1988 को उद्घाटन हुआ। पत्थर की फोटो कापी भी आपके पास भेजी। सामान्य चर्चा पर जब चर्चा हो रही थी, तब भी आपके पास इसकी फोटो कापी भेजी, पुनः आपके पास इसे भेज रहा हूं। श्री सदा शिव मन्दिर के नव निर्मित अग्र भाग का उद्घाटन द्वारा माननीय श्री बीर बहादुर सिंह जी, संचार मंत्री, भारत सरकार द्वारा हुआ और उसके दूसरे तरफ हीरा सिंह, थानाध्यक्ष एवम् थाना स्टाफ लिखा हुआ है। वास्तव में थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज हीरा सिंह द्वारा श्री सदाशिव मंदिर के अग्रभाग का निर्माण कराया गया और उसका उद्घाटन श्री वीर बहादुर सिंह ने किया। 27 तारीख के बाद उस पत्थर को निकाल दिया गया और दूसरा पत्थर लगा दिया गया। उसमें लिखा है श्री सदा शिव मन्दिर के नव निर्मित यात्री विश्रामालय (धर्मशाला) का उद्घाटन द्वारा श्री वीर बहादुर सिंह, संचार मंत्री, भारत सरकार द्वारा हुआ, परन्तु इसमें श्री हीरा सिंह, थानाध्यक्ष का नाम निकाल दिया गया। उस मन्दिर का अग्रभाग मेरा स्पष्ट आरोप है, वन विभाग की भूमि पर थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज हीरा सिंह द्वारा बनाया गया है। यह कहते हैं कि ग्राम समाज की भूमि में बना लिया है। जो पत्थर पहले लगा था, हटाया गया या नहीं यह बता दें? ग्राम समाज की किस नम्बर की भूमि में वह मन्दिर बनाया गया है?

श्री सईदुज्जमा--

जिन तथ्यों को आपने बताया है, उस सम्बन्ध में जांच करा लेंगे। अभी सूचना नहीं है लेकिन उन्होंने जो मन्दिर का विश्राम गृह है, उसका उद्घाटन किया था पुरानी

जमीन है । पहले यहां पर चबूतरा बना हुआ था । एक महात्मा जी थे, 1988 में उनका देहान्त हो गया था । उनकी याद में बनवाया गया था ।

श्री शारदानन्द अंचल--

माननीय मन्त्री जी बता दें कि ग्राम समाज की भूमि में बनाया गया था तो उसका नम्बर क्या था ? कितने का इस्टीमेट स्वीकृत हुआ था ? किस अधिकारी ने इस्टीमेट स्वीकृत किया था ? कितने में बना ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें इस्टीमेट से कोई मतलब नहीं है । यह कोई सरकारी बिल्डिंग तो है नहीं । जमीन का नम्बर मालूम हो तो माननीय मन्त्री जी बता दें ।

श्री सईदुज्जमा--

यह बहुत पुरानी बंजर जमीन है, इसका नम्बर इस समय नहीं मालूम है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, आप संरक्षण दें, देखें माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि बड़ी पुरानी इमारत है । मूल उत्तर में कह चुके हैं कि ग्राम समाज की भूमि है जिस पर बना । इसके उत्तर में विरोधाभास है । यह बड़ी शर्म की बात है । माननीय मन्त्री जी के सामने हर्षवर्धन जी ने मेरी मौजूदगी में गृह मन्त्री जी को उस मन्दिर पर लगाए गए पत्थर की फोटो दी, उन्होंने आश्वस्त किया कि पत्थर नहीं बदला जायगा । उसके बाद डी0 जी0 पी0 से टेलीफोन पर बात की । उसके बाद भी पत्थर बदल दिया गया, दूसरा पत्थर लगा दिया गया । आज माननीय मन्त्री जी सारी घटनाओं से मुकर रहे हैं । यह बड़ी, शर्मनाक स्थिति है । माननीय मन्त्री जी या तो सदन में कहें कि ये बातें नहीं हुई थीं, हमने उनको पत्थर नहीं दिखाया था उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था और उसके बाद पत्थर नहीं बदला गया । हमने उनको खसरा नम्बर भी दिखाया था । इनके सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट है कि वन विभाग की जमीन में बना है । आज सारी बातें देखने के बाद इस तरह झुठला रहे हैं इधर के सदस्यों को । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सारी बातों को, अगर वह नकारते हैं, हेडक्वार्टर से उच्च स्तरीय सी0 आई0 डी0 अधिकारी को भेजकर सारी घटना की जांच करायेंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

सम्मानित तिवारी जी ने जो कहा है वह फोटो मुझे दिखाया था, मुझ भी दिखाया था और गृह मन्त्री जी को भी दिखाया था । मेरा मतलब यह था कि वहां पुराना चबूतरा था, जहां पर पूजा होती थी । जिन तथ्यों का आपने जिक्र किया है, उनके सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच करवायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी सदन में गलत बयानी कर रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं पहले इनके द्वारा गलतबयानी की सूचना दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह गांव समाज की भूमि है, जब कि एस0 डी0 एम0, फरेंदा की रिपोर्ट है जो

कि मैं अभी आपके पास भेजूंगा उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह किसी गांव समाज की भूमि नहीं है बल्कि यह जंगल की सीमा में पड़ता है। दूसरी भी रिपोर्ट है जो कि सरकारी है यह भी बतला रही है कि मात्र जंगल की भूमि में है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब जांच स्वीकार कर ली है सी0 आई0 डी0 के लिए, तो फिर क्या रह जाता है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

ये गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे पास गोरखपुर के अखबारों की कटिंग है कि माननीय संचार मंत्री जी ने सदाशिव के मन्दिर का उदघाटन किया।

श्री उपाध्यक्ष--

वे जांच करा रहे हैं, सब हो जायेगा। आप बैठिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने इस प्रकार के जिला प्रशासन को तथा थाने को आदेश भेज दिए हैं कि उनके क्षेत्र में बिना शासन की अनुमति के और बिना उनकी अनुमति के मन्दिर मस्जिद कोई बना सकता है ?

श्री सईदुज्जमा--

जब मैंने सदन को आश्वस्त कर दिया है कि जांच हो जायेगी, जांच में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

हम लोगों को मन्दिर और मस्जिद बनाने से रोका जाता है। रोज जिला प्रशासन में इसको लेकर विवाद होता है, शासनादेश है क्या ऐसा ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, आपकी तरह सबकी याददाश्त नहीं है। आप बैठिये।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 19 पुकारी गई।)

बड़ौत जनपद मेरठ में ट्रान्सफार्मर की कमी से परेशान किसानों द्वारा रास्ता जाम किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

मान्यवर, सम्बन्धित सदस्य तो उपस्थित नहीं हैं तो उनको कैसे सुनायें ?

श्री उपाध्यक्ष--

रहने दीजिए। केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम औतार दीक्षित--

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा जनपदों में बिजली का अभाव नहीं है। इन जिलों में शहरों में 24 घन्टे बिजली आपूर्ति की गयी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घन्टे निर्धारित अवधि के विपरीत लगभग 14 घण्टे आपूर्ति की गयी। इन क्षेत्रों में लगभग 45,000 ट्रान्सफार्मर स्थापित थे जिसमें से 1 मार्च, 1989 को मात्र 540 ट्रान्सफार्मरों को बदलना शेष रहा। ज्ञातव्य है कि 1 अप्रैल, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक कुल 5,781 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुये जिसमें से 5,241 बदल दिये गये। जहां तक बड़ौत का सम्बन्ध है इस क्षेत्र में कुल 800 ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापित है जिसमें से मात्र 6 ट्रान्सफार्मर घेराव के दिन क्षतिग्रस्त थे जिसमें से 3 बदले जा चुके हैं तथा तीन के बदलने की कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता ने किसानों को आश्वासन दिया है कि यदि कोई गलत बिल हो तो उन्हें चेक करके सुधारा जायेगा। नलकूप के कनेक्शन के लिये जिन किसानों को प्राक्कलन दिया जा चुका है उनकी लाइनें खींच दी गयी हैं, कनेक्शन में देरी कन्डक्टर की कमी के कारण हो रही है।]

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को त्रिभाषा अनुदान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, दिनांक 18 मार्च, 1989 तक जनपद फैजाबाद से..

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

[त्रिभाषा क्षतिपूर्ति हेतु जितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे उन पर निदेशालय द्वारा परीक्षण करके पिछले वर्षों एवं वर्ष 1988-89 तक का अर्ह विद्यालयों का त्रिभाषा क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत कर दिया गया। प्रदेश के अन्य जनपदों से भी 18 मार्च, 1989 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों का भी परीक्षण करके विद्यालय की अर्हता को दृष्टिगत रखते हुये त्रिभाषा अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है।

यह सही है कि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद से जो आवेदन-पत्र 18 मार्च, 1989 के बाद प्राप्त हुये थे जिन पर समयाभाव के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

अन्य मण्डलों से भी जो आवेदन-पत्र उक्त तिथि के बाद प्राप्त हुये थे उनकी भी स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि आवेदन-पत्रों की संख्या बहुत अधिक थी और समय बहुत कम था जिसके कारण उनका उचित प्रकार से परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं था। दिनांक 18 मार्च, 1989 के बाद प्राप्त होने

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले आवेदन-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष 1989-90 में कर दी जायेगी।

इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि जनपद फैजाबाद तथा अन्य जनपदों में उर्दू तथा संस्कृत अध्यापकों को त्रिभाषा अनुदान नहीं मिल रहा है तथा उनके परिवारों के सम्मुख भुखमरी का संकट पैदा हो गया है।]

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो आज्ञा दी थी, वह काम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रही हैं कि काम हो गया है तो माननीय तिवारी जी, आप मान जायें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

ठीक है।

दिनांक 25/26 फरवरी, 1989 को अधिवक्ता श्री राना रंजीत सिंह की हत्या के विरोध में मथुरा की समस्त अदालतों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह राज्य मन्त्री का वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री सईदुज्जमा)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सईदुज्जमा--

[अधिवक्ता स्व0 श्री राना रंजीत सिंह द्वारा अपनी जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था। दिनांक 25 जनवरी, 1989 को प्रातः थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत लालागंज बाजार में बोरे में बन्द एक शव बरामद हुआ था। उसी दिन मृतक की शिनाख्त हुई कि वह श्री राना रंजीत सिंह अधिवक्ता का शव है। इस सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी मृतक श्री राना रंजीत सिंह ने थाना कोतवाली पर मु0 अ0 सं0 65/89, धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने अपने जेठ श्री गुरूदत्त सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी के ऊपर हत्या करने का शक जाहिर किया। उक्त हत्याकाण्ड के विरोध में स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। बाद में यह जाम अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन देने पर समाप्त हो गया। दिनांक 25 जनवरी, 1989 से अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल कर दी गई।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गुरूदत्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का होना पाया गया। फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की गई और उन्हें गिरफ्तार करने हेतु कई स्थानों पर दबिशें दी गयीं। उनके गिरफ्तार न होने के कारण

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 1 फरवरी, 1989 को जाब्ता फौजदारी की धारा 82/83 के अन्तर्गत अभियुक्त गुरूदत्त के घर की कुड़की की गई ।

दिनांक 28 फरवरी, 1989 को अभियुक्त गुरूदत्त सिंह ने सी0 जे0 एम0, मथुरा के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और पुलिस द्वारा दो दिन के लिए उन्हें रिमाण्ड पर लिया गया ।

अभियुक्त गुरूदत्त सिंह ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुये अपने दो सहअभियुक्त महेन्द्र सिंह तथा निरंजन सिंह को अपराध में सम्मिलित होना बताया तथा अपने बयान में हत्या का कारण पैतृक मकान को बेचने व पैसे के बंटवारे को लेकर करना बताया ।

अभियुक्त गुरूदत्त सिंह को दिनांक 2 मार्च, 1989 को जेल भेजा गया और इसी दिन अभियुक्त महेन्द्र सिंह व निरंजन सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । उपरोक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

दिनांक 22 फरवरी 1989 को जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हड़ताल में शामिल अधिवक्ताओं से बातचीत की गई तथा दिनांक 23 फरवरी, 1989 को वकीलों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई है तथा न्यायालय में कार्य सुचारूरूप से चल रहा है ।

यह कहना सही नहीं है कि जिला जेल अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई है, तथा जनपद मथुरा के बाजार बन्द हैं । यह भी सही नहीं पाया गया कि मथुरा शहर में चोरी, डकैती, राहजनी आदि अपराधों की बाढ़ आ गई है बल्कि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1988 में हत्या/डकैती/बलवा एवं अन्य अपराधों में वर्ष 1987 के मुकाबले में काफी कमी आई है ।]

श्री सरदार सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय रंजीत सिंह की विधवा को क्या शासन की ओर से आप कोई आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री सईदुज्जमा--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में विचार कर लिया जायेगा ।

हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रबन्धक के फर्जी हस्ताक्षर से विद्यालय कोष का संचालन एवं अन्य अनियमिततायें किये जाने के फलस्वरूप शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर ।

एक सदस्य--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

[विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के लिए मण्डलीय आडिट पार्टी को विद्यालय में भेजा गया था किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनेक पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी उसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये और प्रधानाचार्य आडिट पार्टी से सहयोग करने के बजाय अनुपस्थित हो गये, जिसके कारण जांच सम्पन्न नहीं हो सकी।

2--अतः अध्यापकों एवं कर्मचारियों के हित को दृष्टि में रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने आदेश दिनांक 25 फरवरी, 1989 द्वारा एकल संचालन की व्यवस्था लागू करके वेतन देना प्रारम्भ कर दिया है।

3--यह भी उल्लेखनीय है कि श्री बृज मोहन त्रिपाठी ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिनांक 14 फरवरी, 1989 को थाना कैंट में अपराध संख्या 55/89, आई० पी० सी० की धारा 420, 406, 468 एवं 471 के अन्तर्गत एक एफ० आई० आर० लिखा दी है। प्रबंधतंत्र के सम्बन्ध में एक वाद मुंसिफ, हवाली लखनऊ के न्यायालय में चल रहा है, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 9 फरवरी, 1989 को इस आशय का अन्तरिम आदेश पारित किया है कि प्रतिवादी श्री बृज मोहन त्रिपाठी, प्रबन्धक श्री एस० पी० शुक्ला के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4--उक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा निदेशक को यह आदेश दिये गये हैं कि वे विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करवा कर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करें।]

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं वक्तव्य के पहले पैरे की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के लिए मण्डलीय आडिट पार्टी को विद्यालय में भेजा गया था, परन्तु वहां के प्रधानाचार्य ने किसी भी प्रकार के कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराए। हमारी सूचना यह थी कि फर्जी बैंकों पर प्रबंधक के हस्ताक्षर करके उसने लाखों रुपयों का गबन किया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1988-89 की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के फार्मों को अनाधिकृत रूप से पास करने की अनियमितताएं की हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इन सारी मदों पर अपराधिक अनुसंधान द्वारा आवश्यक जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

तथाकथित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध एवं प्रबंध समिति के विरुद्ध जब शिकायतें मुझे प्राप्त हुयीं तो मैंने उन शिकायतों के आधार पर एक आडिट पार्टी को भेजा, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य जी ने कोई सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए और

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहां से गायब हो गये, जिससे वहां का आडिट नहीं हो सका। साथ ही इस सम्बन्ध में यह भी बताना आवश्यक समझती हूं कि प्रबन्ध समिति के दो लोगों में आपस में विवाद है, इस विवाद के कारण अदालत में एक मुकदमा भी कायम था और उसमें पहले तो अदालत ने 3-2-89 फिर 2-3-89 को उन्होंने श्री बृज मोहन त्रिपाठी के विरुद्ध जजमेन्ट दे दिया और एक शुक्ला हैं उन्हें यह कह दिया कि यह प्रबंधक रहेंगे।

लेकिन मान्यवर, अभी कल ही हाईकोर्ट ने एक दूसरा फैसला लिया है कि जो प्रधानाचार्य हैं उनके प्रयास व षड्यंत्र के माध्यम से श्री शुक्ला को जो प्रबंधक बना दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो स्थिति अब यह है कि पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कि इस विद्यालय में जो विवाद है, उसको देखते हुए उसमें पहले ठीक से व्यवस्था की जाए।

दूसरी बात वहां पर जो अनियमिततायें प्रधानाचार्य द्वारा की गयी हैं, उनकी एफ0 आई0 आर0 लाज की जा चुकी है कि प्रबंधक के फर्जी व जाली हस्ताक्षर बनाकर पैसा निकाल लिया गया। इस पर पुलिस कार्यवाही हो रही है और इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह मैं जानना चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी जी के खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, जिनके वक्तव्य नहीं आए हैं, उनको मान्यवर, अगले सत्र के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, यह मेरा प्रश्न है व्यवस्था का।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी आपका वक्तव्य मद 23 पर आ तो गया है और इससे पहले 20 पर आ चुका है, आप किसकी बात कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं अपने वक्तव्य के बारे में नहीं कह रहा था मैं तो इन-जनरल कह रहा था कि जिनके-जिनके न आएं, उन्हें अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, श्री बृज मोहन त्रिपाठी जो प्रबंधक थे, उस विद्यालय के, उनके फर्जी हस्ताक्षर से पैसे निकाले गये और जिन लोगों ने निकाला उन्हीं को बहाल कर दिया गया और सांठ-गांठ करके जिसे यह प्रिंसपल, मैनेजर बनाना चाहता था, उसके सम्बन्ध में समस्त बातों की एफ0 आई0 आर0 श्री बृज मोहन त्रिपाठी जी ने दिनांक 14-2-89 को थाना कैंट में लिखा दी। अब मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि श्री त्रिपाठी को जो वहां की स्थिति से खतरा पैदा हो गया है, तो बृज मोहन त्रिपाठी की सुरक्षा व्यवस्था करते हुये क्या उस प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही

करायी जायेगी और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा और जो वहां पर कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षायें चालू हैं, उनको क्या निरस्त किया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अम्मार रिजवी—

[टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज जनपद फैजाबाद में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं । यह नियुक्तियां किस प्रकार की गयी हैं इसके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज के चार फालतू कर्मचारियों को नवसृजित टाउन एरिया कमेटी, इल्तिफातगंज बाजार स्थानान्तरित कर दिया गया था । टाउन एरिया कमेटी, इल्तिफातगंज बाजार में पद सृजित न होने के कारण वहीं नियमित कर्मचारियों की तैनाती किया जाना उचित नहीं था । अतः उन्हें वहां कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया ।

2—ऐसा प्रतीत होता है कि सफाई आदि के दैनिक कार्य सम्पन्न कराने के उद्देश्य से टाउन एरिया कमेटी, इलिफातगंज बाजार द्वारा कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रख लिये गये हैं । टाउन एरिया कमेटी, इल्तिफातगंज बाजार में पद सृजन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

3—टाउन एरिया कमेटियों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मूल दायित्व सम्बन्धित टाउन एरिया कमेटी को है, टाउन एरिया कमेटियों को अपनी आय में समुचित वृद्धि करने के निर्देश पूर्व में कई बार दिये जा चुके हैं ।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जो टाउन एरिया है, प्रदेश में, उनका चुंगी-कर और पथ-कर 1979 में समाप्त कर दिया गया था, इसलिये इस कार्य में तैनात कर्मचारी जो थे वह फालतू हो गये, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गोसाईगंज में 34 कर्मचारी फालतू हो गये और जितनी उनकी इनकम है. उससे 10 गुना रुपया उनके वेतन में जाता है और नतीजा यह है कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है । सरकार की ओर से एक शासनादेश जारी किया गया है कि अगर कोई नई टाउन एरिया गठित होती है तो उसमें

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जो जगह होती है, तो उन फालतू कर्मचारियों से उन पदों को भरा जायेगा । 4 जुलाई, 1979 को इस बारे में निदेशक द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया, लेकिन गोसाईगंज टाउन एरिया में जो 34 आदमी फालतू हैं, उनको जो तीन टाउन एरिया---इल्तिफातगंज, बीकापुर और किछौछा में खोले गये हैं, उनमें नहीं रखा गया है और उनमें डेलीवेजेज पर रखा गया है । तो शासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया है । कलेक्टर ने एक लिपिक और 3 चपरासियों को इल्तिफातगंज की टाउन एरिया में कार्य करने के लिये भेजा परन्तु ए0 डी0 एम0 ने मना कर दिया और ज्वाइन नहीं कराया । तो टाउन एरियाज की वित्तीय स्थिति को देखते हुये फालतू कर्मचारियों को क्या स्थानान्तरित करके समायोजित करने की कृपा करेंगे और नई भर्ती नहीं होगी ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जो प्रश्न तिवारी जी ने उठाया है, काफी महत्वपूर्ण है । इस पर पहले शासनादेश हो चुका है । इल्तिफातगंज की टाउन एरिया का जहां तक सम्बन्ध है, वहां पर अभी पदों का सृजन नहीं किया गया है, उनकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, लेकिन शासन के विचाराधीन है, शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी और जब तक पुराने इम्पलाइज को एडजार्ब नहीं कर लिया जायेगा, नये लोगों को नहीं रखा जाये, मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जब कोई टाउन एरिया स्थापित की जाती है, तो वहां पर एक बख्शी, एक लिपिक और चपरासी की पोस्ट भी स्वीकृत की जाती है तो इसको आप दिखवा लें और कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ।

श्री अम्मार रिजवी---

इसकी जांच करा ली जायेगी और जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

आज जो वक्तव्य निर्धारित हैं किन्तु शासन के अनुरोध पर स्थगन प्राप्त किया है उनके बारे में शासन द्वारा वक्तव्य की प्रतियां सम्बन्धित सदस्यों को 30 दिन के भीतर भेज दिये जाने और उसकी एक प्रति इस सचिवालय को भेजे जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि जब कार्यसूची न पूरी हो, तो उसके लिये ऐसी व्यवस्था करता हूं कि आज जो वक्तव्य निर्धारित हैं, किन्तु शासन के अनुरोध पर स्थगन प्राप्त किया गया है, उनके बारे में शासन द्वारा वक्तव्य की प्रतियां सम्बन्धित सदस्यों को 30 दिन के भीतर भेज दी जाये और उसकी एक-एक प्रति इस सचिवालय को भी भेजी जाये, अन्यथा वे व्यपगत नहीं होंगे और आगामी सत्र में पुनः रख जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया ।)

सदन के संचालन में सहयोग के लिये पीठासीन अधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, सचिव विधान सभा, विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों तथा सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जाना

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, आज एक और ऐतिहासिक सत्र इस ऐतिहासिक सदन के इतिहास में इतिहास का अंग बनने जा रहा है। श्रीमन, यह सत्र अन्य बजट सत्रों की तरह अत्यन्त ही व्यस्तता का सत्र रहा। 8 फरवरी, 1989 से आज 6 अप्रैल, 1989 तक 35 बैठकों के माध्यम से 352 घंटे के लगभग सम्मानित सदस्यों ने अपना बहुमूल्य समय इस सदन की सेवा में अर्पित किया। 11 सरकारी विधेयक और 3 असरकारी विधायक पुरःस्थापित हुए। 16 सरकारी विधेयक इस विधान सभा द्वारा कृत पूर्वक पारित किये गये। वित्तीय वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक, वर्ष 1989-90 के लिये लेखानुदान वर्ष 1988-89 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान विचारोपरान्त पारित किये गये। श्रीमन्, 8 सरकारी और 4 असरकारी प्रस्ताव तथा 4 सरकारी व 3 असरकारी संकल्पों पर इस सत्र में विचार हुआ। नियम 52 में 12 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 4 स्वीकृत किये गये और 2 पर चर्चा हुई। नियम 51 में 279 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 39 पर वक्तव्य हुये और 9 पर ध्यान आकृष्ट किया गया। नियम 56 में कुल 523 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 61 पर वक्तव्य दिये गये तथा 26 पर चर्चा स्वीकार की गयी। 203 औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई। श्रीमन्, नियम 301 के अन्तर्गत 925 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 335 सदन के संज्ञान में लाई गई। श्रीमन्, कुल 10,431 प्रश्न प्राप्त हुये जिनमें 5,500 प्रश्न स्वीकृत किये गये और लगभग 4,000 प्रश्न आपके सम्मुख आये।

इस प्रकार श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह सत्र इस विधान सभा की जो कार्य प्रणाली है और कार्य करने की क्षमता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। मैं सभी सदस्यों को इसके लिये विशेष रूप से मैं समझता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल और विरोधी दल के सदस्यों के लिये जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, ताली पीटकर अगर नहीं तो किसी भी रूप में जो उन्होंने सहयोग दिया है, क्योंकि इसमें उनका ही योगदान अधिक रहा है एक दूसरे के सहयोग के लिये, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्रीमन् मैं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय उपाध्यक्ष जी को, अधिष्ठाता मंडल को और सभी सदस्यों को हार्दिकतम धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को यथासम्भव विधिपूर्वक चलाया, नियमानुकूल चलाया। वे हार्दिकतम साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं सम्मानित नेता विरोधी दल, उप नेता विरोधी दल, विरोधी दल के विभिन्न नेताओं और उन सभी सदस्यों, जो विपक्ष में बैठे हैं को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत इधर-उधर की कभी-कभी नोक-झोक हो जाता है, उसके होते हुये जो एक पार्लियामेन्टरी स्वभाव है चर्चा के माध्यम से उसको करने का, वह भावना परिलक्षित हुई और सदन की जो एक जलवायु होती है उसको बनाये रखने के लिये, संसदीय वातावरण को बनाये रखने के लिये उन्होंने जो चेष्टा की है, उसके लिये हम आभारी हैं।

मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को जो 'हां' पक्ष में बैठे हैं उनके योगदान के लिये अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने पूरा समय देकर इस सदन की कार्यवाही चलाने में और बजट को पारित कराने में योगदान दिया है, मैं उनके लिये भी हार्दिकतम धन्यवाद देता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं । इन शब्दों के साथ में एक बार फिर अपने संसदीय कार्य मंत्री तथा अपने मन्त्रि-मंडल के साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहां पर बैठकर कार्यप्रणाली को शासन की ओर से चलाया । साथ ही साथ में आपके माध्यम से विधान सभा सचिवालय के सचिव तथा अन्य अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कार्यवाही के संचालन करने में योगदान दिया और सदन की सेवा की और गरिमा को बढ़ाया ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इन शब्दों के साथ अनुज्ञा चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय, इसका प्रस्ताव करूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने जो भावना व्यक्त की है उससे मैं अपने को और विरोध पक्ष के सभी साथियों को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, यह सही है कि इस बार एक नया इतिहास फिर से बन रहा है । मुझे याद है जब नेता सदन तिवारी जी थे यह परम्परा बनी थी लेकिन बीच में यह सौभाग्य नहीं मिला वैसे ही यह सदन अनिश्चित काल के लिये उठ जाता था असमंजस में अव्यवस्थित सदन में कि हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं यह घोषणा हो जाती थी और हम अपना बस्ता बांध कर चले जाते थे । आज स्थिति दूसरी है एक निश्चितता का वातावरण है, नेता सदन को बधाई देता हूं वह प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं इसका रिपरक्शन आगे के लिये अच्छा होगा । पिछली बार अव्यवस्थित सदन में बजट पास हो जाता था, इस बार भी कुछ हद तक हुआ लेकिन इसमें फर्क था । कुछ ऐसा वातावरण दोनों पक्षों से कभी हो जाता है लेकिन इस बार एक एहसास होता था कि ऐसा करने से हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं । जनता की समस्याओं का जिक्र करने के लिये यहां हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं जब उस कर्तव्य का पालन हम नहीं करते हैं तो कष्ट होता है । हम यहां पर नियम 51 और 56 की सूचनायें लाते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, मैं उनकी संख्या में नहीं जाता लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत जो अव्यवस्था हुई उसका एक कारण यह भी था कि जब आदमी को किसी चीज की आशा होती है और वह आशा पूरी नहीं हो पाती है तो तब थोड़ी कड़वाहट हो जाती है । वर्तमान नेता सदन के आने से हम अपेक्षा करते थे कि उनके समय में उन प्रश्नों का हमें सही और तर्क संगत उत्तर हमें मिलेगा । जो उत्तर नियम 51 और 56 में जाने चाहिये वह यदि अब भी नहीं आते तो उसमें हमारे मंत्रिगण का भी दोष है । मैं कहूंगा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने का एहसास करें तो वह स्थिति न आये । मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कहीं-कहीं पर उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ और ठीक उत्तर नहीं मिला जैसा उनसे अपेक्षा की जाती है तो उससे गड़बड़ पैदा हुई । अगर वह उसे इमानदारी से मनन करेंगे तो एहसास करेंगे कि उनके तरफ से भी कुछ कमियां हुई हैं । मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि हमारी तरफ से भी कहीं-कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई जिन बातों को हम दूसरे तरीके से डिस्कशन के जरिये से जिक्र करके कह सकते थे और दूसरे तरीके से जनता के बीच ले जा कर आपको शर्मिंदा करने का प्रयास कर सकते थे ताकि आप मजबूर हो जायं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये वह न करके हमने अव्यवस्था पैदा की तो वह हमारी भी कमी रही । लेकिन कुल मिला कर दोनों ओर से इस बात का सतत प्रयास हुआ है कि जनता की अधिक से अधिक समस्याओं को सदन में उठाकर उनका निराकरण हो सके ।

इस बार एक अभूतपूर्व इतिहास का सृजन किया है हमने हमारी विधान सभा में पहली बार एक अधिकारी को विशेषाधिकार हनन के मामले में यहां तलब किया गया और उसे दंडित किया गया । इस तरह से सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुष्ट करने का काम हुआ ।

पहली बार यहां के इतिहास में एक सब-इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उसको शास्ति की गयी जबकि यह पिछली विधान सभा का मामला था, यह हम सब के लिये शर्म की बात थी कि विशेषाधिकार समिति का सर्वसम्मति निश्चय को हम कर्यान्वित नहीं कर पा रहे थे। जो किन्हीं कारणों से रहा हो वह इस बार पूरा हुआ लेकिन मैं समझता हूं अभी काफी गुन्जायश है इस प्रयास को आगे बढ़ाने की मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिस वातावरण में हम विदाई ले रहे हैं आज और पिछले सत्र में जो स्थिति थी उसमें भिन्नता है, निश्चित रूप से हम प्रगति की ओर बढ़े हैं सुधार की ओर बढ़े हैं और इस आशा के साथ कि इसमें हमारा ही नहीं उस पक्ष का नहीं बल्कि आपका भी संरक्षण, सहयोग और मार्ग-दर्शन रहा है।

सचिव साहब के सहयोग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हम लोग तो कभी-कभी असंतुष्ट होते थे और माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में जाते थे तो वहां मिलते थे तो उनका सहयोग मिलता था। लाइब्रेरी के लोगों ने अथक प्रयास करके समय-समय पर हम लोगों को मैटीरियल दिया ताकि बहस में भाग ले सकें। विधान सभा के कर्मचारियों ने और गार्डों ने बड़े ही अनुशासन से काम किया। इन सभी लोगों को हम अपनी और अपने दल एवं संपूर्ण विपक्ष की ओर से बधाई देते हैं और मान्यवर, आपको भी मैं अपनी ओर से और संपूर्ण विपक्ष की ओर से बधाई देता हूं कि भविष्य में आपका इसी तरह से मार्ग-दर्शन मिलेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, जब हम लोग चुनकर यहां आये और पहला बजट सेशन हुआ, श्री नारायण दत्त तिवारी जी उस समय भी मुख्य मन्त्री थे और शायद यह आखिरी बजट सेशन है, इस समय भी हैं, इसके बाद छोटा सेशन हो सकता है, लेकिन इसके बाद चुनाव होगा और नई एसेम्बली आयेगी तो वह अगली बजट पास करेगी, किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जितनी खुशी के साथ तिवारी जी के साथ उस सेशन में उठे और बधाई एक दूसरे को दिया था उसी तरह आज भी उसी वातावरण में यहां से विदाई ले रहे हैं और मान्यवर, तिवारी जी में कुछ खूबियां हैं और वह ऐसी हैं कि मैंने इनको कभी भी नाराज होते नहीं देखा है, यह नाराज होते ही नहीं हैं, हम नाराज होंगे तो यह हंस पड़ेंगे और हमको भी हंसना पड़ेगा क्योंकि इनकी यह खूबी है और मान्यवर, प्रजातंत्र के अन्दर यह खूबी आदमी में रहनी चाहिए, इसको हम सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान इनको लम्बी आयु करें और प्रजातंत्र की इस परम्परा को यह चलाते रहें चाहे उधर रहें या इधर रहें इसकी चिंता की कोई बात नहीं है।

मान्यवर, मैं श्री तिवारी जी को और सभी साथियों को हमारी तरफ से ऐसी कोई ज्यादती रही हो और आपको भी कुछ ऐसे शब्द कहे हों जिससे आपकी भावना को ठेस लगी हो, मैं खासतौर से, अपनी ओर से, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गयी हो, मैं व्यक्तिगत क्षमा चाहता हूं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे मन में जो रहा है वह जुबान पर आ जाता है, इसलिये दिल में कभी मैं कोई बात नहीं रखता हूं। मान्यवर, खासतौर से आप भी बधाई के पात्र हैं चूंकि आप हमसे और हम लोग आपसे जूझते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय कम बैठते हैं लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते हैं कि हम किसी सदस्य को इंगित करें, वह भी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, सचिव महोदय, यह तो अपने किस्म का एक ही आदमी हैं। ऐसा सचिव होना मुश्किल है। कोई माननीय सदस्य हमारे सचिव से नाराज नहीं रहता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बहुत बड़ी बात है । मान्यवर, विधान सभा सचिवालय के दूसरे जो अधिकारी, कर्मचारी और गार्ड हैं उनका बड़ा सहयोग मिला और उस दिन एक मामला आया गार्ड खड़े रहे और हाथ नहीं लगाया, यह बहुत बड़ी बात है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तथा स्टाफ अच्छा है । अंत में मैं सभी महिला सदस्यों के प्रति..

श्री शारदा प्रताप--

कमला साहनी, जब राम शरण दास जी बोल रहे थे कह रही थीं कि बैठ जाइये माफ कर दिया ।

श्री राम शरण दास--

मैं उनको भी बधाई देता हूं । यह भी अपने किस्म की एक ही हैं । हमने चाहे जितना मजाक किया है, किसी महिला ने हमारा बुरा नहीं माना है । कुमति जाति है, गुस्सा करती हैं, लेकिन कुछ भी कह दिया हमारी बात का बुरा नहीं माना, हंसती रहीं । पता नहीं हमारे ही अन्दर क्या कोई बात है । लेकिन सही में हम महिलाओं का बहुत आदर करते हैं । क्योंकि मैं डाक्टर लोहिया के साथ रहा हूं । डाक्टर साहब किसी महिला का अपमान देख लेते थे, तो बरदाश्त नहीं करते थे । एक बार उन्होंने स्व0 राज नारायण जी को एक महिला के मामले में इतना डांटा, कि वह फिर कभी वैसी बात नहीं कर सके । तो संसार में महिलाओं का जितना भी आदर कर सकें, हमें करना चाहिए । अब मैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के भी सभी साथियों को, सभी को बधाई देता हूं और भगवान ने चाहा तो दुबारा मिलेंगे और हंसी-खुशी मिलेंगे ।

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

हरीश जी, मेरा एक निवेदन सुन लें । ऐसा है कि पूरे सत्र भर हमें माननीय कल्याण सिंह जी की आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए मैं कल्याण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह दो शब्द अवश्य कहें ।

*श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो बड़ा ही आदर करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे आपने दो शब्द कहने का यहां अवसर दिया । माननीय हरीश जी स्वयं कह रहे थे कि मैं कहूं, तो मैंने कहा कि आप हमारे दल के उपनेता हैं । आप ही कहें, राजेन्द्र जी यहां नहीं हैं । जो भावना नेता सदन ने व्यक्त की हैं और बाकी के हमारे विरोध पक्ष के नेताओं ने व्यक्त की हैं, वह इस नाते से भी सराहनीय है कि लोकतन्त्र में इस प्रकार का सद्भाव बने रहना आवश्यक है । लोकतन्त्र में कठिन से कठिन विवाद वार्ताओं से हल किये जाते हैं । यहां पर अनेक प्रकार के प्रश्न आए, परिस्थितियां आईं, कभी-कभी उत्तेजना भी आई, लेकिन वह उत्तेजना स्थायी नहीं रह सकी, समस्याओं का समाधान भी निकला । जितने भी सदस्य विधान सभा में बैठे हैं, मेरे दृष्टिकोण से सभी बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से माननीय नेता सदन, जिन्होंने अपनी सूझ-बूझ से, अपनी सहृदयता से सारे कार्य का संचालन किया । वह विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं । इसमें दो मत नहीं हैं कि माननीय तिवारी जी में खूबियां बहुत हैं । अब हम जो विपक्ष में बैठते हैं, किसी की खूबियां न कहें तो यह कोई अच्छी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं होगी । तिवारी जी में भी खूबियां हैं । लोकतन्त्र में सही अर्थों में उनकी आस्था और विश्वास है और यह समय-समय पर परिलक्षित भी होता रहता है । आजकल जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस विधान सभा के नये इतिहास का यह निर्माण हो रहा है । उन्होंने इस विधान सभा के अन्दर होने वाली कार्यवाही का ब्यौरा दिया । मेरी दृष्टि से उससे भी ज्यादा इतिहास का निर्माण यह हो रहा है, जो यह पहला अवसर है जब इस बजट सत्र के अन्तिम दिन इतने सहृदयतापूर्ण वातावरण में हम यहां से उठेंगे । मुझे मान्यवर 1967 से इस विधान सभा के अन्दर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह मेरा पांचवां टर्म है । जब-जब बजट सत्र के अन्त में हम यहां से उठे, हो-हल्ला के अन्दर ही उठे ।

बस केवल उस अध्यक्ष पीठ से इतना सुनाई दिया "अब हम उठते हैं अनिश्चित-काल के लिए" और ठीक कहते हैं प्रमोद जी, कभी-कभी वह भी सुनाई नहीं देता था । आज एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है यह अच्छा माहौल है । आज विधान सभा में ऐसा लग रहा है कि न कोई सत्ता पक्ष है और न कोई विपक्ष है

6 बजकर 20 मिनट

(मेजें थपथपाई गईं)

पूरा सदन ऐसा दिखायी दे रहा है जैसे कि एक पक्ष है । लोकतन्त्र के लिए यह भावना आवश्यक है । लोकतन्त्र में जो महत्व और मूल्य सत्ता पक्ष का होता है उतना ही मूल्य और महत्व विपक्ष का भी होता है । लोकतन्त्र की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती है, जब दोनों पहिए समान चलेंगे तो लोकतन्त्र को गति मिलेगी । मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं जिस तरह का वायुमण्डल इस सदन में उपस्थित हुआ है यह वायुमण्डल आगे भी चलता रहे ।

(मेजें थपथपाई गईं)

जैसा दास जी ने कहा कि इस बजट सत्र का और विशेष रूप से बजट प्रस्तुत किए जाने का यह अन्तिम दिन है । अब बजट अगले वर्ष आएगा और कोई इधर से रखे या उधर से रखे, यह मतदाता के विवेक के ऊपर है, लेकिन बेन्चेज वही रहेंगी । व्यक्ति बदल सकते हैं, लोकतन्त्र में व्यक्तियों का बदलना स्वभाविक बात है । सत्ता आती है, सत्ता जाती है, तो मान्यवर, जो आज देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि यह इतिहास बनेगा आने वाले विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए । मैं आशा करता हूं, इस परम्परा का निर्वहन चाहे कोई करे, मैं तुलना नहीं करता, तुलना में आलोचना की गन्ध आ जाएगी, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज बेहतर हुआ है, कल और भी बेहतर हो, परसों और भी बेहतर हो । एक बात कहना चाहता हूं लोकतन्त्र सफलतापूर्वक चल पाता है तभी, जब विपक्ष सत्ता पक्ष द्वारा किए गये कार्यों की सराहना करे, प्रशंसा करे, स्वागत करे और सत्ता पक्ष भी विपक्ष द्वारा उठाए गये सवालों की अहमियत को समझे ।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि यह मानकर गलती उधर वाले करते हैं यह मानकर चलता हूं कि उधर बैठने वाले भी गलती कर सकते हैं । इधर बैठने वाले भी गलती कर सकते हैं । हम इधर बैठे हैं इसलिए गलती करते ही नहीं यह गलत है । इंसान का स्वभाव है, गलती हरेक से हो सकती है । आगे ऐसी परम्परा कायम रहे कि सत्ता पक्ष की ओर से जो कार्य हो सकते हैं, वह अच्छे कार्य होते हैं तो विपक्ष की ओर से उनका सम्मान किया जाए, उनके महत्व का समझा जाए । और विपक्ष की

ओर से उठाए गये, जनता से जुड़े हुए सवालों को, सत्ता पक्ष द्वारा गहराई से लिया जाए। कभी-कभी नोंकझोंक की स्थिति और वेल में आने की स्थिति पैदा हो जाती है। वह सही नहीं होता है। वेल में चले जाना उचित नहीं होता। कम से कम 5वीं बार में विधायक बनकर आया हूं लेकिन आज तक वेल में कभी नहीं गया।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, ईश्वर हम सबको इसको सद्बुद्धि दे कि सत्ता पक्ष हमारे कार्यों, हमारे द्वारा उठाये गये जनहित के कार्यों को अहमियत दे और जब कल को हम सत्ता पक्ष में आते हैं और जब यह विपक्ष में आ जायं तो हम इनके द्वारा उठाये गये जनहित के कार्यों को उसी गम्भीरता से लें। सत्ता में हम हों या कोई भी हो हमें इस परम्परा का पालन करना चाहिये। आज एक अच्छी परम्परा की यहां पर शुरुआत की गयी है मैं उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को फिर बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, आपने और माननीय अध्यक्ष जी ने जिस कुशलता के साथ कार्य सचालन किया उसके लिये सम्मानपूर्वक बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट।)

हमारे बड़े सुयोग्य सचिव हैं विधान सभा के। मैं उनकी योग्यता के लिये तो उनकी कद्र करता ही हूं लेकिन उनके सौम्य और शालीन स्वभाव की भी कद्र करता हूं। उल्टा-सीधा कोई भी सवाल हो उनके सामने रख दें तो दो या तीन सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लेंगे, खोलकर पन्ना रख दिया कि यह है नजीर। यह कोई मामूली बात नहीं है। यहां तो पन्ने पलटते रहिये पता नहीं क्या लिखा है। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

हमारे जो सहयोगी हैं चाहे लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, वह सम्मान, बधाई के पात्र हैं। हमारे गार्ड जो हैं वह भी बधाई के पात्र हैं। गार्ड इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि कोई भी माननीय सदस्य इस माननीय सदन में प्रवेश करे, हमने देखा है कि उन्होंने प्रत्येक माननीय सदस्य को पूरा सम्मान और आदर दिया है। मान्यवर, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय नेता सदन और विपक्ष के साथी माननीय सदस्यों और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को आदर के साथ बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज जो परम्परा स्थापित हुई है वह परम्परा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैंने पहले ही निवेदन किया था कि श्री कल्याण सिंह जी इस अवसर पर बोलेंगे आपने उन्हें पुकारा मुझे भी अच्छा लगा।

मान्यवर, विधायी कार्यों में हम लोग काफी समय से व्यस्त रहे हैं। आज विदाई का समय है। मुझे भी अच्छा लगा, माननीय नेता सदन ने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं आशा करता हूं कि यह एक परम्परा का रूप लेगी। सदन चलते समय बहुत सी चर्चाओं पर, बातों पर माननीय विधायक उत्तेजित हो जाते, आवेश में आ जाते हैं। नोंक-झोंक का माननीय नेता सदन ने कई बार प्रयोग किया है। यह सारी चीजें 34 दिनों में क्रमोवश हुयी हैं लेकिन जिस तरह से 2 शब्द स्नेह, प्यार, सद्भावना के बोलकर माननीय नेता सदन ने यदि कुछ अप्रिय घटा था तो उसको भुलवा दिया। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि नेता ऐसा ही होना चाहिये। विपक्ष जो छोटी संख्या में है, मैं कहना चाहूंगा कि बड़े यदि सुराह पर चलेंगे तो छोटे भी उसी राह को पकड़ लेंगे। अगर बड़ा भाई गलती करेगा तो छोटे से अच्छी अपेक्षा नहीं

की जा सकती । आज मुझे अच्छा लगा है, एक अच्छी शुरुआत, अच्छी सद्भावना का ऐसा वातावरण यहां बनाया गया है । आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज एक बड़े सद्भावना के वातावरण में हम यहां से जा रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं । मैं एक साधारण व्यक्ति हूं । मेरे प्रति पुलिस कर्मियों द्वारा जो दुर्व्यवहार हो गया था उसको इस सदन ने जिस प्रकार लिया था उससे ऐसा लगता था कि पक्ष और विपक्ष, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष के सारे भेदों को भूलकर यह सदन एक हो गया था लोगों ने गलती को गलती माना मैं समझता हूं कि यही परम्परा आगे बनी रहेगी । गलत-गलत होगा, सही-सही होगा । उचित-उचित होगा, अनुचित-अनुचित होगा । मैं समझता हूं कि इससे सदन ज्यादा सही चल पायेगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कुछ एक्सन लिया है, कार्यवाही किया है । मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार की कार्यवाही हर मामले में होती रहेगी, तो शायद असंतोष कम होगा, लोगों में आशा का संचार होगा । मैं अपने भाव को कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के प्रति इस शासन ने कार्यवाही की है, उन्हें दुखाने के लिए नहीं किया होगा, उन्हें सुधारने के लिए किया होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेता सदन ने एक ऐसा उदाहरण तैयार किया है, जो दूसरों के लिए एक लोक होगी । मैं समझता हूं कि वह दुर्व्यहार व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जरूर था, लेकिन यह विधायिका के साथ था, क्योंकि विधायिका यहां कार्यरत थी, सारे प्रदेश की जनता में आशा का संचार हुआ था, प्रशासन पर दबाव था । इस समय सारा विपक्ष, सत्ता पक्ष बैठा हुआ है, आज हम लोग बिदाई ले रहे हैं । अब हम अपने विधायी कार्य से मुक्त होकर अपने क्षेत्र म जायेंगे जहां जनता और प्रशासन के बीच हम खड़े होंगे । आज जनता और प्रशासन के बीच चौड़ी खाई हो गयी है । जिस तरह से सद्भावपूर्ण भाव से लोगों को एक करने की कोशिश किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी, अपने शासन और सत्ता के द्वारा यह प्रयत्न करेंगे कि जनता और प्रशासन के बीच जो बड़ी खाई पैदा हो गयी है, आप कृपया देखें कि कार्यपालिका सही रूप में कार्य करें । इन शब्दों के साथ नेता सदन को, इस विधायी कार्य में भाग लेने वाले सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए सबके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर, खट्टी-मीठी यादों को लेकर हम लोग आज विदा ले रहे हैं और 8 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल, दो महीने को जो घटनाएं हैं, वह हम सब लोगों को याद आयेगी । श्रीमन इसमें कोई संदेह नहीं कि नेता सदन के जरिये से लोकतांत्रिक परम्परायें हैं, उनका निर्वहन कितनी खूबी से किया जाता है, यह पूरा प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश जानता है और हम लोग तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और लोकतंत्र में आस्था के ही कारण विपक्ष के प्रति जो दायित्व है, उनकी मौजूदा राजनीति में लगे हुए लोगों में से बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र में निश्चित रूप से विपक्ष की भावनाओं का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, यद्यपि बहुत से नौसिखिये लोग हमारे मुख्य मंत्री पर यह आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष के साथ इनका मधुर सम्बन्ध रहा है । लेकिन जो लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, वह विपक्ष की भावनाओं का समादर करते हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा ही भरपूर किया है । मैं उनके लिए बधाई देता हूं ।

मान्यवर, हास-परिहास बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में उसको भी हमने अनुभव किया है और इस दो महीने में अनुभव किया है । विपक्ष के मामले में तो जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं और सारे हमारे विपक्ष के

लोग जानते हैं, जिसमें हमारे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग आमने-सामने खड़े हो गये और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, वह हमेशा याद रहेगा। श्रीमन् आपने जितना झेला, उसकी क्या तारीफ की जाय, आपको, तो श्रीमन् बहुत झेलना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है और आपके झेलने के कष्ट को हमेशा हम लोगों के महसूस किया। लेकिन श्रीमन् आंखों की वर्षा कितनी शक्तिशाली होती है। श्रीमन्, उससे जो ऊर्जा पैदा होती थी जब आपकी आंखें और माननीय संसदीय कार्यमन्त्री की आंखे मिलती थी तो वह साहित्य में जो पढ़ा था, वह सचमुच साकार होकर सामने आ गया। श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं उनकी तारीफ कितनी की जाय अद्भुत व्यक्ति हैं, कालीन हैं, वह कभी भी यह नहीं चाहते, किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि हम लोगों को किसी को वह दंडित करें या किसी को कोई कड़वा बोल।

श्रीमन्, हमारे विधान सभा के सचिवालय का काम जो हमारे मौजूदा सचिव के नेतृत्व में चलता है उसकी मिसाल भी ढूढ़ने से नहीं मिलेगी अद्भुत काम और इतना बड़ा काम जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि कितनी चर्चायें लगी, कितने वक्तव्य लगे, कितने प्रश्न लगे उन सबको देखते हुये सचमुच आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा काम और इतनी खूबी के साथ, मैं समझता हूं किसी विधान सभा में नहीं होता होगा। इन शब्दों से साथ श्रीमन्, आपको फिर धन्यवाद देते हुये माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देते हुये अपनी बात को खतम करता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम लोग फिर मिलेंगे 2-3 महीने के बाद ही।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने और माननीय विपक्षी दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसमें मैं अपने को आबद्ध करता हूं। मान्यवर, हम लोग 2 महीने तक हां और नहीं दोनों पक्षों के लोग एक साथ यहां पर रहे हैं। यह पिछले 4 साल की असेम्बली के इस अनुभव ने यह साबित किया है कि हम लोग जो 2 महीने तक यहां रहे, यहां एक दूसरे के विचारों को सुना और यहां पर जो भी बातें हुयी उसको हम दोनो पक्षों के लोगों ने बहुत ही धैर्य संयत से ग्रहण किया। मान्यवर, अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं (हंसी) यह जरूर बड़ा दुखद है और माननीय मुख्य मन्त्री जी की कृपा होगी तो हम लोग जल्दी मिलेंगे क्योंकि यह पहला अवसर है कि लगातार 2 महीने तक हम लोग साथ रहे। यहां से जाने के बाद हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगेंगे लेकिन यहां की जो घटना हुयी है वह बराबर वहां याद आती रहेगी।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, प्रमोद तिवारी को धन्यवाद देना भूल गये।

(हंसी)

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, प्रमोद तिवारी को तो बराबर कम्पन ही रहेगा। मान्यवर, कल से यह सदन अपने को बहुत ही सूनापन और अकेलापन महसूस करेगा, काफी गुलजार रहा है। मान्यवर नोक झोक होना तो लोकतन्त्र की पद्धति में होता ही है लेकिन हम सब फिर एक हो जाते हैं। इतना हां हां हुयी, इतनी ना ना हुयी फिर भी हम लोग एक हैं। हां हां, नां नां तो फिर हां हां में बदल ही जाती है वह बहुत देर तक नहीं

चलती है। मान्यवर, इस दौर में माननीय मुख्य मन्त्री जी की जरूर तारीफ करूंगा और उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े धैर्य से हर चीजों का जवाब दिया सचमुच में उसकी तारीफ करना आवश्यक है। मान्यवर, मैं आपको भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपने संकट की घड़ी में बहुत साहसिक कार्य दिखाया है और इस सरकार को उबारने में भी बड़ी मदद की है। मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि महापुरुष हैं और बहुत ही शान्त मिजाज के व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

नहीं यह भी बहुत अच्छे हैं। देखने में भी बहुत अच्छे हैं। हर तरीके से अच्छे हैं। मान्यवर, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और जो हमारे इस सचिवालय के कर्मचारी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और सचिव, विधान सभा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो हमारे माननीय सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार इस दौर में किया है और करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सदन संसदीय लोकतन्त्र का मन्दिर होता है। इसका साकार रूप हम इस समय देख रहे हैं और मान्यवर, इस साकार रूप को दिखाने का श्रेय माननीय नेता सदन को जाता है। इसके लिये मैं नेता सदन को बार-बार बधाई देता हूं। संसदीय कार्य मन्त्री का भी महान योगदान है इसमें। इसलिये वह भी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष, आपको मान्यवर, अधिष्ठाता मण्डल को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने बड़े कड़वे घूंट पीकर भी इस सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित किया। कुछ क्षण कभी-कभी ऐसे-ऐसे आ जाते हैं जो कठिन क्षण कहे जायेंगे। उन कठिन क्षणों में भी जिस खूबसूरती और भाईचारे से इस सदन में व्यवस्थायें की गयीं वह हमेशा याद रखी जायेगी और जो एक रिकार्ड कायम किया है, काम के बारे में, मान्यवर, उसके लिये इस सचिवालय, माननीय सचिव, अन्य अधिकारी-गण और समस्त कर्मचारीगण भी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, कभी-कभी हमारे अन्दर इस पक्ष में हों या दूसरे पक्ष में हों, कुछ गलतियां भी होती हैं। लेकिन उन गलतियों को भूलकर भाईचारे के माहौल में बैठते हैं तो उससे अकेले हमारे बीच ही नहीं, पूरे प्रदेश के माहौल में एक सुकून देखने को मिलता है। मान्यवर, मैं विश्वास करता हूं कि माननीय नेता सदन के नेतृत्व में सदन ने जो एक परम्परा कायम की है, यह और विकसित होगी और आगे जब भी हम मिलेंगे, भाईचारे के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्ति बनायें। माननीय नेता सदन और सभी नेतागण, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। ऐसे क्षण हमेशा रहें। जो हमारा यह सदन है, यह जनतन्त्र का पवित्र मन्दिर है, जिसकी मिसाल है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश इसका मार्ग प्रदर्शन मांगता है और इसकी नकल करता है, इसके आचरण पर निगाह रखता है। यह वह पवित्र मंदिर है जो जनता को सशक्त करता है, जनतन्त्र को सशक्त करता है, मजबूत करता है। हम दो महीने से इस सदन में जनता की समस्याओं को लेकर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, प्रदेश की समस्याओं को लेकर और कभी-कभी देश की समस्याओं को लेकर भी, बड़े गहन अध्ययन और लगन के साथ 2 महीने से काम किया और मैं तो यह कहूंगा कि जितना सहयोग दोनों ओर के माननीय सदस्यों का

इस सदन को चलाने में रहा है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, जो आगे नजीर बनेगी और इसमें विशेष कभी-कभी उत्तेजना का वक्त भी आया, लेकिन सभी नेताओं ने और विशेषकर नेता सदन और संसदीय कार्य मन्त्री ने जिस खूबी से उन क्षणों को निभाया, उनसे पार हुये, वह बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

किसी जनतन्त्र में जहां आप हम एक पक्ष और विपक्ष के रूप में बैठे हैं जैसा सभी नेतागण ने कहा, हम सब एक हैं।

यह हमारा काम करने का तरीका है। एक पक्ष कहलाता है, एक विपक्ष कहलाता है, हम में कोई फर्क नहीं है। देश और प्रदेश की जिम्मेदारी दोनों की बराबर है, उसका निर्वहन करना हम सबका कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं कि सत्तापक्ष और विपक्ष ने दोनों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरीके से यहां किया है।

(मेजों की थपथपाहट)

कभी-कभी उत्तेजना हुई, वह उत्तेजना जनतंत्र में स्वाभाविक है। कभी कोई घटना घटित होती है, तो उस पर उत्तेजना होती है, निराकरण भी सभी चीजों का नहीं हो सकता, कुछ कमियां रह जायेंगी, तो उधर सत्ता पक्ष में भी कुछ निराकरण की बात कही गई, तो वह रहेगी, यह जम्हूरियत का तकाजा है, कोई न कोई चीज की प्रयास करने के बावजूद, कमी रह जाती है और वह रहेगी। सभी का आभारी हूं कि जो कठिन काम मेरे ऊपर सौंपा था, उसमें मेरा सभी ने सहयोग किया है। जितना सहयोग किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके लिए क्या कहूं। मैं अपने अधिष्ठाता मण्डल का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जैसा कि माननीय कौशिक जी न कहा कि मैंने बहुत झेला है, मैं अपने अधिष्ठाता मण्डल के लोगों से भी जैसा कि उन्होंने झेला है, भगवान उन्हें ज्यादा शक्ति दे और झेलने की।

(मेजों की थपथपाहट)

जैसा आज वातावरण है, यह हमेशा वातावरण हमारे लिये रहे।

माननीय नेता सदन, हमारी जो जनतन्त्रीय प्रणाली है, राजनीतिक जीवन है, हम सबसे महान हैं और हम सबके पथ प्रदर्शक के रूप में हैं। क्योंकि हमने तो उनसे हमेशा सीखा है। यह सवाल नहीं है कि नेता सदन इस वक्त कांग्रेस में है, हम तो उनकी छत्रछाया में रहकर बचपन से सीखे। कौन किस दल में है, कहां है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन, माननीय नेता सदन का जो जनतन्त्रीय स्वभाव है, वह हमेशा रहेगा। वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके लिये हम उनको बधाई देना चाहते हैं और हमारे संसदीय कार्य मन्त्री-बड़े विचित्र जीव हैं। मैंने तो कभी आंख मिलायी नहीं कौशिक जी को पता नहीं कैसे अनुभव हुआ, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो कभी नहीं मिलाई। यह अलग बात है कि कौशिक जी वहां से इनसे आंख मिलाते रहते थे, इसलिय उनको ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जिस खूबी से सबकी समस्याओं का जिस तरह से निराकरण किया, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

हमारे माननीय शुक्ला जी, जो सचिव हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं और एक बात मैं शुक्ला जी के बारे में कहना चाहता हूं। यह विधान सभा के सचिव हैं और जुडीशियरी के आदमी हैं। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि शुक्ला जी जैसे दृढ़ निश्चय

ाले आदमी कम ही होते हैं । उन्होंने कभी भी सही निर्णय लेने में यह पसन्द नहीं किया, मुझे भी 4-सवा 4 साल का समय हो गया, लेकिन उन्होंने कभी भी सहमति व्यक्त नहीं की । इन्होंने हमेशा जो सही निर्णय होता था, उसे मानने को कहा और यह भी कहा कि आप शक्तिशाली हैं, आप चाहे कुछ भी निर्णय लें, लेकिन मेरी राय यह है, उसे माने अथवा न माने । हमारी विधान सभा का सचिव इतना दृढ़ निश्चयी हो, तो हमको यकीन है कि जिस कुरसी पर हम रहते हैं, उस कुरसी पर कभी आंच नहीं आयेगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा । असली सचिव होता है जो सही मांग को प्रदर्शन करता है, उसके लिये मैं शुक्ला जी को बधाई देता हूं ।

अन्य सचिव और सभी सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं । कि सदन खत्म हो जाने के बाद भी रात 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे 2-2, 3-3 घंटे बैठकर इन्होंने सुबह का एजेन्डा टाइम से पहुंचाया, वह काफी दिन देर रात तक कार्य किये, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । हमारे गार्ड, हमारे अन्य कर्मचारी भाइयों ने बड़ी तत्परता, शालीनता और सद्भावना से हमारा योगदान किया, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

एक बार फिर सभी नेतागण, हमारे नेता सदन, संसदीय कार्य मन्त्री और अन्य सभी जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिनको कभी-कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि वह हमारे नेता सदन से यह सबक लें कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है । हमारे राम शरण दास जी इस बार थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहे । इससे पहले जब यह थे, तो इतना गुस्सा नहीं करते थे । यह 9वीं विधान सभा का 5वां बजट है, जो हमको अधिकार मिला था, वह बजट आप पास कर रहे हैं । पहले सत्र में राम शरण दास जी रनिंग कमेन्टरी किया करते थे और उससे हंसी का माहौल रहता था । मैं राम शरण दास जी से प्रार्थना करूंगा कि क्रोध कम किया करें ।

श्री राम शरण दास--

अब खत्म हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज ऐसा माहौल है कि हम अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे और जन समस्याओं को निपटाने की कोशिश करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे और जो जन समस्यायें हैं, उनको देखेंगे । इन शब्दों के साथ में पुनः सभी का आभार प्रकट करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं । ऐसा माहौल सदा बना रहे, यह भाईचारा बना रहे । वैसे हमारी लड़ाई सिद्धान्तों की है, मूल्यों की है । कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है । इस माहौल को हम ऐसे ही बनाये रखेंगे, इसी से सदन चलेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा लगेगा और नजीर बनेगी । इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सबको धन्यवाद देता हूं ।

सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाय । मैं जानता हूं कि सभी लोग सहमत होंगे ।

(सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, अनिश्चितकाल के लिये ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया ।)

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 6 जून, 1989 ई0 ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0--31 वि0 सभा--30-11-1989--813 प्रतियां (पी0 डी0)।